अष्टम माला, खंड 51, अंक 1

मंगलवार, 18 जुलाई, 1989
27 आषाढ़, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौदहवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 51 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 18 जुलाई, 1989/27 आषाढ़, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषयसूची (ii)	10	"चित्का" के स्थान पर "चिल्का" पढ़िये।
(vii)	कालम 1 (नीचे से 8)	"सुभाव" के स्थान पर "सुभाष" पढ़िये।
(ix)	कालम 2 (पंक्ति 15)	"सिंह संतोष कुमार" के स्थान पर "सिंह, श्री संतोष कुमार" पढ़िये।
(ix)	कालम 1 (नीचे से 8)	"सिंह, श्री एम०टोम्बी" के स्थान पर "सिंह, श्री एन०टोम्बी" पढ़िये।
(x)	कालम 1 (पंक्ति 3)	"सोनी" के स्थान पर "सोडी" पढ़िये।
52	4	"वसन्न साठे" के स्थान पर "वसन्त साठे" पढ़िये
129	14	शीर्षक में "पदान" के स्थान पर "प्रदान" पढ़िये
171	नीचे से 12	प्रश्न संख्या "210" के स्थान पर "201" पढ़िये।
195	नीचे से 6	"आपके" के स्थान पर "आपने" पढ़िये।
	नीचे से 2	"समा" के स्थान पर "सभा" पढ़िये।
202	16	"सेवा पूर्ति" के स्थान पर "सेवा शर्तों" पढ़िये।
203	नीचे से 2	"सरकार विनियोग लेखे" के स्थान पर "सरकार के विनियोग लेखे" पढ़िये।
206	11	"राम कुमार राय" के स्थान पर "राज कुमार

विषय-सूची

...ा, खंड 51, चौदहवां सत्र, 1989/1911 (शक)

...वार, 18 जुलाई 1989/27 आषाढ़, 1911 (शक)

	पृष्ठ
	1—3
	3—21
तारां... ...या 1, 2 और 4 से 6	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21—192
तारांकित प्रश्न संख्या : 3 और 7 से 20	21—35
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 196, 198 से 226 और 228 से 230	35—191
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	192—202
सभा पटल पर रखे गए पत्र	202—204 एवं 264—265
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	204—205
नियम 377 के अधीन मामले	205—209
(एक) तूफान पीड़ितों के लिए उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री चिन्तामणि जेना	205
(दो) आठवीं योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बेलथारा रोड टाउन के निकट घाघरा नदी पर एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राज कुमार राय	206
(तीन) पारादीप में एक प्लास्टिक कच्चा माल डिपो स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयन्ती पटनायक	206
(चार) आठवीं योजना में क्षेत्रीय असन्तुलन दूर किए जाने की आवश्यकता	
श्री जगन्नाथ पटनायक	207

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
प्रो० सैफुद्दीन सोज	235
डा० दत्ता सामंत	237
श्री बृजमोहन महन्ती	238
खंडवार विचार	244
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चव्हाण	244
स्थगन प्रस्ताव	244—305
पंजाब और दिल्ली में आतंकवादियों की गतिविधियां	
श्री सुरेश कुरूप	244
श्री गुलाम नबी आजाद	247
श्री ई० अय्यपू रेड्डी	252
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	255
डा० जी० एस० ढिल्लों	260
चौधरी खुर्शीद अहमद	265
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	272
श्री चरनजीत सिंह वालिया	275
श्री पी० चिदम्बरम	278
श्री नारायण चौबे	283
श्री पीयूष तिरकी	286
श्री बालकवि बैरागी	287
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	291
सरदार बूटा सिंह	292
दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक	305—306
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राजेश पायलट	305

विषय	पृष्ठ
(पांच) मानिकपुर जंक्शन पर सभी रेलगाड़ियों के रुकने की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता	
श्री भीष्म देव दुबे	207
(छः) आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में तिरुवुरु में एक नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव	207
(सात) श्री मुजफ्फर अहमद की जन्म शताब्दी पर उनकी स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री बसुदेव आचार्य	208
(आठ) उड़ीसा के समुद्र तट और चिल्का झील का विकास किए जाने की आवश्यकता	
श्री बृज मोहन महन्ती	208
साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक	209—244
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चव्हाण	209
श्री बी० बी० रमैया	210
श्री शान्ताराम नायक	212
डा० सुधीर राय	213
डा० गौरी शंकर राजहंस	214
श्री सोमनाथ रथ	216
श्री एन० टोम्बी सिंह	217
श्री तम्पन थामस	218
श्री शरद दिघे	220
श्री हरुभाई मेहता	221
कुमारी ममता बनर्जी	223
श्री विजय कुमार यादव	225
श्रीमती बसवराजेश्वरी	226
श्री के० एस० राव	228
श्री भद्रेश्वर तांती	231
श्री गिरधारी लाल व्यास	233

विषय	पृष्ठ
प्रो० सैफुद्दीन सोज	235
डा० दत्ता सामंत	237
श्री बृजमोहन महन्ती	238
खंडवार विचार	244
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चव्हाण	244
स्थगन प्रस्ताव	244—305
पंजाब और दिल्ली में आतंकवादियों की गतिविधियां	
श्री सुरेश कुरूप	244
श्री गुलाम नबी आजाद	247
श्री ई० अय्यपू रेड्डी	252
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	255
डा० जी० एस० ढिल्लों	260
चौधरी खुर्शीद अहमद	265
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	272
श्री चरनजीत सिंह वालिया	275
श्री पी० चिदम्बरम	278
श्री नारायण चौबे	283
श्री पीयूष तिरकी	286
श्री बालकवि बैरागी	287
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	291
सरदार बूटा सिंह	292
दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक	305—306
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राजेश पायलट	305

आठवीं लोकसभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अंजैया, श्रीमती मनेम्मा (सिकन्दराबाद)
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान (मधुबनी)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अख्तर हसन, श्री (कैराना)
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (चांदनी चौक)
अठवाल, श्री चरनजीत सिंह (रोपड़)
अडईकलराज, श्री एल० (तिरुचिरापल्ली)
अताउर्रहमान, श्री (बारपेटा)
अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी (तिरुचेन्दूर)
अप्पालानरसिंहम, श्री पी० (अनकापल्ली)
अब्दुल गफूर, श्री (सीवन)
अब्दुल हमीद, श्री (धुबरी)
अब्दुल्ला, बेगम अकबर जहां (अनन्तनाग)
अब्बासी, श्री के० जे० (डुमरियागंज)
अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण (बंगलौर दक्षिण)
अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)
अलखा राम, श्री (सलुम्बर)
अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)
अहमद, श्रीमती आबिदा (बरेली)
अहमद, श्री सरफराज (गिरिडीह)
अहमद, श्री सैफुद्दीन (मंगलदाई)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)
आजाद, श्री गुलाम नबी (वाशिम)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्रीमती सुमति (लोहारडागा)

ए

एंथनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
एन्टनी, श्री पी० ए० (त्रिचूर)

ऐ

ऐंगती, श्री बीरेन सिंह (स्वायत्तशासी जिला)

ओ

ओडेदरा, श्री भरत कुमार (पोरबन्दर)
ओडेयर, श्री चन्नैया (दावनगेर)
ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

ककाड़े, सांभाजीराव (बारामती)
कण्णन, श्री पी० (तिरुच्चेंगोडे)
कमल नाथ, श्री (छिंदवाड़ा)
कमला कुमारी, कुमारी (पलामू)
कलानिधि, डा० ए० (मद्रास मध्य)
कल्पना देवी, डा० टी० (वारंगल)
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम (उस्मानाबाद)
काबुली, श्री अब्दुल रशीद (श्रीनगर)
कामत, श्री गुरुदास (बम्बई उत्तर पूर्व)
कामसन, प्रो० मिजिनलुंग (बाह्य मणिपुर)
किदवई, श्रीमती मोहसिना (मेरठ)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द (दुमका)

कुंवर राम, श्री (नवादा)
कुचन, श्री गंगाधर एस० (शोलापुर)
कुजूर, श्री मौरिस (सुन्दरगढ़)
कुन्जम्बु, श्री के० (अडूर)
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बटूर)
कुमारमंगलम, श्री पी० आर० (सलेम)
कुरियन, प्रो० पी० जे० (इडुक्की)
कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)
कुरेशी, श्री अजीज (सतना)
कुलनदईवेलु, श्री पी० (गोबिचेट्टिपालयम)
कृष्ण कुमार, श्री एस० (क्विलोन)
कृष्ण सिंह, श्री (भिण्ड)
केन, श्री लाला राम (बयाना)
केयूर भूषण, श्री (रायपुर)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कौशल, श्री जगन्नाथ (चण्डीगढ़)
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई (बीड़)

ख

खत्री, श्री निर्मल (फैजाबाद)
खां, श्री असलम शेर (बेतूल)
खां, श्री आरिफ मोहम्मद (बहराइच)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री मोहम्मद अयूब (ऊधमपुर)
खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुनू)
खां, श्री मोहम्मद महफूज अली (एटा)
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ (सीतामढ़ी)
खुर्शीद अहमद, चौधरी (फरीदाबाद)

ग

गंगा राम, श्री (फिरोजाबाद)
गढ़वी, श्री बी० के० (बनासकांठा)
गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गांधी, श्री राजीव (अमेठी)
गाडगिल, श्री वी० एन० (पुणे)
गामित, श्री सी० डी० (माण्डवी)
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव (कोल्हापुर)
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह (बड़ौदा)
गावली, श्री सीताराम जे० (दादरा और नगर हवेली)
गावित, श्री मणिकराव होडल्य (नन्दरबार)
गिल, श्री मेवा सिंह (लुधियाना)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (बसीरहाट)
गुप्त, श्री जनक राज (जम्मू)
गुप्त, श्रीमती प्रभावती (मोतीहारी)
गुरड्डी, श्री एस० एम० (बीजापुर)
गुहा, डा० फूलरेणु (कन्टई)
गोपेश्वर, श्री (जमशेदपुर)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोस्वामी, श्री दिनेश (गुवाहाटी)
गोहिल, श्री जी० बी० (भावनगर)
गौंडर, श्री ए० एस० (पलानी)
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे (हसन)
गौडा, श्री के० वी० शंकर (मांड्या)

घ

घोरपडे, श्री एम० वाई० (रायचूर)
घोलप, श्री एस० जी० (ठाणे)
घोष, श्री तरुण कान्ति (बारसाट)
घोष, श्री बिमल कान्ति (सीरमपुर)
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा (नवद्वीप)
घोषाल, श्री देवी (बैरकपुर)

च

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र (कानपुर)

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (श्रीपेरम्बुदूर)
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल (दुर्ग)
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती (कांगड़ा)
चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव (नान्देड़)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)
चालिहा, श्री पराग (जोरहाट)
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई के० (आनन्द)
चिदम्बरम, श्री पी० (सिवगंगा)
चौधरी, श्रीमती ऊषा (अमरावती)
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान (माल्दा)
चौधरी, श्री कमल (होशियारपुर)
चौधरी, श्री जगन्नाथ (बलिया)
चौधरी, श्री नन्दलाल (सागर)
चौधरी, श्री मनफूल सिंह (बीकानेर)
चौधरी, श्री समर ब्रह्म (कोकराझार)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौबे, श्री नारायण (मिदनापुर)

ज

जगतरक्षकन, डा० एस० (चेंगलपट्टु)
जगन्नाथ प्रसाद, श्री (मोहनलालगंज)
जदेजा श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री कादम्बुर (तिरुनेलवेली)
जयमोहन, श्री ए० (तिरुपत्तूर)
जांगड़े, श्री खेलन राम (बिलासपुर)
जाखड़, डा० बल राम (सीकर)
जाटव, श्री कम्मोदीलाल (मुरैना)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जितेन्द्र सिंह, श्री (महाराजगंज)
जीवरत्नम, श्री आर० (आर्कोनम)
जुझार सिंह, श्री (झालावाड़)
जेना, श्री चिन्तामणि (बालासोर)
जैन, श्री डाल चन्द (दमोह)
जैन, श्री निहाल सिंह (आगरा)
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र (बाड़मेर)
जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)

झ

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी० (चित्तूर)
झिकराम, श्री एम० एल० (मांडला)

ट

टन्डेल, श्री गोपाल के० (दमन तथा दीव)
टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

ठ

ठक्कर, श्रीमती ऊषा (कच्छ)
ठाकुर, श्री सी० पी० (पटना)

ड

डामर, श्री सोमजी भाई (दोहद)
डिगाल, श्री राधाकांत (फूलबनी)
डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)
डोणगांवकर, श्री साहिबराव पाटिल (औरंगाबाद)
डोरा, श्री एच० ए० (श्रीकाकुलम)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (फिरोजपुर)

त

तंगराजु, श्री एस० (पेरम्बलूर)
तपेश्वर सिंह, श्री (विक्रमगंज)
तम्बि दुराई, श्री एम० (धर्मपुरी)
ताती, श्री भद्रेश्वर (कलियाबोर)

तारिक अनवर, श्री (कटिहार)

तिग्गा, श्री साइमन (खूंटी)

तिरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)

तिलकधारी सिंह, श्री (कोडरमा)

तिवारी, प्रो० के० के० (बक्सर)

तुर, सरदार त्रिलोचन सिंह (तरन तारन)

तुलसीराम, श्री वी० (नगरकुरनूल)

तोमर, श्रीमती उषा रानी (अलीगढ़)

त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह (मुजफ्फरनगर)

त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर (खलीलाबाद)

त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा (चमोली)

थ

थामस, प्रो० के० वी० (एरनाकुलम)

थामस, श्री तम्पन (मवेलिकरा)

थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)

थोटा, श्री गोपाल कृष्ण (काकीनाडा)

थोरट, श्री भाऊसाहिब (पंढरपुर)

द

दण्डवते, प्रो० मधु (राजापुर)

दत्ता, श्री अमल (डायमंड हार्बर)

दर्दी, श्री तेजा सिंह (भटिंडा)

दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)

दलवाई, श्री हुसैन (रत्नागिरी)

दाभी, श्री अजीत सिंह (कैरा)

दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)

दास, श्री बिपिन पाल (तेजपुर)

दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)

दास, श्री सुदर्शन (करीमगंज)

दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन (हावड़ा)

दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)

दिग्विजय सिंह, डा० (सुरेन्द्रनगर)

दिघे, श्री शरद (बम्बई उत्तर-मध्य)

दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)

दीक्षित, श्रीमती शीला (कन्नौज)

दुबे, श्री भीष्म देव (बांदा)

देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस० (पार्वतीपुरम)

देव, श्री संतोष मोहन (सिलचर)

देवरा, श्री मुरली (बम्बई दक्षिण)

देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)

देवी, प्रो० चन्द्र भानु (बलिया)

ध

धारीवाल, श्री शांति (कोटा)

न

नटराजन, श्री के० आर० (डिंडिगुल)

नटवर सिंह, श्री के० (भरतपुर)

नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती (करौलबाग)

नामग्याल, श्री पी० (लद्दाख)

नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)

नायक, श्री शांताराम (पणजी)

नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)

नारायणन, श्री के० आर० (ओट्टापलम)

नीखरा, श्री रामेश्वर (होशंगाबाद)

नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह (गढ़वाल)

नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)

नेहरू, श्री अरुण कुमार (राय बरेली)

प

पंत, श्री कृष्ण चन्द्र (नई दिल्ली)

पंवार, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)

फकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम० (मयूरम)

पटनायक, श्री जगन्नाथ (कालाहांडी)

पटनायक, श्रीमती जयन्ती (कटक)

पटेल, श्री अहमद एम० (भड़ौच)

पटेल, श्री उत्तमभाई ह० (बलसार)
पटेल, डा० ए० के० (मेहसाना)
पटेल, श्री एच० एम० (साबरकांठा)
पटेल, श्री जी० आई० (गांधीनगर)
पटेल, श्री मोहनभाई (जूनागढ़)
पटेल, श्री राम पूजन (फूलपुर)
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमभाई (गोधरा)
पटेल, श्री सी० डी० (सूरत)
पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी (तिंडीवनम)
पनिका, श्री राम प्यारे (राबर्ट्सगंज)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पलाकोंड्रायुडू, श्री एस० (राजमपेट)
पवार, श्री बालासाहिब (जालना)
पांजा, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री मदन (गोरखपुर)
पांडे, श्री मनोज (बेतिया)
पांडेय, श्री काली प्रसाद (गोपालगंज)
पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री एच० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री डी० बी० (कोलाबा)
पाटिल, श्री प्रकाश वी० (सांगली)
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख (अहमदनगर)
पाटिल, श्री विजय एन० (इरन्दोल)
पाटिल, श्री वीरेन्द्र (गुलबर्गा)
पाटिल, शिवराज वी० (लातूर)
पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)
पाठक, श्री चन्द्र किशोर (सहरसा)
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)
पायलट, श्री राजेश (दौसा)
पारधी, श्री केशवराव (भण्डारा)
पासवान, श्री राम भगत (रोसड़ा)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम (अलप्पी)
पुरोहित, श्री बनवारी लाल (नागपुर)
पुष्पा देवी, कुमारी (रायगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (हाथरस)
पेरूपन, डा० पी० वल्लल (चिदम्बरम)
पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)
प्रकाश चन्द्र, श्री (बाढ़)
प्रधान, श्री के० एन० (भोपाल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रभु, श्री आर० (नीलगिरि)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर (उदीपी)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बघेल, श्री प्रताप सिंह (धार)
बनर्जी, कुमारी ममता (जादवपुर)
बनातवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)
बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)
बलरामन, श्री एल० (वन्डावासी)
बशीर, श्री टी० (चिरायिंकिल)
बसवराजेश्वरी, श्रीमती (बेल्लारी)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बागुन सुम्बरुई, श्री (सिंहभूम)
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)
बाल गौड, श्री टी० (निजामाबाद)
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला (मद्रास दक्षिण)
बासवराजु, श्री जी० एस० (टुमकुर)
बिश्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)

बीरबल, श्री (गंगानगर)

बीरेन्द्र सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)

बीरेन्द्र सिंह, श्री (हिसार)

बुबानिया, श्री नरेन्द्र (चुरु)

बुन्देला, श्री सुजान सिंह (झांसी)

बूटा सिंह, सरदार (जालौर)

बेरवा, श्री बनवारी लाल (टोंक)

बैठा, श्री डूमर लाल (अररिया)

बैरागी, श्री बालकवि (मन्दसौर)

बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय)

ब्रह्म दत्त, श्री (टिहरी गढ़वाल)

भ

भण्डारी, श्रीमती डी० के० (सिक्किम)

भक्त, श्री मनोरंजन (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह)

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्वी दिल्ली)

भगत, श्री बी० आर० (आरा)

भट्टाचार्य, श्रीमती इन्दुमती (हुगली)

भरत सिंह श्री (बाह्य दिल्ली)

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)

भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)

भूपति, श्री जी० (पेद्दापल्ली)

भूमिज, श्री हरेन (डिब्रूगढ़)

भूरिया, श्री दिलीपसिंह (झाबुआ)

भोई, डा० कृपा सिंधु (सम्बलपुर)

भोये, श्री आर० एम० (धुले)

भोये, श्री एस० एस० (मालेगांव)

भोसले, श्री प्रतापराव बी० (सतारा)

म

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मकवाना, श्री नरसिंह (धंधुका)

मनोरमा सिंह, श्रीमती (बांका)

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)

मलिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)

मसूदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)

महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)

महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)

महाबीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)

महाता, श्री चित्त (पुरुलिया)

महालिंगम, श्री एम० (नागापट्टिनम)

महेन्द्र सिंह, श्री (गुना)

माधुरी सिंह, श्रीमती (पूर्णिया)

मानवेन्द्र सिंह, श्री (मथुरा)

माने, श्री आर० एस० (इचलकरांजी)

माने, श्री मुरलीधर (नासिक)

मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)

मालवीय, श्री बापूलाल (शाजापुर)

मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई (राजकोट)

मिर्धा, श्री राम निवास (नागौर)

मिश्र, श्री उमाकान्त (मिर्जापुर)

मिश्र, श्री गार्गी शंकर (सिवनी)

मिश्र, श्री नित्यानन्द (बोलनगीर)

मिश्र, डा० प्रभात कुमार (जंजगीर)

मिश्र, श्री राम नगीना (सलेमपुर)

मिश्र, श्री विजय कुमार (दरभंगा)

मिश्र, श्री श्रीपति (मछलीशहर)

मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)

मीना, श्री राम कुमार (सवाई माधोपुर)

मीरा कुमार, श्रीमती (बिजनौर)

मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ (मुवत्तुपुजा)

मुखर्जी श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल (आसनसोल)

मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)

मुरमू, श्री सिद्ध लाल (मयूरभंज)

मुशरान, श्री अजय (जबलपुर)

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री भट्टम श्रीराम (विशाखापत्तनम)

मेहता, श्री हरुभाई (अहमदाबाद)

मोतीलाल सिंह, श्री (सीधी)

मोदी, श्री विष्णु (अजमेर)

मोरे, प्रो० रामकृष्ण (खेड)

मोहनदास, श्री के० (मुकुन्दपुरम)

य

यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)

याजदानी, डा० गुलाम (रायगंज)

यादव, श्री आर० एन० (परभणी)

यादव, श्री कैलाश (जलेसर)

यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)

यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री महावीर प्रसाद (माधीपुरा)

यादव, श्री राम सिंह (अलवर)

यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)

यादव, श्री श्याम लाल (वाराणसी)

यादव, श्री सुभाव (खारगोन)

योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद (चतरा)

र

रंगनाथ, श्री के० एच० (चित्रदुर्ग)

रंगा, प्रो० एन० जी० (गुंटूर)

रघुराज सिंह, चौधरी (इटावा)

रणवीर सिंह, श्री (केसरगंज)

रतनम, श्री एन० वेंकट (तेनाली)

रथ, श्री सोमनाथ (आस्का)

रमैया, श्री बी० बी० (एलूरु)

रमैया, श्री सोढे (भद्राचलम)

राउत, श्री भोला (बगहा)

राज करन सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

राजहंस, डा० गौरी शंकर (झंझारपुर)

राजू, श्री विजय कुमार (नरसापुर)

राजेश्वरन, डा० वी० (रामनाथपुरम)

राठवा, श्री अमर सिंह (छोटा उदयपुर)

राठौड़, श्री उत्तम (हिंगोली)

राम, श्री राम रतन (हाजीपुर)

राम, श्री रामस्वरूप (गया)

राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)

राम धन, श्री (लालगंज)

राम प्रकाश, चौधरी (अम्बाला)

राम बहादुर सिंह, श्री (छपरा)

राम समुझावन, श्री (सैदपुर)

राम सिंह, श्री (हरिद्वार)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)

रामपाल सिंह, श्री (अमरोहा)

राममूर्ति, श्री के० (कृष्णागिरि)

रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री (जहानाबाद)

रामुलु, श्री एच० जी० (कोप्पल)

रामूवालिया, श्री बलवन्त सिंह (संगरूर)

राव, श्री आई० रामा (कासरगोड़)

राय, श्री राज कुमार (घोसी)

राय, श्री रामदेव (समस्तीपुर)

राय, डा० सुधीर (बर्दवान)

रायप्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)

राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर (अमलापुरम)

राव, श्री के० एस० (मछलीपटनम)

राव, श्री जगन्नाथ (बहरामपुर)
राव, डा० जी० विजय रामा (सिद्दिपेट)
राव, श्री जे० चोक्का (करीमनगर)
राव, श्री जे० वेंगल (खम्मम)
राव, श्री पी० वी० नरसिंह (रामटेक)
राव, श्री वी० कृष्ण (चिकबल्लापुर)
राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर (विजयवाड़ा)
राव, श्री श्रीहरि (राजामुन्द्री)
रावणी, श्री नवीन (अमरेली)
रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)
रावत, श्री प्रभु लाल (बांसवाड़ा)
रावत, श्री हरीश (अलमोड़ा)
रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा पूर्व)
रेड्डी, श्री ई० अय्यपू (कुरनूल)
रेड्डी, श्री एम० रघुमा (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री एम० सुब्बा (नन्दयाल)
रेड्डी, श्री एस० जयपाल (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र (हिंदुपुर)
रेड्डी, श्री डी० एन० (कडप्पा)
रेड्डी, श्री बी० एन० (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री बेजावाड़ा पपी (अंगोल)
रेड्डी, श्री मानिक (मेडक)
रेड्डी, श्री सी० जंगा (हनमकोंडा)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)

ल

लच्छी राम, चौधरी (जालौन)
लाहा, श्री आशुतोष (दमदम)
लोवांग, श्री वांगफा (अरुणाचल पूर्व)

व

वन, श्री दीप नारायण (बलरामपुर)
वनकर, श्री पूनम चन्द मीठाभाई (पाटन)
वर्मा, श्रीमती ऊषा (खेरी)
वर्मा, डा० सी० एस० (खगरिया)
वाडियार, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज (मैसूर)
वालिया, श्री चरनजीत सिंह (पटियाला)
वासनिक, श्री मुकुल (बुलढाना)
विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)
वीर सेन, श्री (खुर्जा)
वेंकटेश, डा० वी (कोलार)
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस० (कुड्डालोर)
व्यास, श्री गिरधारी लाल (भीलवाड़ा)

श

शंकर लाल, श्री (पाली)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)
शमिन्दर सिंह, श्री (फरीदकोट)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शर्मा, श्री नन्द किशोर (बालाघाट)
शर्मा, श्री नवल किशोर (जयपुर)
शर्मा, श्री प्रताप भानु (विदिशा)
शांती देवी, श्रीमती (सम्भल)
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण (फतेहपुर)
शाह, श्री अनूपचन्द (बम्बई उत्तर)
शाहबुद्दीन, श्री सैयद (किशनगंज)
शाही, श्री ललितेश्वर (मुजफ्फरपुर)
शिगड़ा, श्री डी० बी० (दहानू)
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)
शेरवानी, श्री सलीम आई० (बदायूं)

शैलेश, डा० बी० एल० (चैल)
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी० (चामराजनगर)

ष

षण्मुख, श्री ए० सी० (वेल्लोर)
षण्मुख, श्री पी० (पांडिचेरी)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संखवार, श्री आशकरण (घाटमपुर)
संगमा, श्री विलियमसन (तुरा)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सकरगयेन, श्री कालीचरण (खंडवा)
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
सम्बु, श्री सी० (बापतला)
सलाउद्दीन, श्री (गोड्डा)
साठे, श्री वसंत (वर्धा)
सान्याल, श्री मानिक (जलपाईगुड़ी)
सामंत, डा० दत्ता (बम्बई दक्षिण मध्य)
साहा, श्री अजित कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)
साहु, श्री शिव प्रसाद (रांची)
सिंगरावडीवेल, श्री एस० (तंजावूर)
सिंह, श्री एय० टोम्बी (आंतरिक मणिपुर)
सिंह, श्री एस० डी० (धनबाद)
सिंह, श्री कमला प्रसाद (जौनपुर)
सिंह, श्रीमती किशोरी (वैशाली)
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप (महाराजगंज)
सिंह, श्री के० एन० (हापुड़)
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप नारायण (पदरौना)
सिंह, श्री डी० जी० (शाहाबाद)
सिंह, श्री भानु प्रताप (पीलीभीत)
सिंह, श्री राम नारायण (भिवानी)
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप (सरगुजा)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (इलाहाबाद)
सिंह, संतोष कुमार (आजमगढ़)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह देव, श्री के० पी० (ढेंकानाल)
सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद (मुरादाबाद)
सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के० तारादेवी (चिकमगलूर)
सिन्धिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिन्हा, श्री अतीश चन्द्र (बरहामपुर)
सुख राम, श्री (मण्डी)
सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुखाड़िया, श्रीमती इन्दुबाला (उदयपुर)
सुनील दत्त, श्री (बम्बई उत्तर पश्चिम)
सुन्दर सिंह, श्री चौधरी (फिल्लौर)
सुन्दरराज, श्री एन० (पुदुकोट्टई)
सुन्दरराजन, श्री एन० (शिवकाशी)
सुमन, श्री राम प्यारे (अकबरपुर)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सुल्तानपुरी, श्री के० डी० (शिमला)
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह (बीदर)
सेट, श्री अजीज (धारवाड़ दक्षिण)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद (भद्रक)
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र (इन्दौर)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री भोलानाथ (कलकत्ता दक्षिण)
सेलवेन्द्रन, श्री पी० (पेरियाकुलम)
सैकिया, श्री एम० आर० (नवगांव)

सैकिया, श्री मोकुल (लखीमपुर)
सोज, प्रो० सैफुद्दीन (बारामूला)
सोनी, श्री मानकूराम (बस्तर)
सोमू, श्री एन० वी० एन० (मद्रास उत्तर)
सोरन, श्री हरिहर (क्योंझर)
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह (आंवला)
सोलंकी, श्री नटवर सिंह (कपड़वंज)
स्पैरो, श्री आर० एस० (जालंधर)
स्वामी, श्री कटूरी नारायण (नरसारावपेट)
स्वामी, श्री डी० नारायण (अनन्तपुर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
स्वैल, श्री जी० जी० (शिलांग)

ह

हंसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)
हन्नान मोल्लाह, श्री (उलूबेरिया)
हरद्वारी लाल, श्री (रोहतक)
हरपाल सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
हाल्दर, प्रो० एम० आर० (मथुरापुर)
हेत राम, श्री (सिरसा)
हेमब्रम, श्री सेत (राजमहल)

———

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० बल राम जाखड़

उपाध्यक्ष

श्री एम० तम्बि दुराई

सभापति तालिका

श्रीमती बसवराजेश्वरी

श्री जैनुल बशर

श्री शरद दिघे

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन

श्री सोमनाथ रथ

श्री एन० वेंकट रत्नम

महासचिव

डा० सुभाष काश्यप

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सूची

मंत्रिमंडल के सदस्य

1. प्रधान मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; परमाणु ऊर्जा; इलेक्ट्रानिकी; महासागर विकास; अन्तरिक्ष मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा अन्य उन विषयों के प्रभारी, जो मंत्रीमंडल स्तर के किसी अन्य मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) को नहीं दिए गए हैं	श्री राजीव गांधी
2. विदेश मंत्री	श्री पी० वी० नरसिंह राव
3. वित्त मंत्री	श्री एस० बी० चव्हाण
4. गृह मंत्री	सरदार बूटा सिंह
5. मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री पी० शिव शंकर
6. रक्षा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
7. ऊर्जा मंत्री	श्री वसन्त साठे
8. कृषि मंत्री	श्री भजन लाल
9. उद्योग मंत्री	श्री जे० वेंगल राव
10. वाणिज्य मंत्री	श्री दिनेश सिंह
11. योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री	श्री माधव सिंह सोलंकी
12. श्रम मंत्री	श्री बिन्देश्वरी दुबे
13. विधि और न्याय मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
14. संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
15. इस्पात और खान मंत्री	श्री एम० एल० फोतेदार
16. शहरी विकास मंत्री	श्रीमती मोहसिना किदवई
17. वस्त्र मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
18. पर्यावरण और वन मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी

राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री ब्रह्म दत्त

2. संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री गिरिधर गोमांगो
3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जगदीश टाईटलर
4. रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री माधव राव सिन्धिया
5. जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० एम० जैकब
6. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री रफीक आलम
7. कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री	डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी
8. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री राजेश पायलट
9. नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री शिवराज वी० पाटिल
10. खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री सुख राम

राज्य मंत्री

1. वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री	श्री ए० के० पांजा
2. योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बीरेन सिंह एंगती
3. वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री	श्री बी० के० गढ़वी
4. ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री	श्री सी० के० जाफर शरीफ
5. शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री दलबीर सिंह
6. रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री	श्री डी० एल० बैठा
7. वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री एडुआर्डो फैलीरो
8. विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० आर० भारद्वाज

9. कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री	श्री हरि कृष्ण शास्त्री
10. कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री जनार्दन पुजारी
11. ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री	श्री कल्पनाथ राय
12. सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० के० के० तिवारी
13. विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० नटवर सिंह
14. मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री	श्रीमती कृष्णा साही
15. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री	श्री के० आर० नारायणन
16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री	श्री एल० पी० शाही
17. इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री	श्री महावीर प्रसाद
18. मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री	श्रीमती मारग्रेट अल्वा
19. उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री	श्री एम० अरुणाचलम
20. कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री	श्री पी० चिदम्बरम
21. संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री	श्री पी० नामग्याल
22. वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री प्रिय रंजन दास मुंशी

23. श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री राधा किशन मालवीय
24. कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री	श्री आर० प्रभु
25. सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री एस० कृष्ण कुमार
26. गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री सन्तोष मोहन देव
27. वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	कुमारी सरोज खापर्डे
28. संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री	श्रीमती शीला दीक्षित
29. कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री	श्री श्याम लाल यादव
30. पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती सुमति उरांव

लोक सभा

मंगलवार, 18 जुलाई, 1989/27 आषाढ़, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, चूंकि आज हम दो मास के अन्तराल के पश्चात मिले हैं, मुझे केन्द्रीय संचार मंत्री और राज्य सभा के वर्तमान सदस्य श्री बीर बहादुर सिंह और अपने भूतपूर्व चार साथियों, अर्थात् सर्वश्री पी० मुरूयैया, एस० के० डे, चपलेन्दु भट्टाचार्य और वी० बैरवा थेवर के निधन की दुखद सूचना सभा को देनी है।

श्री बीर बहादुर सिंह के निधन से देश ने एक लोकप्रिय नेता खो दिया है, जिसने अपने सम्पूर्ण जीवन के दौरान गरीबों और दलितों के कल्याण के लिए कार्य किया। उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के वर्तमान सदस्य होने के नाते श्री बीर बहादुर सिंह 25 जून, 1988 को केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में शामिल हुए।

एक योग्य संसदविद् होने के नाते वह 1967 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए और 21 वर्ष तक इसके सदस्य रहे।

श्री बीर बहादुर सिंह को अपने राज्य उत्तर प्रदेश में लम्बे समय तक विशिष्ट सेवा करने के लिए याद रखा जायेगा। उन्हें अप्रैल, 1970 में लोक निर्माण विभाग में उपमंत्री नियुक्त किया गया था और वह अक्तूबर, 1970 तक इस पद पर रहे। मई, 1971 में उन्हें सिंचाई उपमंत्री नियुक्त किया गया और जून, 1973 तक वह इस पद पर बने रहे। इसके बाद वह जनवरी, 1976 से अप्रैल, 1977 तक राजस्व और उत्पाद शुल्क राज्य मंत्री रहे। 1980 में चुनावों के बाद उन्हें राज्य सरकार में मंत्रिमण्डल स्तर का मंत्री बनाया गया। उन्होंने सिंचाई, परिवहन और उद्योग मंत्रालय जून, 1980 से मार्च, 1985 तक सम्भाले। 25 सितम्बर, 1985 को वह राज्य के मुख्य मंत्री बने और जून, 1988 तक इस पद पर रहे। इसके बाद उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में शामिल किया गया।

एक कुशल प्रशासक होने के नाते श्री सिंह अपने परिश्रम और कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने जो भी पद सम्भाले उन पर अपनी कुशलता की छाप छोड़ी।

एक निष्ठावान सामाजिक और राजनीतिक नेता होने के कारण उन्होंने समाज के उपेक्षित वर्गों के हितों के लिए कार्य किया।

श्री सिंह ने 1969 में युक्त प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के रूप में रूस की यात्रा की। उन्होंने 1984 में यू० के०, रूमानिया, रूस और फ्रांस में एक अन्य प्रतिनिधिमंण्डल का नेतृत्व किया।

वह अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ की बैठक में भाग लेने के लिए फ्रांस गये और जब 25 मई, 1989 को वह बैठक में भाग ले रहे थे तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें बचाने के सभी प्रयास विफल सिद्ध हुए और 30 मई, 1989 को उनका निधन हो गया। निधन के समय वह केवल 54 वर्ष के थे। वह मृत्यु-पर्यन्त सेवारत रहे।

श्री पी० मुरूथैया 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के तत्कालीन मद्रास राज्य के मैलूर निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य थे।

व्यवसाय से किसान होने के साथ-साथ वह एक सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और वह मदुरै नगर परिषद और मदुरै जिला बोर्ड के अनेक वर्षों तक सदस्य रहे।

एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्त्ता होने के नाते उन्होंने गरीबों और दलितों के उत्थान के लिये कार्य किया और हरिजन कल्याण योजनाओं में गहरी रुचि ली। वर्ष 1937 में उन्होंने मीनाक्षी मन्दिर में हरिजनों के प्रवेश के लिए हुए आन्दोलन में भाग लिया और अस्पृश्यता निवारण के लिये अथक प्रयास किये।

श्री मुरूथैया का निधन मदुरै में 7 मार्च, 1989 को 72 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री एस० के० डे 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के राजस्थान के नागौर निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य थे। इससे पहले 1956-62 के दौरान वह राज्य सभा के सदस्य थे।

एक इंजीनियर और किसान होने के साथ-साथ उन्होंने ग्रामीण सामुदायिक विकास में गहरी रुचि दिखाई। एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने 1947 से 1952 तक पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए निष्ठापूर्वक कार्य किया। वह अनेक सामाजिक संगठनों के साथ विभिन्न पदों पर सहबद्ध रहे।

एक योग्य सांसद होने के साथ-साथ वह 1956-67 के दौरान मंत्रिपरिषद् के सदस्य रहे और उन्होंने समुदाय विकास, सहकारिता, पंचायती राज और खान तथा धातु विभाग सम्भाले।

श्री डे सत्ता के विकेन्द्रीकरण के कट्टर हिमायती थे, उन्होंने समुदाय विकास कार्यक्रम की आयोजना तथा क्रियान्विति में गहरी रुचि ली। उन्होंने मानवीय बीमारियों के इलाज के लिए इलैक्ट्रो-आयुर्विज्ञान के इस्तेमाल के लिए भी कार्य किया। वह 1972-73 के दौरान बंगालदेश में सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष परामर्शदाता रहे। वह अच्छे लेखक थे और उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं।

श्री डे का निधन नई दिल्ली में 24 मई, 1989 को 83 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य बिहार के गिरिडीह निर्वाचन क्षेत्र से 1971-77 के दौरान पांचवी लोक सभा के सदस्य थे।

एक विख्यात श्रमिक संघ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अनेक कार्मिक संघों में विभिन्न पदों

पर काम किया। उन्होंने सहकारिता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और अनेक सहकारी संगठनों में विभिन्न पदों पर काम किया। वह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जेनेवा की दूसरी कोयला खनन समिति के 1947 में सदस्य भी रहे।

एक सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता होने के नाते उन्होंने हरिजनों और आदिवासियों के कल्याण में गहरी रुचि ली। उन्होंने मजदूरों और श्रमिकों के कल्याण के लिए भी निष्ठापूर्वक कार्य किया।

श्री भट्टाचार्य ने अनेक देशों की यात्रा की और वह एक अच्छे पत्रकार थे तथा उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और औद्योगिक प्रणालियों पर अनेक लेख लिखे।

श्री भट्टाचार्य का निधन 30 मई, 1989 को 70 वर्ष की आयु में रांची में हुआ।

श्री वी० वैरवा थेवर 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के तत्कालीन मद्रास राज्य के तंजावूर निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य थे। इससे पहले 1956 में वह मद्रास विधान सभा के सदस्य थे।

एक किसान और सामाजिक कार्यकर्त्ता होने के नाते श्री थेवर ने सहकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और अनेक सहकारी संगठनों में विभिन्न पदों पर काम किया।

श्री थेवर का निधन 10 जुलाई, 1989 को कुंडामराइकाडू, तमिलनाडु में 76 वर्ष की आयु में हुआ।

हम इन मित्रों ने निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवेदनाएं पहुंचाने में यह सभा मेरे साथ है।

माननीय सदस्यगण, मुझे बड़े दुख के साथ ईरान में इस्लामिक क्रांति के नेता और इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान के संस्थापक अयातुल्ला रोहल्ला खुमैनी के निधन का भी उल्लेख करना पड़ रहा है।

अयातुल्ला खुमैनी ने एक दशक से अधिक समय के लिए ईरान का मार्गदर्शन किया और वहां धार्मिक शासक "वालिये फकीह" बने। उनके निधन के पश्चात् कई सप्ताह तक वहां के लोगों द्वारा शोक प्रदर्शन इस बात का द्योतक है कि उनके मन में उनका कितना गहरा स्थान है।

इस सभा की ओर से मैं ईरान की सरकार और ईरान के लोगों तथा स्वर्गीय अयातुल्ला खुमैनी के परिवार को हार्दिक संवेदना प्रेषित करता हूं।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सूखा प्रभावित राज्यों की डीजल की मांग

*1. श्री परसराम भारद्वाज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखे के कारण देश में डीजल की मांग में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) सूखे से कौन-कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस योजना हेतु कितनी मात्रा में कच्चे तेल और डीजल का आयात किया जाएगा और इस पर कितनी धनराशि व्यय होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्यों ने 1989-90 की मानसून पूर्व अवधि के दौरान अपर्याप्त वर्षा के फलस्वरूप सूखे से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है । उत्तर प्रदेश में सिंचाई कार्यों के लिए और डीजल सप्लाई करने के लिए भी अनुरोध किया है । बढ़ी हुई मांग को देखते हुए जून और जुलाई (11 तक) 1989 के दौरान उत्तर प्रदेश सहित इन राज्यों में हाई स्पीड डीजल पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान बिके डीजल से अधिक बिका ।

(ग) उत्पादन को अधिकतम करने, परिवहन और डीजल की सप्लाई तथा इन राज्यों में सप्लाई और स्टाक की निगरानी के लिए एक कंटिजेंट योजना बनाई गई है ।

(घ) इस संबंध में कोई मूल्यांकन करना अभी समय पूर्व होगा ।

[हिन्दी]

श्री परसराम भारद्वाज : माननीय मंत्री जी के मंत्रालय द्वारा मेरे क्षेत्र में सूखे से निबटने के लिए 1987 में जो प्रयास किया, उसमें उनका जो सहयोग मिला, उसके लिए मान्यवर मंत्री जी बधाई के पात्र हैं लेकिन मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके में किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीजल नही मिल पाया जिसके कारण वे सूखे से नहीं निबट पाये । इस स्थिति से निबटने के लिए क्या आप किसानों के लिए कोटा निर्धारित करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर, माननीय सदस्य ने किसानों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है, मैं उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 1987 में, जब इस शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा पड़ा था तो भी हम उस स्थिति से निबटे और किसी चीज की कमी नहीं होने दी । अभी तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि सूखा है कि नहीं है । कुछ इलाकों में बारिश कम हुई है लेकिन हम लोग मांग पूरी कर रहे हैं और करेंगे ।

[अनुवाद]

श्री ए० के० वी० बी० महेश्वर राव : महोदय, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में, कृषकों को बुआई के मौसम में डीजल की कमी के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । अतः आंध्र प्रदेश में डीजल की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, हमें आंध्र प्रदेश से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है और न ही हमें कोई अनुरोध किया गया है। यदि वह हमें कुछ जानकारी दें तो हम उस ओर ध्यान देंगे। हमारे पास डीजल का पर्याप्त भंडार है।

विदेशी पर्यटक

*2. **श्री के० प्रधानी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 में कितने विदेशी पर्यटक भारत आये;

(ख) वर्ष 1986-87 और 1987-88 मे ऐसे पर्यटकों की संख्या कितनी थी; और

(ग) इस अवधि के दौरान ये पर्यटक किन-किन देशों से भारत आए?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या इस प्रकार रही :—

वर्ष	पर्यटक आगमन
1986-87	14,61,910
1987-88	15,13,487
1988-89	16,19,298

(ग) 1988-89 के दौरान जिन पहले 12 देशों से पर्यटक भारत की यात्रा पर आए उनके नाम हैं :—

1. यू० के०
2. बंगलादेश
3. पाकिस्तान
4. यू० एस० ए०
5. एफ० आर० जी०
6. फ्रांस
7. श्रीलंका
8. जापान
9. इटली

10. कनाडा

11. यू० एस० एस० आर०

12. स्विटजरलैंड

श्री के० प्रधानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

श्री शिवराज वी० पाटिल : 1986-87 में 1780 करोड़ रुपए; 1987-88 में 1909 करोड़ रुपए और 1988-89 में 2122 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

श्री के० प्रधानी : मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार निकट भविष्य में क्या कदम उठाने जा रही है और क्या सरकार विशेष रूप से उड़ीसा में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई मूलभूत ढांचा तैयार करने जा रही है ? यह विदेशी पर्यटकों की यात्रा के लिए बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, कई कदम उठाए गए हैं। हमने आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि पर्यटकों को उत्पादन का विपणन समस्त विश्व में हो। जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, कई कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजना तैयार की है और हम भी उन्हें पंचवर्षीय योजना तैयार करने में भी सहायता दे रहे हैं। वहां चार्टर्ड विमान जा सकते हैं और हमने कई स्थानों पर हवाई-पट्टियों का विस्तार किया है। पर्यटन स्थलों को भी खूबसूरत बनाया जा रहा है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय, उत्तर से हमें पता चलता है कि प्राय: खाड़ी के देशों और यूरोपीय देशों से यहां कोई पर्यटक नहीं आते और अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के देशों से बहुत कम पर्यटक यहां आते हैं। इन देशों से पर्यटकों को आकर्षित न करने के क्या कारण हैं ? क्या वह खाड़ी के देशों, यूरोपीय देशों और लैटिन अमरीका के देशों से पर्यटकों को यहां आकर्षित करने के लिए कुछ रियायतें देंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : उत्तर में केवल पहले 12 देशों के नाम दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि पर्यटक केवल उन्हीं देशों से यहां आते हैं और अन्य देशों से नहीं। हमारे पास अन्य देशों से आने वाले पर्यटकों की भी विस्तृत जानकारी है और हम माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट दे सकते हैं। मैं केवल यही कह सकता हूं कि खाड़ी के देशों तथा लैटिन अमरीका के कुछ देशों से भी पर्यटक भारत में आते हैं।

प्रो० के० वी० थामस : मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पर्यटकों की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है। यह एक बहुत अच्छा लक्षण है। केरल ऐसे कुछ राज्यों में से एक है जहां पर्यटक काफी संख्या में आते हैं। पर्यटक यहां चार्टर्ड विमानों से आते हैं। केरल में एक कमी यह है कि यद्यपि यहां तीन हवाई अड्डे हैं और त्रिवेन्द्रम में अन्तर्राष्ट्रीय विमानों के उतरने की सुविधा है, तथापि चार्टर्ड विमानों को केरल के तीनों हवाई अड्डों अर्थात् कालीकट, कोचीन और त्रिवेन्द्रम में उतरने की अनुमति नहीं है।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या चार्टर्ड विमानों को केरल में इन तीनों हवाई अड्डों पर उतरने और उड़ान भरने की अनुमति दी जाएगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम चार्टर्ड विमानों की देश में ऐसे कुछ शहरों में जाने की अनुमति दे रहे हैं जहां पर्यटक जाना चाहते हैं। यदि यह पाया गया कि भारत आने वाले पर्यटक इन स्थानों पर जाना चाहते हैं जहां वे आज नहीं जा रहे हैं तो उन लोगों को वहां जाने की अनुमति देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय द्वारा विवरण में दिए गए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यह एक अच्छा लक्षण है। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि कश्मीर के सम्बन्ध में इन तीन वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े क्या हैं। क्या यह सच नहीं है कि कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति गंभीर होने के कारण वहां आने वाले पर्यटकों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

प्रो० मधु दण्डवते : पंजाब में भी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, पंजाब में भी। किन्तु कश्मीर विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे अधिक आकर्षण का स्थल था। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : केन्द्रीय सरकार पूरे देश में आने वाले पर्यटकों का ध्यान रखती है और जो आंकड़े मैंने दिए हैं वे समूचे देश के हैं। मुझे जम्मू और कश्मीर सरकार से आंकड़े एकत्रित करने हैं। उनका एक पर्यटक विभाग है जो उनकी देखभाल करता है। लेकिन जहां तक प्रश्न के मुख्य भाग का सम्बन्ध है, हमने देखा है कि कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या मे इस वर्ष कुछ कमी आई है लेकिन उसका मुख्य कारण यह नहीं है कि वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं अपितु उन परिस्थितियों का प्रचार किए जाने के कारण ऐसा है। यदि छोटी-सी बात को अधिक प्रचारित किया जाता है तो कई बार उससे भी पर्यटक भयभीत हो जाते हैं। राज्य सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के सभी प्रयास कर रही है और हम भी इसमें उनकी सहायता कर रहे हैं। किन्तु कई बार, बातों को इतना बढ़ा-चढ़ा कर कहा जाता है कि पर्यटकों के मन में डर बैठ जाता है।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि पर्यटन उद्योग एक बहुत अच्छा उद्योग है। मैं यह जानना चाहती हूं एक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आप किन-किन देशों में टेलीविजन के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से पब्लिसिटी करा रहे हैं ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि राजस्थान में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आप की क्या-क्या योजनाएं हैं। खास तौर से मैं चित्तौड़गढ़ के बारे में जानना चाहती हूं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन्, मैं यह कहना चाहूंगा कि अलग-अलगदे शों में हमने भारत के पर्यटन के सम्बन्ध में मालूमात भेजे हैं। समाचार-पत्रों के माध्यम से भेजते हैं और ओडो-विजुअल के माध्यम से भेजते हैं और वहां पर जो कांफ्रेंस होती हैं, उनमें अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। उसी तरीके से दूसरे बाहर के लोग फेस्टीवल आफ इण्डिया में आते हैं और दूसरे कन्ट्रीज में

फेस्टीवल आफ करते हैं। इसके अलावा 'विजिट इण्डिया' और दूसरी चीजें हम कर रहे है, जिसका असर हमारे पर्यटन पर पड़ता है।

जहां तक राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने का सवाल है, मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार इसके बारे में अच्छी तरह से देखने की कोशिश कर रही है और हम भी राजस्थान सरकार की मदद करते हैं। चित्तोड़गढ़ एक बहुत अच्छी जगह है, जहां पर टूरिस्ट्स जाना चाहते हैं और खासकर अपने देश के टूरिस्ट्स जाना चाहते हैं। राजस्थान सरकार इसमें मदद कर रही है और जहां तक हो सकता है, हम भी मदद कर रहे हैं।

अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि

[अनुवाद]

*4. **चौधरी खुर्शीद अहमद†** :

श्री मोहन भाई पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज के मूल्य में तथा दूरसंचार सेवा दरों में भारी वृद्धि के कारण समाचारपत्र उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो अखबारी कागज के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अखबारी कागज का उत्पादन क्षमता की तुलना में इसका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(घ) कितने प्रतिशत मांग स्वदेशी उत्पादन द्वारा पूरी की जा रही है तथा मांग और उत्पादन के अन्तर को कम करने के लिए प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में अखबारी कागज का आयात किया जा रहा है;

(ङ) मूल्य कम करने तथा अखबारी कागज की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार अखबारी कागज के आबंटन की नीति में कोई परिवर्तन पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) समाचार-पत्र उद्योग का यह दावा रहा है कि अखबारी कागज की कीमत में और दूरसंचार सेवा की दरों में बढ़ोतरी के कारण लागत में जो वृद्धि हुई है, उसे वह चन्दे और विज्ञापन की दरों में वृद्धि करके पूरा करने की स्थिति में नहीं है।

(ख) विवरण-1 सभा पटल पर रख दिया गया है, जिसमें अखबारी कागज की कीमतों में वृद्धि की प्रतिशतता का ब्योरा दिया गया है। अखबारी कागज की कीमतों में यह वृद्धि स्वदेशी उत्पादन में और आयातित कागज की लागत में बढ़ोतरी के कारण हुई है।

(ग) विवरण-2 सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें सम्बद्ध ब्योरा दिया गया है।

(घ) अनुमान है कि लगभग 50% मांग स्वदेशी उत्पादन से पूरी की जा सकती है।

उत्पादन और खपत के अन्तर को पूरा करने के लिए 1989-90 में विदेशों से 2,85,000 मैट्रिक टन अखबारी कागज मंगाने का प्रस्ताव है। गत तीन वर्षों में आयात किए गए कागज की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1986-87	1,89,064 मैट्रिक टन
1987-88	2,43,968 "
1988-89	2,24,233 "

(ङ) अखबारी कागज की कीमत पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है। स्वदेशी अखबारी कागज की कीमतें सम्बद्ध कारखानों द्वारा उत्पादन लागत के आधार पर तय की जाती हैं। आयातित अखबारी कागज के मामले में, ये कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रवृत्ति और अन्य सम्बद्ध कारणों पर आधारित होती हैं। अखबारी कागज की निरन्तर उपलब्धता को सुनिश्चित करने और छोटे तथा मझौले समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं के वास्ते चिकने अखबारी कागज पर, जिसके लिए वे अखबारी कागज आबंटन नीति के अनुसार पात्र हैं, आयात शुल्क के भार को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

(च) जी, नहीं। अखबारी कागज का आबंटन दिनांक 22 मई, 1989 को घोषित वर्ष 1989-90 की अखबारी कागज आबंटन नीति के अनुसार किया जा रहा है।

विवरण-1

स्वदेशी अखबारी कागज की कीमतों में प्रतिशत वृद्धि (करों को छोड़कर)

	27-1-1988 को कीमत	वर्तमान कीमत (प्रभावी तारीखें कोष्ठकों में दी गई हैं)	प्रतिशत वृद्धि
नेपा	8,560	12,000 (26-5-89)	40.2
मैसूर	9,961	13,500 (19-5-89)	35.5
केरल	9,961	13,000 (26-5-89)	30.5
तमिलनाडु	10,694	13,700 (15-6-89)	28.1

आयातित (सीमा शुल्क को छोड़कर) खुले समुद्र में बिक्री

	अप्रैल/जून, 1989 के तिमाही के लिए पहली कीमत	जून-सितम्बर, 1989 के लिए वर्तमान कीमत	प्रतिशत वृद्धि
स्टेण्डर्ड	12,715	12,965	1.9
चिकना	12,610	13,610	7.9
बंगलादेश	11,910	12,145	1.9
सुपर कैलेण्डर	12,060	13,060	8.3
	(बफर स्टाक)	(बफर स्टाक)	

विवरण-2

उत्पादन क्षमता की तुलना में अखबारी कागज का वार्षिक उत्पादन

कारखाने का नाम	स्थापित क्षमता (मीट्रिक टन)	1988-89 में उत्पादन (मीट्रिक टन)	क्षमता का प्रतिशत उपयोग
नेपा	75,000	62,150	92%
(निर्धारित क्षमता)	65,000		
मैसूर	75,000	84,855	113%
हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट	80,000	78,637	98%
तमिलनाडु न्यूजप्रिंट	50,000	50,147	100%
श्री रायल सीमा पेपर मिल्स	20,000	—	—

चौधरी खुर्शीद अहमद : महोदय, यह कहा गया है कि अखबारी कागज की कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। किन्तु महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अखबारी कागज को एक आवश्यक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया है और सरकार को इसके उत्पादन, उपयोग, वितरण और मूल्यों को विनियमित करने के अधिकार दिए गए हैं। क्या यह भी सच नहीं है कि सरकार कागज का उत्पादन करने वाली मिलों में मूल्यों पर नियंत्रण करती है क्योंकि वे सभी मिलें सरकार के स्वामित्वाधीन हैं ? क्या सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह अखबारी कागज पर पुनः नियंत्रण रखे अथवा क्या सरकार इस नजरिये से इसकी उपेक्षा कर रही है कि चूंकि यह चुनाव वर्ष है इसलिए समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के दूसरे भाग का सबसे अच्छा उत्तर कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा लिखे गए दो-तीन पत्र हैं और मैं आपसे इन पत्रों की कुछ पंक्तियां उद्धृत करने की अनुमति चाहता हूं कि अखबारी कागज की कीमतों में वृद्धि क्यों हुई और उसका औचित्य क्या है। महोदय······**(व्यवधान)**

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, क्या मंत्री महोदय के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच हुए पत्र-व्यवहार को पढ़ना उचित है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, यह कैसे संगत है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या यह असंसदीय है ?

श्री बसुदेव आचार्य : प्रश्न यह है कि क्या यह संगत है। **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रश्न यह है कि उन्हें यहां सरकार की ओर से बोलना चाहिए। वह किसी और के अधिकार का उद्धरण नहीं दे सकते ?

अध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ कह रहे हैं वह असंसदीय नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, वह उन बातों का उल्लेख कर सकते हैं जो असंसदीय नहीं हैं लेकिन वह उन बातों का जिक्र नहीं कर सकते जो संगत नहीं हैं और जिनके कहने की अनुमति नहीं है। जब मुख्य मंत्री की बात यहां उद्धृत करना संगत नहीं है तो फिर असंसदीय होने का प्रश्न ही कहां उठता है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए, साधारण-सा प्रश्न है कि राय भिन्न हो सकती है। यदि वह इसे औचित्य ठहरा सकते हैं तब तो ठीक है। लेकिन आप भी जो चाहें कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : आप हमें अनुमति नहीं देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : इस सभा में, क्या आपने कभी भी हमें राज्य के मुख्य मंत्री अथवा किसी अधिकारी द्वारा लिखे गए पत्र को उद्धृत करने की अनुमति दी है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि यह संगत है······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसमें कोई हानि नजर नहीं आती।

(व्यवधान)

श्री टी० बशीर : मुझे समझ में नहीं आता कि यदि यह पत्र यहां उद्धृत करना संगत है, तो फिर वह इसे अंधकार में क्यों रखना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए। प्रश्न यह है कि पहले भी मुझे विपक्ष के माननीय सदस्यों के इस आशय के प्रश्न मिलते रहे हैं कि क्या राज्य द्वारा फलां-फलां पत्र लिखा गया था।···

(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : आपने हमें अनुमति नहीं दी थी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं, कोई आपत्ति नहीं। कृपया बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आपने विपक्ष के सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को लिखे पत्र को पढ़ने की अनुमति दी है ?

अध्यक्ष महोदय : अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं······

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट, मेरे विचार से सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि आप पत्र पढ़ने के बजाए, सारांश दें।

प्रो० के० के० तिवारी : मुझे निवेदन करने दीजिए। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल इस तथ्य का उल्लेख करने का प्रयास कर रहा हूं कि देश में समूचा अखबारी कागज चार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्पादित किया जाता है—दो केन्द्रीय क्षेत्र में हैं और दो राज्य के क्षेत्र में हैं। कर्नाटक में 'मैसूर पेपर मिल्स' राज्य क्षेत्र में है। तमिलनाडु में भी एक मिल है। मूल्य निधारण वार्ताओं और चर्चाओं के आधार पर किया जाता है। इसलिए राज्य सरकारें केन्द्र सरकार को मूल्य निर्धारण के लिए लिखती रही हैं। उस संदर्भ में चूंकि मूल्य का मामला उठाया गया है और माननीय सदस्य ने अपनी उत्सुकता व्यक्त की है, मैं केवल मूल्य में वृद्धि करने वाले घटकों का उल्लेख कर रहा हूं। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा था क्योंकि यह राज्य सरकारों से सम्बन्धित है। 1985 में श्री हेगड़े ने लिखा था······(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपको अपने शब्दों में सारांश देना चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : ठीक है, मैं सारांश प्रस्तुत करूंगा। 1985 में, कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्य मंत्री—अगर मुझे उनका नाम लेने की अनुमति दी जाये, तो मैं नाम का उल्लेख करूंगा। अगर नहीं, तो मैं उल्लेख नहीं करूंगा। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। जब किसी बात का पता नहीं है तो बैठ जाइये।

[**अनुवाद**]

प्रो० के० के० तिवारी : 1985 में उन्होंने मूल्यों में वृद्धि करने हेतु एक पत्र लिखा था और उसके बाद दूसरा पत्र उद्योग मंत्री भारत सरकार को लिखा था। उनका तर्क था कि निवेश लागत बढ़ गई है। उन्होंने सुझाव दिया था कि जब ये इकाइयां सरकारी क्षेत्र में हैं, अतः उनके मूल्य उचित होने चाहिए और उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। फिर, उनके उत्तराधिकारी श्री बोम्मई द्वारा के पत्र पुनः लिखे गये थे। उन्होंने दो बार पत्र लिखे—एक बार उन्होंने 1988 में और दुबारा 1989 में—और सुझाव दिया कि अखबारी कागज के मूल्य में 15,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक की वृद्धि की जानी चाहिए। यदि मुझे कहने की अनुमति हो, तो मैं कहूंगा कि उन्होंने तर्क किया कि सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज की क्षमता बढ़ाई गई थी और अगर मूल्यों में वृद्धि नहीं की गई तो उन्हें काफी नुकसान होगा और उन्हें उद्यमों को बंद

करना पड़ेगा; इससे हमारी स्वदेशी क्षमता और आत्मनिर्भर होने के प्रयासों को धक्का लगेगा। यही उन्होंने तर्क दिया था। (**व्यवधान**)

मूल्य वृद्धि मूलत: इन घटकों, अर्थात कच्चे माल की उपलब्धता, आदानों की लागत में वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों की प्रवृति, पर आधारित होती है। यह 1985 से 1989 तक अर्थात जब तक केन्द्र सरकार द्वारा अन्तत: मूल्य निर्धारण नहीं किये गये थे, कहा जाता रहा था। यह कर्नाटक के दो मुख्य मंत्रियों द्वारा कहा गया था और मेरे विचार से मूल्य-निर्धारण सम्बन्धी समूची प्रक्रिया इस बात पर आधारित थी कि······(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री खुर्शीद आलम के प्रश्न में भारत सरकार का हवाला दिया गया था। वह कतिपय राज्य सरकारों की राय के आधार पर उतर दे रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह संगत बात है। इस बारे में राज्य सरकार की भी राय है, उसमें केन्द्र सरकार की भी राय है। यह ठीक है।

(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप प्रश्नों को स्वीकार करने के बारे में काफी सचेत हैं। उत्तरों की स्वीकारता का क्या हु आ?

अध्यक्ष महोदय : इसनें गलत क्या है?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए, शान्त रहिए। केन्द्र सरकार की क्या राय है?

प्रो० के० के० तिवारी : अखबारी कागज के मूल्य को 15,000 रु० प्रति मीट्रिक टन तक किये जाने सम्बन्धी सुझाव को ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रीयल कास्ट एण्ड प्राइजेज बी० आई० सी० पी० के पास भेजा गया था। उन्होंने इसका मूल्य कम निर्धारित किया, श्री बोम्मई द्वारा सुझाये गये मूल्य के अनुसार नहीं···(**व्यवधान**) तब आवश्यक वस्तु अधिनियम का हवाला दिया गया था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिये। हमारे पास विशिष्ट नियम हैं। मैं इसे हमेशा के लिए स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारे पास विशिष्ट नियम हैं। जो कुछ किया जाये, प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। यह नियम 368 है। इसमें बताया है :

> "यदि कोई मंत्री सभा में किसी ऐसे प्रेषण-पत्र या अन्य राज-पत्र को उद्धृत करे जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो, तो वह संगत पत्र को पटल पर रखेगा।"

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये। आप सही प्रकार से सुनते क्यों नहीं हैं? श्री सामन्त, पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। यहां कोई ट्रेड युनियनीज्म तो है नहीं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : "परन्तु यह नियम किसी ऐसे दस्तावेज पर लागू नहीं होगा, जो मंत्री द्वारा कही गई हो……"

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, आपको माननीय सदस्य पर इस तरह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अपनी बात पूरी करने के लिए कहा था। श्री जयपाल जी, वह मेरी बात में बाधा डाल रहे हैं। मैं नियम पढ़ रहा हूं। बस यही बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही मैं कर रहा हू।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जी नहीं, माननीय सदस्य के बारे में……(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कर रहा हूं, मैं यही प्रयास कर रहा हूं। यह माननीय सदस्य मेरी बात में बाधा डाल रहे थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

मैं नियम को दुबारा उद्धृत करता हूं :

> "…परन्तु यह नियम ऐसे किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जिसे मन्त्री ऐसे स्वरूप का बताये कि उसका पेश किया जाना लोक हित के प्रतिकूल होगा : परन्तु यह और भी कि जब मन्त्री ऐसे प्रेषण पत्र या राज-पत्र का अपने शब्दों में संक्षेप या सारांश बता दे, तो संगत पत्रों को पटल पर रखना आवश्यक नहीं होगा।"

अगर मन्त्री द्वारा शब्दावली उद्धृत की जाती है, तो जो कुछ उन्होंने उस पत्र से पढ़ा है, उसे सदन के सभा पटल पर रखना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अगर मन्त्री जी सारांश देते हैं, तो यह आवश्यक नहीं होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : जिस नियम को आपने उद्धृत किया है, उसके अनुसार अगर शैतान यहां पर बाइबल को उद्धृत करता है तो बाइबल को भी सभा पटल पर रखा जायेगा। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, पिछले सत्र में आपने इसी विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर स्वीकृति दी थी, जिसे इस सदन में विस्तार से निपटाया गया था—इन मन्त्री द्वारा नहीं, अपितु उद्योग मन्त्री द्वारा। अगर आप मूल्य वृद्धि और अन्य बातों के बारे में उनके स्पष्टीकरण को देखें तो आप पाओगे कि जो कुछ ये मन्त्री कह रहे हैं वह इससे बिल्कुल अलग है ''(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गुप्त जी, एक मिनट, इसीलिए मैंने उन्हें यह कहा था। केवल यही नहीं, उस दस्तावेज के बारे मे केन्द्र सरकार का विचार तथा उनका अपना निष्कर्ष होना चाहिए। हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : मिलों तथा अलग-अलग मिलों द्वारा किये गये अध्ययनों के आधार पर इन माननीय मुख्य मंत्री ने मूल्य वृद्धि के बारे में लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने बारे में भी बात कहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने कहा था कि मामला बी० आई० सी० पी० के पास भेजा गया था जो केन्द्रीय सरकार के अधीन है। उनके अध्ययन के आधार पर—और उनका अध्ययन वास्तविक माना जाता है तथा देश के सभी वर्गों द्वारा स्वीकार किया जाता है—अखबारी कागज के मूल्य कर्नाटक सरकार द्वारा सुझाये गये मूल्यों से कम निर्धारित किये गये थे।

अध्यक्ष महोदय : एक बात निश्चित है; सिफारिश करना एक बात है, किन्तु मूल्यों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरा कहना यह है कि इन परिस्थितियों अर्थात् आदानों की लागत में वृद्धि और अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के आधार पर मूल्य वृद्धि अनिवार्य हो गई थी। (**व्यवधान**)

जहां तक आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लेख किये जाने का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि अखबारी कागज पर नियन्त्रण अखबारी कागज नियन्त्रण आदेश, 1962 के अधीन किया जाता है। आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के खंड (3) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार पर ऐसी कोई औपचारिक या सांविधिक जिम्मेदारी नहीं है कि वह मूल्यों पर नियंत्रण करे और उन्हें बी० आई० सी० पी० द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर निर्धारित मूल्यों से नीचे लाये। दूसरी बात यह है कि ये सभी उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। उन्हें बहुत बड़ी लागत से स्थापित किया गया था। आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिये क्षमतायें अधिष्ठापित की गयीं ताकि हम इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिये स्वदेशी क्षमता पैदा कर सकें। यदि कोई कसर छोड़ी जाती है तथा मूल्यों को न्यायसंगत नहीं बनाया जाता है तो उन्हें बंद करना पड़ेगा। इन सब बातों को देखते हुए यह यह निर्णय लिया गया था।

जहां तक प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में आरोप का सम्बन्ध है कि हम प्रेस का गला घोंटने का प्रयास कर रहे हैं, यह पूर्णतः निराधार है। माननीय सदस्य को यह बताना शोभा नहीं देता कि प्रेस की स्वतंत्रता किस प्रकार रखी जाए··· (**व्यवधान**)

चौधरी खुर्शीद अहमद : मेरा प्रश्न था कि हमें मूल्यों पर नियंत्रण किस प्रकार करना चाहिए। मैं सिर्फ यह प्रश्न पूछ रहा था। मैंने कहा था कि ऐसा आवश्यक वस्तुयें अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किया जा सकता है। इसे टालकर वह इतिहास आदि को उद्धृत करने लगे। मेरा अगला प्रश्न यह है कि समूचे अखबार उद्योग में शोरगुल हो रहा है। समाचार पत्रों के मूल्य इतने बढ़ गये हैं कि सामान्य आदमी पढ़ने के लिए अच्छा समाचार पत्र नहीं खरीद सकता है, इस तथ्य की दृष्टि से क्या सरकार किसी तरीके से, जिसे वह उचित समझे, मूल्यों में कमी करने पर विचार करेगी ?

प्रो० के० के० तिवारी : मेरा इस प्रश्न का जवाब यह है कि आवश्यक वस्तुयें अधिनियम—जैसा कि मैंने इसे स्पष्ट किया—केवल मुनाफाखोरी, कालाबाजारी और जमाखोरी के मामलों में लागू होता है। ये सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इन क्रियाकलापों में कभी सम्मिलति नहीं हुए है। दर-

असल, वे समाचार पत्र उद्योग को अखबारी कागज की आपूर्ति उस लागत से कर रहे हैं जो न्याय-संगत नहीं है और उत्पादन लागत से कम है। माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न मूल्यों को कम करने के लिये किसी विचार के सम्बन्ध में उठाया है। ज्यों ही यह शोरगुल, जिसका उल्लेख किया गया है, शुरू हुआ त्यों ही प्रधान मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से इसके सम्बन्ध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया। मेरे वरिष्ठ साथियों ने बैठकें कीं जिनमें समाचार पत्र उद्योग के प्रतिनिधियों और सम्बन्धित मंत्रालयों जैसे—वित्त, वाणिज्य और उद्योग के सचिवों ने भाग लिया। सूचना और प्रसारण सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और अखबारी कागज आबंटन नीति की घोषणा कर दी गयी। इस नीति के अन्तर्गत—दोनों स्वदेशी अखबारी कागज और आयातित अखबारी कागज के लिये—मध्यम और छोटे समाचार पत्रों को अनेक रियायतें दी गयीं। मैं उन्हें आयातित अखबारी कागज के बारे में ब्यौरा दे सकता हूं। अच्छी किस्म के अखबारी कागज पर सीमा शुल्क 550 रुपये है।

अध्यक्ष महोदय : आप संक्षिप्त उत्तर दीजिए। मैं यह ब्यौरा नहीं चाहता हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : वह विस्तृत जवाब चाहते थे। बड़े समाचारपत्रों के अखबारी कागज और आयातित अखबारी कागज का सीमा शुल्क 550 रुपये है। छोटे समाचार पत्रों को शुल्क से, जो आयतित और चिकने कागज पर देय है, छूट दी गयी है। समाजार पत्रों को शुल्क से शत-प्रतिशत छूट दी गयी है। मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को—दोनों अच्छी किस्म के कागज और चिकने कागज पर—50 प्रतिशत सीमा शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : इससे अधिक क्या किया जा सकता है।

श्री सी० माधव रेड्डी : थोड़ी देर पहले जब मंत्री महोदय ने अखबारी कागजों में मूल्य वृद्धि का कारण राज्य सरकारों की मांग बताया तो बड़ा हास्यास्पद लगा। शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की मांग का सहारा लेना पड़ा। आयातित कागज के मूल्य में भी वृद्धि हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीत मूल्यों मे गिरावट के बावजूद भी इस मद का आयात ओ० जी० एल० के माध्यम से न करके इसे सारणीबद्ध करने से सरकार का क्या औचित्य है? निस्संदेह मंत्री महोदय कह सकते हैं कि उनका इससे कोई सरोकार नहीं है, यह वित्त मंत्रालय का मामला है। इसमें चार मंत्रालय अर्थात वित्त मंत्रायय जो कराधान का इन्चार्ज है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय अर्थात् राज्य व्यापार निगम जो वाणिज्य मंत्रालय की ओर से आयात कर रहा है। मैं स्पष्ट जवाब चाहता हूं कि क्या वह वित्त मंत्रालय से सिफारिश करेंगे कि ओ० एल० जी० के माध्यम से इस मद के आयात की अनुमति दी जानी चाहिए तथा जिन समाचारपत्रों को आयातित अखबारी कागज की आवश्यकता होती है उन्हें उसके आयात की अनुमति दी जानी चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : चूंकि माननीय संदस्य को हर समय मनोरंजन की आदत है और सरकार नीतिगत कार्यक्रमों के बजाए जनता का मनोरंजन करती है, मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं है कि वह केवल मनोरंजन की बात कर रहे हैं। उनके नेता अस्तित्व बनाये रखने के लिये, उनका मनोरंजन किया करते हैं जिसकी उन्हें आदत है। **(व्यवधान)**

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : आप अब मनोरंजन करा रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जबकि श्री माधव रेड्डी के नेता मनोरंजन करते हैं, प्रो० के०के०

तिवारी के नेता आश्चर्य करते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न का जबाव दीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : मुझे आश्चर्य नहीं है। उन्होंने बड़ा प्रासंगिक प्रश्न पूछा है—मैं उसका जबाव दे रहा हूं—इस वस्तु को ओ० जी० एल० में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है। आज भी विदेशी मुद्रा की तंगी के बावजूद हमने 1989-90 के लिये अखबारी कागज के आयात हेतु 315 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं ताकि अखबार उद्योग के लिये अखबारी कागज आसानी से उपलब्ध हो सके। इसे ओ० जी० एल० से सम्मिलित करने के कुछ प्रभाव हैं। हम आत्म-निर्भरता की विचारधारा में विश्वास करते हैं तथा इस नीति के अन्तर्गत ऐसा किया गया कि सरकारी क्षेत्र में अधिक निवेश किया गया···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह मनोरंजन कराया गया है। (**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : इस प्रयास के परिणाम प्राप्त हो रहे हैं अर्थात् हम अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकतायें अपने सरकारी क्षेत्र की अन्तर्निहित क्षमता के माध्यम से पूरी कर रहे हैं। इसलिये सबसे पहले इस पर विदेशी मुद्रा खर्च होगी उसके लिये सरकार तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसका हमारी स्वदेशी क्षमता, उस क्षेत्र, जिसमें समाचारपत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, तथा उस देश पर, जहां आप प्रेस की स्वतंत्रता चाहते हैं, विपरीत प्रभाव पड़ेगा, अखबारी कागज उपलब्ध कराने के लिये सरकार का यह कर्त्तव्य है कि उत्पादन की नयी क्षमतायें पैदा करे, इस नीति के अन्तर्गत केवल अधिष्ठापित क्षमता का ही उपयोग नहीं किया जा रहा है बल्कि अखबारी कागज के उत्पादन में भी निवेश किया जा रहा है। इसलिये इस मद को ओ० जी० एल० में सम्मिलित करने का कोई औचित्य नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि हमें इसके बारे में पूरी चर्चा करनी होगी। अब अन्तिम प्रश्न पूछिये।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : वह बाद में कर लेंगे।

[**अनुवाद**]

श्री विजय एन० पाटिल : समाचारपत्रों में धन के लिये काफी अधिक विज्ञापन छापे जाते हैं। आज हम कुछ समाचारपत्रों की यह प्रवृत्ति देखते हैं कि वे समाचारों के बजाए अनेक विज्ञापन छाप रहे हैं। आम आदमी से क्या आशा की जाती है? करीब एक चौथाई समाचारपत्र विज्ञापनों से भरे होते हैं तथा समाचार से अधिक विज्ञापनों को छापना समाचारपत्रों की प्रवृत्ति हो गई है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अखबारी कागज और विज्ञापन-छपाई में कोई भेद कर रही है। ऐसे कागजों के लिये वह कितनी रियायतें देंगे क्योंकि उनमें से कुछ लाखों रुपये कमा रहे हैं। वह इसके बारे में क्या करेंगे?

प्रो० के० के० तिवारी : अखबारी कागज का आबंटन समाचारपत्र की प्रसार संख्या, इसकी जरूरतों और इसकी अतिरिक्त आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। सरकार को समाचारपत्र में छपने वाले विज्ञापनों की संख्या नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सब

पाठकों पर निर्भर करता है। अपनी विश्वसनीयता बनाने तथा पाठकों को अधिक और अच्छे समाचार देने के लिये मेरे विचार से अखबार उद्योग अपने आप समाचारों और विज्ञापन की कीमत के बीच संतुलन रखेंगे जिससे उन्हें निश्चित रूप से कमाई होगी और वे अच्छी स्थिति में रहेंगे।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के गैस पर आधारित टर्बो जेनरेटर सेल

*5. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का विचार वर्ष 1989-90 के दौरान गैस पर आधारित कुछ टर्बो जेनरेटर सेटों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ सेट महाराष्ट्र को भी सप्लाई किये जायेंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के 1989-90 के विनिर्माण कार्यक्रम में 10 गैस टर्बाइन जेनरेटर सैटों का निर्माण शामिल है। यह गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश तथा त्रिपुरा राज्यों के ग्राहकों से प्राप्त क्रयादेशों के आधार पर है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बी० एच० ई० एल० को 1989-90 में महाराष्ट्र को ऐसे सैटों की सप्लाई के लिए अभी तक कोई क्रयादेश प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव बी० भोसले : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में उरन में 110 एम० वी० आई० के जैनरेटर्स लगाए जा रहे हैं, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब इतने जैनरेटर्स वहां लगाए जा रहे हैं तो भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने उसमें दिलचस्पी क्यों नहीं ली ? हर जगह बाहर से मंगाने की इच्छा सरकार रख रही है, इम्पोर्ट करने की कोशिश कर रही है तो इसका क्या कारण है ?

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिम्टिड की हैदराबाद इकाई 3 मैगावाट से 37 मैगावाट तक के सैटों का निर्माण कर रही है। अब, विभिन्न राज्यों से दस क्रयादेश मिले हुए हैं। इसमें महाराष्ट्र सम्मिलित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव बी० भोसले : 1987-88 में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स का जैनरेटर्स के बारे में क्या परफारमेंस रहा और इन्होंने किस-किस स्टेट को कितने जैनरेटर्स दिए हैं ?

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : जहां तक बहु उत्पाद कम्पनी भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्य-निष्पादन का सम्बन्ध है, वर्ष 1988-89 में इसका कारोबार 2601 करोड़ रुपये का था और कर पूर्व लाभ दो सौ पांच करोड़ रुपये था। वर्ष 1989-90 के दौरान कम्पनी ने 2850 करोड़ रुपये का कारोबार करने तथा 213 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित करने का लक्ष्य रखा है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, हमारे आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को गैस पर आधारित टर्बाइन जैनरेटर सैटों के निर्माण के आर्डर दिए हैं। मैं मन्त्री महोदय के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि ये सैट किस सम्भावित तारीख तक आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को उपलब्ध करा दिए जाएंगे क्योंकि उनके लिए विद्युत का उत्पादन करना इस समय बहुत आवश्यक है। हमारे राज्य को विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय के माध्यम से यह जानना चाहूंगा ये सैट किस सम्भावित तारीख तक आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 30 मेगावाट की क्षमता वाले दो सैटों के आर्डर दिए हैं। वे इस सैट को गोदावरी के पश्चिमी भाग विज्जेश्वरम में स्थापित करेंगे। वे इसकी सप्लाई निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करेंगे।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने के विस्तार हेतु पश्चिम बंगाल सरकार का अनुरोध

*6. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक**† :

श्री वी० एस० वासवराजू :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने हल्दिया तेलशोधक कारखाने के विस्तार के लिए कोई अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो कब तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) हल्दिया रिफाइनरी के विस्तार के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से अप्रैल, 1989 में एक अनुरोध सरकार के पास आया है। चूंकि वर्तमान रिफाइनरी के विस्तार की यूनिट लागत नई ग्रासरूट रिफाइनरी लगाने से अधिक बैठती है तथा अन्य तकनीकी-आर्थिक पहलू भी न्यायसंगत नहीं हैं इसलिए इस समय हल्दिया रिफाइनरी के विस्तार का प्रस्ताव नहीं है।

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : राज्य मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि वर्तमान तेल-शोधक कारखाने के विस्तार की यूनिट लागत एकदम नया तेलशोधक कारखाना लगाने से अधिक होगी तथा अन्य तकनीकी-आर्थिक पहलू भी न्यायसंगत नहीं हैं। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय से यह विस्तार से जानना चाहता हूं कि इस बारे में कब और किसने निर्णय किया था और इस तकनीकी-आर्थिक अध्ययन के सदस्य कौन थे?

श्री ब्रह्म दत्त : सम्भावना रिपोर्ट 1983 में भारतीय तेल निगम द्वारा तैयार की गई थी। जब पश्चिम बंगाल सरकार ने पहली बार लिखा तब भारतीय तेल निगम ने मामले पर पुनः विचार किया और यही रिपोर्ट दी। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने यह निष्कर्ष क्यों निकाला ?

श्री ब्रह्म दत्त : हल्दिया रिफाइनरी के विस्तार करने के प्रस्ताव में 3 मिलियन मिट्रिक टन वार्षिक क्षमता के बराबर या इससे अधिक की स्थापना करने के संयंत्र स्थापित करना निहित होगा जबकि इस प्रस्ताव के आर्थिक मूल्यांकन से पता चलता है कि 6 मिलयन टन वार्षिक क्षमता का नया ग्रासरूट तेलशोधक स्थापित करना अधिक लाभकर होगा। इसके अतिरिक्त अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि हल्दिया तेलशोधक कारखाने के विस्तार के लिए जल, विद्युत तथा भूमि की उपलब्धता गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इस सम्बन्ध में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि हल्दिया में दूसरी तेल जेटी के निर्माण के बाद भी हल्दिया से पूर्वी क्षेत्र में कच्चे तथा तैयार उत्पादों की दीर्घकालिक जरूरतें पूरी करना सम्भव नहीं होगा। ये कुछ आर्थिक तथा तकनीकी समस्याएं हैं और यह देश के हित में है कि हल्दिया तेलशोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाने की बजाए एक 6 मिलियन टन क्षमता का नया तेलशोधक कारखाना पूर्वी क्षेत्र में स्थापित किया जाए।

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या यह सच है कि सरकार ने देश में तीन और तेल शोधक कारखाने स्थापित करने का निर्णय लिया है ? मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब हल्दिया में पेट्रो-रसायन केन्द्र को प्रतिवर्ष पांच लाख टन नापथा की जरूरत होगी तो सरकार वहां पर एक नया तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए कार्यवाही क्यों नही कर रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त : जब हल्दिया में क्षमता में विस्तार करने तथा वहां पर एक नया तेल शोधक कारखाना स्थापित करने से एक जैसी ही समस्या उत्पन्न होगी तो बेहतर स्थल क्यों नहीं चुनते ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा स्थल कौन-सा है ?

श्री ब्रह्म दत्त : हम इसका चयन कर रहे हैं। हमने एक ग्रुप गठित किया है। एक तेल-शोधक कारखाने का स्थल अन्य कारणों के आधार पर नहीं चुना जा सकता। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हम पूर्वी क्षेत्र का उचित ध्यान रखेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : देश में तेलशोधक कारखानों की कुल स्थापित क्षमता 45.65 मिलियन टन है। पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्र इसके 66.42 प्रतिशत भाग का उत्पादन करते हैं जबकि पूर्वी क्षेत्र के अन्तर्गत केवल 10.73 प्रतिशत भाग है। मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि पूर्वी क्षेत्र की समस्या को ध्यान में रखा जाएगा। जब हल्दिया पेट्रो-रसायन केन्द्र तैयार हो जाएगा तो इसके लिए पांच लाख टन नापथा की जरूरत होगी। क्या हल्दिया में तेलशोधक कारखाने के विस्तार की सम्भावना की जांच करते समय इस बात पर विचार किया गया था या नहीं ?

श्री ब्रह्म दत्त : पूर्वी क्षेत्र में मौजूदा स्थापित क्षमता 8.75 मिलियन मिट्रिक टन है। हम असम में एक नया तेलशोधक कारखाना स्थापित कर रहे हैं। प्रारम्भ में इसकी वार्षिक क्षमता 2 मिलियन मिट्रिक टन होगी और फिर इसे 3 मिलियन मिट्रिक टन वार्षिक क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। हम शीघ्र ही डिगबोई तेलशोधक कारखाने का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। मैंने यह भी कहा था कि आठवीं योजना में पूर्वी क्षेत्र में 6 मिलियन मिट्रिक टन का एक नया तेलशोधक कारखाना स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इस प्रकार पर्याप्त कार्यवाही की गई है

और जब भी पेट्रो-रसायन केन्द्र का निर्णय लिया जाएगा तो यह जरूरत नहीं रहेगी कि इसी जगह पर नाफ्था का उत्पादन होना चाहिए। अन्य कारण भी हैं। जल भी उपलब्ध नहीं है। अन्य अनेक बातें हैं। हमें तकनीकी मुद्दों पर निर्भर रहना है। लेकिन पूरे मुद्दे पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तेल शोधन क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संयंत्रों की स्थापना करना

[अनुवाद]

*3. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अतिरिक्त संयंत्रों की स्थापना करके तेलशोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) आठवीं योजना की अवधि के दौरान देश में शोधन क्षमता को बढ़ाने के लिए जिनमें वर्तमान रिफाइनरियों की क्षमता की अड़चनों को दूर करने की स्कीमें शामिल हैं, उचित सिफारिशें करने के वास्ते एक कार्यदल का गठन किया गया है।

राजकोट के लिए विमान सेवा

[हिन्दी]

*7. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोट और बम्बई के बीच दैनिक विमान सेवा कब से पुनः प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है;

(ख) यह दैनिक सेवा पहले कितने वर्षों तक चलती रही तथा इसे बंद किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली और राजकोट के बीच दैनिक विमान सेवा कब से प्रारम्भ की जायेगी; और

(घ) इस समय कितने यात्री राजकोट के लिए यात्रा करते हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) राजकोट और बम्बई के बीच दैनिक उड़ान 8 जुलाई, 1989 से पुनः शुरू कर दी गई है। अगस्त, 1960 से इंडियन एयरलाइन्स बम्बई और राजकोट के बीच एक दैनिक बी-737 सेवा परिचालित कर रही थी। एक दुर्घटना में एक बी-737 विमान नष्ट हो जाने तथा बी-737 विमान की समस्त उपयोगिता को कम करने के कारण 25 अक्तूबर, 1988 से बम्बई/भावनगर और बम्बई/राजकोट दैनिक बी-737 सेवाओं को छोड़ दिया गया था।

(ग) इस समय, इंडियन एयरलाइन्स का दिल्ली और राजकोट के बीच प्रतिदिन एक सेवा प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) अप्रैल, मई और जून, 1989 के दौरान दिल्ली/राजकोट के बीच प्रति उड़ान यात्रियों की औसत संख्या निम्न प्रकार है :—

	अप्रैल, 1989	मई, 1989	जून, 1989
दिल्ली/राजकोट	25	38	41
राजकोट/दिल्ली	35	40	28

बिहार में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

[अनुवाद]

*8. डा० चन्द्रशेखर वर्मा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बिहार में बिजली पैदा करने के लिए गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे संयंत्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे और उन पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

उर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनमानों के बारे में मिश्रा समिति की सिफारिशें

*9. डा० ए० के० पटेल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनमानों के बारे में मिश्रा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशें किस तारीख से लागू की जाएंगी; और

(ख) इन सिफारिशों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) रिपोर्ट के अनुसार मिश्रा समिति की सिफारिशें 1-1-1986 से लागू की जानी हैं।

(ख) इन सिफारिशों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

तेल और गैस का मिलना

*10. श्री डी० बी० पाटिल :
श्री महेन्द्र सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान किन-किन स्थानों पर तेल और गैस के भंडारों का पता लगा है; और

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान जलाई गई गैस की मात्रा, मूल्य एवं प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जनवरी, 1988 से जून, 1989 के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में तेल और गैस मिले हैं :—

क्षेत्र का नाम	तेल/गैस	स्थान
बी-46	गैस	पश्चिमी अपतट
बी-121	गैस	" "
बंटूमिली	तेल और गैस	आन्ध्र प्रदेश
बांस-कंडी	गैस	असम
बी-19	तेल/गैस	पश्चिमी अपतट
बी-119(बेसमेंट)	गैस और तेल	" "

(ख) 1988-89 के दौरान लगभग 3880.6 मिलियन घनमीटर गैस जलाई गई। यह कुल उत्पादन का लगभग 29.4% बैठती है। 500 रुपए प्रति हजार घनमीटर की न्यूनतम दर के हिसाब से जलायी गई गैस का कुल मूल्य 194.05 करोड़ रुपए बैठता है।

तेल शोधक कारखाने की स्थापना

*11. **श्री पी० कुलनदैवेलु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन को 60 लाख टन क्षमता के एक नए तेलशोधक कारखाने के लिए विस्तृत सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में प्रत्याशित वृद्धि तथा अतिरिक्त शोधन क्षमता की सम्भावित आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने बेस्ट कोस्ट पर 6 मिलियन टन की एक नई ग्रास रूट रिफाइनरी के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का० लिमिटेड से कहा है। इस स्तर पर परियोजना की लागत के अनुमान के बारे में कहना समय पूर्व होगा।

आठवीं योजना में दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार

*12. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजनावधि के दौरान दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार हेतु कोई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सन्दर्भ में प्रत्येक राज्य के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनावधि के दौरान उड़ीसा में दूरदर्शन के विस्तार हेतु कौन-सी विशिष्ट योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(घ) उक्त योजनावधि के दौरान उड़ीसा राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन नेटवर्क का लाभ प्राप्त होने का अनुमान है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) आठवीं योजना में दूरदर्शन के वास्ते अभी कोई मसौदा तैयार नहीं किया गया है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में ठेका श्रमिक पद्धति

*13. **श्री हरुभाई मेहता :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ठेका श्रमिक पद्धति के अन्तर्गत ट्रक चालकों, मोटर कार चालकों, सुरक्षा गार्डों और श्रमिकों से काम लेता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु कितने ठेकेदारों अथवा सहकारी समितियों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है और इनके माध्यम से कितने लोग काम पर रखे गये; और

(ग) ठेकेदारों के जरिए काम पर लगाये गये लोगों से किस प्रकार का कार्य लिया जाता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) कम प्रौद्योगिकी वाले कुछेक क्षेत्रों यथा-मानव, निर्माण सामग्री और उपस्करों का परिवहन, सुरक्षा रख-रखाव आदि से सम्बन्धित कार्यों को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ठेकेदारों और सहयोग समितियों को जॉब कंट्रेक्ट के रूप में देकर कराता है। सहयोग समितियों, ठेकेदारों और काम पर लगाये गये कामगारों की संख्या समय-समय पर आवश्यकतानुसार अलग-अलग होती है।

विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र का सहयोग

*14. **श्री उत्तम राठौड़ :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से निजी क्षेत्र को विद्युत परियोजनाओं में सहयोग देने हेतु प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में अनिवासी भारतीयों का सहयोग लेने हेतु केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्र सरकार और अनिवासी भारतीयों के बीच गत कुछ महीनों के दौरान कोई बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) विद्युत के उत्पादन तथा वितरण से सम्बन्धित नीति का विनियमन, औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के अन्तर्गत किया जाता रहेगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आठवीं योजना में अखबारी कागज के संयंत्र

*15. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान अखबारी कागज के उत्पादन हेतु कुछ और संयंत्र स्थापित किए जाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो ये नये संयंत्र कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे और इनकी कुल लागत, उत्पादन क्षमता आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तरी बिहार के बांस और अन्य वन्य उत्पाद अखबारी कागज बनाने में उपयोग में लाये जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में भी ऐसा एक संयंत्र स्थापित किया जा गा ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) विद्यमान अधिष्ठापित तथा अनुमोदित क्षमता के अतिरिक्त नेपा मिल्स, जो केन्द्र का एक उपक्रम है, को अलिगंज जिला, अलिगंज मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में 414.46 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से प्रति वर्ष 88,900 मी० टन अधिष्ठापित क्षमता वाला खोई पर आधारित एक अखबारी कागज एकक स्थापित करने की योजना है ।

(ग) और (घ) प्रति वर्ष 50,000 मी० टन अखबारी कागज और प्रति वर्ष 50,000 मी० टन लिखाई व छिपाई के कागज का विनिर्माण करने के वास्ते कुमारबाग, पश्चिम चंपारन, बिहार राज्य में एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिए बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को तारीख 29-3-88 को एक आशय पत्र मंजूर किया गया है । परियोजना में अपने कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खोई तथा बांस के इस्तेमाल की परिकल्पना है ।

उत्तर प्रदेश में नए विद्युत केन्द्र

[हिन्दी]

*16. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सरकार का आगामी वर्षों में किन-किन स्थानों पर नए विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ख) उत्तर प्रदेश की उन वृहत एवं मध्यम विद्युत परियोजनाओं, जिनमें अनन्तिम रूप से अगले पांच वर्षों के दौरान लाभ प्राप्त किए जाने की परिकल्पना की गई है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

क्रम सं०	स्कीम का नाम	स्थल (जिला)	1994-95 तक लाभ (मेगावाट)
1	2	3	4
	राज्य क्षेत्र		
	जल विद्युत		
1.	श्रीनगर	पौढ़ी गढ़वाल	55
2.	सोबला	पिथौरागढ़	6
3.	खारा	सहारनपुर	72
	ताप विद्युत		
4.	अनपारा "ख"	मिर्जापुर	1000
5.	टांडा	फैजाबाद	110
6.	ऊंचाहार विस्तार	रायबरेली	420
	केन्द्रीय क्षेत्र		
	जल विद्युत		
7.	टनकपुर	नैनीताल	120
	ताप विद्युत (न्यूक्लीय सहित)		
8.	औरैया संयुक्त साइकल गैस टर्बाइन	इटावा	205.26
9.	दादरी रा० रा० ता० वि० परियोजना	गाजियाबाद	840
10.	नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना	बुलन्दशहर	235
11.	रिहन्द-दो	सोनभद्र	1000
12.	दादरी सं० सा० गैस टर्बाइन	गाजियाबाद	817.2

उत्तर प्रदेश राज्य उपर्युक्त केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से निर्धारित फार्मूले के अनुसार हिस्सा प्राप्त करने का हकदार होगा।

साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का पुनः चालू किया जाना

[अनुवाद]

*17. **श्री रेणुपद दास** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन-एवं-प्रबन्ध निदेशक ने इस निगम को तत्काल पुनः चालू करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रस्ताव में संयंत्र तथा मशीनरी के आधुनिकीकरण, कार्य बल का सुव्यवस्थीकरण, पूंजी पुनर्संरचना तथा कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय सहायता जैसे पहलू शामिल हैं।

(ग) सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है जिससे कि इस निगम की पुनर्संरचना के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

आयोडीन-युक्त नमक का उत्पादन

*18. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान आयोडीन-युक्त नमक के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) वर्ष 1988-89 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है;

(ग) क्या ढुलाई के दौरान गर्मी और सूर्य के प्रकाश के सम्पर्क में आने पर, भण्डारण के दौरान तथा पकाते समय गर्म करने पर भी आयोडीन-युक्त नमक की गुणवत्ता बनी रहती है;

(घ) क्या सरकार का विचार निजी निर्माताओं द्वारा उत्पादित आयोडीन-युक्त नमक के मूल्य को नियन्त्रित करने का है ताकि गरीब लोग इसे आसानी से खरीद सकें;

(ङ) क्या उत्पादन और विपणन स्तरों के दौरान नियमित रूप से इसके नमूने लेकर उनकी जांच की जाती है; और

(च) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने नमूनों की जांच की गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (च) विवरण-1 और 2 संलग्न हैं।

विवरण-1

(क) 1986-87 से 1987-88 तक आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन में 118 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(ख) 1988-89 के लिए निर्धारित 22 लाख मी० टन लक्ष्य की तुलना में 21.80 लाख मी० टन वास्तविक उत्पादन हुआ था।

(ग) अब तक किए गए अध्ययनों के अनुसार, ढुलाई के दौरान आयोडीन का न्यूनतम नुकसान ढुलाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले बोरों की क्वालिटी पर निर्भर करता है। विनिर्माण अवस्था में अधिक पोटेशियम आयोडेट की आवश्यकता है ताकि ढुलाई और भण्डारण के दौरान

होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की जा सके जिससे वितरण के समय तक 15 पी० पी० एन० आयोडिन का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित किया जा सके।

(घ) नमक/आयोडीनयुक्त नमक पर मूल्य नियंत्रण लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, उत्पादकों से यह कहा गया है कि आयोडीन युक्त नमक (बल्क में) को 250 रुपये प्रति मी० टन से कम मूल्य पर बेचा जाए ताकि पैकेजिंग, ढुलाई लागत, डीलर के लाभ इत्यादि को जोड़ने के बाद खुदरा मूल्य को उचित स्तर पर रखा जा सके।

(ङ) और (च) जी, हां। नमक विभाग द्वारा उत्पादन स्थल पर आयोडीनयुक्त नमक उत्पादकों को प्रेषण की अनुमति देने से पूर्व आयोडीनयुक्त नमक के कंसाइनमेंटों के नमूने अचानक लिए जाते हैं और इनका विश्लेषण किया जाता है ताकि आयोडीनयुक्त नमक पी० एफ० ए० अधिनियम के अधीन उत्पादकों के लिए निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप हो। उपभोक्ता को बेचे जाने वाले नमक में आयोडीकरण के स्तर की निगरानी करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कभी-कभी उपभोक्ता केन्द्रों में खुदरा दुकानदारों के नमूने लिए जाते हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान नमूनों के किए गए विश्लेषण के उपलब्ध ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण-2

पिछले एक वर्ष के दौरान नमूनों के किए गए विश्लेषण के ब्यौरे उनके परिणाम सहित इस प्रकार हैं :—

प्रयोगशाला	विश्लेषित नमूनों की संख्या	जो नमूने विशिष्टियों के अनुरूप नहीं थे उनकी संख्या
फलोदी	686	282
जयपुर	822	94
पटदी	3,707	623
अहमदाबाद	458	132
घरंगधरा	1,914	39
जामनगर	647	171
भावनगर	574	89
पटना	142	41
	8,950	1,471 (16%)

राज्यों में विद्युत संकट

*19. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि अनेक राज्यों को अभी भी विद्युत संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक राज्य में गत वर्ष की तुलना में बिजली की कितनी कमी है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार के द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति का राज्यवार ब्योरा अनुबन्ध में दिया गया है।

(ग) विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिये किये जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं :—नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना, लघु निर्माणावधि वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना, मांग प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना और फालतू विद्युत वाले क्षेत्रों को ऊर्जा के अंतरण की व्यवस्था करना।

अनुबन्ध

वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान वास्तविक विद्युत सप्लाई की स्थिति का वर्षवार ब्योरा

(सभी आंकड़े मि० यू० निवल में)

	1987-88	1988-89
उत्तरी क्षेत्र		
चण्डीगढ़		
मांग	424	474
उपलब्धता	423	474
कमी	1	0
(%)	0.2%	0.0%
दिल्ली		
मांग	6435	7065
उपलब्धता	6332	7020
कमी	103	45

(सभी आंकड़े मि० यू० नवल में)

	1987-88	1988-89
(%)	1.6%	0.6%
हरियाणा		
मांग	7042	7073
उपलब्धता	6106	6796
कमी	936	277
(%)	13.3%	3.9%
बी० एस० एल० सहित		
हिमाचल प्रदेश		
मांग	1094	1146
उपलब्धता	1073	1140
कमी	21	6
(%)	1.9%	0.5%
जम्मू एवं कश्मीर		
मांग	2316	2775
उपलब्धता	2060	2199
कमी	256	576
(%)	11.1%	20.8%
एन० एफ० एफ० सहित पंजाब		
मांग	12006	13304
उपलब्धता	12058	13098
कमी	848	206
(%)	6.6%	1.5%
राजस्थान		
मांग	8854	9377
उपलब्धता	7885	9169

	(सभी आंकड़े मि० यू० निवल में)	
	1987-88	1988-89
कमी	969	208
(%)	10.9%	2.2%
उत्तर प्रदेश		
मांग	23820	24300
उपलब्धता	19864	21733
कमी	3956	2567
(%)	16.6%	10.6%
उत्तरी क्षेत्र		
मांग	62891	65514
उपलब्धता	55801	61629
कमी	7090	3885
(%)	11.3%	5.9%
पश्चिमी क्षेत्र		
गुजरात		
मांग	18164	18854
उपलब्धता	17419	18578
कमी	745	276
(%)	4.1%	1.5%
मध्य प्रदेश		
मांग	14047	14900
उपलब्धता	13494	14395
कमी	553	505
(%)	3.9%	3.4%
महाराष्ट्र		
मांग	30924	32858
उपलब्धता	29111	31899

	(सभी आंकड़े मि० यू० निवल में)	
	1987-88	1988-89
कमी	1813	959
(%)	5.9%	2.0%
पश्चिमी क्षेत्र		
मांग	63135	66612
उपलब्धता	60024	64872
कमी	3111	1740
(%)	4.9%	2.6%
दक्षिणी क्षेत्र		
आन्ध्र प्रदेश		
मांग	16636	17901
उपलब्धता	14693	16166
कमी	1943	1735
(%)	11.7%	9.7%
कर्नाटक		
मांग	15185	16290
उपलब्धता	10556	11911
कमी	4629	4379
(%)	30.5%	26.9%
केरल		
मांग	6135	6645
उपलब्धता	5196	5794
कमी	939	851
(%)	15.3%	12.8%
तमिलनाडु		
मांग	17330	19095
उपलब्धता	15482	17810

	(सभी आंकड़े मि० यू० निवल में)	
	1987-88	1988-89
कमी	1848	1285
(%)	10.7%	6.7%
दक्षिणी क्षेत्र		
मांग	55286	59931
उपलब्धता	45927	51681
कमी	9359	8250
(%)	16.9%	13.8%
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार		
मांग	5135	5670
उपलब्धता	4179	5217
कमी	956	453
(%)	18.6%	8.0%
डी० वी० सी०		
मांग	7085	7155
उपलब्धता	6484	6223
कमी	601	932
(%)	8.5%	13.0%
उड़ीसा		
मांग	6880	7180
उपलब्धता	5683	5839
कमी	1197	1341
(%)	17.2%	18 7%
पश्चिम बंगाल		
मांग	8460	8680
उपलब्धता	7859	8075

(सभी आंकड़े मि० यू० निवल में)

	1987-88	1989-89
कमी	601	605
(%)	7.1%	7.0%
पूर्वी क्षेत्र		
मांग	2 560	28685
उपलब्धता	24205	25354
कमी	3555	3331
(%)	12.2%	11.6%
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
मांग	2121	2452
उपलब्धता	2019	2373
कमी	102	79
(%)	4.8%	3.2%
अखिल भारत		
मांग	210993	223194
उपलब्धता	176865	205909
कमी	23017	17285
(%)	10.9%	7.7%

खोई का ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग

*20. **श्री अब्दुल हमीद :**
श्री भद्रेश्वर तांती :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खोई का, जो कि चीनी उद्योग का उपोत्पाद है, ऊर्जा के विश्वसनीय स्रोत के रूप में उपयोग करने हेतु कोई प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) खोई खांडसारी उद्योग का एक उप-उत्पादन है जिसका उपयोग दशकों से प्रक्रिया वाष्प के लिए तथा घरों में ऊर्जा की आपातकालीन मांग की पूर्ति के लिए एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में किया जाता है।

2. कागज उद्योग के लिए लुगदी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए तमिलनाडु न्यूजप्रिंट लि० की तरह भारत सरकार ने कागज के उत्पादन के लिए खोई के प्रयोग को प्रोत्साहित किया है। खोई के स्थान पर चीनी मिलों को कोयले की सुनिश्चित सप्लाई की जाती है।

3. जिन अन्य चीनी मिलों में खोई का उपयोग कागज और लुगदी उद्योग में नहीं किया जा रहा है वहां पर सरकार उच्च दबाव और तापमान बायलरों और उच्च समग्र तापीय क्षमता वाले टर्बो जनित उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। इससे उतनी ही खोई की मात्रा के द्वारा अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन हो सकेगा जिसे राज्य/क्षेत्रीय ग्रिडों को दिया जा सकेगा।

4. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की पहल पर विश्व बैंक के एक दल ने महाराष्ट्र में चीनी उद्योग में अतिरिक्त विद्युत के बारे में हाल ही में में एक तकनीकी आर्थिक संभाव्यता का अध्ययन किया है। विश्व बैंक के दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड उत्पादन में सुधार

1. **डा० सुधीर राय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के संयंत्रों में कार्यरत मजदूर संघों ने इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के मजदूर संघों ने इस कम्पनी के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न सुझाव दिए हैं, जैसे कि प्रतिदिन 1500 नग साइकिलों के उत्पादन के लिए संयंत्र, कार्यशील पूंजी सहायता, प्रबन्ध में कामगारों की सहभागिता, संयंत्र का आधुनिकीकरण आदि। इस निगम की पुनर्संरचना के बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के सम्बन्ध में विचार किया गया है।

सतना में चित्रकूट और मैहर का विकास

2. **श्री अजीज कुरेशी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना में चित्रकूट और मैहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तथा यहां जाने वाले पर्यटकों को उत्तम एवं आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन स्थानों के विकास की कोई प्रारूप परियोजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन स्थानों का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन विभाग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों के परामर्श से इस

क्षेत्र में एक नए यात्रा परिपथ का विकास करने की योजनाएं तैयार की हैं, जिसमें चित्रकूट और आसपास के क्षेत्रों के अन्य पर्यटक आकर्षक शामिल होंगे। तथापि, चित्रकूट के एक तीर्थकेन्द्र के रूप में महत्व पर विचार करते हुए, विभाग ने भारतीय यात्री आवास विकास समिति को एक यात्रिका का निर्माण करने के लिए सहायता अनुदान दिया है। यह यात्रिका पूरी हो गई है और खोल दी गई है। केन्द्र सरकार ने चित्रकूट में 12.54 लाख रू० की अनुमानित लागत पर एक अल्पाहारगृह एवं शौचालय सुविधाओं के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की है जिसमें से 6.00 रू० अक्तूबर, 1988 में राज्य सरकार को रिजीज कर दिये गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार इस परियोजना को निष्पादित करेगी।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग को राज्य सरकार से मैहर के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

एल० एम० एल० द्वारा जमा राशि का भुगतान

3. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल० एम० एल०, कानपुर, द्वारा स्कटर बुकिंग के लिए ली गई आरम्भिक जमाराशि के वापसी-भुगतान के बारे में सरकार को जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि कम्पनी ऐसे अनुरोधों पर चुप्पी साधे हुए है और इस मद की बहुत बड़ी राशि उसके पास जमा पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं; और

(घ) जनता के हितों की रक्षा के लिए कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे कई मामले हैं जहां मै० एल० एम० एल० लि०, कानपुर ने आरम्भिक जमा के रूप में ली गई अग्रिम राशि को वापस लौटाने में अनावश्यक रूप से लम्बा समय लिया है।

(ग) कंपनी ने सूचित किया है कि 31-3-89 की स्थिति के अनुसार अग्रिम राशि को वापस लौटाने के लिए लम्बित पड़े अनुरोधों की कुल संख्या 4,04,569 है। इनमें से 3,08,469 अनुरोध पूर्ण राशि को वापस लौटाने के लिए तथा 96,100 अनुरोध ब्याज सहित आंशिक रूप से धन लौटाने के लिए लम्बित पड़े हैं। कंपनी ने यह भी सूचित किया कि वे धन-राशि वापस लौटाने की जिम्मेदारी से यथासम्भव शीघ्रता से छुटकारा पाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है तथा वे स्कूटरों के उत्पादन तथा बिक्री उत्तरोत्तर उपलब्ध होने वाली निधियों से प्राप्त समस्त धनराशि को सभी उपभोक्ताओं को वापस लौटाने के लिए वचनबद्ध है।

इसके अलावा, कम्पनी ने अपने फाइबर प्रभाग के निपटान के लिए वित्तीय संस्थानों के अनुमोदन की मांग की है, जिसकी बिक्री से इसे समाप्त करने की स्थिति सुधारने तथा शीघ्र धन वापस लौटाने में सहायता मिलेगी।

(घ) याचिका समिति, लोक सभा ने मै० एल० एम० एल० लि० द्वारा स्कूटरों के लिए अग्रिम धनराशि की स्वीकृति की विस्तार से जांच की है। समिति की सिफारिश के अनुसार सरकार ने ओटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा प्राप्त की गई अग्रिम जमा स्वीकार करने तथा प्रयोग करने के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं।

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में पूंजी निवेश

4. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में प्रतिवर्ष रुपये के वर्तमान मूल्य के अनुसार कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) 31 मार्च, 1989 को रुपये के वर्तमान मूल्य के अनुसार उनमें कुल कितनी पूंजी लगी है; और

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान उनमें कुल कितना लाभ/हानि हुई ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) 31-3-1988 को, केवल जिस अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में 82150.16 करोड़ रुपये का संचयी पूंजीनिवेश किया गया है। पिछली अवधि के वर्षवार आंकड़े संसद के समक्ष रखे गये सम्बद्ध वर्षों के लोक उद्यम सर्वेक्षण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1988-89 के आंकड़ों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा लेखा परीक्षित लेखें उपलब्ध होने के बाद ही पता चलेगा।

महाराष्ट्र में बम्बई-रत्नगिरि के बीच वायुदूत सेवा को पुनः लागू करना

5. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र में बम्बई और रत्नागिरि के बीच वायुदूत सेवा काफी पहले बन्द कर दी गई थी;

(ख) क्या इस मार्ग पर इस सेवा को पुनः लागू करने हेतु लगातार मांग की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस सेवा को पुनः कब तक लागू किया जाएगा; और

(घ) क्या इस मार्ग पर वायुदूत सेवा को अर्थक्षम बनाने के लिए इसे राजसहायता दी जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) मोनसून के आरम्भ हो जाने के कारण 15 जून, 1989 से सेवा को अस्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया है।

(ख) और (ग) मोनसून समाप्त हो जाने के बाद, वायुदूत रत्नागिरि के लिए नियमित परिचालन पुनः आरंभ करेगी।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा

6. **श्री अनिल बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया था कि भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा में प्रोग्राम एग्जिक्यूटिव, एक्सटेंशन आफिसर, फार्म रेडियो आफिसर्स और साईंस आफिसर्स सम्मिलित होंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय का पालन किया जा रहा है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) प्रस्तावित भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा समूह "क" की एक संगठित सेवा होगी। अत: समूह "क" के पदधारी विजान अधिकारी ही इसमें शामिल किए जाएंगे। कार्यक्रम कार्यपालक (प्रोग्राम एग्जिक्यूटिव) विस्तार अधिकारी (एक्सटेंशन आफिसर), फार्म रेडियो अधिकारी आदि जैसी शेष श्रेणियों के पद, जो समूह "ख" के अंतर्गत आते हैं, केवल प्रस्तावित सेवा के फीडर ग्रेड के पद होंगे।

ताप विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण

7. **श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अनुभव की जा रही प्रमुख समस्याओं का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केरल में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

8. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कन्नानोर में आकाशवाणी केन्द्र कब स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) कालीकट और केरल के अन्य स्थानों में आकाशवाणी केन्द्रों के प्रसार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में वायनाड जिले या कहीं अन्यत्र भी नए रेडियो स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) कन्नानोर का रेडियो स्टेशन चालू होने के लिए वर्ष 1990 तक तैयार हो जाने की आशा है।

(ख) केरल में मौजूदा रेडियो स्टेशनों के विस्तार की स्कीमों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

त्रिवेन्द्रम	1. सम्पूर्ण केरल के लिए अनुषंगी समर्थन सेवा हेतु 50 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर का प्रावधान।
	2. स्थाई टाईप चार स्टूडियो।

त्रिचूर	मौजूदा 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर में बदलना।
कालीकट	मौजूदा 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर से बदलना।

(ग) और (घ) सातवीं योजना के भाग के रूप में कोचीन, कन्नानोर और इदुक्की में एक-एक अर्थात कुल तीन नये रेडियो स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। परन्तु आकाशवाणी की सातवीं योजना में केरल के वायनाड जिले में रेडियो स्टेशन स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है।

बिहार में औरंगाबाद में ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

9. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में औरंगाबाद में एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय किया है जैसा कि प्रधान मन्त्री ने जून, 1989 में पटना के अपने दौरे से दौरान घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त ताप विद्युत केन्द्र को स्थापित करने की अब तक मंजूरी मिल गई है और यदि नही, तो इसे कब तक मंजूरी मिल जायेगी?

ऊर्जा मंत्रालयों में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सितम्बर, 1988 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि० रा० वि० बो०) से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) द्वारा नबीनगर, जिला औरंगाबाद, बिहार में एक ताप विद्युत केन्द्र (2×500 मेगावाट) के सम्बन्ध में एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से सभी निवेशों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस स्कीम के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए तभी विचार किया जा सकता है जबकि अपेक्षित निवेशों को सुनिश्चित कर लिया जाए तथा आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।

नमक का उत्पादन और वितरण

[अनुवाद]

10. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी मात्रा में खाद्य नमक का उत्पादन और वितरण किया गया; और

(ख) नमक की उत्पादन लागत, औसत भाड़ा प्रभार और विक्रय मूल्य क्या है?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सातवीं योजना अवधि के दौरान साधारण नमक का राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाली एक विवरण-1 संलग्न है। सातवीं योजना अवधि के दौरान खाद्य प्रयोजन के लिए नमक का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला एक अन्य विवरण-2 संलग्न है।

(ख) साधारण नमक के उत्पादन की लागत अलग-अलग होती है जो न केवल प्राकृतिक कारकों तथा नमक उत्पादन के स्थान पर निर्भर करती, अपितु नमक की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए गुजरात में नमक उत्पादन की लागत सुरेन्द्र नगर जिले में 45 रुपये प्रति टन तथा समुद्री नमक स्रोतों में ०5 रुपये प्रति टन है जिसमें नमक के पैनों से भंडारण स्थल तक ले जाने की लागत व बाद में भंडारण की लागत शामिल नहीं है।

पश्चिम बंगाल में उत्पादन की लागत प्रति टन 200 रुपये से अधिक है। रेल द्वारा औसत भाड़ा प्रति टन 300 रुपये है। औसत एफ० ओ० आर० बिक्री मूल्य 100 रुपये प्रति टन है जिसमें टाट की बोरी की लागत शामिल नहीं है। एक कि० ग्रा० गैर आयोडीनयुक्त खुले नमक का औसत खुदरा मूल्य एक रुपये है और आयोडीनयुक्त नमक का मूल्य, जिसके लिए बेहतर पैकिंग की आवश्यकता होती है, 1.50 रु० है।

विवरण-1

सातवीं योजना अवधि के दौरान साधारण नमक का राज्यवार उत्पादन

(आंकड़े 000 टनों में)

क्रम सं० राज्य	नमक का उत्पादन				
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90 (मई तक)
1. राजस्थान	1045.7	849.8	855.1	731.4	285.6
2. गुजरात	6967.9	6049.2	6408.6	5551.9	2506.1
3. महाराष्ट्र	404.1	395.6	384.0	282.9	202.8
4. कर्नाटक	28.9	27.3	21.5	28.6	13.6
5. तमिलनाडु	1561.7	1761.8	1712.7	1344.7	220.2
6. आंध्र प्रदेश	369.0	412.9	378.6	314.7	101.1
7. पाण्डिचेरी	0.7	0.3	0.1	—	—
8. उड़ीसा	82.1	56.0	51.0	46.4	67.7
9. पं० बंगाल	14.6	13.4	9.7	19.0	7.3
10. हिमाचल प्रदेश	3.6	0.7	2.1	4.0	0.5
11. द्वीव और दमन	3.9	3.5	3.7	2.1	2.4
कुल योग	10482.2	9570.5	9827.1	8325.7	3407.3

विवरण-2

सातवीं योजना अवधि के दौरान खाद्य प्रयोजन के लिए नमक का राज्यवार विवरण

(आंकड़े 000 टनों में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	निम्नलिखित वर्षों में खाद्य प्रयोजन के लिए नमक की आपूर्ति				
		1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90 (अप्रैल तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	224.7	231.3	201.2	222.8	19.7
2.	अण्डमान और निकोबार	—	0.2	—	—	—
3.	असम	163.7	137.2	149.9	159.2	19.6
4.	बिहार	512.0	465.4	461.9	507.2	36.2
5.	गुजरात	354.9	392.8	622.4	914.8	45.5
6.	दिल्ली	157.2	160.0	176.3	193.4	15.9
7.	पं० बंगाल	408.5	450.5	458.8	580.2	30.8
8.	गोवा	2.1	0.8	1.1	0.7	—
9.	केरल	167.5	133.9	119.6	117.6	6.6
10.	मध्य प्रदेश	258.5	228.5	194.2	193.0	25.7
11.	महाराष्ट्र	347.1	303.7	266.3	291.4	35.5
12.	तमिलनाडु	388.1	393.0	405.6	304.7	28.4
13.	कर्नाटक	229.0	185.1	152.5	163.1	15.3
14.	उड़ीसा	197.9	209.0	178.9	202.2	39.6
15.	राजस्थान	128.5	146.0	137.7	200.0	24.4
16.	पंजाब	17.6	21.9	38.2	32.3	4.1
17.	उत्तर प्रदेश	626.4	680.9	606.3	646.7	40.3
18.	हरियाणा	29.4	40.6	46.7	34.8	1.1
19.	त्रिपुरा	23.3	6.7	18.4	11.1	1.8
20.	मेघालय	9.0	9.0	11.7	3.6	1.7

1	2	3	4	5	6	7
21.	मिजोरम	3.3	—	—	—	—
22.	सिक्किम	3.2	3.8	4.7	3.8	—
23.	पाण्डिचेरी	0.4	1.4	0.4	0.3	0.1
24.	मणिपुर	9.5	8.1	16.2	7.7	2.7
25.	अरुणाचल प्रदेश	4.4	3.3	5.4	0.7	1.1
26.	नागालैण्ड	7.9	5.0	5.5	2.5	—
27.	जम्मू व कश्मीर	7.2	14.9	23.1	15.1	0.7
28.	चण्डीगढ़	1.3	2.9	6.1	4.3	0.4
29.	हिमाचल प्रदेश	8.1	4.4	6.6	2.8	3.2
30.	डिफैन्स	5.2	6.7	7.0	7.0	0.3
31.	दादर नगर हवेली	—	—	—	—	—
32.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
	कुल योग	4296.8	4247.0	4322.7	4823.0	400.7

भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा में कर्मचारियों की श्रेणियां

11. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा में अन्य पदों के साथ-साथ प्रोडक्शन असिसटेंट ट्रांसमीशन एग्जिक्यूटिव, फील्ड रिपोर्टर और फार्म रिपोर्टर भी सम्मिलित किए जाएंगे; और

(ख) यदि नहीं, तो इन श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्ती किस प्रकार की जाएगी और उन पर कौन सी सेवा शर्तें लागू होंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) इन पदों पर भर्ती, संबंधित भर्ती नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

रुग्ण औद्योगिक एकक

12. **श्री हन्नाह मोल्लाह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 से 1989 (30-6-89) तक वर्षवार और राज्यवार रुग्ण घोषित किये गये बड़े और मध्यम औद्योगिक एककों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1986 से 1989 (30-6-89) तक वर्षवार और राज्यवार इन एककों में बैंक की पूंजी की कुल कितनी धनराशि अवरुद्ध है; और

(ग) इन एककों को अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाये गए है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) देश में रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये नवीनतम आंकड़े दिसम्बर, 1987 तक हैं । रुग्ण उद्योगों से सम्बन्धित राज्यवार आंकड़े तथा साथ में वर्ष 1986 और 1987 में बकाया राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए भारत सरकार की सम्पूर्ण भारत के लिए समान नीति है जिसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं :—

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 बनाया है । रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अधिनियम के अधीन औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटर प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने के लिए बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक कदम उठाये जा सकें ।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुन: स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गए हैं । बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुन:स्थापना पैकेज बनाते हैं ।

(4) भारतीय रिजर्व बैंकों को अलग से दिशानिर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षण रुग्ण इकाइयों की पुन:स्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही, राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे ।

(5) भारत सरकारों ने लघु क्षेत्र में रुग्णता की घटना को कम करने सम्बन्धी राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करने के उद्देश्य से एक सीमान्त धन योजना आरम्भ की है । उदारीकृत योजना के अधीन पुन:स्थापना के लिए रुग्ण छोटे एककों के लिए प्रति एकक उपलब्ध सहायता की अधिकतम धनराशि को 20,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 रु० कर दिया गया है ।

विवरण

दिसम्बर, 1986 और 1987 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार रुग्ण औद्योगिक एककों के राज्यवार आंकड़े

(स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1986		1987	
	बड़े रुग्ण एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रु०)	गैर-लघु रुग्ण एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रु०)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	44	126.09	70	119.09
असम	7	34.89	4	7.30
बिहार	17	50.28	29	56.66
गुजरात	68	323.21	131	356.57
हरियाणा	17	50.95	33	50.66
हिमाचल प्रदेश	—	—	5	1.31
जम्मू और कश्मीर	—	—	1	1.40
कर्नाटक	43	220.52	62	127.43
केरल	20	142.35	27	124.75
महाराष्ट्र	161	893.83	252	832.61
मध्य प्रदेश	26	98.58	36	87.59
उड़ीसा	10	29.55	9	33.15
पंजाब	6	17.80	21	12.73
राजस्थान	11	40.33	44	80.40
तमिलनाडु	53	184.08	107	228.90
उत्तर प्रदेश	68	251.08	68	136.37
पं० बंगाल	146	779.81	151	422.38
गोवा, दमन और द्वीव	4	10.27	15*	25.52*

1	2	3	4	5
दादर और नगर हवेली	—	—	1	0.57
चण्डीगढ़	2	4.35	23	40.00
दिल्ली	7	14.85	23	51.43
मेघालय	—	—	1	0.79
मिजोरम	—	—	1	0.11
पाण्डिचेरी	3	11.34	4	3.33
त्रिपुरा	1	2.86	1	0.74
	714	3287.02	1119	2801.79

नोट : 1987 के आंकड़ों में बड़े तथा मझौले आकार के रुग्ण उद्योग शामिल हैं। रुग्ण मझौले उद्योगों के लिए अलग आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं रखे जा रहे हैं।

* केवल गोवा के लिए।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

13. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के समय से वर्ष 1989 तक वर्ष-वार कोयले का प्रति टन औसत मूल्य कितना है;

(ख) राष्ट्रीयकरण के समय से लेकर अब तक कोयले के प्रति टन मूल्य में कितनी बार वृद्धि की गई है तथा प्रत्येक बार (रुपए रूप में तथा प्रतिशतता के रूप में) कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) कोयले के मूल्य में बार-बार वृद्धि करने के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1987 से 1989 तक मूल्य वृद्धि द्वारा वर्ष-वार कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किए जाने बाद से कोल इंडिया लि० के लिए कोयले की औसत पिट-हैड कीमत में हुए संशोधन को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) कोयले की कीमतों में वृद्धि किया जाना इसलिए आवश्यक समझा गया है क्योंकि आगतों की लागत में, अर्थात् मजदूरी, वी० डी० ए०, भण्डारों बिजली, पूंजी आदि में वृद्धि होने के कारण उत्पादन की लागत में वृद्धि हो गई।

(घ) कोल इंडिया लि० द्वारा 1987-88 की अवधि के दौरान कोयले की कीमतों में 23-12-1987 से वृद्धि किए जाने के कारण लगभग 150.00 करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व कमाया। कोल इंडिया लि० ने वर्ष 1988-89 की अवधि के दौरान कीमतों के अन्तराल के परिणामस्वरूप 600 करोड़ रु० की राशि के अतिरिक्त राजस्व की वसूली की।

विवरण

कोयला खानों को राष्ट्रीयकृत किए जाने के बाद कोल इंडिया लि० में कोयले की कीमतों में हुए संशोधन

संशोधन की तारीख	कोल इंडिया लि० द्वारा उत्पादित कोयले की निर्धारित पिट-हेड कीमत	कोल इंडिया लि० द्वारा उत्पादित कोयले की कीमत में हुई वृद्धि	
	रु० प्रति टन	रु० प्रति टन	प्रतिशतता
1-4-1974	47.50		
1-7-1975	64.92	17.42	36.6
17-7-1979	101.18	36.26	55
14-2-1981	128.02	26.82	26
27-5-1982	145.90	17.88	14
8-1-1984	183.00	37.10	25
9-1-1986	210.00	27.00	15
23-12-1987	219.00	9.00	4
1-1-1989	249.00	30.00	13.7

पेट्रोल अनुसंधान में लगे वैज्ञानिक

14. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में पेट्रो-अनुसंधान के क्षेत्र में कितने भारतीय भारतीय वैज्ञानिक लगे हुए हैं;

(ख) स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तथा इस समय पेट्रोलियम उत्पादों के वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेट्रो-उत्पादन की मांग में लगातार काफी वृद्धि हो रही है और अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र हाइड्रोकार्बन की खपत पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होते जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो हाईड्रोकार्बन संसाधन के वर्तमान अनुमानित भण्डार को देखते हुए सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) यह सूचना नहीं रखी जाती।

(ख) 1947-48 और 1988-89 में पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन क्रमश: 0.23 मिलियन टन और 46.42 मिलियन टन हुआ।

(ग) जी, हां ।

(घ) तेल और गैस के भंडारों में अतिरिक्त वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए गहन अन्वेषण प्रयास किये जाते हैं और 956 मिलियन टन तेल और 497 बिलियन घन मीटर गैस के भूमिगत भंडारों का पता लगाने के सातवीं योजना के लक्ष्य को इन खोजी प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त कर लेने की सम्भावरा है ।

जम्मू और कश्मीर में गैर-परम्परागत ऊर्जा परियोजनाएं

15. **श्री मोहम्मद अयूब खां** (ऊधमपुर) : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा जम्मू और काश्मीर में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने जम्मू एवं कश्मीर में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनके अन्तर्गत प्रणालियों और युक्तियां स्थापित की गई हैं । इस विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्थापित की गई/की जाने वाली प्रणालियों और युक्तियों तथा कार्यक्रम के सम्बन्ध में किए केन्द्रीय नियतन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क०सं०	कार्यक्रम	स्थापित की गई/ की जाने वाली प्रणालियां और युक्तियां	अनुमानित केन्द्रीय खर्च (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1.	सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र	4	6.05
2.	बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना		29.78
	परिवार आकार के बायोगैस	651	
	संयंत्र (1989-90 के लिए लक्ष्य)	200	
3.	उन्नत प्रकार के चूल्हों का कार्यक्रम		81.70
	उन्नत प्रकार के चूल्हे	76502	
	(1989-90 के लिए लक्ष्य)	40000	
4.	सौर प्रकाश वोल्टीय कार्यक्रम		5.17
	(क) पम्प	1	
	(ख) सामुदायिक रोशनी/टी० वी०	3	
	(ग) प्रकाशवोल्टीय चालित टी० वी० ट्रान्समीटर	8	

1	2	3	4
5.	सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम		41.63
	(क) सौर कुकर	124	
	(ख) जल तापीय प्रणालियां	31	
	(ग) जल तापीय प्रणालियां (घरेलू)	6	
	(घ) सौर स्टिल्स	60	
6.	सौर से सीधे लाभान्वित वास्तु कला		48.66
	(क) हरित गृह	5	
	(ख) सीधे लाभान्वित गृह	14	
	(ग) टी० ए० पी० संग्राहक	630	
7.	पवन ऊर्जा कार्यक्रम		25.05
	(क) पवन पम्प	3	
	(ख) पवन विद्युत जनित्र (10 कि० वा०)	3	
	(ग) पवन बैटरी चार्जर (300 वाट)	2	
8.	बैटरी चालित वाहन	10	12.85
9.	बायोमास ऊर्जा कार्यक्रम		39.00
	(क) स्टर्लिंग इंजन	20	
	(ख) गैसीफायर	15	
		कुल	289.89

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संवर्ग बाह्य अधिकारियों की पदोन्नति नीति

16. **श्री अमल दत्ता :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मन्त्रालय में एक्सटेंशन अधिकारी, फार्म रेडियो अधिकारी जैसे बाह्य अधिकारियों और फील्ड रिपोर्टर, फार्म फील्ड रिपोर्टर जैसे अराजपत्रित कर्मचारियों के बारे में पदोन्नति सम्बन्धी नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : विस्तार अधिकारी, फार्म रेडियो अधिकारी तथा फील्ड रिपोर्टर एवं फार्म रेडियो रिपोर्टर जैसे अराजपत्रित कर्मचारियों के पद संवर्ग-बाह्य पद नहीं है। इन पदों के लिए पदोन्नति के अवसर दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्षेत्रीय रिपोर्टरों, फार्म रेडियो रिपोर्टरों, विस्तार अधिकारियों और फार्म रेडियो अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतनमान	पद के लिए पात्र	पदोन्नति का प्रतिशत
1	2	3	4	5
	फार्म और गृह एकक			
1.	फार्म रेडियो रिपोर्टर	1400—2600 रुपये	फार्म रेडियो अधिकारी	50%
2.	फार्म रेडियो अधिकारी	2000—3500 रुपये	संयुक्त निदेशक (कृषि एवं गृह)	100%
3.	संयुक्त निदेशक (कृषि एवं गृह)	3000—4500 रुपये	निदेशक (कृषि एवं गृह)	100%
	परिवार कल्याण एकक			
1.	क्षेत्रीय रिपोर्टर	1400—2600 रुपये	विस्तार अधिकारी	50%
2.	विस्तार अधिकारी	2000—3500 रुपये	—	—

टिप्पणी : फार्म रेडियो अधिकारी और विस्तार अधिकारी के पदों को प्रस्तावित भारतीय प्रसारण कार्यक्रम सेवा में कार्यक्रम अधिशासी के पद के बराबर का दर्जा दिया गया है। नई सेवा का गठन हो जाने पर, फार्म रेडियो अधिकारी और विस्तार अधिकारी भी कार्यक्रम संवर्ग के विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति के पात्र हो जाएंगे जैसा कि प्रस्तावित भारतीय प्रसारण कार्यक्रम सेवा में व्यवस्था की गई है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में कलाकारों का स्वर परीक्षण

17. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन में कलाकारों का स्वर परीक्षण, तिथि-वार किया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो स्वर परीक्षण करने की वर्तमान प्रणाली क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) आकाशवाणी में, कलाकारों का स्वर-परीक्षण श्रेणीवार किया जाता है।

जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, संगीत कलाकारों के मामले में वह आकाशवाणी द्वारा दिया गया ग्रेड मान लेता है। नृत्य और नाटक के कलाकारों के लिए, जब कभी भी आवश्यकता होती है स्वर परीक्षा ली जाती है बशर्ते कि आवेदन-पत्र प्राप्त हों तथा स्टूडियो मे तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हों। इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक केन्द्र में एक स्थानीय स्वर-परीक्षा समिति है जिसकी बैठकें एक निश्चित अवधि पर होती हैं जिसमें यह समिति सिफारिश करती है। निदेशालय स्तर पर नृत्य के लिए एक केन्द्रीय स्वर-परीक्षा बोर्ड है जो विभिन्न केन्द्रों से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर उच्च ग्रेड में दर्जा बढ़ाने के मामलों पर विचार करता है।

हिमाचल प्रदेश में यात्रिकाओं/यात्रिनिवासों का निर्माण

18. **प्रो० नारायण चंद पराशर :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री हिमाचल प्रदेश में यात्रिकाओं/यात्रिनिवासों के निर्माण और बिलासपुर जिले में श्री नैना देवी में सराय के निर्माण के बारे में 14 अगस्त, 1987 और 5 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2962 और 2085 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार श्री नैना देवी, ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी में भारतीय यात्री आवास समिति द्वारा बनाये जा रहे यात्रिकाओं/यात्रिनिवासों के मामले में वास्तव में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) प्रत्येक के निर्माण पर आने वाली अनुमानित लागत तथा निर्माण कार्य पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या है और इनमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) पर्यटन विभाग ने श्री नैना देवी, ज्वालामुखी एवं चिन्तपूर्णी में भारतीय यात्री आवास विकास समिति के माध्यम से यात्रिकाओं एवं यात्रिनिवासों के निर्माण हेतु कोई योजना स्वीकृत नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खानों में कम्प्यूटर कार्यक्रम

19. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी कोयला खानों में कम्प्यूटर कार्यक्रम प्रारंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न कोयला उत्पादक कंपनियों ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कोयला खानों में स्वतन्त्र (आटोमेशन) लागू करने के लिए कोल कम्पनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

कोल इण्डिया लि० और उसकी सहायक कंपनियां

कोल इण्डिया लि० ने विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटरों की योजना तथा उन्हें स्थापित किए जाने के लिए एक स्थायी समिति की स्थापना की है। समिति ने निम्नलिखित को स्थापित किए जाने का सुझाव दिया है:—

(क) कंपनी के मुख्यालय में सुपरमिनी मेनफ्रेंस कम्प्यूटर;

(ख) क्षेत्रीय स्तर पर मिनी कम्प्यूटर; और

(ग) कोलियरी स्तर पर माइक्रो-कम्प्यूटर ।

कम्प्यूटर को लगाये जाने का कार्य निम्नलिखित कार्यकलापों के क्षेत्रों में कार्यान्वयन अधीन है :—

(क) वेतन रोलों और वित्तीय लेखा पद्धति;

(ख) ऑन लाइन सामग्री प्रबन्ध प्रणाली;

(ग) परियोजना प्रबन्ध और मानिटरिंग प्रणाली;

(घ) कार्मिक सूचना प्रणाली;

(ङ) खान तोजना और डिजाइन;

(च) भू-कम्पीय सर्वेक्षण और भौमिकी योजनाएं ।

सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०

(1) एक मिनी कम्प्यूटर जिसकी लागत 30 लाख रु० है, को निगम के कार्यालय, कोटागुडम में लगाया गया है ।

(2) 5 कार्मिक कम्प्यूटर प्रणाली, जिनकी लागत लगभग 7.5 लाख रु० है, को बड़ी खानों में लगाया गया है ।

(3) 8 कार्मिक कम्प्यूटर प्रणाली, जिसकी लागत लग9ग 12 लाख रु० है, को महा-प्रबन्धकों के कार्यालयों में लगाया गया है ।

(4) 6 और कार्मिक कम्प्यूटर प्रणाली, जिसकी लागत 9 लाख रु० है, को मुख्य अस्पताल और विभिन्न अन्य विभागों में लगाया गया है ।

सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० की खानों में कम्प्यूटर का प्रयोग अधिकतर भंडार, ऐसे क्षेत्रों में आंकड़ों की पुन: प्राप्ति तथा प्रस्तुतीकरण जैसे उत्पादन, उत्पादकता, औद्योगिक प्रबन्ध,

श्रमशक्ति सूची, वेतन रोलों का रखरखाव और उपकरणों के निष्पादन का मानिटरिंग करना तथा सुरक्षा परिस्थिति, आदि में किया जा रहा है।

कोदईकनाल दूरदर्शन रिले केन्द्र की पिक्चर की अस्पष्टता

20. **श्री एस० सिंगरावडीवेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोदईकनाल दूरदर्शन रिले केन्द्र की पिक्चर स्पष्टता तंजावूर शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में केवल 60 प्रतिशत ही है;

(ख) क्या फरवरी से मई, 1989 के महीनों के दौरान तंजावूर और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रसारण मद्रास के दो ट्रांसमिशनों चैनल 6 और हैदराबाद चैनल 7 और श्रीलंका और बंगालदेश के प्रसारणों से प्रभावित होते हैं;

(ग) क्या तंजावूर और इसके आसपास के क्षेत्रों के कोदईकनाल दूरदर्शन रिले केन्द्र की पिक्चर स्पष्टता में सुधार लाने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो गड़बड़ी ठीक करने और पिक्चर स्पष्टता में सुधार लाने के लिए कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) तंजावूर कोडईकनाल के उच्च शक्ति (10 किलोवाट) ट्रांसमीटर के प्राथमिक कवरेज क्षेत्र से बाहर है अतः वहा पर इस ट्रांसमीटर से संतोषजनक सेवा प्राप्त होने की आशा नहीं की जाती। बताया जाता है कि कुछ ऋतुओं में असामान्य प्रसार परिस्थितियों के कारण तंजावूर में तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में दूरवर्ती स्वदेशी तथा विदेशी ट्रांसमीटरों से कमजोर तथा अनियमित टी० वी० सिग्नल प्राप्त होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कोडईकनाल ट्रांसमीटर के प्रसारण में रुकावट आ जाती है।

(ग) तंजावूर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को संतोषजनक टी० वी० सेवा प्रदान करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं।

(घ) तंजावूर मे अल्पशक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना करने के लिए अनमोदन प्राप्त हो गया है। इस ट्रांसमीटर के चालू वर्ष मे ही स्थापित किए जाने का विचार है।

बालागढ़ विद्युत परियोजना, पश्चिम बंगाल को मंजूरी

21. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेशी सहायता की उपलब्धता को देखते हुए बालागढ विद्युत परियोजना को मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ग) इस परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) मई, 1989 में पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड से बालागढ़ ताप विद्युत परियोजना (3×210 मेगावाट) के लिए एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, और इस समय इसकी केन्द्रीय विद्युत

प्राधिकरण में जांच की जा रही है। आवश्यक निवेशों/ईंधन लिंकेज जैसे अनुमोदनों, जल उपलभ्यता, पर्यावरणीय स्वीकृति आदि सुनिश्चित करने के पश्चात इसे अनुमोदित किया जा सकता है।

आठवीं योजना में विद्युत संयंत्र

22. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और किसी अन्य राज्य में आठवीं योजना अवधि के दौरान विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनन्तिम रूप से लगभग 38,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ने की परिकल्पना की गई है। अद्यतन कार्यक्रम के अनुसार, पश्चिम बंगाल में राज्य क्षेत्र में लगभग 1681.5 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाओं से लाभ प्राप्त होने की आशा है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री, शीथमपेट और भद्रागिरी में फ्रीक्वेन्सी मोडुलेट्ड ट्रांसमीटरों की स्थापना

23. **श्री एस० पलाकोन्ड्रायुडु** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री, शीथमपेट और भद्रागिरी में फ्रीक्वेन्सी मोडुलेट्ड ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें राजामुंद्री, शीथमपेट और भद्रागिरी में एक-एक एफ० एम० ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था।

इस मामले पर विस्तार से विचार किया गया था। राजमुंद्री को विजयवाड़ा से दिन में प्राथमिक ग्रेड की कवरेज प्राप्त होती है जबकि विशाखापत्तनम का 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम और विजयनगरम जिलों को दिन में पूरी तरह से प्राथमिक ग्रेड की कवरेज प्रदान करता है। भद्रागिरी और शीथमपेट, श्रीकाकुलम जिले में आते हैं। अतः कवरेज के दृष्टिकोण से, शीथमपेट अथवा भद्रागिरी में अलग से रेडियो स्टेशन की आवश्यकता महसूस नहीं होती।

प्राकृतिक गैस को जलाना

24. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान प्राकृतिक गैस के साथ-साथ रसोई गैस अथवा अन्य कोई सम्बद्ध गैस भी जलाई गई;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्र में; और

(ग) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान देश में कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस/रसोई गैस/सम्बद्ध गैस की बिक्री की गई तथा इससे कितनी आय प्राप्त हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 के दौरान लगभग 10.55 मि० घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस जलाई गई थी।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इंडिया लिमिटेड सम्बद्ध और मुक्त प्राकृतिक गैस का मिश्रण बेचती है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयड इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1987-88 और 1989 के दौरान बेची गई प्राकृतिक गैस की मात्रा क्रमश: 6622 मिलियन घन मीटर और 7638 मिलियन घन मीटर थी और प्राकृतिक गैस की बिक्री से वर्ष 1987-88 में 793 करोड़ रुपये और 19×8-89 में 1109.52 करोड़ रुपये की निवल आय हुई।

देश में वर्ष 1987-88 के दौरान 1684 हजार मीट्रिक टन और 1988-89 में 1090.35 हजार मीट्रिक टन एल० पी० जी० बेची गई। ऐसी बिक्री से प्राप्त निवल आय का विवरण नहीं रखा जाता है क्योंकि ऐसे विक्रय में अन्तर-कम्पनी हस्तांतरण निहित होते हैं और विभिन्न कम्पनियों/स्थानों के लिए मुनाफा भी अलग-अलग होता है।

केरल में चंगानाचेरी, कोट्टायम में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

25. **श्री सुरेश कुरूप : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चंगानाचेरी, कोट्टायम में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। केरल राज्य के कोट्टायम जिले के चंगानाचेरी में टी० वी० रिले केन्द्र को चालू वर्ष में ही स्थापित करने तथा सेवा के लिए आरम्भ करने का विचार है।

केरल को पेराफीन मोम का आबंटन

26. **श्री टी० बशीर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पैराफीन मोम की अनुपलब्धता के कारण लघु क्षेत्र के उद्योगों में से बड़ी संख्या में एकक बन्द होने के कगार पर है;

(ख) क्या सरकार को केरल सरकार से पैराफीन मोम का पर्याप्त मात्रा में आबंटन करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) पैराफीन मोम एक कमी वाला उत्पाद है और राज्य सरकारों को इसका आबंटन इसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस समय पैराफीन मोम की उपलब्धता केरल सहित विभिन्न राज्यों में यूनिटों को निर्धारित क्षमता की तुलना में कम है। सीमित उपलब्धता को देखते हुए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को पैराफीन मोम का आबंटन आनुपातिक आधार पर किया जा रहा है।

केरल में दूरदर्शन विस्तार कार्यक्रम

27. **श्री के० मोहनदास** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत एक वर्ष के दौरान किए गए दूरदर्शन विस्तार का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केरल में इस समय कितने प्रतिशत जनसंख्या दूरदर्शन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर रही है और तत्संबंधी भावी योजना क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) गत एक वर्ष के दौरान (जुलाई, 1988 से) केरल में निम्नलिखित दूरदर्शन परियोजनाएं पूरी की गई :

(1) कलपेट्टा में अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना; और

(2) प्राथमिक (प्रादेशिक) सेवा रिले करने के लिए कोचीन के मौजूदा उच्च शक्ति (10 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा कालीकट के अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर को माईक्रोवेव सर्किट द्वारा दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम से जोड़ा गया।

इसके अलावा, सात जगहों अर्थात् पथनमथिट्टा, इडुक्की, चंगनाचेरी, कयामकुलम, शोरनपुर, तेल्लीचेरी और त्रिचूर में अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का काम चल रहा है। ये सभी ट्रांसमीटर 1989 के दौरान ही सेवा के लिए चालू कर दिए जाने की परिकल्पना है। इसके अलावा, कालीकट के मौजूदा अल्प शक्ति (100 वाट) ट्रांसमीटर को बदलकर वहां उच्च शक्ति (10 किलोवाट) ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम पर भी काम चल रहा है।

(ख) इस समय केरल की 85.7 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है तथा सातवीं योजना की सभी स्कीमों के पूरा हो जाने पर लगभग 97 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण हवाई अड्डों पर व्यय

28. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इसके नियंत्रण वाले हवाई अड्डों पर रखरखाव पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : गत तीन

वर्षों में राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डों के रख-रखाव पर 142.21 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है ।

लघु पन-बिजली परियोजना

[हिन्दी]

29. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लघु पन-बिजली परियोजनाएं शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष ऐसी कितनी पन-बिजली परियोजनाए शुरू की जायेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस वर्ष राज्य सरकार एजेंसियों के साथ सयुक्त रूप से प्रारभ की जा रही लघु पन-बिजली परियोजनाएं इस प्रकार है :

1. आंध्र प्रदेश	3
2. मध्य प्रदेश	1
3. उड़ीसा	2
4. पंजाब	5
5. उत्तर प्रदेश	3

महाभारत धारावाहिक से आय

[अनुवाद]

30. **श्री जी० भूपति** :
श्री मानिक रेड्डी :
श्री शांताराम नायक :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "महाभारत" धारावाहिक के प्रसारण शुरू होने से अब तक, इसके पहले दिखाए जाने वाले विज्ञापनों से दूरदर्शन को कितनी आय हुई है;

(ख) "महाभारत" के प्रत्येक भाग से पूर्व दिखाए जाने वाले विज्ञापनों से कितनी आय हुई है; और

(ग) "महाभारत" के और कितने भाग दिखाने की अनुमति दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) "महाभारत" के प्रसारण के प्रारम्भ से जून, 1989 तक विज्ञापनों और उसके प्रायोजन से दूरदर्शन को कुल 23,59,65,000 रुपये की आमदनी हुई ।

(ख) "महाभारत" की प्रत्येक कड़ी से अर्जित कुल आय औसतन लगभग 60.50 लाख रुपये बैठती है।

(ग) शुरू में इस धारावाहिक की 52 कड़ियां अनुमोदित की गई थीं। जून, 1989 तक 39 कड़ियां प्रसारित की जा चुकी हैं। निर्माता ने और कड़ियों के लिए अनुरोध किया है। चूंकि यह महसूस किया गया है कि निर्माता इस महाकाव्य की कथा 52 कड़ियों में पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए सरकार इस धारावाहिक की कुछ और कड़ियां मंजूर करने के लिए सहमत है।

दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद में नैमित्तिक कलाकार

31. **श्री मानिक रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद में नैमित्तिक कलाकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के कलाकारों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय वहां कितने महिला एवं पुरुष कलाकार कार्य कर रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो के० के० तिवारी) : (क) पात्र उम्मीदवारों से समय-समय पर प्राप्त आवेदन पत्रों में स्वर तथा कैमरा परीक्षा के आधार पर कैजुअल कलाकारों को कार्यक्रम दिया जाता है।

(ख) कैजुअल उद्घोषक को 100/- रुपये प्रति कार्यक्रम दिए जाते हैं और कैजुअल समाचार वाचकों को 200 रुपये प्रति कार्यक्रम दिए जाते हैं।

(ग) इस समय 18 कैजुअल कलाकार हैं जिनमें से 13 पुरुष कलाकार हैं और 5 महिला कलाकार हैं।

केन्द्रीय पूंजी निवेश राज-सहायता योजना

32. **श्री ए० चार्ल्स : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ है कि केन्द्रीय पूंजी निवेश राज-सहायता जो सितम्बर, 1988 में बन्द कर दी गई थी, को पुनः शुरू किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने यह योजना 30 सितम्बर, 1988 से आगे नहीं बढ़ाई है।

उत्तर प्रदेश में शक्तिनगर में बनाए गए सुपर ताप बिजली घर के विस्थापितों को मुआवजा

33. **श्री राम प्यारे पनिका : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में शक्तिनगर में बनाए गए सुपर ताप बिजली घर के लिए भूमि का उपयोग करने हेतु वहां से विस्थापित किए गए लोगों को मुआवजा देने का अब तक कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु क्या फार्मूला तैयार किया गया है; और

(ग) इस निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विद्यमान प्रक्रिया के अनुरूप, भूमि से निष्कासितों को प्रतिपूर्ति का भुगतान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना के भूमि-निष्कासितों के मामले में, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने उत्तर प्रदेश सरकार को उनके द्वारा निर्धारित प्रतिपूर्ति राशि के अनुसार 2.42 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

बड़ी विद्युत परियोजना को मंजूरी

34. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी सहायता और ऋण से बनने वाली दो बड़ी विद्युत परियोजनाओं को हाल ही में मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने हेतु क्या प्रयास करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली दुलहस्ती (3 × 130 मे० वा०) तथा उड़ि (4 × 120 मेगावाट) जल विद्युत परियोजनाओं और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली दादरी संयुक्त साइकल गैस पर आधारित विद्युत परियोजना (817 मेगावाट) को विदेशी सहायता के साथ कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदन दिया गया है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्रमशः 1262.97 करोड़ रुपये, 1632.62 करोड़ रुपये तथा 783.44 करोड़ रुपये है।

(ग) कार्यान्वयन के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से दोनों जल विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन स्वचालन आधार पर किया जा रहा है तथा दादरी परियोजना के लिए मुख्य उपस्कर के लिए ठेका भी स्वचालित आधार पर होगा। निर्माण कार्यों की प्रगति का गहन प्रबोधन परियोजना प्राधिकारियों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा विद्युत विभाग द्वारा किया जाएगा।

विदेशी शेयरधारिता वाली कम्पनियों द्वारा निर्धारित उत्पादन क्षमता का उल्लंघन

35. **श्री राम भगत पासवान** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ विदेशी शेयरधारिता वाली कम्पनियों ने निर्धारित उत्पादन क्षमता का उल्लंघन किया है;

(ख) क्या निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादित वस्तुओं को उत्पाद शुल्क की अदायगी के पश्चात मंजूरी प्रदान कर दी गई है; यदि नहीं, तो वर्ष 1988 का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करके अपने उत्पादन को अधिकतम करने हेतु औद्योगिक एककों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने समय-समय पर सम्बन्धित उपक्रम द्वारा पहले से प्राप्त किए गए उच्चतम उत्पादन को मान्यता देकर क्षमताओं को पुनः पृष्ठांकन की योजनाएं लागू की हैं। पुनः पृष्ठांकन की मंजूरी कुछ शर्तों के अधीन केवल उत्पादन को ध्यान में रखकर दी जाती है और क्षमता स्थापन के बारे में कोई और जांच/पूछताछ नहीं की जाती। उत्पादन शुल्क उत्पादित वास्तविक वस्तुओं पर लगाया जाता है, लाइसेंस प्राप्त क्षमता चाहे जो भी हो।

कोल इंडिया लि० में घाटा

36. **श्री राधाकांत दिगाल** : **क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० में किस वर्ष से घाटा हो रहा है;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या इसके कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए कोई प्रयास किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इन प्रयासों के क्या परिणाम रहे; और

(ङ) वर्ष 1988-89 के दौरान कोल इंडिया लि० का कारोबार कितना होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) कोल इंडिया लि०, वर्ष 1981-82 को छोड़कर जबकि इसने 34.20 करोड़ रु० का लाभ कमाया था, स्थापित किए जाने से प्रति वर्ष घाटे में चल रहा है।

(ख) कोल इंडिया लि० में हुए घाटे का मुख्य कारण यह है कि पिछली अवधि में कोयले की प्रशासित कीमतों में की गई वृद्धि, विभिन्न आगतों की लागत में हुई वृद्धि जैसे मजदूरी, बिजली, ईंधन, विस्फोटक, पूंजी आदि को पूर्ण रूप से अच्छादित नहीं करती है और कीमतों में वृद्धि में तथा आगतों में वृद्धि के बीच सदैव काफी अन्तराल रहा है। कम उत्पादकता भी घाटे के लिए जिम्मेदार रही है।

(ग) कोल इंडिया लि० के घाटे को कम करने के सम्बन्ध में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम तथा उनकी कार्य-क्षमता को बढ़ाये जाने के बारे में ब्यौरा संक्षेप में नीचे दिया गया है :—

(1) भूमिगत खानों पर विशेष बल देते हुए उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि।

(2) उपयुक्त कार्यशाला सम्बन्धी समर्थन, विकसित स्पेयर प्रबन्ध व्यवस्था और उपकरणों की समय से पुनः स्थापना कराते हुए उपकरणों की उपलब्धता और उपयोगिता में सुधार।

(3) सुधरी श्रम शक्ति आयोजन, जिसमें अतिरिक्त श्रमिकों की पुनः तैनाती और प्राकृतिक व्यर्थता के कारण हुए रिक्त स्थानों पर नई नियुक्ति किए जाने पर प्रतिबन्ध शामिल है।

(4) शक्ति उत्पादक कारकों की विस्फोट क्षमता और सुधरी सामग्री नियन्त्रण की व्यवस्था मे सुधार करके अतिरिक्त पुर्जों तथा विभिन्न अन्य आगतों की खपत में मितव्ययिता।

(5) लागत में कमी लाने वाले उपायों का विकसित प्रबोधन।

(6) राज्य विद्युत बोर्डों जैसे उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में कुल वसूली योग्य बकाया राशि को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(7) परिचालन की कार्य क्षमता में सुधार लाए जाने के लिए कई प्रणालियों मे सुधार तथा प्रबन्धीय उपायों को अंगीकार किया गया है।

(8) उत्पादकता में सुधार लाने के लिए विद्यमान खानों को पुनर्गठित करने सम्बन्धी प्रयास।

(घ) इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों से कोल इंडिया लि० की श्रम शक्ति तथा मशीन की उत्पादकता में सुधार आया है और इससे कोल इंडिया लि० में कम घाटा हुआ जो कि अन्यथा अधिक होने की सम्भावना थी।

(ङ) कोल इंडिया लि० के वर्ष 1988-89 के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। किन्तु यह सम्भावना है कि वर्ष 1988-89 के दौरान कोल इंडिया लि० में बजट की तुलना में काफी कम घाटा होने की सम्भावना है और उक्त घाटा वर्ष 1987-88 के दौरान हुए घाटे से भी कम होगा।

सिलेण्डर और रेगुलेटर खो जाने की स्थिति में जमानत राशि

37. **श्री आर० एम० भोये** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में खाना पकाने की गैस सिलेण्डर और इसके रेगुलेटर के लिए जमानत की राशि क्रमशः 450 रुपये और 50 रुपये है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन आयल कारपोरेशन के अन्तर्गत चलने वाली गैस की एजेन्सियां, गैस के सिलेन्डर और इसके रेगुलेटर के चोरी हो जाने की स्थिति में सिलेन्डर और रेगुलेटर के लिए क्रमशः 1500 रुपये और 250 रुपये जमानत की राशि के रूप में मांगते हैं;

(ग) यदि हां, तो इतनी अधिक जमानत राशि लेने का क्या औचित्य है;

(घ) क्या इस जमानत राशि में कमी करने का विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कब, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

मंगलौर परियोजना में तेलशोधक कारखाना

38. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री

बंगलोर तेल शोधन परियोजना के बारे में 6 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3569 उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इसे सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्रोसेस का काम आरम्भ कर दिया गया है।

इंडियन एयरलाइन्स की समय सारणी में बाधा

39. **श्री सतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के विमानों के देर से पहुंचने/छूटने से इसकी समय सारणी में बाधा आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) अप्रैल, 1989 से जून, 1989 की अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइन्स को 66% से अधिक उड़ानें समय पर परिचालित की गईं। इंडियन एयरलाइन्स के वश के भीतर आने वाले कारणों से केवल 2.5% उड़ानों में विलम्ब हुआ। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा परिचालित उड़ानों में परिणामी कारणों से 28.42% उड़ानें विलम्ब से गईं।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स अपने बेड़े में 1989 और 1992 के बीच 31 ए 320 विमान शामिल कर रहा है। इस विमानों के शामिल होने से निगम के पास अपेक्षित अन्तराल/वैकल्पिक क्षमता उपलब्ध हो जाएगी जिससे उड़ानों में परिणामी विलम्ब न्यूनतम करने में सहायता मिलेगी। उड़ानों को समय पाबन्दी पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

विद्युत के उत्पादन और उपलब्धता के बारे में सर्वेक्षण

[हिन्दी]

40. **श्री दिनेश गोस्वामी** :
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा हाल ही में विद्युत के उत्पादन और उपलब्धता के बारे में एक अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार आठवीं योजना के अन्त तक बिजली की और कमी हो जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सातवीं योजना में विद्युत कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मांग प्रक्षेपणों की विस्तृत रूप से समीक्षा करने और वर्ष 2004-2005 तक के लिए संदर्शी मांग का निर्धारण करने के लिए फरवरी, 1986 में 13वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1987 में प्रस्तुत की थी जिसमें आठवीं योजना के अंत (1994-95) तक के लिए विद्युत की मांग और उपलब्धि तथा 1994-95 से 2004-2005 तक के लिए विद्युत की मांग के बारे में पूर्वसूचना दी गई थी। चूंकि यह एक सतत प्रकिया है, अत: 8वीं योजना प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए मांग प्रक्षेपणों की विस्तृत रूप से समीक्षा करने और वर्ष 2009-10 तक के लिए संदर्शी मांग का निर्धारण करने के लिए फरवरी, 1989 में 14वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति गठित की गई है। समिति अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1990 तक प्रस्तुत कर देगी।

(ख) और (ग) 13वें विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार, 7वीं तथा 8वीं योजनाओं के अंत में स्थिति इस प्रकार होगी :—

	विद्युत सप्लाई की स्थिति	
	7वीं योजना के अंत में	8वीं योजना के अंत में
व्यस्ततमकालीन उपलब्धता (मे० वा०)	37674	61418
व्यस्ततमकालीन मांग (मेगावाट)	47014	72711
कमी (मेगावाट)	9340	11293
प्रतिशत कमी	15.53	19.86
ऊर्जा की उपलब्धता (मेगावाट)	234188	38185
ऊर्जा की मांग (मेगावाट)	249059	384764
कमी (मेगावाट)	14817	2908
प्रतिशत कमी	5.97	0.7

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि देश में आठवीं योजना के अन्त में ऊर्जा की कमी कम होगी।

तमिलनाडु में पवन विद्युत जेनरेटर

[अनुवाद]

41. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विकसित पवन विद्युत जेनरेटर तमिलनाडु में हाल ही चालू किया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयातित मशीनों की तुलना में इस जेनरेटर का कार्य अच्छा है या खराब है;

(घ) देश में विकसित मशीन की निर्माण लागत आयातित मशीन की तुलना में कम है या अधिक तथा इससे कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है;

(ङ) क्या देश में कुछ और ऐसी मशीनों का निर्माण करने तथा इन्हें स्थापित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के अनुसंधान तथा विकास परियोजना के अन्तर्गत भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लि० द्वारा ग्रिड़ों से जुड़े हुए दो प्रोटोटाइप के 55 कि० वाट पवन विद्युत जनित्रों का देश में ही विकास तथा निर्माण किया गया है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में प्रथम प्रोटोटाइप 28 जनवरी, 1989 को सफलतापूर्वक स्थापित करके चलाया गया।

(ग) इस मशीन ने सामान्यतः संतोषजनक रूप से कार्य किया है। स्वदेशीय रूप से विकसित प्रोटोटाइप के प्रारंभिक परिणामों से अपेक्षाकृत थोड़े से कम निष्पादन का पता चलता है क्योंकि कन्ट्रोल सेटिंग को अभी इष्टतम करना है।

(घ) स्वदेशी रूप से तैयार किए गए पहले प्रोटोटाइप की लागत 12.50 लाख रुपये थी जिसमें स्वदेशी पूंजी 43% थी। निर्माण देशी स्तर पर 10 एककों के निर्माण स्तर पर लागत का अनुमान 11.50 लाख रुपये लगाया गया है, जिसमें देशी पूंजी की मात्रा लगभग 70 प्रतिशत है। इसी के समकक्ष आयातित मशीन की कीमत लगभग 10.50 लाख रुपये हैं।

(ङ) और (च) जी हां। गुजरात में कांडला के पास टुना में दूसरी स्वदेशी रूप से तैयार की गई प्रोटोटाइप मशीन की स्थापना की जा रही है। तत्पश्चात इसी वर्ष के दौरान 10 स्वदेशी रूप से निर्मित 55 कि०वाट मशीनों के आधार पर उसी स्थल पर 550 किलोवाट समेकित क्षमता की एक पवन ऊर्जा फार्म परियोजना प्रारंभ की जायेगी।

राजस्थान में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

42. **श्री विष्णु मोदी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान में कतिपय विद्युत परियोजनायें स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या आठवीं योजना के अन्त तक राजस्थान में बिजली की भारी कमी होने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या बिजली की कमी की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) राज्य में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए क्या उपचारी कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) राजस्थान में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) में प्राप्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है :

क्रम सं०	नाम (ताप-विद्युत/ जल विद्युत	क्षमता (मेगावाट)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	कोटा पम्पड संचयन (जल-विद्युत)	2×100=200	के० वि० प्रा० द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।
2.	सूरतगढ़ (ताप विद्युत)	2×210=420	अभी कोयला लिंकेज सुनिश्चित किया जाना है।
3.	धौलपुर (ताप-विद्युत)	2×210=420	पर्यावरण एवं वन विभाग ने परियोजना स्थल अस्वीकार कर दिया है क्योंकि इस स्थल से पर्यावरण और ताज-महल पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। परियोजना प्राधिकारियों को वैकल्पिक स्थल को सुनिश्चित करने के लिए—संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी।
4.	चित्तौड़गढ़ (ताप विद्युत)	2×210=420	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को जुलाई, 1985 में सूचित किया गया था कि जल तथा अन्य निवेशों को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अन्य अन्वेषण किए जाने हैं।
5.	मंडलगढ़ (ताप विद्युत)	3×210=630	—वही—
6.	राहुघाट (जल विद्युत)	4×40=160	अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं के निपटान के उपरांत रिपोर्ट पुरः प्रस्तुत करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों को फरवरी, 1988 में वापिस लौटा दी गई है।
7.	माउन्ट आबू बहु-उद्देश्यीय (जल विद्युत)	2×5=10	के० वि० प्रा० की कुछ टिप्पणियों पर राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

1	2	3	4
			एक बहु-उद्देश्यीय परियोजना होने के कारण इस स्कीम को जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति दी जानी भी अपेक्षित है।
8.	जाकम (जल विद्युत) (संशोधित)	1 × 5.5 = 5.5	कुछ अतिरिक्त सूचना न देने के कारण रिपोर्ट को नवम्बर, 1988 में परियोजना प्राधिकारियों को वापिस लौटा दिया गया था।
9.	जवाई मिनी (जल विद्युत)	4 × 0.6 × 2.4	के० वि० प्रा० की कुछ टिप्पणियों पर राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है। पिछले तीन वर्ष से उत्तर न प्राप्त होने के कारण स्कीम वापिस लौटा दी गई है।

(ग) और (घ) भारत की 13वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति के अनुसार आठवीं योजना अवधि के अन्त तक राजस्थान को लगभग 41 प्रतिशत व्यस्ततमकालीन कमी तथा लगभग 35 प्रतिशत ऊर्जा घाटे का सामना करने की सम्भावना है।

(ङ) विद्युत आपूर्ति स्थिति में सुधार लाने के उपायों में—निर्माणाधीन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना, कुशल भार प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण सम्मिलित है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विदेशी ऋण

[हिन्दी]

43. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विदेशों में ऋण लेने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि का और किस देश से ऋण लेने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त ऋण किन मदों पर खर्च करने का प्रस्ताव है और इसकी अदायगी कैसे की जाएगी ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) बी० एच० एल० को अपने वर्तमान आयातों के वित्त पोषण के लिये विदेशी मुद्रा ऋण जुटाने के लिए कहा गया है। अन्तराष्ट्रीय बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कम्पनी ऋण की मात्रा और उसके स्रोतों के संबंध में निर्णय लेगी। कम्पनी द्वारा उत्पन्न अन्तर्वहन से ऋण की वापसी की जाएगी।

कच्चे तेल का उत्पादन

[अनुवाद]

44. **श्री शांति लाल पटेल :**

श्री जी० एस० बासवराजू :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) आगामी वर्षों में कच्चे तेल के उत्पादन से इसकी मांग कहां तक पूरी हो सकेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी हां, 1988-89 के दौरान 32.025 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ जबकि 1987-88 के दौरान 30.36 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था।

(ग) आठवीं योजना की अवधि के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन की मात्रा और किस सीमा तक यह मांग को पूरा करेगा, इसका पता समस्त आठवीं योजना को अन्तिम रूप देने के बाद ही चल सकेगा।

विद्युत उत्पादन

45. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के अन्त में विद्युत उत्पादन क्या था;

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) क्या आठवीं योजना में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई नई योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) देश में बिजली की शत-प्रतिशत मांग पूरी करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) छठी योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात 1984-85 के दौरान देश में ऊर्जा उत्पादन 156.63 बिलियन यूनिट था।

(ख) सातवीं योजनावधि के दौरान देश में ऊर्जा उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	ऊर्जा उत्पादन (बिलियन यूनिट)
1	2
1985-86	170.04
1986-87	187.60

1	2
1987-88	201.89
1988-89	221.12
1989-90 (प्रत्याशित)	251.30

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 38,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता को अनन्तिम रूप में जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

(ङ) संसाधनों की गंभीर बाधाओं के कारण, आठवीं योजनावधि के दौरान देश की व्यस्त-तमकालीन आवश्यकताओं को शत-प्रतिशत रूप में पूरा करना संभव नहीं हो पाएगा।

पंजाब में विद्युत परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता

46. **श्री कमल चौधरी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पंजाब में किन्हीं नई विद्युत परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्तमान में पंजाब में किसी भी नई विद्युत परियोजना के लिए विदेशी सहायता हेतु किसी भी प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रथम एयरबस ए-320 का पहुंचना

47. **श्री शरद दिघे** :
श्रीमती डी० के० भंडारी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स द्वारा फ्रांस की एयरबस इंडस्ट्रीज से खरीदी गई प्रथम "फ्लाई बाई वायर" एयरबस-320 पहुंच गई है और उसकी उड़ानें शुरू हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका कार्यकरण कैसा है; और

(ग) ऐसी अन्य बसें कब-कब प्राप्त की जाएंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक विमान का परिचालन सही-सही पाया गया है।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स को कुल 31 एयरबस ए-320 विमान में से 4 विमान मिल चुके हैं। शेष 27 विमानों की सुपुर्दगी का कार्यक्रम इस प्रकार है :—

मास	विमानों की संख्या
जुलाई 1989	1
अगस्त, 1989	2
सितम्बर, 1989	2
अक्तूबर, 1989	1
नवम्बर, 1989	2
दिसम्बर, 1989	2
जनवरी, 1990	2
फरवरी, 1990	1
मार्च, 1990	2
दिसम्बर, 1990	2
जनवरी, 1991	2
फरवरी, 1991	1
मार्च, 1991	1
नवम्बर, 1991	2
दिसम्बर, 1991	3
जनवरी, 1992	1
जोड़	27

कोकिंग कोयले की कमी

48. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोकिंग कोयले की कमी को दूर करने के उद्देश्य से तालचर क्षेत्र में उपलब्ध निम्न श्रेणी के गैर कोकिंग कोयले को कम ताप कार्बनीकरण प्रक्रिया द्वारा "सेमी-कोक" में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी नहीं। सरकार के विचाराधीन तालचर कोयला क्षेत्रों में उपलब्ध निम्न ग्रेड के अकोककर कोयले से कम तापीय कार्बनीकृत प्रक्रिया द्वारा अर्ध-कोककर कोयले "सेमी कोक" को उत्पादित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में वायुदूत सेवा आरम्भ करने की मांग

49. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989 में बिहार के विभिन्न नगरों से वायुदूत सेवायें आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) विमान क्षमता की उपलब्धता आधारभूत सुविधाओं के विकास और व्यवहार्य होने पर चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान बिहार राज्य में पूर्णिया को हवाई मार्ग से जोड़ने की वायुदूत की योजना है ।

उत्तर प्रदेश में "हैंग ग्लाइडिंग" का विकास

[हिन्दी]

50. **श्री हरीश रावत** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय क्षेत्र में हैंग ग्लाइडिंग को एक लोकप्रिय पर्यटन खेल के रूप में विकसित करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी जिलों में हैंग ग्लाइडिंग खेल के विकसित किए जाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग साहसिक खेलों के विकास को प्रोत्साहित करता है जिसमें विदेशी एवं स्वदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों एवं उत्साहीजनों को आकर्षित करने की सम्भावना है, परन्तु सम्बन्धित राज्य सरकार को ही विशिष्ट प्रस्तावों को पहल करनी पड़ती है । हमें उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी में हैंग ग्लाइडिंग रिपोर्ट कम न हो तो विकास करने और न ही अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

भुवनेश्वर से वायुदूत सेवा का चलाया जाना

[अनुवाद]

51. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत सेवा से भुवनेश्वर से कौन-कौन से स्थान जुड़े हुए हैं;

(ख) क्या इस वित्त वर्ष के दौरान और अधिक स्थानों को जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल : (क) वायुदूत सेवा द्वारा भुवनेश्वर से हैदराबाद, विशाखापट्टनम और जैपुर जुड़े हुए है।

(ख) और (ग) विमान क्षमता की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं के विकास और आर्थिक रूप से परिचालन साध्य होने पर गोपालपुर और झारसुगुडा को विमान मार्ग से जोड़ने की वायुदूत की योजनाएं हैं।

औद्योगिक विकास की रिपोर्ट

52. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुमुखी औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा गठित पिछड़ा क्षेत्र विकास समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कब और समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) सरकार ने कौन-कौन-सी सिफारिशें स्वीकार की हैं और प्रत्येक मामले में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार ने कौन-कौन-सी सिफारिशें अस्वीकार कर दी हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा करने और इनमें संशोधन करने हेतु गठित अन्तर-मंत्रीलयीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1986 में प्रस्तुत कर दी थी। समिति की सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

जापान में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बान्ड जारी किया जाना

53. **श्री अजय विश्वास :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने हाल ही में जापान में बान्ड जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो बान्डों से कुल कितनी राशि एकत्र हुई है और तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 20 बीलियन येन के लिए 28 मार्च, 1989 को वार्षिक आधार पर देय 5.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ 1.20 प्रतिशत के प्रीमियम पर समुराई बान्ड जारी किये हैं।

उद्योगों को सहायता

[हिन्दी]

54. **श्री मदन पांडे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उद्योगों से रियायतों को वापस लेने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें कब तक वापस लिये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या इन रियायतों को वापस ले लेने से उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसी स्थिति में उद्योगों को सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े माने गये क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु उद्यमियों को लाइसेंसीकरण में प्राथमिकता रियायती वित्त, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत छूट इत्यादि जैसी रियायतें उपलब्ध हैं। योजना के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक एककों को परिवहन राजसहायता भी उपलब्ध है। तथापि, केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना को 30 सितम्बर, 1988 से आगे नहीं बढ़ाया गया है।

गैस ग्रिड्स का विकास

[अनुवाद]

55. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खपत घटाने के लिए गैस ग्रिड्स विकसित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, यो तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है और इसके अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक गैस की सप्लाई की जा रही है। तरल पट्रोलियम उत्पादों के विकल्प के रूप में कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई करने की आवश्यकताओं के अनुसार पाइप लाइनों बिछायी जाती हैं। भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और पाइप लाइनें बिछायी जा रही हैं और भविष्य में बिछाई जाएंगी।

राज्य विद्युत बोर्डों में कार्यकरण के सम्बन्ध में नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

56. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक ने राज्य विद्युत बोर्डों के कार्य-निष्पादन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में राज्य विद्युत बोर्डों का पारेषण लाइनों सम्बन्धी कार्यों की आयोजना और कार्यान्वयन में भारी खामियों का उल्लेख किया है, जैसा कि दिनांक 8 जून, 1989 के "डेकन हेरल्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दूरदर्शन धारावाहिक "महाभारत"

57. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन धारावाहिक "महाभारत" का प्रसारण दूरदर्शन पर कब आरम्भ किया गया था;

(ख) इस "धारावाहिक" को पूर्ण करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या यह "धारावाहिक" निर्धारित समय में पूरा हो जाएगा;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस दूरदर्शन धारावाहिक का समय बढ़ाने का है; और

(ङ) क्या इस "धारावाहिक" के प्रसारण समय में परिवर्तन करने को कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (घ) धारावाहिक "महाभारत" का साप्ताहिक प्रसारण दिनांक 2-10-1988 को शुरू किया गया था। शुरू में, इस धारावाहिक की 52 कड़ियों का अनुमोदन किया गया था। किन्तु निर्माता ने सरकार से कुछ और अधिक कड़ियों के अनुमोदन करने का अनुरोध किया है। चूंकि यह महसूस किया गया कि निर्माता इस महाकाव्य की कथा को 52 कड़ियों में पूरा नहीं कर सकता है, अतः सरकार इस धारावाहिक की कुछ और कड़ियां बढ़ाने के लिए सहमत है।

(ङ) प्रसारण के वर्तमान समय में परिवर्तन करने की कुछ मांग प्राप्त हुई हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

राज्यों में नई कोयला परियोजनाओं के लिए भूमि

58. **श्री एस० एम० गुरड्डी** :
श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि राज्यों में नई कोयला परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए भूमि प्रदान करें;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि न मिलने के कारण कोल इण्डिया लि० की अनेक परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो कौन-सी परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं और किन राज्यों में इन परियोजनाओं को आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(घ) देरी के क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर भूमि अधि-

ग्रहण और इससे सम्बन्धित अन्य समस्याओं के विषय में सम्बद्ध राज्य सरकारों से मामलों को उठाती रही है। यह बात सच है कि भूमि के उपलब्ध न होने के कारण कुछ चालू परियोजनाओं का और साथ ही साथ नई कोयला परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ा है। अधिकांश कोयला परियोजनाएं, जोकि भूमि की अधिग्रहण की समस्याओं से प्रभावित है, वे पश्चिम बंगाल और बिहार में स्थित हैं। इस समय 11 ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं जिनके कार्य की प्रगति पर भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण असर पड़ा है। इस सम्बन्ध में रुकी हुई परियोजनाओं की प्रगति पर विभाग द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है और सम्बद्ध राज्य सरकारों से गत्यवरोध को दूर करने का बार-बार अनुरोध किया जा रहा है और उनसे यह भी अनुरोध है कि वे भूमि से वंचित किए गए व्यक्तियों को उदारीकृत पुनर्वास पैकेज देकर भूमि को अधिग्रहण करें जिसकी पूर्ण लागत को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाने पर सहमति हो गई है।

पटना/रांची हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

59. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान पटना और रांची हवाई अड्डों को आधुनिक बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) पटना हवाई अड्डे पर अति उच्चावृत्ति संचार, उच्चावृत्ति संचार, अदिशिक बीकन, अति उच्चावृत्ति सार्वदिशिक परास, दूरी मापक उपकरण, उपस्कर अवतरण प्रणाली और स्वचालित सन्देश स्वीच प्रणाली उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस हवाई अड्डे पर 8वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक क्षमता वाले एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण करने की योजना है।

रांची हवाई अड्डे पर अति उच्चावृत्ति संचार, उच्चावृत्ति संचार, अदिशिक बीकन और अति उच्चावृत्ति सार्वदिशिक परास सुविधाओं की पहले से ही व्यवस्था है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस हवाई अड्डे पर धावनपथ और सम्बद्ध पेवमेन्ट को सुदृढ़ करने की योजना है।

तेल चयन बोर्ड द्वारा आवेदन पत्रों पर विचार

60. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल० पी० जी० एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों को आबंटन हेतु आवेदकों का चयन एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बोर्ड द्वारा गत छह महीनों के दौरान कितने आवेदन पत्रों पर विचार किया गया और उसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(ग) मार्च, 1989 तक कितने आवेदन-पत्रों पर निर्णय लिया गया और कितने आवेदन-पत्रों पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वेस्टलैंड हेलीकाप्टर

61. **श्री सरफराज अहमद** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में वेस्टलैंड हेलीकाप्टर का कार्यकरण संतोषजनक है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने किसी अन्य विदेशी हेलीकाप्टर आपरेटर की सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की आवश्यकता के मुकाबले हेलिकाप्टरों की उपलब्धता में कमी आई है। इसका परिचालन और अन्य तत्वों पर प्रभाव पड़ा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली हवाई अड्डे पर इण्डियन एयरलाइन्स के विमान का बस से टकराना

62. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1989 से अब तक कुल कितनी विमान दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर बस से टकरा जाने के कारण इंडियन एयरलाइन्स का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कुल कितना नुकसान हुआ ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अप्रैल, 89 से आज तक कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि, 16-6-89 को एक टोयू-154 विमान यात्री कोच के साथ कोच चालक की गलती के कारण टकरा गया और मामूली क्षतिग्रस्त हो गया। विमान की आवश्यक मरम्मत करके उसे सेवायोग्य बना दिया गया है।

पम्पसेटों का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

63. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1989-90 के दौरान कितने पम्प सैटों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है और अब तक राज्यवार कितने पम्पसैटों का विद्युतीकरण किया गया है; और

(ख) उत्तर प्रदेश में जिले-वार कितने पम्पसैटों का विद्युतीकरण किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान पम्पसैटों के ऊर्जायन का राज्यवार लक्ष्य 1-4-1989 से 31-5-1989 तक ऊर्जित पम्पसैटों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) 31-3-1989 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में जिला-वार ऊर्जित पम्पसैटों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

इलैक्ट्रिक सिंचाई पम्पसैटों/नलकूपों के ऊर्जन की प्रगति का राज्यवार ब्योरा

(अनन्तिम)

क्रम सं०	राज्य	वर्ष 1989-90 के लिए लक्ष्य	1-4-89 से 31-5-89 तक उपलब्धि	31-5-89 की स्थिति के अनुसार कुछ उपलब्धि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	77000	4104	1048161
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	400	कुछ नहीं	3333
4.	बिहार	10000	433 (सी)	241680 (बी)
5.	गोवा	—	46	3524
6.	गुजरात	18000	1867	410156
7.	हरियाणा	8200	495 (सी)	33297 (बी)
8.	हिमाचल प्रदेश	—	उ० न०	3106 (ए)
9.	जम्मू व कश्मीर	100	कुछ नहीं	1876
10.	कर्नाटक	40000	2794 (सी)	634910 (बी)
11.	केरल	10000	1335	192616
12.	मध्य प्रदेश	65000	4341	715777
13.	महाराष्ट्र	72750	10064	1387567
14.	मणिपुर	—	कुछ नहीं	45
15.	मेघालय	—	कुछ नहीं	65
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैंड	—	कुछ नहीं	22

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	4300	104 (सी)	42513 (बी)
19.	पंजाब	18000	494	536000
20.	राजस्थान	16000	2208	328410
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	35000	3006	1238947
23.	त्रिपुरा	50	2	1250
24.	उत्तर प्रदेश	20000	1633	618447
25.	पश्चिम बंगाल	12160	750	70151
	जोड़ (राज्य)	406960	33681	7822227
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	500	215	30718
	जोड़ (अखिल भारत)	407460	33896	7852945

(ए)—31-3-1989 की स्थिति के अनुसार

(बी)—30-4-89 की स्थिति के अनुसार

(सी)—1-4-89 से 30-4-89 तक

उ० न०—उपलब्ध नहीं

— — शून्य को दर्शाता है।

विवरण-2

31-3-89 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अर्जित किए गए पम्पसैटों की जिलेवार संख्या

क्र०सं०	जिला	मार्च, 1989 तक ऊर्जित किए गए पम्पसैटों की कुछ संख्या
1	2	3
1.	सहारनपुर	22992
2.	मुजफ्फरनगर	32251
3.	मेरठ	44386

1	2	3
4.	गाजियाबाद	9715
5.	बुलन्दशहर	43023
6.	अलीगढ़	25628
7.	मथुरा	10028
8.	आगरा	12306
9.	मैनपुरी	12517
10.	एटा	11402
11.	बरेली	5680
12.	बदायूं	12176
13.	शाहजहांपुर	6983
14.	पीलीभीत	5506
15.	बिजनौर	23749
16.	मुरादाबाद	25927
17.	रामपुर	5535
18.	फारूखाबाद	13593
19.	इटावा	4999
20.	कानपुर नगर	7379
21.	कानपुर देहात	
22.	फतेहपुर	9959
23.	इलाहाबाद	15659
24.	झांसी	2712
25.	ललितपुर	391
26.	जलौन	1655
27.	हमीरपुर	1502
28.	बांदा	2690
29.	वाराणसी	23447
30.	मिर्जापुर	4361
31.	जौनपुर	22233

1	2	3
32.	गाजीपुर	21546
33.	बलिया	10926
34.	गोरखपुर	8490
35.	दियोरिया	9234
36.	बस्ती	10132
37.	आजमगढ़	33097
38.	लखनऊ	8180
39.	रायबरेली	11418
40.	उन्नाओ	4350
41.	सीतापुर	4453
42.	हरदोई	4061
43.	खेड़ी	10540
44.	फैजाबाद	20324
45.	गोंडा	5571
46.	बहरायच	3728
47.	सुलतानपुर	10552
48.	बाराबंकी	5680
49.	प्रतापगढ़	6958
50.	नैनीताल	6690
51.	अलमोड़ा	21
52.	पिथोरागढ़	कुछ नहीं
53.	देहरादून	458
54.	उत्तरकाशी	3
55.	चमोली	2
56.	पौढ़ी (जी)	27
57.	टिहरी (जी)	10
	कुल जोड़	616814

पटना में दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र

64. **डा० सी० पी० ठाकुर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना का दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा;

(ख) क्या सरकार का इस समय पटना केन्द्र पर ओ० बी० वैन उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) सिविल कार्यों के पूरा हो जाने पर तथा आदेशित उपस्कर स्थापित करने के बाद, पटना के निर्माणाधीन दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र के 1991-92 के दौरान चालू हो जाने की आशा है।

(ख) और (ग) जी नहीं।

कोयला के उत्पादन में वृद्धि

65. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवें दशक के दौरान कोयला उद्योग ने अपने उत्पादन में 100 प्रतिशत वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के लिए कितना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) कोयला उद्योग के उत्पादन में 1980-81 तथा 1988-89 की अवधि के बीच 90.69 मि० टन की रिकार्ड वृद्धि हुई और इस तरह इस अवधि के दौरान उत्पादन में 87.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1989-90 के अन्त में कोयला उद्योग द्वारा 1980-90 के दर्शक के दौरान 100 प्रतिशत की समग्र वृद्धि प्राप्त करने की संभावना है।

(ख) वर्ष 1989-90 के लिए रखा गया उत्पादन लक्ष्य 209.50 मि० टन है।

(ग) कोयला उत्पादन को और बढ़ाए जाने के लिए उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित कदम शामिल हैं, नई खानों को खोला जाना, वर्तमान खानों का आधुनिकीकरण करना, अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने और कोयले का अधिकतम उत्पादन बढ़ाए जाने के लिये अपेक्षित आगतों तथा आधारभूत ढांचा संबंधी सुविधाओं को समय पर मुहैया कराना।

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को पुनः चालू करना

66. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड की लखनऊ इकाई को गैर सरकारी क्षेत्र के बजाज आटो लिमिटेड को बेचने की योजना रद्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस इकाई को पुन: चालू करने हेतु कोई पैकेज योजना तैयार कर रही है और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) सरकार स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के भविष्य के बारे में विभिन्न विकल्पों पर फिर से विचार कर रही है।

नई एयरबसों ए-320 की खरीद

67. श्री वी० तुलसीराम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े में एक नई ए-320 एयर बस शामिल की गई है;

(ख) यदि हां, तो एयर बस का मूल्य और इसकी यात्री क्षमता कितनी है और इससे कितने इंधन की बचत होगी;

(ग) वर्तमान हवाई जहाजों से यह किस प्रकार से किफायती है;

(घ) इसके रख-रखाव पर आने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी कितनी एयर बसें खरीदी जाएंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्राप्त पहले चार एयर बस ए-320 विमानों के प्रत्येक विमान की कीमत अमरीकी डालर 39,351,357 (61,78,16,305 रुपए) है और प्रत्येक विमान के लिए 1.58 करोड़ रुपये के अतिरिक्त सीमा-शुल्क का भुगतान किया गया है। इन विमानों में 168 इकानामी क्लास की सीटें लगी हुई हैं। इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े में अन्य जेट विमानों की अपेक्षा इन विमानों की ईंधन खपत प्रति सीट किलोमीटर के आधार पर लगभग 30 प्रतिशत कम है।

(ग) एयर बस ए-320 विमान ईंधन खपत के मामले में किफायती हैं।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स अपने कर्मचारियों और सामान की सहायता से भारत में ही एयर बस ए-320 विमान का अनुरक्षण करेगा और बाहर की पार्टियों को कोई शुल्क नहीं दिया जायेगा।

(ङ) 19 एयरबस ए-320 विमान के अतिरिक्त इंडियन एयरलाइन्स ने मार्च, 1986 में मैसर्स एयरबस इंडस्ट्री के साथ 12 अतिरिक्त ए-320 विमानों की खरीद के लिए करार पर हस्ताक्षर किए थे। इससे शामिल किए जाने वाले ए-320 विमानों की कुल संख्या 31 हो जाएगी।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा कम्प्यूटर से जांच की सुविधा

68. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने दिल्ली हवाई अड्डे पर अपने एयरबस यात्रियों के लिए कम्प्यूटर द्वारा जांच की सुविधा आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य हवाई अड्डों पर इस प्रकार की सुविधा आरंभ करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नागपुर हवाई अड्डे पर यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कम्प्यूटरीकृत चैक इन सुविधा इस वर्ष के अन्त तक मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद और बंगलूर हवाई अड्डों पर उपलब्ध करा दी जायेगी। इस समय नागपुर हवाई अड्डे पर कम्प्यूटरीकृत चैक इन सुविधा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेट्रो-रसायन क्षेत्र में पूंजी निवेश

69. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान पेट्रोरसायन क्षेत्र में कुल कितनी पूंजी निवेश करने का विचार है;

(ख) क्या विशाखापतनम में पेट्रोरसायन उद्योग-समूह की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या प्रस्तावित उद्योग-समूह की मूलभूत आवश्यकताओं, बिजली तथा पानी की सप्लाई का आकलन करने हेतु हाल ही में अधिकारियों का एक दल विशाखापतनम गया था; और

(घ) यदि हां, तो विशाखापतनम में पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह के संभावित स्थान, इसकी स्थिति तथा चरण का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल): (क) पेट्रो-रसायन क्षेत्र में आठवीं योजनावधि के दौरान 15,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) ऐसे पेट्रो-रसायन परिसर के बारे में निर्णय तकनीकी-आर्थिक बातों के आधार पर लिया जाता है।

अखबारी कागज और अन्य कागज के मूल्यों में वृद्धि

70. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली सरकारी और निजी क्षेत्र की दोनों कम्पनियों ने हाल ही में अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न कम्पनियों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कागज में मूल्यों में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकारी प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) अखबारी कागज के मूल्यों पर सरकार का कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। बताया गया है कि मिलों में अखबारी कागज के उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण और वित्तीय जीव्यता बनाये रखने हेतु मूल्यों में संशोधन करके वृद्धि की है।

विवरण

स्वदेशी अखबारी कागज-मिलों द्वारा अखबारी कागज के कारखाना-बाह्य मूल्य में संशोधन से संबंधित ब्यौरे

मिल का नाम	संशोधन पूर्व मूल्य		संशोधन के बाद के मूल्य	
	49 जी० एस० एम०	52 जी० एस० एम०	49 जी० एस० एम०	52 जी० एस० एम०
नेपा मिल्क	—	8,560	—	12,000
मैसूर पेपर मिल्स	10,160	9,961	14,500	13,500
हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०	10,160	9,961	—	13,000
तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर लि०	10,893	10,694	14,700	13,700

उड़ीसा में कटक जिले के बौद्ध केन्द्रों का विकास

71. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उड़ीसा में कटक जिले में ललितगिरि, उदयगिरि और रत्नगिरि बौद्ध पर्यटन केन्द्रों में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु गठित कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने उड़ीसा के कटक जिले के ललितगिरि, रत्नगिरि एवं उदयगिरि

के बौद्ध केन्द्रों का सुनियोजित एवं समेकित विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से नगर एवं ग्राम आयोजना संगठन के माध्यम से एक मास्टर प्लान तैयार कराया है। यह मास्टर प्लान उड़ीसा राज्य सरकार को परियोजनाएं शुरू करने हेतु भेज दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) कृतिक बल ने आधार-संरचना, प्रचार एवं संवर्धन के विकास के लिए उड़ीसा में चार केन्द्रों यथा उदयगिरि, रत्नगिरि, ललितगिरि एवं धौली का पता लगाया है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने उड़ीसा सरकार से इन केन्द्रों पर पर्यटन आधार-सरचना के विकास के लिये वित्तीय सहायता हेतु विशिष्ट प्रस्तावों को निर्मित करने के लिये कहा है।

औषध कम्पनियों द्वारा अनअपेक्षित लाभ अर्जित करने के बारे में नियुक्त दल के निष्कर्ष

72. **श्री राम कुमार राय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने औषध कम्पनियों द्वारा अनअपेक्षित लाभ अर्जित करने की जांच करने के बारे में एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) इस दल ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) सरकार ने एक दल गठित किया है जो सरकार द्वारा विभिन्न औषध विनिर्माता कम्पनियों या औषध उद्योग संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों का अध्ययन करने के पश्चात् सरकार को सुझाव देगा ताकि डी०पी०सी०ओ०, 1979 के पैरा 7 (2) के अंतर्गत औषध विनिर्माता कम्पनियों के विरुद्ध उठाये गये दावों के बारे में समान रूप से लागू की जाने वाली नीति बनाई जा सके।

(ख) और (ग) इस दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और सरकार उसकी जांच कर रही है।

सहार हवाई अड्डे, बम्बई में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि

73. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व में सहार अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, बम्बई और सहार तथा सान्ताक्रुज (डोमेस्टिक) विमानपत्तन के बीच कितनी भूमि है;

(ख) इस भूमि में से कितने भूमि क्षेत्र पर अनधिकृत रूप से बसे लोगों, अतिक्रमण करने वालों का कब्जा है तथा कितने भू-क्षेत्र पर अवैध निर्माण, झोपड़ियां और स्लम हैं;

(ग) क्या वहां पर अतिक्रमणों में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो प्राधिकरण द्वारा इस मूल्यवान भूमि को प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) बम्बई एयरपोर्ट के अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल के पास लगभग 185 एकड़ भूमि तथा अंतर्देशीय टर्मिनल के पास 125 एकड़ भूमि भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व में है ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल के चारों ओर और अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्देशीय टर्मिनल के बीच लगभग 36.55 एकड़ भूमि अनधिकृत कब्जे में है;

(ग) श्रमिकों के शहर की ओर उन्मुख होने के कारण अनधिकृत कब्जे की समस्या लगातार चल रही है ।

(घ) अनधिकृत भूमि को वापस लेने के लिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने महाराष्ट्र आवास विकास प्राधिकरण के पास 1.00 करोड़ रुपए की राशि जमा की है जिससे अधिकृत कब्जे वालों के स्थानांतरण और पुनर्वास का खर्च पूरा किया जा सके ।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के उत्पादों का विपणन

74. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग का विचार अपने उत्पादों के विपणन के लिए अपना निजी निगम स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग पुनरीक्षा समिति ने एक विपणन विकास निगम की स्थापना करने की सिफारिश की थी । इस सुझाव को ग्रामीण औद्योगिकीकरण संबंधी उद्योग मंत्रियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भी रखा गया था । तथापि कोई विशेष प्रस्ताव अभी तक नहीं बनाया गया है । इस समय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत देश में बिक्री केन्द्रों के विशाल नेटवर्क को और मजबूत किया जा रहा है ।

गोआ के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजना

75. **श्री शांताराम नायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक या एक से अधिक योजनाएं लागू की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले दो वर्षों के दौरान क्या लक्ष्य प्राप्त किये गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां ।

(ख) गोआ में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले निम्नलिखित ग्रामीण उद्योगों को कार्यान्वित किया जा रहा है । वर्ष 1986-87 और 1987-88 के उत्पादन तथा रोजगार के ब्यौरे प्रत्येक उद्योग के सामने दिये गये हैं :

उद्योग का नाम	उत्पादन (रुपये लाख में)		रोजगार (संख्या में)	
	1986-87	1987-88	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5
1. कुटीर मिट्टी बर्तन	13.44	14.71	116	153
2. चूना पत्थर निर्माण	3.62	3.81	62	65
3. कुटीर दियासलाई	1.80	1.76	45	25
4. बांस तथा बेंत	12.76	14.36	18	20
5. कत्था निर्माण	35.79	36.30	406	387
6. मधु-मक्खी पालन	0.03	0.03	28	28
7. घानी तेल	0.90	2.09	10	13
8. पाम गुड़	0.29	0.31	53	60
9. अनाज तथा दालों का संसाधन	49.34	61.19	513	785
10. वन्य पौधों तथा फलों का संचयन	0.05	0.05	4	4
11. फल तथा सब्जी संसाधन	—	0.10	—	6
12. फाइबर	9.20	8.73	619	369
13. कुटीर साबुन	2.70	4.90	12	13
14. कुटीर चमड़ा	26.66	27.13	45	24
15. अल्युमिनियम बर्तनों का निर्माण	—	1.59	—	2
16. बढ़ईगिरी तथा लुहारगिरी	84.02	108.00	719	794
योग	240.60	285.06	2650	2748
17. गोबर गैस संयंत्र (संख्या में)	28	10	8	3

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा टूथ पेस्ट और टूथ पाउडर का उत्पादन

76. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या उद्योग मंत्री बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा टूथ पेस्ट और टूथ पाउडर निर्माण के लिए उप-ठेका दिये जाने के बारे में 2 मई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7660 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोक आदेश को रद्द कराने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया स्थगन आदेश अभी भी लागू है। सरकारी वकील को स्थगन आदेश को रद्द कराने के लिए न्यायालय में जाने अथवा वैकल्पिक रूप में रिट याचिका का ही शीघ्रता से निपटान कराने की सलाह दी गई है।

लोअर पेरियार जल-विद्युत परियोजना को स्वीकृति

77. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की लोअर पेरियार जल-विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में दूरदर्शन केन्द्रों तथा आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

78. **श्री चन्द्र किशोर पाठक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का आठवीं योजनावधि के दौरान बिहार में किन-किन स्थानों पर दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या आठवीं योजनावधि के दौरान सहरसा में आकाशवाणी केन्द्र खोला जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्कीमें तैयार की जा रही हैं।

कोचीन हवाई अड्डे का विस्तार

[अनुवाद]

79. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** नागर विमानन और पर्यटन मंत्री कोचीन हवाई अड्डे के विस्तार के बारे में 27 फरवरी, 1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 76 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस प्रस्ताव की इस समय क्या स्थिति है; और

(ख) इसे कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) प्रस्ताव अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

केरल में नये विद्युत संयंत्रों की स्थापना

80. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक निश्चित समयावधि में प्रत्येक राज्य की ऊर्जा की मांग को पूर्ण रूप से पूरा करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, यो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में, जहां बिजली की अत्यधिक कमी है, तापीय, परमाणु और जल विद्युत के नये यंयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य तथा केन्द्रीय, दोनों क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता संवर्द्धन किया गया है। 22,245 मेगावाट के सातवीं योजना क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के बावजूद भी भारत की 13वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति ने सातवीं योजना अवधि के अन्त तक देश में लगभग 6 प्रतिशत ऊर्जा घाटे का अनुमान लगाया है। इस कमी को घटाने के लिए आठवीं योजना में लाभ देने हेतु लगभग 38,000 मेगावाट की क्षमता वाली नई विद्युत परियोजनाओं को अभिज्ञात किया गया है। आठवीं योजना के अन्त तक लगभग 1.9 प्रतिशत ऊर्जा कमी होने की प्रत्याशा है।

(ग) और (घ) अनन्तिम रूप में, आठवीं योजना अवधि के दौरान राज्य क्षेत्र में केरल में लगभग 532 मेगावाट की क्षमता लाभ प्राप्त करने हेतु ताप-विद्युत व जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, आठवीं योजना अवधि में लाभों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यमकुलम ताप विद्युत परियोजना (2×210 मेगावाट) को हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

कोयम्बतूर और त्रिवेंद्रम के लिए वायुदूत सेवायें

81. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बतूर और त्रिवेंद्रम को जोड़ने वाली वायुदूत सेवा की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) वायुदूत के पास इस समय उपलब्ध विमानन क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है और नई हवाई सेवाओं के उपलब्ध कराए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः वायुदूत के पास कोयम्बतूर और तिरुवनन्तपुरम के बीच सीधी हवाई सेवा उपलब्ध कराने की वायुदूत की तत्काल कोई योजना नहीं है।

पश्चिम बंगाल में मंगलपुर में एक नए उपनगर की स्थापना करना

82. श्री **अमर राय प्रधान** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने पश्चिम बंगाल में बर्दवान जिले के रानीगंज में मंगलपुर में एक नया उपनगर स्थापित करने की योजना पर आपत्ति व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) मंगलपुर के भूमि क्षेत्र में, जहां पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक नए उप-नगर को स्थापित करने का प्रस्ताव है, उच्च किस्म के कोयले के 71 मि० टन के भंडार प्राप्त होने की सम्भावना है। यदि उक्त भूमि क्षेत्र पर उप-नगर की स्थापना कर दी जाती है तो इस बहुमूल्य कोयले की निकासी नहीं हो सकेगी और इससे देश तथा राज्य की अर्थ-व्यवस्था को काफी क्षति होगी। अतः ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने उक्त उप-नगर को किसी अन्य वैकल्पिक भूमि पर स्थापित किए जाने का अनुरोध किया है।

दिल्ली-बागडोगरा मार्ग पर नई एयरबस ए-320 सेवा चलाना

83. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-बागडोगरा मार्ग पर एयरबस ए-320 चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यात्रियों की मांग को देखते हुए अभी दिल्ली और बागडोगरा के बीच ए-320 विमानों से हवाई सेवा शुरू करने का कोई औचित्य नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली

84. **डा० ए० के० पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि आयोग द्वारा सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित शिकायत निवारण प्रणाली की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड सहित सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों में इन सिफारिशों को लागू करने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) इस प्रणाली के बारे में अब तक क्या अनुभव रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित शिकायत निवारण प्रणाली विचाराधीन है।

क्षेत्रीय गैस ग्रिड्स

85. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक गैस से जिसका तेल के एक किफायती विकल्प के रूप में आविर्भाव हो रहा है, क्षेत्रीय गैस ग्रिड्स की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) उत्तर पूर्वी राज्यों को कवर करके क्षेत्रीय गैस ग्रिड का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए उत्तम किस्म के इंजन

86. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डीजल इंजन निर्माताओं को कहा है कि वे जापानी मूल के हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए उत्तम किस्म के इंजनों का निर्माण करें ताकि उनका आयात शीघ्र बंद किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति और कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार ने डीजल-इंजन विनिर्माताओं को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है। तथापि, जापान से सहयोग से हल्के वाणिज्यिक वाहनों के विनिर्माण हेतु विदेशी सहयोग प्रबन्धों में इंजन के विनिर्माण के लिए भी प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण का विचार है।

लघु ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति

87. **श्री मोहन भाई पटेल** :
श्री चिंतामणि जेना :
श्री अमरसिंह राठवा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई नई औद्योगिक नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) फैले हुए लघु ग्रामीण और कुटीर उद्योग के क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र उनके प्रयासों में मदद करता है।

औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 में सरकार की व्यापक औद्योगिक नीति के आधारभूत ढांचे की व्यवस्था है। इस दौरान औद्योगिक विकास की उत्पन्न हो रही आवश्यकताओं व चुनौतियों का सामना करने के लिए इस नीति में समायोजन किए हैं। अतिलघु तथा लघु उद्योग की काफी

समय से की जा रही इस मांग को ध्यान में रखते हुए कि उनके लिए अलग बैंक होना चाहिए, एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में संशोधन किया गया है जिसके फलस्वरूप यह सेवा उद्योगों सहित अपेक्षाकृत नये उद्योग को अपने कार्यक्षेत्र के अतर्गत ला सकेगा और इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रित किया जायेगा।

देश में लघु ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं, जिनमें संस्थागत सहायता और रियायती वित्त, उत्पाद शुल्क के लाभ, एकमात्र उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण करके विपणन की सहायता, लघु एककों से एकमात्र आंशिक खरीद करने के लिए वस्तुओं का आरक्षण, किराया खरीद के आधार पर मशीनें, तकनीकी परामर्श सेवाएं, परीक्षण सुविधाएं, सामान्य सुविधा सेवाएं, औद्योगिक स्थान व अन्य आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान जैसे प्रोत्साहन एवं रियायतें शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित कई वस्तुओं के लिए राजकोषीय रियायतें मंजूर की गयी है।

ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रक्रिया को गति देने के लिए राज्य सरकारों को (क) के० वी० आई० क्षेत्र द्वारा संवर्धित उद्योगों का दिशांतरण करने की कारंवाई करने, (ख) यदि आवश्यक हो, तो समूह नीति अपनाकर गांवों के विस्तार क्षेत्र में वृद्धि करने, (ग) ग्रामीण विकास के कार्य में लगी क्षेत्र स्तर की एजेंसियों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने, और (घ) के० वी० आई० बोर्डों को सुदृढ़ करने की सलाह दी गई है ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह कुशलता से कर सकें।

जापान एयरलाइन्स बोइंग विमान की दुर्घटना में मरने वाले भारतीय यात्रियों के आश्रितों को मुआवजा

88. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में जापान एयरलाइन्स के बोइंग विमान की दुर्घटना में मरने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि इस विमान दुर्घटना में मरने वाले जापानी यात्रियों को भारतीय यात्रियों की तुलना में काफी अधिक मुआवजा दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने भारतीय यात्रियों के मामलों को निपटा दिया गया है;

(घ) अब तक निपटाए गए भारतीयों के मामलों में औसतन कितना मुआवजा दिया गया है;

(ङ) सभी यात्रियों में प्रत्येक मामले में औसतन कितना मुआवजा दिया गया; और

(च) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप किया है कि इस सम्बन्ध में भेदभाव न किया जाये और मामलों को शीघ्र निपटाया जाये ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तीन।

(ख) क्योंकि मुआवजे की सही-सही राशि एयरलाइन्स और मृतक के सम्बन्धियों के बीच

का मामला है इसलिए किसी भी राष्ट्रिकता के मृतक को दिए गए मुआवजे की जानकारी सरकार को नहीं दी गई है।

(ग) मुआवजे का दावा करने वाले तीनों भारतीय मृतकों के मामले जे० ए० एल० ने मृतकों के सम्बन्धियों के साथ 1985 के अन्त तक सीधे ही तय कर लिए थे।

(घ) सरकार को कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ङ) पता नहीं।

(च) तोक्यो स्थित भारतीय दूतावास ने मृतकों के सम्बन्धियों को मुआवजे की खासी रकम दिलाने के लिए कार्रवाई की थी।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा केबिन और खानपान सेवा के लिए निविदायें

89. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा स्टेशन-वार खरीदी गई केबिन और खान-पान सामग्री का मूल्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके सप्लाईकर्ताओं के नाम क्या हैं और उनके साथ करार किस-किस तारीख को किए गए;

(ग) क्या ये करार सीमित अथवा सार्वजनिक निविदाएं आमन्त्रित करने के बाद किए गए;

(घ) यदि सीमित निविदायें आमन्त्रित की गई तो प्रत्येक मामले में कितनी पार्टियों को निविदा भेजने हेतु आमन्त्रित किया गया;

(ङ) यदि सार्वजनिक निविदाएं आमन्त्रित की गई, तो कितनी पार्टियों ने निविदाएं भेजी; और

(च) प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत कितने मामलों में निम्नतम दरों को स्वीकार नहीं किया गया और इसके क्या कारण थे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (च) अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रखे गए संलग्न विवरण में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8061/89**] 10,000 रुपये और उससे मूल्य अधिक मूल्य के आदेश इसमें लिए गए हैं तथा 10,000 रुपये से कम मूल्य के आदेशों को इसमें नहीं लिया गया है क्योंकि ऐसे लेन-देनों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है।

केरल में क्षेत्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण

90. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के किन-किन जिलों में त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन से प्रसारित किए जाने वाले क्षेत्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण अभी तक शुरू नहीं हुआ है;

(ख) इन जिलों में क्षेत्रीय प्रसारण कब तक शुरू हो जाएगा;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (घ) दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम से प्रसारित की जा रही क्षेत्रीय सेवा इस समय वायनाड, कन्नानोर तथा कासारगोड जिलों के लिए उपलब्ध नहीं है। केरल में क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवा को बढ़ाने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। कालीकट में वर्तमान अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के स्थान पर निर्माणाधीन उच्च शक्ति (10 किलोवाट) ट्रांसमीटर के लग जाने से इन तीन जिलों में से वायनाड तथा कन्नानोर के दो जिले पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवा के अन्तर्गत आ जाएंगे।

केरल में रसोई गैस की नई एजेंसियां

91. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान केरल में अब तक आबंटित की गई रसोई गैस की नई एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1989 के उत्तरार्ध के दौरान केरल में रसोई गैस की कुछ और एजेंसियां आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) केरल में 1989 (जून, 1989 तक) स्वीकृत की गई नई एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का ब्यौरा (आशयपत्र जारी कर दिए गए हैं) इस प्रकार है :—

1. कटागड्डा, जिला त्रिवेन्द्रम।

2. नीलाम्बर, जिल्ला मलापुरम।

3. मनन्तवड़ी, जिला वायनाड।

4. क्यूलोन, जिला क्यूलोन।

(ख) और (ग) 1988-89 तक की विपणन योजनाओं के अन्तर्गत तेल उद्योग द्वारा एल०पी०जी० वितरण केन्द्रों की अलाटमेंट के लिए 21 प्रस्ताव हैं (आशयपत्र जारी करना)। चूंकि एल० पी० जी० वितरण केन्द्र को देने से पूर्व विभिन्न प्रकार के कदम उठाने होते हैं इसलिए यह कहना सम्भव नहीं है कि 1989 के अगले छः महीनों के दौरान इनमें से कितने प्रस्ताव अलाट कर दिए जायेंगे। बकाया स्थानों का विवरण संलग्न है।

विवरण

1988-89 की विवरण योजना तक केरल के लिए नियोजित एल० पी० जी० वितरण केन्द्रों का ब्यौरा जिनमें तेल कम्पनियां आशयपत्र जारी करने के लिए प्रस्तावों को प्रोसेस कर रही है

क्र० सं० स्थान का नाम	जिला	स्थिति
1. कोचीन	कोचीन	दोबारा विज्ञापन दिया गया
2. कोडीयारी	केनोरा	अन्तिम पैनल प्राप्त हो गया
3. कराटूपट्टा पूंजाए	कोटयाम	इंटरव्यु ले ली गई
4. कालीकट	कालीकट	विज्ञापन दिया गया
5. क्यूलोन	क्यूलोन	—वही—
6. कूयूपरम्बा	केन्नौरा	तेल चयन बोर्ड (दक्षिण) के पास पैंडिग
7. कूनामंगलम	कूजीकोडे	विज्ञापन दिया जाना है
8. अरूर	ऐलीपी	तेल चयन बोर्ड (दक्षिण) के पास पैंडिग
9. मल्लापेली	पेथामथिटा	—वही—
10. मन्नार	ऐलीपी	—वही—
11. रानी	पथनम	विज्ञापन दिया जाना है
12. माला	त्रिचुर	ते०च०बो० को आवेदन भेज दिए गए
13. कोटयाम	कोटयाम	—वही—
14. चंगानाचेरी	कोटयाम	तेल कं० के पास आवेदन पड़े हुए हैं
15. वाडसेरी कारा	पेथनमथिटा	ते० च० बो० को आवेदन भेज दिए हैं
16. नीडू मूडी	ऐलीपी	तेल कं० के पास आवेदन पड़े हैं
17. कासरगोडे	कासरगोडे	—वही—
18. त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	अभी विज्ञापन दिया जाना है
19. कन्नूर	कन्नूर	—वही—
20. पायजानगाडी	कन्नूर	—वही—
21. त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	—वही—

उड़ीसा में बिजली की सम्भावित मांग और उसका उत्पादन

92. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उड़ीसा में आगामी पांच वर्षों के दौरान बिजली की कितनी राष्ट्रीय मांग और कितना उत्पादन होने की सम्भावना है;

(ख) क्या बिजली की उक्त सम्भावित मांग और उत्पादन को ध्यान में रखते हुए कितना निवेश किए जाने पर विचार किया गया था और क्या नई विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन मूल रूप से निर्धारित लागत और समय सीमा के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो इसका विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) इस समय निर्माणाधीन परियोजनाओं के अन्तर्गत बिजली की प्रति मेगावाट उत्पादन लागत कितनी होगी;

(ङ) नये संयंत्रों में बिजली उत्पादन की अपेक्षित क्षमता कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं तथा प्रत्येक संयंत्र की क्षमता क्या है; और

(च) नई परियोजनाओं में कितनी अधिक लागत और कितना अधिक समय लग रहा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 13वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति, जिसे सातवीं योजना विद्युत कार्यक्रम तथा वर्ष 2004-2005 तक संदर्शी मांग प्रक्षेपण करने को दृष्टि में रखते हुए मांग प्रक्षेपणों की समीक्षा हेतु फरवरी, 1986 में स्थापित किया गया था, ने 1994-95 के अन्त तक देश में तथा उड़ीसा में विद्युत की मांग तथा उपलभ्यता का पूर्वानुमान लगाया है जो कि निम्नलिखित प्रकार से है :—

	अखिल भारत (1994-95)	उड़ीसा (1994-95)
व्यस्ततमकालीन उपलभ्यता (मेगावाट)	61418	2596
व्यस्ततमकालीन आवश्यकता (मेगावाट)	72711	3283
कमी (मेगावाट)	11293	687
ऊर्जा उपलभ्यता (मेगावाट)	381856	13200
ऊर्जा आवश्यकता (मेगावाट)	384764	19267
कमी (मेगावाट)	2908	6067

(ख) (ग) और (घ) उपर्युक्त प्रक्षेपण सातवीं योजना विद्युत कार्यक्रम के आधार पर थे। एक अन्य समिति (14वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति) को हाल ही में आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के लिए विद्युत कार्यक्रम हेतु प्रस्तावों को दृष्टि में रखते हुए तथा वर्ष 2009-10 तक संदर्शी मांग प्रक्षेपण के लिए गठित किया गया है।

प्राय: मूल आकलनों से लागत बढ़ जाती है तथा समय अधिक लगता है, विशेषकर जल विद्युत परियोजनाओं के मामलों में निर्माण अवधि के दौरान सामान्य मूल्य-वृद्धि, परियोजनाओं

को क्रियान्वित करने में विलम्ब, अभिकल्प तथा निर्माण-कार्य क्षेत्र में परिवर्तनों आदि जैसे विभिन्न कारणों से ऐसा होता है। चूंकि नई परियोजनाएं क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति के पश्चात आठवीं योजना में हाथ में ली जायेंगी तथा आठवीं योजना विद्युत कार्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं, के बारे में इस समय यह इंगित करना व्यवहारिक नहीं है कि क्या नई परियोजनाएं पूर्ण होने पर मूल रूप में परिकल्पित लागत तथा समय-सूची के भीतर रहेंगी तथा विद्युत क्षेत्र पर क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।

(घ) विद्युत के उत्पादन की लागत संयंत्र की किस्म, यूनिट आमाप, प्रयुक्त ईंधन की कीमत तथा गुणवत्ता, ईंधन सप्लाई के स्रोत के सम्बन्ध में विद्युत केन्द्र का स्थल तथा एक वर्ष में प्रचालन घंटों आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित मामलों में यह भिन्न-भिन्न हो सकती है :—

गैस पर आधारित परियोजना	35.88 तथा 67.07 पैसे प्रति कि०वा० घं० के भीतर
कोयले पर आधारित	40.59 तथा 90.10 पैसे प्रति कि०वा० घं० के भीतर
जल विद्युत	18.90 तथा 60.00 प्रति कि०वा० घं० के भीतर

(ङ) आठवीं योजना में अनन्तिम रूप में लगभग 38,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के जोड़ने की परिकल्पना की गई है। स्कीम के ब्यौरे योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना विद्युत कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे देने के पश्चात् ही उपलब्ध होंगे।

पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास

93. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए वित्त पोषण हेतु कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करने के लिए रियायती वित्त, आयकर छूट, परिवहन सहायता (योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र) इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एककों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना, जिसके तहत उद्यमी श्रेणीकृत दरों पर केन्द्रीय राज सहायता पाने के पात्र थे, को 30 सितम्बर, 1988 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। ब्यौरेवार सूचना "पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए प्रोत्साहन (20 अक्तूबर, 1986 तक संशोधित)" नामक पुस्तिका में उपलब्ध है जिसकी प्रतियां संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

सरकार ने निर्णय लिया है कि पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण विकास केन्द्र के जरिये किया जाएगा। इसी को ध्यान रखकर आगामी पांच वर्षों में या इसी के आसपास की अवधि में 100 विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में 61 विकास केन्द्र स्थापित

किये जायेंगे। इन विकास केन्द्रों को जो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए चुम्बक का कार्य करेंगे, देश में उपलब्ध बेहतर मूल संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जायेंगी जो विशेषकर बिजली, पानी, दूरसंचार और बैंकिंग से सम्बन्धित होंगी। प्रत्येक विकास केन्द्र को बढ़िया आधारभूत सुविधाएं जुटाने के लिए लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये की निधि प्रदान की जाएगी।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ऊनी डूंस संबंधी सामग्री की खरीद

94. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पूर्वी क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र द्वारा ऊनी डूंस सम्बन्धी सामग्री के बारे में 9 मई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8688 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस के अन्य क्षेत्रीय व्यापारिक केन्द्रों द्वारा भी डूंस सामग्री की खरीद के क्रयादेश गैर-सरकारी पार्टियों को भी दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक केन्द्र द्वारा दिए गए क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है और उक्त खरीद कुल कितनी मात्रा तथा किस दर पर की गई तथा इसकी सप्लाई किन-किन स्रोतों से की गई;

(ग) क्या इसकी सप्लाई में काफी विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक केन्द्र द्वारा माल की सुपुर्दगी के लिए निर्धारित की गई समय-सारिणी का ब्यौरा क्या है और माल की सुपुर्दगी वास्तव में कब-कब की गई;

(ङ) क्या मैसर्स रामाकृष्णा एजेंसीज, कलकत्ता ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पूर्वी क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र को अपने माल की पूरी सप्लाई कर ली है; और

(च) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के सभी क्षेत्रीय व्यापार केन्द्रों से सूचना एकत्र करने में लगने वाला समय और श्रम वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के अनुरूप नहीं होगा।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में ऊना में गैस एजेंसी का आबंटन

95. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऊना में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को गैस एजेन्सी के आबंटन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा एजेंसी का आबंटन कब तक कर दिया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त): (क) जी, हां।

(ख) चूंकि ऊना के लिए 1982-84 भाग-1 की विपणन योजना के अधीन "अ० जा०" श्रेणी में आशय पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है इसलिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक पूर्ति निगम के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है।

शरण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाने के मामले में एयर इण्डिया पर जुर्माना

96. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना की अवधि के दौरान किसी अन्य देश की सरकारों ने उक्त देश में शरण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को अवैध रूप से लाने के मामले में एयर इण्डिया पर जुर्माना किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि का जुर्माना किया गया तथा ऐसी प्रत्येक सरकार के मामले में तत्सम्बन्धी अन्य ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) संघीय गणराज्य जर्मनी, अमरीका और यू० के० सरकार ने अनुचित दस्तावेजों के साथ यात्रियों को लाने के लिए जुर्माना किया है। जनवरी, 1987 से मई, 1989 तक एयर इण्डिया ने सम्बन्धित सरकारों को क्रमशः डी० एम० 16,009 अमरीकी डालर 7000 और पौंड 178000 का जुर्माना दिया है।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटक स्थलों का विकास

97. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक उनके मंत्रालय अथवा भारत पर्यटन विकास निगम ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विकसित किए गए पर्यटक स्थलों और वर्ष 1989-90 के दौरान विकसित किए जाने वाले पर्यटक स्थलों का ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के प्रत्येक वर्ष में जिले-वार प्रत्येक पर्यटक स्थल के विकास के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई और कितनी धनराशि खर्च की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग संभावित पर्यटक स्थलों के विकास हेतु वित्तीय सहायता में वृद्धि राज्य/स्कीम-वार आधार पर करता है न कि जिलावार आधार पर।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में अब तक स्वीकृत परियोजनाओं/स्कीमों की सूची निम्नलिखित है :—

(लाख रुपये मे)

क्र०सं० परियोजना/स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	अब तक रिलीज की गई राशि
1. सरहन में ट्रैकर्स हट्स का निर्माण	18.00	16.00
2. हटकोटी एवं चिन्तापूर्णी में पर्यटक लाज (मूलत: 10 लाख रुपए की लागत पर स्वीकृत की गई जिसे बाद में बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया)	20.00	4.00
3. सुकेती में फोसिल पार्क का विकास	9.71	5.00
4. मनाली में पर्यटक होस्टल का निर्माण	38.00	10.00
5. मेले एवं त्यौहारों हेतु उपकरणों की खरीद	1.60	1.44
6. रेवालसर में पर्यटक सराय का निर्माण	12.05	10.00
7. चामुंडा देवी में पर्यटक सराय का निर्माण	18.26	7.00
8. कुल्लु, किन्नौर एवं चम्बा जिले में ट्रैकर्स हट्स का निर्माण	15.90	7.00
9. ट्रेकिंग उपकरणों की खरीद	5.20	4.68

चालू वर्ष के दौरान, वित्तीय स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर विभाग द्वारा गुणवत्ता, धन की उपलब्धता एवं परस्पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।

आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन

98. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयोडीन युक्त नमक का अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना है और उसकी वार्षिक मांग कितनी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 में आयोडीन युक्त नमक का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या वर्ष 1988-89 में इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ङ) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या विविध उत्पाद किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) पूर्ववर्ती कुछ वर्षों में आयोडीनयुक्त नमक की मांग तथा उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के उत्पादन तथा मांग सम्बन्धी आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	मांग	उत्पादन
1986-87	7 लाख मी० टन	7.73 लाख मी० टन
1987-88	12 लाख मी० टन	16.87 लाख मी० टन
1988-98	22 लाख मी० टन	21.90 लाख मी० टन

1988-89 में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में 29.8% की वृद्धि हुई है।

(ङ) आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए गए। इनमें निजी क्षेत्र की कम्पनियों को आयोडीन युक्त नमक का निर्माण करने के लिए अनुमति, आयोडीकरण के लिए प्रयुक्त पोटाशियम आयोडेट नामक रसायन की लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए आयोडीन युक्त नमक निर्माताओं को 20 रु० प्रति मी० टन की दर से राज सहायता प्रदान करना, आयोडीन युक्त नमक को रेल से लाने ले जाने के लिए प्राथमिकता प्रदान करना, राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए नमक उद्योग को प्राथमिकता क्षेत्र उद्योग घोषित करना, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन करके उत्पादन तथा गुणवत्ता में कार्यरत कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

सरकारी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपना

99. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ दल

100. **श्री पूर्ण चन्द मलिक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों की वर्तमान पर्यावरणीय स्थिति का आकलन करने हेतु किन्हीं विशेषज्ञ दलों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दोनों कोयला क्षेत्रों की पर्यावरणीय स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों के लिए अग्रिम पर्यावरणीय प्रबन्ध योजनाओं को तैयार करने के लिए दो विशेषज्ञ दलों के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) कोयला खानों को विकसित करने के पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन;

(2) खनन क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप भूमि के विकृत स्वरूप को न्यूनतम करने के लिए उपाय सुझाना और वनरोपण के लिए योजना को अन्तिम रूप दिया जाना;

(3) कोयला कम्पनियों द्वारा उठाए जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सुझाना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खनन क्रियाकलाप अनुकूल पर्यावरणीय तरीके से किया जा रहा है;

(4) एक संघटनात्मक ढांचे का सुझाव जोकि भूमि सुधार और वनरोपण संबंधी कार्रवाही में तेजी ला सके।

झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों से सम्बन्ध में अग्रिम पर्यावरणीय योजना दलों की रिपोर्ट उपलब्ध हो गई है। इन एकीकृत योजनाओं को पर्यावरण और वन मंत्रालय की जांच के लिए भेज दिया गया है।

यात्रियों को शिकायतों के कम से कम अवसर देना

101. **श्री के० प्रधानी :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री चिन्तामणि जेना :
श्री सोहनभाई पटेल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स ने ऐसी कोई योजना बनाई जिससे यात्रियों को शिकायतों के कम से कम अवसर मिल सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स के विरुद्ध शिकायतों को कम करने के लिए जो निगम के लिए चिन्ता का विषय है उच्च प्रबन्धकों ने यात्रियों को और बेहतर देख-भाल पर जोर देने के उद्देश्य से परिचालन नीति बनाने के लिए क्षेत्रीय स्तर के प्रबन्धकों के साथ कई बैठकें आयोजित की हैं। उत्तरी क्षेत्र के सभी स्टेशन प्रबन्धकों ने उच्च प्रबन्धकों के साथ हाल ही में मुलाकातें की हैं तथा इसी प्रकार की बैठकें अन्य क्षेत्रों के लिए भी आयोजित की जाएंगी। कर्मचारी व्यवहार, सामान तथा माल की उचित संभाल, चोरी और उठाईगीरी को रोकने के लिए तीव्र सतर्कता, समय पर तथा ठीक उड़ान सूचना, सामान की तेजी से डिलिवरी, उड़ानगत भोजन की गुणवत्ता आदि पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

उड़ीसा में आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना करना

102. **श्री के० प्रधानी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा में नये आकाशवाणी केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे तथा प्रत्येक केन्द्र की प्रसारण क्षमता कितनी होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बारीपाड़ा में 2 × 3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटरों और बहु-उद्देश्यीय स्टूडियो के साथ एक नया रेडियो स्टेशन चालू किए जाने का विचार है।

झारसुगुडा हवाई पट्टी का विकास

103. **श्री के० प्रधानी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में झारसुगुडा हवाई पट्टी के विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा और अधिक एयरबसें खरीदना

104. **श्री मोहनभाई पटेल :**
श्री चिंतामणि जेना :
डा० कृपासिंधु भोई :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस द्वारा और अधिक एयरबसें खरीदने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव क्या था और इसे स्वीकार न करने के क्या कारण हैं;

(ग) इंडियन एयरलाइंस के पास इस समय कितने विमान हैं;

(घ) क्या ये विमान आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इंडियन एयरलाइंस को और अधिक विमान खरीदने की अनुमति देने पर विचार करेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स के वर्तमान बेड़े की स्थिति इस प्रकार है :—

विमान की किस्म	विमानों की संख्या
एयरबस ए 320	3
एयरबस ए 300	11 (जिसमें पट्टे पर लिया गया एक विमान शामिल है)
बी 737	30 (जिसमें पट्टे पर लिए गए 6 विमान शामिल हैं)
एच० एस० 748	3 (वायुदूत को अस्थायी रूप से पट्टे पर दिए गए)
एफ० 27	4 (जिसमें तट रक्षकों को पट्टे पर दिए गए 2 विमान शामिल हैं)
जोड़	51

(घ) जी नहीं।

(ङ) सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स को 31 एयरबस ए 320 विमान प्राप्त करने के लिए पहले से ही अनुमति दे दी है।

रसोई गैस के नये कनेक्शन दिया जाना

105. **श्री प्रतापराव बी० भोसले :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गत छः वर्षों से पंजीकृत व्यक्तियों को गैस वितरकों द्वारा रसोई गैस के कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) पंजीकृत व्यक्तियों को रसोई गैस के कनेक्शन शीघ्र दिलाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) दिल्ली में एल० पी० जी० कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में वे भी कुछ व्यक्ति है जिन्होंने छः वर्ष पहले पंजीकरण कराया था।

(ख) और (ग) तेल उद्योग द्वारा दिल्ली सहित पूरे देश में उपभोक्ताओं के नामांकन के अपने वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से नये एल० पी० जी० कनैक्शन जारी करने का काम किया जाता है बशर्ते कि एल० पी० जी० की उपलब्धता में वृद्धि हो।

विश्व बैंक द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को मंजूर ऋण का भुगतान रोकना

106. **श्री प्रताप राव बी० भोसले :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को मंजूर किये गये ऋण का भुगतान रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को यह ऋण किन परिस्थितियों में मंजूर किया गया था; और

(ग) ऋण की बहाली हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मई, 1987 में विश्व बैंक दिल्ली के चारों ओर 400 के० वी० पारेषण लाइन हेतु डेसू के लिए 60 मिलियन अमरीकी डालर सहित राष्ट्रीय राजधानी विद्युत आपूर्ति परियोजना के लिए 485 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण देने के लिए सहमत हो गया। विश्व बैंक के साथ हुए समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह यह अनुबंध किया गया है कि डेसू अपनी वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने तथा फरवरी, 1989 तक डेसू की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए बैंक को एक संतोषजनक योजना प्रस्तुत करने के उपाय करेगा। ऐसी योजनाओं, जिनमें बहुत से जटिल मुद्दों पर विचार किया जाना निहित है, के प्रतिपादन एवं उन्हें अन्तिम रूप देने में समय लगने के कारण विश्व बैंक ने 6 जनवरी, 1989 से प्रभावी डेसू को देय 60 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि के वितरण को रोक दिया है। डेसू की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कार्य योजना अभी तैयार की जा रही है।

राजकोट हवाई अड्डे पर मरम्मत कार्य

[हिन्दी]

107. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोट हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी का मरम्मत कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और वहां रात्रि में विमान उतरने की सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है;

(ख) हवाई अड्डे की दीवारों की मरम्मत का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) क्या हवाई अड्डे पर सामान लाने-ले-जाने की ट्राली की सुविधा भी उपलब्ध कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) विमान पट्टी विमान परिचालनों के लिए उपयुक्त है। एयरपोर्ट पर रात्रि अवतरण सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

(ख) सुरक्षा दीवार के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और इसके 12 महीनों में पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) राजकोट एयरपोर्ट पर सामान लाने-ले-जाने की ट्राली की सुविधा पहले ही प्रदान कर दी गई है।

गुजरात के राजकोट जिले में रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों का आबंटन

[अनुवाद]

108. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1986 से 30 जून, 1989 के दौरान गुजरात के राजकोट जिले तथा अन्य भागों में कुछ गैस एजेंसियां और पेट्रोल पम्प आबंटित किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न श्रेणियों अर्थात् महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं, नेत्रहीनों, बधिर और मूक व्यक्तियों, सहकारी समितियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए कितने-कितने पेट्रोल पम्प तथा रसोई गैस एजेंसियां आबंटित की गई हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा आवेदकों के नाम, स्थानों के नाम और उनकी श्रेणियां क्या-क्या थीं; और

(ङ) आबंटन के लिए क्या मानदन्ड अपनाया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) 1 जनवरी, 1985 से 30 जून, 1989 तक की अवधि के दौरान गुजरात राज्य में 77 खुदरा बिक्री केन्द्र (मोटर स्प्रिट/डीजल) अलाट किये गये। इनमें से 8 केन्द्र राजकोट जिले में अलाट किये गये। इसी अवधि के दौरान गुजरात में 40 एल० पी० जी० वितरण केन्द्र भी अलाट किये गये इनमें से 3 राजकोट जिले में थे। श्रेणीवार इनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

खुदरा बिक्री केन्द्र

	एस०सी०	एस०टी०	पी०एच०	यू०जी०	ओ०पी०	एफ०एफ०	डिफ/डी०जी०आर०	अन्य	जोड़*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गुजरात राज्य	14	21	11	9	19	3	—	—	77
राजकोट जिला	1	1	1	1	3	1	—	—	8
एल० पी० जी० वितरण केन्द्र									
गुजरात राज्य	1	6	3	8	8	1	5	8	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजकोट जिला	—	—	1	1	1	—	—	—	3

एस० सी० = अनुसूचित जाति

एस० टी० = अनुसूचित जनजाति

पी० एच० = शारीरिक रूप से विकलांग

यू० जी० = बेरोजगार स्नातक

ओ० पी० = ओपन

एफ० एफ० = स्वतन्त्रता सैनानी

डिफ/डी०जी०आर० = रक्षा/पुनर्वास महानिदेशालय

अन्य — एग्रो सर्विस केन्द्रों और सरकारी परियोजनाओं सहित महिलाओं, नेत्रहीनों बहरे और गूंगे व्यक्तियों, सहकारी समितियों और पिछड़ी जातियों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) तेल कम्पनियों द्वारा विशिष्ट स्थानों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। किसी एक समयावधि में प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या के बारे में इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

राजकोट, गुजरात में रसोई गैस के कनेक्शन देना

109. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट जिले के विभिन्न ताल्लुकों तथा अन्य स्थानों में 1 जनवरी, 1986 से 30 जून, 1989 के दौरान रसोई गैस के अनेक कनेक्शन दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो राजकोट जिले में गोंडल, मोरवी, जेतपुर, धोराजी और अन्य स्थानों में दिये गये इन कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्राप्त इनमें से प्रत्येक स्थान से ऐसे कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा कितनों को कनेक्शन दिये गये और कितनों को अभी तक नहीं दिये गये अथवा कनेक्शन देने के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(घ) गुजरात के राजकोट के इनमें से प्रत्येक स्थान में तथा अन्य जिलों में 1 जनवरी, 1987 से 31 दिसम्बर, 1990 के दौरान कितने गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सांभी छत में हुई हेलीकाप्टर दुर्घटना की जांच

110. **श्री ए० के० पटेल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** सांभी छत में पवनहंस के हेलिकाप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में 27 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3340 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांभी छत में 14 जुलाई, 1988 को दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलिकाप्टर की जांच पूरी हो गई है और इसको रिपोर्ट की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं;

(ग) जांच-निष्कर्षों के आधार पर सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं; और

(घ) चालक दल और अन्य कर्मचारियों सहित मारे गये व्यक्तियों के कानूनी वारिसों को प्रत्येक मामले में मुआवजे की कितनी-कितनी धनराशि दी गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जांच पूरी कर ली गई है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

(घ) एक कर्मीदल सदस्य के मामले में 3 लाख रुपये का मुआवजा दे दिया गया है। दूसरे कर्मीदल के सदस्य को जो पवन हंस में प्रतिनियुक्ति पर था, उसके मूल कार्यालय द्वारा मुआवजा दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पवन हंस ने उसके निकटतम रिश्तेदार को अनुग्रहपूर्वक अदायगी के रूप में एक लाख रुपया दिया है।

तीन यात्रियों के मामले में प्रत्येक को पहले से ही 3 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया है। शेष दो मामलों में, प्रत्येक के निकटतम रिश्तेदारों को 3 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अनुसंधान और विकास कार्य

111. **श्री पी० कुलनदईवेलू** :
श्री अनन्त प्रसाद सेठी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने विदेशी तकनीकी जानकारी पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से एकीकृत अनुसंधान और विकास कार्यों की योजना बनाई है;

(ख) आठवीं योजना में अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग "बायो-टेक्नालाजी" और "जिओ-टेक्नालाजी" के लिए असम में एक संस्थान स्थापित किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजनावधि मे अनुसंधान और विकास पर खर्च होने वाली धनराशि को अंतिम रूप तब दिया जायेगा जब आठवीं पंचवर्षीय योजना को समग्रतः अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ग) जी, हां।

कलकत्ता-बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पम्प

112. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कलकत्ता-बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर और अधिक पेट्रोल और डीजल पम्प खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) तेल उद्योग की कलकत्ता-बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1987-88 तक की खुदरा विपणन योजनाओं के अन्तर्गत 25 और खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की योजनाएं हैं । इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

क्रम सं०	स्थान	जिला	राज्य
1	2	3	4
1.	अनुकुरहटी	हावड़ा	पश्चिम बंगाल
2.	एन० एच० 6 हावड़ा	हावड़ा	पश्चिम बंगाल
3.	गुप्तमनी	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल
4.	बसना	रायपुर	मध्य प्रदेश
5.	राजनन्द गांव	राजनन्दगांव	मध्य प्रदेश
6.	रायपुर	रायपुर	मध्य प्रदेश
7.	बरगढ़	सम्बलपुर	उड़ीसा
8.	जमनकीरा	सम्बलपुर	उड़ीसा
9.	बदनेरा भोलजी एन० एच० 6 पर	बुलदाना	महाराष्ट्र
10.	एन० एच० 6 पर 25 से 29 कि० मी०	हावड़ा	पश्चिम बंगाल
11.	एन० एच० 6 पर 132-136 कि० मी० के बीच	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल
12.	लोधासूली	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल
13.	अंजूर (ईस्ट)	थाणे	महाराष्ट्र
14.	बिल्लोहोली	नासिक	महाराष्ट्र
15.	दुर्ग	दुर्ग	मध्य प्रदेश
16.	तेलीबन्दा	रायपुर	मध्य प्रदेश
17.	अट्टाबीरा	सम्बलपुर	उड़ीसा

1	2	3	4
18.	देवरा	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल
19.	दोलिया	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल
20.	आलमपुर	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल
21.	लोडासुल्ली	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल
22.	लविशन झापरोडा	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल
23.	उनसानी	हावड़ा	पश्चिम बंगाल
24.	चरोडा	दुर्ग	मध्य प्रदेश
25.	सपेला	दुर्ग	मध्य प्रदेश

मेहसाणा-साबरमती परियोजनाओं के लिए श्रमिकों की भर्ती

113. **श्री हरुभाई मेहता : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अपनी मेहसाणा-साबरमती परियोजनाओं में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नियोजन का कार्यभार कुछ सहकारी समितियों को सौंपा है; और

(ख) यदि हां, तो सहकारी समितियों के माध्यम से नियोजित श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी, अन्य भत्तों की दरें एवं अन्य सुविधाएं क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) कम प्रौद्योगिकी वाले जिन कार्यों की तेल की खोज सम्बन्धी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रमुख कार्यों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, उनके सम्बन्ध में काम करने के ठेके तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सहकारी समितियों को देता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ऐसे कार्यों के ठेके मेहसाणा में 9 सहकारी समितियों को तथा अहमदाबाद (साबरमती परियोजना) में 7 सहकारी समितियों को ठेके दिए गए। सहकारी समितियों द्वारा लगाए गए कामगारों को मजदूरी और अन्य सुविधाएं सम्बन्धित सहकारी समिति द्वारा दी जाती हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग केवल यह सुनिश्चित करता है कि दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम न हो। ये दरें इस प्रकार हैं :—

	मेहसाणा परियोजना	अहमदाबाद परियोजना
अकुशल	22.65	21.45
अर्धकुशल	23.90	22.70
कुशल	26.40	कोई भी कुशल श्रमिक नही रखा गया।

टायर उद्योग को लाइसेंसमुक्त करना

114. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या टायर मूल्यों पर से नियंत्रण भी हटा लिया गया है; और

(घ) क्या इससे टायर उद्योग में मूल्य-वृद्धि की प्रवृत्ति में गिरावट आयगी ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार ने आटोमोबील टायर तथा ट्यूब उद्योग को लाइसेंस-मुक्त कर दिया है ताकि बाजार संगठनों का निर्बाध व्यापार करने की अनुमति देने के उद्देश्य से अतिरिक्त क्षमता सृजन को प्रोत्साहित किया जा सके।

(ग) और (घ) टायर मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है।

कश्मीर में देशी पर्यटक

115. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस ग्रीष्म ऋतु में कश्मीर में देशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उनकी संख्या में कितनी कमी हुई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) राज्य सरकार से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उन स्वदेशी पर्यटकों की संख्या जिन्होंने 1989 और 1988 के दौरान अप्रैल और मई के ग्रीष्म महीनों में कश्मीर घाटी की यात्रा की, निम्नलिखित है :—

महीना	स्वदेशी पर्यटकों की संख्या	
	1989	1988
अप्रैल	33,897	52,459
मई	64,514	110,099

गिरावट मुख्यतः घाटी में साम्प्रदायिक गड़बड़ियों, रोगों एवं कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं के प्रतिकूल प्रचार के कारण हुई है।

कनाडा की तेल कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करना

116. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा की तेल कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई भारतीय प्रतिनिधिमंडल कनाडा की यात्रा पर गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) पारस्परिक सहयोग की आगे बढ़ाये जाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए हाल ही में एक भारतीय शिष्टमण्डल ने कनाडा का दौरा किया था। पारस्परिक सहयोग के कतिपय संभावित क्षेत्रों का पता लगाया गया है। संभव वित्तीय सहायता के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया था। इस सम्बन्ध में आगे विचार-विमर्श के लिए आने वाले महीनों में कनाडा के शिष्टमण्डल के भारत की यात्रा पर आने की आशा है।

उत्तर प्रदेश में फूलपुर में भारी उद्योग की स्थापना

[हिन्दी]

117. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के फूलपुर क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित करने की दृष्टि से उस क्षेत्र का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) अब तक उठाये अनुवर्ती कदमों में कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

118. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया; और

(ख) उत्तर प्रदेश इस काम में किन कारणों से पिछड़ गया है तथा राज्य में विद्युतीकरण कार्यक्रम में क्या बाधाएं आ रही हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 31-5-1989 की स्थिति के अनुसार देश में 4,56,172 बसे हुए गांवों को विद्युतीकृत किया गया है। 31-5-1989 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में 78,599 बसे हुए गांवों को विद्युतीकृत किया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में बताई गई कुछ बाधाएं ये हैं—अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्राथमिक पारेषण प्रणाली का न होना तथा क्रान्तिक सामग्री में कमी।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का वेस्टलैंड डब्ल्यू एल-30 बेड़ा

119. **चौधरी खुर्शीद अहमद** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से उड़ान भरने वाले पवनहंस के वेस्टलैंड डब्ल्यू एल-30 बेड़े के अधिकांश हेलीकाप्टर पुर्जों के अभाव में बेकार पड़े हैं जिसके कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हेलीकाप्टर कब से बेकार पड़े हैं तथा पुर्जों को प्राप्त करने में हो रही देरी के क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को अनुमानत: कितनी हानि हो रही है; और

(घ) सरकार द्वारा बेड़े की अपेक्षित मरम्मत हेतु पुर्जों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

घटिया स्तर के इस्पात के बर्तनों का उपयोग

120. **चौधरी खुर्शीद अहमद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों मे थोक बाजार में घटिया एवं निम्न स्तर के इस्पात के बर्तनों की भरमार हो गई है जिसका उपयोग विषाक्तता पैदा कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक, घटिया एवं निम्न स्तर के इस्पात के बर्तनों के निर्माताओं का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) अपेक्षित गुणवत्ता बनाये रखने एवं इस संबंध में निर्धारित मानदंडों को कड़ाई से लागू करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) देश में बेचे जा रहे इस्पात के बर्तनों की घटिया किस्म के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) बी० आई० एस० ने इस्पात के बर्तनों के सम्बन्ध में कई भारतीय मानक बनाये हैं ताकि निर्माता उत्पाद की गुणवत्ता बनाये रखे । इसके अलावा, घटिया किस्म के इस्पात के बर्तनों की आपूर्ति, यदि कोई हो, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं, पर पी० एफ० ए० नियमावली 1955 के नियम 49 (2) के उपबंधों के अधीन नियंत्रण रखा जाता है ।

टायर का मूल्य

121. **चौधरी खुर्शीद अहमद** :
श्री हेत राम :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार के वाहनों के टायरों के मूल्यों में वर्ष 1986 से 1989 के दौरान आज तक कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) आटोवाहन टायरों के मूल्यों में उत्तरोत्तर हो रही वृद्धि को देखते हुए और विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुये कि लाइसेंस समाप्त करने से टायरों के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, टायर उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने के क्या तर्क हैं;

(ग) क्या सरकार का टायरों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिये मौजूदा उत्पादन क्षमता का विस्तार करने तथा सरकारी क्षेत्र में और अधिक टायर उत्पादन एकक स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मोटरगाड़ी टायर निर्माता संघ (ए० टी० एम० ए०) के अनुसार, विभिन्न प्रकार के टायरों के शुद्ध डीलर मूल्यों में निर्माताओं ने अप्रैल-मई, 1986 में लगभग 5 प्रतिशत, जुलाई, 1987 में 7 प्रतिशत, अक्तूबर, 1988 में 6 प्रतिशत और जून, 1989 में 4 प्रतिशत वृद्धि की थी।

(ख) मोटरगाड़ी टायरों के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। अतिरिक्त क्षमता के सृजन को बढ़ावा देने के लिए मोटरगाड़ी टायर व ट्यूब उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है ताकि बाजार में निर्बाध करोबार हो सके।

(ग) और (घ) विद्यमान क्षमता में विस्तार करने या सरकारी क्षेत्रों में टायरों का निर्माण करने वाले और एकक खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है।

राज्यों में बिजली की मांग और पूर्ति

122. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार तथा राज्य-वार बिजली की मांग और पूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) बिजली की कमी पूरी करने के लिए क्या प्रयास किए गए तथा इस संबंध में क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिये किये जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं :—नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना, लघु निर्माणावधि वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, मांग प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना और फालतू विद्युत वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों की ऊर्जा का अन्तरण करना। उपर्युक्त उपायों के फलस्वरूप देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

विवरण

वर्षवार वास्तविक विद्युत सप्लाई की स्थिति
1986-87 से 1988-89 (सभी आंकड़े मि० यू० निवल में)

	1986-87	1987-88	1988-89
उत्तरी क्षेत्र			
चण्डीगढ़			
मांग	432	424	474
उपलब्धता	401	423	474
कमी	31	1	0
(%)	7.2%	0.2%	0.0%
दिल्ली			
मांग	5676	6435	7065
उपलब्धता	5674	6332	7020
कमी	2	103	45
(%)	0.0%	1.6%	0.6%
हरियाणा			
मांग	5945	7042	7073
उपलब्धता	5147	6106	6796
कमी	798	936	277
(%)	13.4%	13.3%	3.9%
हिमाचल प्रदेश बी० एस० एल० सहित			
मांग	925	1094	1146
उपलब्धता	922	1073	1140
कमी	3	21	6
(%)	0.3%	1.9%	0.5%
जम्मू व कश्मीर			
मांग	2055	2316	2775
उपलब्धता	1820	2060	2199
कमी	235	256	576
(%)	11.4%	11.1%	20.8%

	1986-87	1987-88	1998-89
(उत्तरी क्षेत्र (क्रमशः)			
पंजाब एन० एफ० एफ० सहित			
मांग	11679	12906	13304
उपलब्धता	11197	12058	13098
कमी	482	848	206
(%)	4.1%	6.6%	1.5%
राजस्थान			
मांग	8090	8854	9377
उपलब्धता	7448	7885	9169
कमी	642	969	208
(%)	7.9%	10.9%	2.2%
उत्तर प्रदेश			
मांग	20204	23820	24300
उपलब्धता	17198	19864	21733
कमी	3006	3956	2567
(%)	14.9%	16.6%	10.6%
उत्तरी क्षेत्र			
मांग	55006	62891	65514
उपलब्धता	49807	55801	61629
कमी	5199	7090	3885
(%)	9.5%	11.3%	5.9%
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात			
मांग	15968	18164	18854
उपलब्धता	15431	17419	18578
कमी	537	747	276
(%)	3.4%	4.1%	1.5%
मध्य प्रदेश			
मांग	12781	14047	14900

	1986-87	1987-88	1988-89
पश्चिमी क्षेत्र (क्रमशः)			
उपलब्धता	12781	13494	14395
कमी	0	553	505
(%)	0.0%	3.9%	3.4%
महाराष्ट्र			
मांग	28945	30924	32858
उपलब्धता	27051	29111	31899
कमी	1894	1813	959
(%)	6.5%	5.9%	2.9%
पश्चिमी क्षेत्र			
मांग	57694	63135	66612
उपलब्धता	55263	60024	64872
कमी	2431	3111	1740
(%)	4.2%	4.9%	2.6%
दक्षिणी क्षेत्र			
आन्ध्र प्रदेश			
मांग	15057	16636	17901
उपलब्धता	15057	14693	16166
कमी	0	1943	1735
(%)	0.0%	11.7%	9.7%
कर्नाटक			
मांग	14163	15185	16290
उपलब्धता	10350	10556	11911
कमी	3813	4629	4379
(%)	26.9%	30.5%	26.9%
केरल			
मांग	5567	6135	6645
उपलब्धता	5146	5196	5794
कमी	421	939	851
(%)	7.6%	15.3%	12.8%

	1986-87	1987-88	1988-89
तमिलनाडु			
मांग	16391	17330	19095
उपलब्धता	14983	15482	17810
कमी	1408	1848	1289
(%)	8.6%	10.7%	6.7%
दक्षिणी क्षेत्र			
मांग	51178	55286	59931
उपलब्धता	45536	45927	51681
कमी	5642	9359	8250
(%)	11.0%	16.9%	13.8%
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार			
मांग	4877	5135	5670
उपलब्धता	3564	4179	5217
कमी	1313	956	453
(%)	26.9%	18.6%	8.0%
डी० वी० सी०			
मांग	6928	7085	7155
उपलब्धता	5806	6484	6223
कमी	1122	601	932
(%)	16.2%	8.5%	13.0%
उड़ीसा			
मांग	6328	6880	7180
उपलब्धता	4807	5683	5839
कमी	1521	1197	1341
(%)	24.0%	17.4%	18.7%
पश्चिम बंगाल			
मांग	8416	8460	8680

	1986-87	1987-88	1988-89
उपलब्धता	7683	7859	8075
कमी	733	601	605
(%)	8.7%	7.1%	7.0%
पूर्वी क्षेत्र			
मांग	26549	27560	28685
उपलब्धता	21860	24205	25354
कमी	4689	3355	3331
(%)	17.7%	12.2%	11.6%
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र			
मांग	1929	2121	2452
उपलब्धता	1810	2019	2373
कमी	119	102	79
(%)	6.2%	4.8%	3.2%
अखिल भारत			
मांग	192356	210993	223194
उपलब्धता	174276	187976	205909
कमी	18080	23017	17285
(%)	9.4%	10.9%	7.7%

पश्चिम बंगाल में तेलशोधक कारखाने की स्थापना

123. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में एक और तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन धारावाहिकों की लोकप्रियता

124. **श्री राम भगत पासवान : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1988-89 के दौरा दूरदर्शन से प्रसारित धारावाहिकों की लोकप्रियता के बारे में जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से सबसे अधिक लोकप्रिय पांच धारावाहिकों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या कुछ धारावाहिक प्रसारण हेतु लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इसमें कोई ऐसा धारावाहिक भी शामिल है जो पहले लोकप्रिय था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। सर्वाधिक लोकप्रिय पांच धारावाहिक निम्नलिखित हैं :—

(1) महाभारत

(2) उत्तर रामायण

(3) जीवन रेखा

(4) डाक्टर साहब

(5) किस्सा शांति का

(ग) इस समय 26 धारावाहिक, जिन सभी के लिए समय और तारीख दी जानी है, प्रसारण की प्रतीक्षा में हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दूरदर्शन प्रसारण

125. **श्री राम भगत पासवान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कितने गांवों में दूरदर्शन प्रसारण सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर बिहार और मध्य प्रदेश के छोटानागपुर और छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में दूरदर्शन प्रसारण सुविधा में सुधार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) इस समय बिहार के लगभग 48,633, उत्तर प्रदेश के 83,468 तथा मध्य प्रदेश के 25,380 गांवों में दूरदर्शन प्रसारण की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) जी, हां।

(ग) बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र डाल्टनगंज में एक उच्च शक्ति (10 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा चाईबासा और घाटशिला में एक-एक अर्थात कुल मिलाकर दो अल्प शक्ति (100 वाट) ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं। जबलपुर में उच्च शक्ति (1 कि० वाट) दूरदर्शन

ट्रांसमीटर तथा कुर्सिया, मनिंदरगढ़, डोंगरगढ़, राजरा झाड़दूली तथ कांकेर में एक-एक अर्थात कुल मिलाकर पांच अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाए जाने के अलावा, सातवीं योजना के अंग के रूप में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के रायपुर में 1 कि० वा० दूरदर्शन ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 10 कि० वा० की जा रही है। इन स्कीमों को कार्यरूप दे दिये जाने से छोटा नागपुर और छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा में उल्लेखनीय सुधार हो जाएगा तथा बिहार और मध्य प्रदेश राज्य के सभी जनजातीय जिले पूर्णतया या आंशिक रूप से दूरदर्शन प्रसारण के अंतर्गत आ जाएंगे।

तेलशोधन कारखानों की स्थापना

126. **डा० सुधीर राय :**
श्री राधाकान्त डिगाल :
श्री शान्तिलाल पटेल :
श्रीमती बसवराजेश्वरी :
श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री के० एस० राव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तीन और तेलशोधक कारखाने स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में निर्धारित तेल-शोधन क्षमता से कुल कितना कम तेल शोधित किया जाता है; और

(घ) तेल शोधन कारखानों द्वारा तेल शोधन में कितना सुधार किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) सरकार ने 6 एम० टी० पी० ए० क्षमता की करनाल में, 3 एम० टी० पी० ए० क्षमता की मंगलूर में और 2 एम० टी० पी० ए० क्षमता की असम में नई ग्रासरूट रिफाइनरियां स्थापित करने का निर्णय किया है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना के अन्त तक शोधन क्षमता में लगभग 27 मिलियन टन की कमी आने की संभावना है। उपर्युक्त रिफाइनरियों के चालू होने पर आठवीं योजनावधि की समाप्ति तक 11 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक की मांग की पूर्ति हो सकेगी। आठवीं योजना को तैयार करने के गठित कार्यदल देश में अतिरिक्त शोधन क्षमता के सृजन के लिए उचित सिफारिशें करेगा।

खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अखबारी कागज का आयात

127. **श्री महेन्द्र सिंह :**
श्री बिनेश गोस्वामी :
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें खुली सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अखबारी कागज आयात करने की अनुमति मांगी गई है जिससे कि अखबार की कमी को पूरा किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो सोसाइटी द्वारा की गई अन्य मांगों का ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, हां। इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी ने दिनांक 22 मई, 1989 के अपने अभ्यावेदन में यह अनुरोध किया है कि चिकने अखबारी कागज को या तो खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रख दिया जाए या विकल्प के रूप में, सीमा शुल्क में कटौती कर उसे 550 रुपये प्रति मीट्रिक टन के पूर्व स्तर पर ले आया जाए।

(ख) उक्त अभ्यावेदन में कोई अन्य मांग शामिल नहीं है।

(ग) सरकार ने इस मांग पर विचार किया है, लेकिन उसे स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

प्राकृतिक गैस से मिट्टी का तेल और डीजल

128. **श्री महेन्द्र सिंह** :
श्री कृष्ण सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे ने प्राकृतिक गैस से मिट्टी का तेल और डीजल निकालने की प्रक्रिया विकसित करने में सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राकृतिक गैस से मिट्टी का तेल और डीजल उत्पन्न करने की अब तक कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो स्थापित किए जाने वाले संयंत्रों और एककों का ब्योरा क्या है और उनकी अनुमानित लागत तथा उत्पादन क्षमता का ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) प्राकृतिक गैस से मिट्टी का तेल और डीजल बनाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनानी होती हैं :—

(1) प्राकृतिक गैस से मैथानोल

(2) मैथानोल से ओलेफिन

(3) ओलेफिन से मध्यम आसुत अर्थात् मिट्टी का तेल और डीजल।

मैथानोल से ओलेफिन तथा ओलेफिन से मिट्टी का तेल और डीजल बनाने के लिए राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे ने केटेलिस्ट विकसित किए हैं। प्राकृतिक गैस से मैथानोल बनाने का यह सुनिश्चित तरीका है।

एन० सी० एल० द्वारा विकसित केटेलिस्टों के व्यावसायिक आधार को सिद्ध करने के लिए राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० तथा डावी पावर गैस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से बम्बई स्थित भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी में एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रायोगिक संयंत्र पर 6 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है तथा इसकी मिट्टी के तेल और डीजल की क्षमता प्रतिदिन एक टन होगी।

मारुति वाहनों के मूल्यों में संशोधन

129. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मारुति वाहनों के मूल्यों में हाल ही में संशोधन किया गया है और उनमें वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई है तथा ये मूल्य, मारुति वाहनों का उत्पादन शुरू होने के समय निर्धारित मूल्यों की तुलना में कितने अधिक अथवा कम हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें उत्पादन के समय मारुति वाहनों के मूल्य और साथ ही साथ संशोधित मूल्य और वृद्धि की सीमा दर्शाई गई है।

विवरण

माडल	उत्पादन शुरू होने के समय मूल्य (रुपयों में)	16-1-1989 से लागू मूल्य (रुपयों में)	1-4-1989 से लागू मूल्य (रुपयों में)	कालम (2) और (3) के बीच का अन्तर (रुपयों में)
	(उत्पादन शुल्क और डिलर का कमीशन शामिल है)			
	(1)	(2)	3	(4)
मारुति 800 स्टैंडर्ड (पुराना माडल)	47,500	80,000	86,500.72	6,500.72
मारुति 800 वातानुकूलित	62,200	97,110	1,05-016.71	7,906.71
मारुति 800 डीलक्स	79,000	1,12,670	1,21,844.71	9,174.71
ओमनी एफ० आर०	47,500	80,240	86,754.54	6,514.54
ओमनी एच० आर०	49,250	82,360	88,945.55	6,585.55
जिप्सी एस० टी०	83,900	1,14,140	1,23,430.19	9,290.19

केदारनाथ के लिए रज्जु मार्ग का प्रावधान

130. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटर मार्ग मुहाने (मोटरहेड) से केदारनाथ मंदिर तक रज्जु मार्ग (रनवे) बनाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पर्यटन विभाग में रज्जुमार्ग हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फ्रीक्वेंसी मोडूलेशन की सुविधा वाले प्रसारण केन्द्र

131. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** :
श्री चिंतामणि जेना :
श्री अमरसिंह राठवा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान फ्रीक्वेंसी मोडूलेशन की सुविधा वाले कितने प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था;

(ख) क्या लक्ष्य पूरा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में फ्रीक्वेंसी मोडूलेशन की सुविधा प्राप्त कितने केन्द्र अब तक स्थापित किए जा चुके हैं, और सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान कितने केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) अठवीं योजना अवधि के दौरान फ्रीक्वेंसी मोडूलेशन की सुविधा वाले प्रसारण केन्द्र स्थापित करने संबंधी कार्यक्रम क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) सातवीं योजना के प्रारम्भ में, देश में 90 पूर्ण विकसित एफ० एम० स्टेशन स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। परन्तु, योजना-अवधि के अन्त तक अब केवल 45 स्टेशन तैयार हो जाने की आशा है। शेष स्टेशनों का काम विभिन्न स्तरों पर चल रहा होगा।

(ग) आंध्र प्रदेश के कोटागुण्डम में एक एफ० एम० स्टेशन 24 मार्च, 1989 को चालू कर दिया गया है। चवालीस और एफ० एम० स्टेशनों को शेष योजना-अवधि के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) आठवीं योजना के प्रस्तावों की तैयारी विभिन्न स्तरों पर चल रही है।

बंगलौर में ओटोमोटिव टायर रिसर्च सेन्टर की स्थापना

132. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर में एक ओटोमोटिव टायर रिसर्च सेन्टर स्थापित करने का है;

(ख) क्या इस सेन्टर की स्थापना के लिये स्थल का चयन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) आटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (ए० टी० एम० ई०) ने सरकार को टायरों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास केन्द्र की स्थापना करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह संकेत दिया गया है कि होसाकोट इंडस्ट्रियल एरिया, बंगलौर केन्द्र का प्रस्तावित स्थापना-स्थल हो। इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अखबारी कागज के उत्पादन हेतु नये एककों की स्थापना

133. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :**
श्री जी० एस० बासवराजु :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश मे अखबारी कागज के कुछ एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में अखबारी कागज के एकक स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्नाटक राज्य में अखबारी कागज का कोई एकक स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक में किस स्थान पर अखबारी कागज का यह एकक स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता के अतिरिक्त संलग्न विवरण में दिये गये ब्यौरे के अनुसार औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों के द्वारा अखबारी कागज के विनिर्माण हेतु 5.10 लाख मी० टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, के उपक्रम नेपा मिल्स की उत्तर प्रदेश, जिला मुरादाबाद, अलीगंज में खोई पर आधारित अखबारी कागज के एकक की स्थापना करने की योजना है, जिसकी क्षमता 88,900 मी० टन प्रति वर्ष तथा अनुमानित लागत 414.46 करोड़ रु० है।

(ग) और (घ) फिलहाल केन्द्रीय सरकार के पास कर्नाटक राज्य के केन्द्रीय क्षेत्र में अखबारी कागज का एकक स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त अखबारी कागज की क्षमता

क्रम सं० पार्टी का नाम	औ० ला० की संख्या और तारीख/आ० पत्र की संख्या और तारीख	स्थापना-स्थल	वार्षिक क्षमता (मी० टन)	आवेदन के अनुसार अचल परिसम्पत्तियों में निवेश (रु० करोड़ में)
1 2	3	4	5	6
औद्योगिक लाइसेंस				
1. मै० नेपा लि० नेपानगर	पर्याप्त विस्तार, सी० आई० एल० 532(83) दिनांक 29-11-83	तहसील दुहरानपुर जिला पूर्वी निमार (म० प्र०)	13,000	60.75
2. मै० सैम्बुरी पल्प लि०	नया उपक्रम, सी० आई० एल० 19(82) दिनांक 15-1-82	नैनीताल (उत्तर प्रदेश)	20,000	70.00 (अखबारी कागज, रेयन ग्रेड लुगदी और कागज के लिए निवेश शामिल है)

1	2	3	4	5	6
	आशय-पत्र				
3.	श्री बी० अबुमन्य राव मैं० हंस न्यूजप्रिंट लि० हैदराबाद	नया उपक्रम एल० आई० 514/84 दिनांक 13-7-84	तहसील विजयवाड़ा जिला कृष्णा आंध्र प्रदेश	60,000	27.70
4.	मै० केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लि० कवर्दियार, त्रिवेंद्रम	नया उपक्रम एल० आई० सं० 608/85 दिनांक 15-5-85	जिला त्रिचुर केरल	40,000	35.50
5.	मै० स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र लि०, निर्मल, नरीमन पॉइन्ट, बम्बई	नया उपक्रम एल० आई० सं० 473(83) दिनांक 21-7-83	जिला परभानी (महाराष्ट्र)	50,000	155.32 (50,000 मी० टन लिखने और छापने के कागज के लिए निवेश शामिल है)
6.	मै० वेस्ट बंगाल इण्डस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लि० 23-ए, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता 1	नया उपक्रम एल० आई० सं० 455(86) दिनांक 26-5-86	तहसील हल्दिया जिला मिदनापुर (प० बंगाल)	50,000	21.20

1	2	3	4	5	6
	7. मै० आई० डी० पी० लि० हाजीनगर, 24 परगना, पश्चिमी बंगाल	नया उपक्रम एल० आई० सं० 504(86) दिनांक 23-6-86	पश्चिम बंगाल में कोई भी अनुमति योग्य स्थान	80,000	60.45
	8. मै० द पंजाब एग्रो इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि० एस० सी० ओ० मं० 315-316, सेक्टर 35-बी, चंडीगढ़	नया उपक्रम एल० आई० सं० 976(86) दिनांक 27-11-86	तहसील गोविन्द पाल जिला अमृतसर (पंजाब)	33,000	133.56
	9. मै० गुजरात इण्डस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लि०, चुनीभाई चैम्बर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद	नया उपक्रम एल० आई० सं० 195(87) दिनांक 28-4-87	व्यारा जिला सूरत (गुजरात)	55,000	263.50
	10. मै० तीरा पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०, 402, राहेजा चैम्बर्स, नरीमन प्वाइंट बम्बई 1	न० व० एल० आई० सं० 725(88) दिनांक 28-11-88	वाडवाही तहसील उखान्डाला जिला सतारा (महाराष्ट्र)	39,000	9.16

1	2	3	4	5	5
11.	मै० बिहार स्टेट इंड० डिवलपमेंट कारपोरेशन लि०	नया उपक्रम एल० आई० सं० 125(88) दिनांक 29-3-88	कुमारबाग पश्चिम चंपारन (बिहार)	50,000	270.00
12.	औरंगाबाद पेपर मिल्स लिमिटेड, मित्तल टावर 17वीं, मंजिल, "बी" विंग, नरीमन प्वाइंट बम्बई 1	न० व० : एल० आई० सं० 122(89) दिनांक 27-2-89	तहसील पैथान महाराष्ट्र	20,000	10.50

योग : 5,10,000 मी० टन

न० उ०=नया उपक्रम

न० व०=नई वस्तु

प० वि०=पर्याप्त विस्तार

सतना दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र, मध्य प्रदेश

134. **श्री अजीज कुरेशी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र से केवल 14 कि० मी० क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले व्यक्ति ही लाभान्वित हो रहे हैं जबकि इसका लक्ष्य 25 कि० मी० तक के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभान्वित करने का था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस केन्द्र से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) सतना के अल्पशक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर की सेवा अन्य ऐसे ट्रांसमीटरों की भांति ही 15 किलोमीटर (लगभग 700 वर्ग कि० मी० है) तथा इस दूरी से आगे साफ संग्रहण संभव हो सकता है बशर्ते कि लाइन-आफ-साइट उपलब्ध हो और ऊंचा संग्रहण एंटीना, बूस्टर आदि का उपयोग किया जाए।

वित्तीय संस्थानों द्वारा फीचर फिल्मों को वित्त प्रदान किया जाना

135. **श्री एस० बी० सिदनाल :**
श्रीमती बसवरा जेश्वरी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड ने केन्द्रीय सरकार से प्रस्ताव किया है कि वह फीचर फिल्मों को वित्त प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुमति दे दे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच की है; और

(घ) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण करने हेतु समिति का गठन

136. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण करने हेतु तत्संबंधी सभी पहलुओं का अध्ययन करने हेतु एक समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सुझाव दिए गए थे;

(ग) इन सुझावों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इससे पहले प्राकृतिक गैस का मूल्य कब और कितनी अवधि के लिए निर्धारित किया गया था ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) समिति ने अभी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) अन्तिम बार 31-1-1987 को प्राकृतिक गैस की कीमतें निर्धारित की गई थीं। ये कीमतें 31-1-1989 तक लागू हैं। इन कीमतों को इस समय जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

बोइंग विमानों का निपटान

137. **श्री एस० बी० सिदनाल** :
श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलान्स का अपने विमान सेवा से बोइंग विमानों को निकालने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कुल कितने बोइंग विमानों को विमान सेवा से हटाने का विचार है;

(ग) क्या ये बोइंग विमान 30,000 उड़ानें भर चुके हैं;

(घ) क्या सरकार का इन बोइंग विमानों का निपटान करने के बाद अन्य विमान खरीदने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कितने ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स अपने नेटवर्क में बी-737 विमानों का उपयोग करती रहेगी। तथापि 1970-71 में लिए गए चार बी-737 विमान 1990-91 में अनुसूचित सेवाओं से हटा लेने का प्रस्ताव है क्योंकि हटाते समय वे 20 वर्ष पुराने हो चुके होंगे तथा इन विमानों की परिचलन लागत शेष विमानों की परिचलन लागत से कहीं ज्यादा होगी।

(ग) जी, हां। इन सभी 4 बोइंग-737 विमानों ने 30,000 अवतरण पूरे कर लिए हैं।

(घ) और (ङ) इंडियन एयरलाइन्स ने 12 एयरबस ए-320 विमानों की दूसरी खेप का आर्डर दे दिया है और इन विमानों की सुपुर्दगी 1990-92 में होनी है।

अखबारी कागज का मूल्य

[हिन्दी]

138. **श्री दिनेश गोस्वामी :**
श्री विजय कुमार यादव :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान स्वदेशी अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है;

(ग) क्या इस मूल्य वृद्धि से अखबारी कागज को सुगमता से उपलब्ध कराने में सहायता से उपलब्ध कराने में सहायता मिली है;

(घ) यदि नही, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों में अखबारी कागज का कुल कितने प्रतिशत उत्पादन किया जा रहा है

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) स्वदेशी अखबारी कागज मिलों द्वारा मई/जून, 1989 में मूल्य में की गई वृद्धि 52 जी० एस० एम० अखबारी कागज के जनवरी, 1988 में मूल्यों की तुलना में 28 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के बीच है।

(ग) मूल्य में वृद्धि से स्वदेशी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की आशा है और क्षमता उपयोग का उच्च स्तर बनाये रखने तथा स्वदेशी अखबारी कागज की निरन्तर आपूर्ति बनाये रखने में मदद मिलेगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) अखबारी कागज के उत्पादन में लगे पांच मिलों में से दो केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में हैं, दो राज्य सरकारी क्षेत्र में और एक गैर-सरकारी क्षेत्र में है। 1988-89 में देश में 2.76 लाख मी० टन अखबारी कागज का कुल उत्पादन चार केन्द्रीय/राय सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा किया गया।

अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि के बारे में समिति

139. **श्री दिनेश गोस्वामी :**
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :
श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज की कमी और इसके मूल्यों में हुई भारी वृद्धि के कारणों का

पता लगाने और समाचार पत्रों को अखबारी कागज की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देने के बारे में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और क्या सरकार को इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कदम उठाए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) अगर रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, तो देरी के क्या कारण हैं और रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) इस प्रयोजन के लिए किसी औपचारिक उच्चस्तरीय समिति का गठन नहीं किया गया था। तथापि, प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के आधार पर सचिवों के ग्रुप को अखबारी कागज से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए कहा गया था। इस ग्रुप में वित्त, औद्योगिक विकास, वाणिज्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों के सचिव शामिल थे। ग्रुप द्वारा किये गये विचार-विमर्श के निष्कर्ष के आधार पर अखबारी कागज का आयात करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त विदेशी मुद्रा मुहैया कराने तथा उन छोटे और मझौले समाचार पत्रों को बिकने अखबारी कागज पर सीमा शुल्क राहत प्रदान करने के वास्ते, जो 1989-90 के लिए अखबारी कागज आबंटन नीति के तहत इसके हकदार हैं, कदम उठाये गये हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

वायुदूत सेवाओं का कम यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाना

[अनुवाद]

140. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत की उन सेवाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रारम्भ किया गया लेकिन जिन्हें उनका पूरा उपयोग न होने के कारण बाद में बन्द करना पड़ा;

(ख) ऐसी प्रत्येक सेवा कितनी अवधि तक चली है;

(ग) इनमें से प्रत्येक सेवा की कुल क्षमता का वास्तव में कितने प्रतिशत उपयोग हुआ; और

(घ) ऐसी प्रत्येक सेवा से वायुदूत को अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वृत्त चित्र "भारत की पुकार"

141. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दृश्य और प्रचार निदेशालय ने "भारत की पुकार" नामक वृत्त चित्र का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विषयवस्तु और कथासार क्या है;

(ग) फिल्म की लम्बाई क्या है और इस पर कितनी लागत आई है; और

(घ) इसके निर्माण तारीख क्या है और इसके प्रदर्शन की तारीख क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्राकृतिक गैस की सप्लाई

142. **श्री पी० एम० सईद** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग विभिन्न औद्योगिक एककों को गैस सप्लाई कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ग) किन-किन एककों को विद्युत उत्पादन के लिए गैस की सप्लाई की जा रही है;

(घ) क्या प्राकृतिक गैस के प्रयोग के कारण आयातित पेट्रोलियम उत्पादों की मांग घट गई है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग मुख्यतः उर्वरक एवं विद्युत तेल में ही प्राकृतिक गैस की सप्लाई करता है।

(ग) विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस की सप्लाई तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग आयल इंडिया लिमिटेड, और गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात, त्रिपुरा और असम के बिजली बोर्डों के अलावा टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी बम्बई तथा एन० टी० पी० सी० को की जाती है।

(घ) और (ङ) कतिपय तरल पेट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस के अधिक उपयोग से कुछेक पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने तथा इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा की बचत करने में सहायता मिलेगी।

फिल्म उद्योग को वीडियो से खतरा

143. **श्री पी० एम० सईद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून, 1989 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "वीडियो थ्रेट टु इन्डस्ट्री टर्न्स रीयल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में, विशेष रूप से दूरदर्शन धारावाहिकों, वीडियो फिल्मों तथा केबल-टेलीविजन से उत्पन्न तितरफा खतरे से हिन्दी फिल्म उद्योग के भविष्य के सन्दर्भ में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) समूचे फिल्म उद्योग को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें समझने के लिए तथा उनका समाधान यथासम्भव ढूढ़ने के लिए सरकार ने मन्त्रालय में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया है । समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ फिल्म उद्योग के समक्ष समस्याओं का अध्ययन करना और फिल्म उद्योग विकास से सम्बद्ध समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों को सिफारिशें करना शामिल है । इस समिति में भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों, संबंधित राज्य सरकारों तथा फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

अजमेर में हवाई अड्डे का निर्माण

144. **श्री विष्णु मोदी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस हवाई अड्डे को स्थापित करने हेतु उपयुक्त स्थान के लिए मंजूरी दे दी गई है;

(ग) क्या इस स्थान का अधिग्रहण कर लिया गया है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) निर्माण कार्य कब से आरम्भ हो जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अजमेर में हवाई अड्डे का निर्माण करने के लिए राजस्थान सरकार का एक प्रस्ताव है ।

(ख) जी नहीं । अभी तक स्थल का चुनाव अन्तिम रूप से नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विद्युत उत्पादन में अधिक लागत

145. **श्री विष्णु मोदी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को विभिन्न क्षेत्रीय बोर्डों के साथ हुए शुल्क (टैरिफ) समझौते में विनिर्दिष्ट विद्युत उत्पादन की लागत से पर्याप्त अधिक लागत वहन करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत उत्पादन की अधिक लागत के कारणों की कोई जांच की गई है; यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को विद्युत उत्पादन की अधिक लागत की क्षतिपूर्ति के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (रा० ता० वि० नि०) तथा विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों के मध्य विद्यमान टैरिफ करार जो कि पुरानी 200 मेगावाट यूनिटों के उत्पादन पर आधारित हैं, में निगम द्वारा पर्याप्त उच्च लागत पर पूर्ण की गई 210 मेगावाट / 500 मेगावाट यूनिटों और 400 के० वी० पारेषण लाइनों को मद्दे नजर रखते हुए संशोधन की आवश्यकता है। रा० ता० वि० नि० ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव सम्बन्धित विद्युत बोर्डों को भेजे हैं।

उड़ीसा में पाराद्वीप में तेल टर्मिनल की स्थापना

146. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा के पाराद्वीप में एक तेल टर्मिनल स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अनुमानित कितनी लागत आयेगी;

(ग) उपरोक्त परियोजना को शीघ्र प्रतिष्ठापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब तक हो जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी नही।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

147. **श्री लक्ष्मण मलिक :**
श्री हरिहर सोरन :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कुछ विद्युत परियोजनाओं को धनराशि के लिए विदेशी सहायता प्राप्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम, संख्या और अनुमानित लागत क्या है;

(ग) कितनी विदेशी सहायता मांगी गई है और इन परियोजनाओं को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) सातवीं योजना की शेष अवधि के लिए निर्धारित विद्युत परियोजनाओं के लिए अब कोई विदेशी सहायता नहीं मांगी जा रही है।

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु नई रीति

148. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री राधाकांत डिगाल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काफी संख्या में लोगों को भारत भ्रमण हेतु आकर्षित करने के लिए एक नई नीति तैयार की है जिसमें विमान सेवा वाले विभिन्न देशों को भी शामिल किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति को कार्यान्वित करने हेतु की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन विभाग ने भारत का विदेशों में संवर्धन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ संयुक्त संवर्धन करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। विभाग विदेश स्थित अपने कार्यालयों के जरिए संवर्धनात्मक सेमिनारों का आयोजन करेगा, यात्रा अभिकर्ताओं एवं मीडिया लेखकों को परिचायक यात्राओं पर आमंत्रित करेगा और इसके संवर्धन के रूप में सांस्कृतिक तथा खाद्य उत्सवों का आयोजन करेगा। इसके अलावा, इन मार्किटों में भारत के विविध पर्यटक आकर्षणों का संवर्धन करने के लिए फिल्में तथा पैम्फलेट्स तैयार कराए जाएंगे।

(ग) एक मैमोरंडम आफ अंडरस्टैंडिंग और एक लैटर आफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप आगामी कुछ वर्षों के दौरान पर्यटक यातायात में वृद्धि होगी।

कालीकट-बम्बई-कालीकट मार्ग पर अतिरिक्त उड़ानों का आरम्भ करना

149. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट हवाई अड्डे पर जनवरी से जून, 1989 के दौरान कालीकट-बम्बई-कालीकट हवाई अड्डे पर कितने यात्री उतरे और चढ़े तथा कितना माल उतरा तथा चढ़ाया गया;

(ख) क्या इस मार्ग पर अतिरिक्त उड़ानों या एयर बस ए-320 आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इंडियन एयरलाइन्स के कालीकट/बम्बई और बम्बई/कालीकट सैक्टरों पर जनवरी, 1989 से जून, 1989 तक की अवधि के दौरान कालीकट हवाई अड्डे पर यात्री और माल यातायात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	माल यातायात (किलोग्राम में)		यात्री यातायात	
	बम्बई/कालीकट	कालीकट/बम्बई	बम्बई/कालीकट	कालीकट/बम्बई
जनवरी, 89	1874	780	1973	1912
फरवरी, 89	2573	1306	1725	1860
मार्च, 89	3119	741	2004	1986
अप्रैल, 89	3434	834	2526	1847
मई, 89	3049	1648	3780	3028
जून, 89	3718	612	3438	3270

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स के पास एयरबस ए-320 की पर्याप्त विमान क्षमता उपलब्ध होने के पश्चात् कालीकट और बम्बई के बीच अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी।

राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से केरल को बिजली का आवंटन

150. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री टी० बशीर :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से केरल राज्य को कुल कितनी बिजली आवंटित की जाएगी;

(ख) क्या पहली तिमाही के दौरान राज्य को ठीक अनुपात में बिजली आवंटित की गई तथा राज्य द्वारा इसका उपयोग भी तदनुरूप किया गया;

(ग) यदि नहीं, तो पहली तिमाही के दौरान वस्तुतः कितनी बिजली आवंटित की गई;

(घ) क्या केरल सरकार ने राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से बिजली का आवंटन बढ़ाने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री(श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1989-89 के दौरान केन्द्रीय केन्द्रों अर्थात रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र मद्रास परमाणु विद्युत केन्द्र तथा नवेली द्वितीय माइन-कट ताप विद्युत केन्द्र से प्रत्याशित उत्पादन के आधार हर केरल को 1740 मिलियन टन यूनिट का आवंटन किया गया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय क्षेत्रों के विद्युत केन्द्रों से वास्तविक उत्पादन के आधार पर केरल राज्य को 354 मिलियन यूनिट आवंटित किया गया था। पहली तिमाही के दौरान वास्तविक निकासी 312 मिलियन यूनिट थी।

(घ) और (ङ) इस क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों को केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादन केन्द्रों से विद्युत का आबंटन सम्मत फार्मूले के अनुरूप किया जाता है। घटक राज्यों द्वारा

वास्तविक निकासी को दिन प्रतिदिन आधार पर वास्तविक उत्पादन के अनुसार विनियमित किया जाता है।

रसोई गैस के कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

151. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य भागों में रसोई गैस के कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या लोगों को गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पांच वर्ष की लम्बी अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो आवेदकों को मांगते ही रसोई गैस कनेक्शन आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश के विभिन्न भागों में एल० पी० जी० कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूचियों में वे भी कुछ व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने पांच वर्ष पहले पंजीकरण कराया था।

(ग) से (ङ) तेल उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं के नामांकन के अपने वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से पूरे देश में नए पी० एल० जी० कनेक्शन जारी करने का काम किया जाता है बशर्ते कि एल० पी० जी० की उपलब्धता में वृद्धि हो।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने में लूब-ब्लाक का सुधार

[अनुवाद]

152. **श्री शान्ति लाल पटेल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया तेल शोधन कारखाने में लूब-ब्लाक में सुधार करने संबंधी इंडियन आयल कारपोरेशन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी राशि खर्च होगी;

(ग) यह कितना लाभकारी होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आठवीं योजना अवधि में अखबारी कागज के एककों की स्थापना के स्थल और उनकी लागत

153. **श्री शान्ति लाल पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान अखबारी कागज के पांच एकक स्थापित किये जाने हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कहां स्थापित किये जायेंगे और उन पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इन एककों से देश में अखबारी कागज के संकट को किस सीमा तक दूर किया जा सकेगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) मौजूदा अधिष्ठापित क्षमता के अलावा, जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है, अखबारी कागज के उत्पादन के लिए प्रतिवर्ष 5.10 लाख मी० टन अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र के रूप में मंजूर की गयी है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार के एक उपक्रम नेपा मिल्स की बगासी पर आधारित एक अखबारी कागज की इकाई की स्थापना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के अलीगंज नामक स्थान पर करने की योजना है जिसकी 414.46 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर प्रतिवर्ष अधिष्ठापित क्षमता 88,900 मी० टन होगी।

(ग) अखबारी कागज की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना से स्वदेशी अखबारी कागज की उपलब्धता बढ़ने और आयात की निर्भरता में कमी होने की आशा है।

विवरण

औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त अखबारी कागज की क्षमता दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	पार्टी का नाम	औ० ला० की संख्या और तारीख/आ० पत्र की संख्या और तारीख	स्थापना-स्थल	वार्षिक क्षमता (मी० टन)	आवेदन के अनुसार अचल परिसम्पत्तियों में निवेश (रु० करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
	औद्योगिक लाइसेंस				
1.	मैं० नेपा लि० नेपानगर	पर्याप्त विस्तार, सी० आई० एल० 532(83) दिनांक 29-11-83	तहसील दुहरानपुर जिला पूर्वी निमार (म० प्र०)	13,000	60.75
2.	मैं० सैन्चुरी पल्प लि०	नया उपक्रम, सी० आई० एल० 19(82) दिनांक 15-1-82	नैनीताल (उत्तर प्रदेश)	20,000	70.00 (अखबारी कागज, रेयन ग्रेड लुगदी और कागज के लिए निवेश शामिल है)

1	2	3	4	5	6
	आशय-पत्र				
3.	श्री बी० अनुमन्थ राव मै० हंस न्यूजप्रिंट लि० हैदराबाद	नया उपक्रम एल० आई० 514/84 दिनांक 13-7-84	तहसील विजयवाड़ा जिला कृष्णा आंध्र प्रदेश	60,000	27.70
4.	मै० केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लि० कवदियार, त्रिवेंद्रम	नया उपक्रम एल० आई० सं० 608/85 दिनांक 15-5-85	जिला त्रिचुर केरल	40,000	35.50
5.	मै० स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र लि०, निर्मल, नरीमन पॉइन्ट, बम्बई	नया उपक्रम एल० आई० सं० 473(83) दिनांक 21-7-83	जिला परभानी (महाराष्ट्र)	50,000	155.32 (50,000 मी० टन लिखने और छापने के कागज के लिए निवेश शामिल है)
6.	मै० वेस्ट बंगाल इण्डस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लि० 23-ए, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता 1	नया उपक्रम एल० आई० सं० 455(86) दिनांक 26-5-86	तहसील हल्दिया जिला मिदनापुर (प० बंगाल)	50,000	21.20

1	2	3	4	5	6
7.	मै० आई० डी० पी० लि० हाजीनगर, 24 परगना, पश्चिमी बंगाल	नया उपक्रम एल० आई० सं० 504(86) दिनांक 23-6-86	पश्चिम बंगाल में कोई भी अनुमति योग्य स्थान	80,000	60.45
8.	मै० द पंजाब एग्रो इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि० एस० सी० ओ० नं० 315-316, सेक्टर 35-बी, चंडीगढ़	नया उपक्रम एल० आई० सं० 976(86) दिनांक 27-11-86	तहसील गोविन्द पाल जिला अमृतसर (पंजाब)	33,000	133.56
9.	मै० गुजरात इण्डस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लि०, चुनीभाई चैम्बर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद	नया उपक्रम एल० आई० सं० 195(87) दिनांक 28-4-87	भ्यारा जिला सूरत (गुजरात)	55,000	263.50
10.	मै० तीरा पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०, 402, राहेजा चैम्बर्स, नरीमन प्वाइंट बम्बई 1	न० व० एल० आई० सं० 725(88) दिनांक 28-11-88	वाडवाडी तहसील उखान्डाला जिला सतारा (महाराष्ट्र)	39,000	9.16

1	2	3	4	5	6
11.	मैं० बिहार स्टेट इंड० डिवलपमेंट कारपोरेशन लि०	नया उपक्रम एल० आई० सं० 125(88) दिनांक 29-3-88	कुमारबाग पश्चिम चंपारन (बिहार)	50,000	270.00
12.	औरंगाबाद पेपर मिल्स लिमिटेड, मित्तल टावर 17वीं, मंजिल, "बी" विंग, नरीमन प्वाइंट बम्बई 1	न० व० : एल० आई० सं० 122(89) दिनांक 27-2-89	तहसील पैंथान महाराष्ट्र	20,000	10.50
					योग : 5,10,000 मी० टन

न० उ० = नया उपक्रम

न० व० = नई वस्तु

प० वि० = पर्याप्त विस्तार

गुजरात में आर्गेनिक रसायनों की कमी

154. **श्री शांतिलाल पटेल : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक आर्गेनिक रसायनों की भारी कमी के कारण गुजरात के रसायन एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार से इन एककों की सहायता करने का अनुरोध किया गया है;

(ग) रसायनों की कमी के मुख्य क्या कारण हैं; और

(घ) इस कमी को दूर वरने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) से (ग) गुजरात रसायन संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें आरोप लगाया गया है कि हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स से मूल आर्गेनिक रसायनों की आपूर्ति अनियमित हो गई हालांकि वर्ष 1987-88 की तुलना में वर्ष 1988-89 के दौरान हिन्दुस्तान आर्गेगिक केमिकल्स के रसायनी एकक से आर्गेनिक रसायनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन इनमें से कुछ मदों की स्वदेशी एवं निर्यात बाजारों में मांग में काफी वृद्धि हुई है। बैंजीन एवं सांद्रित नाइट्रिक एसिड (सी० एन० ए०) जो एच० ओ० सी० द्वारा निर्मित कुछ मूल आर्गेनिक रसायनों के लिये आवश्यक कच्चा माल है, की उपलब्धता में वृद्धि होने से एच० ओ० सी० के उत्पादन में और सुधार होने की आशा है।

(घ) मूल आर्गेनिक रसायनों की उपलब्धता को कड़ाई से मानीटर किया जाता है एवं कमी पूरी करने के लिए उचित मामलों में आयात की अनुमति दी जाती है।

इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों की संख्या में वृद्धि

155. **प्रो० मधु दण्डवते : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के पास इस समय जितने विमान हैं वे नियमित रूप से निर्धारित समय पर उड़ानों के लिए पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विमानों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सेवाओं के लिए अतिरिक्त विमान कब उपलब्ध हो जाएंगे; और

(घ) क्या तब इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवाओं को नियमित रूप से समय सूची के अनुसार चलाया जा सकेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) 19 एयरबस ए-320 विमान की पहली खेप में से 3 विमानों को इंडियन एयर-लाइन्स के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। शेष विमान मार्च, 1990 तक बेड़े में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा, 12 अतिरिक्त एयरबस ए-320 विमान के लिए हाल ही में एक क्रय करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। इन विमानों की सुपुर्दगी दिसम्बर और जनवरी 1992 के बीच होनी है।

(घ) विभिन्न चरणों में अतिरिक्त विमान क्षमता सेवा में लगा देने पर उड़ानों की नियमितता की प्रक्रिया में निरन्तर सुधार होता रहेगा।

दिल्ली के लिए बिहार से बिजली

156. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के सम्बन्ध में बिहार बहुत ही कमी वाला राज्य है;

(ख) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का आगामी महीनों में दिल्ली के लिए बिहार से बिजली प्राप्त करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो बिजली की अत्यधिक कमी वाले राज्य से अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले क्षेत्र के लिए बिजली सप्लाई किये जाने का क्या औचित्य है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल-जून, 1989 के दौरान बिहार में विद्युत की कमी 10.8% थी जबकि इसकी तुलना में अखिल भारत में कमी 8.9% थी।

(ख) जी, नहीं,

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विकास प्राधिकरण की स्थापना

[हिन्दी]

157. **श्री हरीश रावत :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें, देश में हिमालय पर्वतमाला से सम्बन्ध क्षेत्रों में पर्यटन के समेकित विकास के लिए एक पृथक पर्यटन विकास प्राधिकरण की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसी ऐसे प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि नही, तो इस सम्बन्ध में क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार किया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हिमालय पर्वतमाला से सम्बद्ध क्षेत्रों में पर्यटन के समेकित विकास के लिए, पर्यटन विभाग विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के लिए की गुणवत्ता, धन की उपलब्धता और परस्पर

प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से वित्तीय सहायता देता है। हिमालयवर्ती राज्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श एवं समन्वय के लिए विभाग ने हिमालय पर्यटन सलाहकार बोर्ड का गठन किया है।

उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों के लिए हेलीकाप्टर सेवा

158. **श्री हरीश रावत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कुछ पर्यटन स्थलों को हेलीकाप्टर सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्थलों के लिए हेलीकाप्टर सेवा कब तक शुरू हो जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पक्षियों के टकरा जाने के कारण इण्डियन एयरलाइन्स को हानि

159. **श्री हरीश रावत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान पक्षियों के टकरा जाने के कारण इंडियन एयरलाइन्स के कितने विमानों को क्षति पहुंची तथा इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी विमान सेवाएं रद्द की गई अथवा सेवाएं प्रभावित हुई;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में हानि का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी हानि हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान अर्थात 30-6-89 तक इंडियन एयरलाइन्स विमानों की कुल 67 पक्षी टकराव घटनाओं में से, इंडियन एयरलाइन्स के 19 विमानों को क्षति पहुंची। अभिलेखों के अनुसार 14 उड़ानों में देरी हुई; कोई उड़ान रद्द नहीं की गई।

(ख) और (ग) जनवरी, 1989 से जून, 1989 तक की अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पक्षी टकरा जाने पर क्षतिग्रस्त विमानों की मरम्मत पर किया गया व्यय 3.24 करोड़ रुपये था।

दिल्ली हवाई अड्डे पर पक्षियों के टकराने से विमान दुर्घटनाएं

160. **श्री हरीश रावत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के विमानों से पक्षियों के टकरा जाने की अधिकांश दुर्घटनाएं दिल्ली हवाई अड्डे पर घटित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं तथा इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या दिल्ला हवाई अड्डे पर पक्षियों से विमानों की सुरक्षा के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) गत एक वर्ष की अवधि के दौरान दिल्ली, हवाई अड्डे पर पक्षी टकराव की 21 घटनाएं हुई थीं। इस अवधि के दौरान दिल्ली हवाई अड्डे पर पक्षियों के टकराने से इंडियन एयरलाइन्स को 80.15 लाख रुपए की हानि हुई।

(ग) और (घ) दिल्ली हवाई अड्डे पर पक्षियों के खतरे को कम करने के प्रयोजन से तैयार की गई कारवाई योजना के अन्तर्गत निरन्तर प्रकार के विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं जैसे हवाई अड्डे के भीतर पानी के जमाव को रोकना, दूबघास लगाना, हैंगर और भवनों को कबूतर रोधी बनाना, आधुनिक बूचड़खाने और लाश रखने के संयंत्र लगाना, हवाई अड्डे के 10 कि० मी० की सीमा के भीतर सुअरों और डेरी फार्म को हटाना, मांस, मछली दुकानों के लिए जाली की व्यवस्था करना।

भुवनेश्वर हवाई अड्डे का विस्तार

[अनुवाद]

161. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भुवनेश्वर हवाई अड्डे के विस्तार पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा तथा इस पर कितनी लागत आयेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भुवनेश्वर हवाई अड्डे के विस्तार पर 655.85 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ख) शेष निर्माण कार्य मई, 1991 तक पूरा हो जाने की आशा है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 2099 लाख रुपए होगी।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में वेतन समझौता

162. **श्री अजय विश्वास** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में प्रबन्ध और मजदूरों के प्रतिनिधियों के बीच वेतन संशोधन संबंधी किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वह समझौता कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उस समझौते को अभी तक कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबन्धकों और कर्मचारी यूनियनों के बीच दीर्घावधिक समझौते पर 14 जुलाई, 1989 को हस्ताक्षर किए गए।

कलकत्ता-अगरतला क्षेत्र में नई एयर बसें चलाने की मांग

163. **श्री अजय विश्वास** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला हवाई अड्डे पर विमान यात्रियों की भारी भीड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या कलकत्ता-अगरतला क्षेत्र में नई एअर बसें चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो एअर बसें कब आरंभ की जाएंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) कलकत्ता और अगरतला के बीच इस समय उपलब्ध क्षमता वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी गई है। इंडियन एयरलाइन्स का 1989-92 के दौरान 31 ए-320 विमानों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिनमें से अब तक केवल 3 विमान प्राप्त हुए हैं। इंडियन एयरलाइंस विभिन्न अधिक भीड़-भाड़ वाले मार्गों पर क्रमिक रूप से एयरबस ए-320 विमानों को लगाएगी।

अगरतला में पाइप लाइनों के माध्यम से खाना पकाने की गैस की सप्लाई

164. **श्री अजय विश्वास** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला के निवासियों को पाइप लाइनों के माध्यम से खाना पकाने की गैस की सप्लाई करने की परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजना स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) अगरतल्ला शहर में घरेलू वितरण के लिए त्रिपुरा सरकार को प्राकृतिक गैस देने के लिए वचन दिए गए हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में नैमित्तिक और ठेका श्रमिकों को नियमित करना

165. **श्री अजय विश्वास** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में नैमितिक, मस्टर रॉल और ठेका श्रमिकों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) उन श्रमिकों को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है जिनका सेवा काल 10-20 वर्ष हो चुका है; और

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की अपनी कोई रोजगार नीति है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के सभी क्षेत्रीय व्यापार केन्द्रों से सूचना प्राप्त करने में लगने वाला समय और श्रम वांछित उद्देश्य की पूर्ति के अनुरूप नहीं होगा ।

(ख) और (ग) तेल प्राकृतिक गैस (भर्ती और पदोन्नति) विनियम 1980 में निहित प्रक्रिया के अनुसार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में भर्ती की जाती है।

उड़ीसा के लिए अलग कोयला कंपनी

166. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के लिए ही एक पृथक कोयला कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव की शीघ्र मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे): (क) से (घ) उड़ीसा के कोयला क्षेत्रों से प्राप्त कोयले के वर्तमान उत्पादन तथा इस क्षेत्र की अन्य परिचालनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस समय केवल उड़ीसा कोयला क्षेत्रों के लिए अलग से एक नई कोयला कम्पनी की स्थापना करना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता । उड़ीसा कोयला क्षेत्रों के लिए एक नई कोयला कम्पनी को स्थापित किए जाने के प्रश्न पर तब विचार किया जाएगा जैसे ही उड़ीसा कोयला-क्षेत्रों का कोयले का उत्पादन स्तर एक नई कोयला कम्पनी की स्थापना को औचित्यपूर्ण ठहरा दे ।

कनाडा के सहयोग से तेल शोधक कारखानों की स्थापना

167. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कनाडा के सहयोग से देश में कुछ तेल शोधक कारखाने स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कनाडा के साथ बातचीत की गई है;

(ग) यदि हां, तो कनाडा के सहयोग से देश में कितने तेल-शोधक कारखाने स्थापित किये जाने का विचार है; और

(घ) इसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी नहीं,

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

विदेशी पर्यटकों की संख्या का लक्ष्य

168. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों के आने का अनुमान है; और

(ख) इन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) योजना आयोग द्वारा सातवीं योजनावधि के दौरान विदेशी पर्यटक यातायात में प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य बताया गया है। यह संख्या 1989-90 तक 13.50 लाख पर्यटक तथा 1990-91 में 15.00 लाख पर्यटकों तक होने का अनुमान है ।

(ख) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए उपायों में परिवहन, आवास आदि के मुख्य सेक्टरों में सुविधाओं में वृद्धि, पर्यटक सरलीकरण सेवाओं में सुधार, पर्यटक आकर्षणों का छितराव, प्रशिक्षित जन-शक्ति का विकास और प्रचार अभियानों तथा अन्य विपणन प्रयासों को तेज करना शामिल है ।

कांडला से भटिंडा तक तेल की पाइप लाइन बिछाना

169. **श्री कृष्ण सिंह** :
श्री मोहनभाई पटेल :
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला बन्दरगाह से पंजाब स्थित भटिंडा में 1300 किलोमीटर लम्बी तेल पाइप लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी अनुमानित लागत क्या है;

(ग) निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होने और पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार द्वारा बड़ी लाइन सम्पर्क सुनिश्चित करके तेल सम्पर्कों में वृद्धि करके और इनका दर्जा बढ़ाकर रेल द्वारा तेल और तेल उत्पादों के परिवहन के वैकल्पिक मार्गों पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो जिन प्रस्तावों पर विचार किया गया है उनका ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां ।

(ख) इस परियोजना पर 779.97 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है ।

(ग) चूंकि इस परियोजना को सरकार द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है इसलिए निर्माण कार्य के सम्भावित कार्यक्रम के बारे में कहना समय पूर्व होगा।

(घ) और (ङ) पेट्रोलियम उत्पादों को पाइपलाइन के द्वारा भेजने और रेल सुविधाओं को बढ़ाकर रेल द्वारा भेजने पर खर्च के बारे में विचार किया गया। पाइप लाइन के द्वारा उत्पादों को भेजने का विकल्प अपेक्षाकृत किफायती पाया गया।

समाचार पत्रों का वर्गीकरण

170. **श्री कृष्ण सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों के वर्गीकरण सम्बन्धी मानदंडों को हाल ही में संशोधित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो संशोधनों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, 1 अप्रैल, 1989 से समाचार पत्रों का वर्गीकरण संशोधित किया गया है।

विवरण

(प्रति प्रकाशन दिवस प्रसार)

श्रेणी	1-4-89 से पहले	संशोधित
लघु	15,000 प्रतियों से कम	25,000 प्रतियों तक
मझोले	15,000 से 50,000 प्रतियों तक	25,000 से अधिक और 75,000 प्रतियों तक
बड़े	50,000 प्रतियों से अधिक	75,000 प्रतियों से अधिक

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से बंगलौर में पवन ऊर्जा केन्द्र की स्थापना

171. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से बंगलौर की राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला में पवन ऊर्जा केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) की आंशिक वित्तीय सहायता के साथ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से बंगलौर में राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला में एक पवन ऊर्जा केन्द्र की स्थापना की है। यह केन्द्र पवन मशीनों के मूल्यांकन, विकास, परीक्षण, प्रमाणीकरण एवं स्वदेशी उत्पादन के बारे में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा कार्यक्रम को वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी निदेश

प्रदान करेगा। स्टाफ की भर्ती तथा अनिवार्य अवसंरचना एवं सुविधाओं के सृजन सहित प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

कर्नाटक में कन्नड़ कार्यक्रमों का प्रसारण

172. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य में कन्नड़ कार्यक्रम प्रसारित नहीं किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अगस्त, 1989 से सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य में कन्नड़ कार्यक्रम प्रसारित करने का निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर द्वारा निर्मित दूरदर्शन कार्यक्रम बंगलौर तथा गुलबर्गा में कार्यरत उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों द्वारा ही टेलीकास्ट किए जाते हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। यह अतिरिक्त अन्तरिक्ष खण्ड सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

तमिलनाडु और कर्नाटक में नए कोयला स्टाकयार्डों का निर्माण

17?. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य दक्षिणी राज्यों में कोयला के नए स्टाकयार्डों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में किन-किन स्थानों पर नए कोयला स्टाकयार्डों का निर्माण किया जाएगा; और

(ग) इन स्टाकयार्डों को कब तक खोल दिया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु, मद्रास में और कर्नाटक, बंगलौर में स्टाकयार्डों को विनिर्मित किए जाने के आर्डर जारी कर दिए गए हैं। बंगलौर और होसपेट में स्टाकयार्डों को निर्मित किए जाने का कार्य अन्तिम चरण में है। स्टाकयार्डों की वाणिज्यिक रूप में लाभकारिता को देखते हुए तमिलनाडु, कोयम्बतूर में और कर्नाटक में हुबली तथा गुलबर्गा में भी स्टॉकयार्डों को खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ग) मद्रास, बंगलौर, मंगलौर और होसपैट में स्टाकयार्डों के 1989 के अन्त तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

जम्मू और कश्मीर में जल विद्युत परियोजनायें

174. **श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा जम्मू और काश्मीर में अब तक कौन-कौन-सी जल विद्युत

परियोजनायें आरम्भ की गई हैं और उनमें से प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत तथा विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना कब तक पूरी हो जायेगी;

(ग) चिनाब बेसिन से कौन-कौन-सी जलविद्युत परियोजना आरम्भ की गई है और कौन-कौन-सी परियोजनाएं अभी तक आरम्भ की जानी हैं; और

(घ) चिनाब बेसिन में स्थिति सभी जल विद्युत परियोजनाओं की परियोजना-वार विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है ?]

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा जम्मू तथा कश्मीर में केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु आरम्भ की गई जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

परियोजना का नाम और उसकी क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	वार्षिक ऊर्जा उत्पादन (मि० यू० में)	पूरा होने का वास्तविक/संभावित समय (वर्षों में)
1	2	3	4
सलाल चरण-1 (345 मेगावाट)	595.28 (निर्माण के दौरान ब्याज के बिना)	2038	नवम्बर, 1987 में चालू की गई
उड़ी ज० वि० परियोजना (480 मेगावाट)	1632.62 (131.87 करोड़ रु० के निर्माण के दौरान ब्याज सहित, परन्तु पारेषण लाइनों के बिना)	2663	कार्य आरंभ करने हेतु आर्डर दिए जाने की तारीख से 6 वर्ष, अर्थात् लगभग 11/95
दुलहस्ती ज० वि० परियोजना (390 मेगावाट)	1262.97 (96.20 करोड़ रु० के निर्माण के दौरान ब्याज सहित, परन्तु पारेषण लाइनों के बिना)	1928	कार्य आरंभ करने हेतु आर्डर दिए जाने की तारीख से 57 मास अर्थात् लगभग 1994 के मध्य में।

(ग) चिनाब बेसिन में उन जल विद्युत परियोजनाओं, जो प्रचालन में हैं, निर्माणाधीन हैं और जिनके संबंध में परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है, के नाम संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1978 से 1986 तक किए गए अध्ययनों के अनुसार, जम्मू तथा कश्मीर में चिनाब बेसिन में जल विद्युत स्कीमों की परियोजना-वार क्षमता संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

चिनाब बेसिन में जम्मू व कश्मीर में जल विद्युत परियोजनाएं

परियोजना का नाम

क. प्रचालनाधीन

1. सलाल चरण-1

ख. प्रचालनाधीन

1. दुलहस्ती

ग. के० वि० प्रा० द्वारा अनुमोदित तथा निवेश निर्णय की प्रतीक्षा में

1. बगलीहर
2. सावलकोट
3. सलाल (चरण-दो)

घ. तैयार की गई परियोजना रिपोर्टें

1. बुरसार
2. पाकल दुल

ङ. जांच अधीन परियोजना रिपोर्टें

नैगढ़ कल्लाहु

विवरण-2

1978 से 1896 तक के वि० प्रा० द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार जम्मू व कश्मीर में चिनाब बेसिन में जल विद्युत स्कीमों की परियोजनावार शक्यता

क्रम सं०	स्कीम का नाम	60% भार गुणक पर शक्यता (मेगावाट)
1	2	3
1.	सुहास	272
2.	बासीनोम	233
3.	शू	113
4.	नौनत	522
5.	किरू	133
6.	कवार	230

1	2	3
7.	दुलहस्ती	565
8.	रतले	342
9.	शामनोत	123
10.	बगलीहर	330
11.	सावलकोट	592
12.	सलाल	378
13.	अर्थल	11
14.	बुरसार	128
15.	पाकलदुल	513
16.	बिचलारी	40
17.	वमनी	3
18.	कल्लर	8
19.	कंनानी	12
20.	कुनो	3
21.	नागा	7
22.	तिपरी	7.5
23.	किवा	8
24.	बटरी	7
25.	दुनदी	12.5

रियासी, जम्मू और कश्मीर में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

175. श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रियासी, जम्मू और कश्मीर के लोग लम्बे समय से दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की की मांग करते रहे हैं;

(ख) क्या रियासी में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो वहां पर इसकी स्थाना कब की जायेगी; और

(घ) क्या बनिहाल, कटड़ा, वैष्णों देवी और डोडा में भी दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) समय-समय पर इस आशय के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) जबकि डोडा में 2 × 10 वाट दूरदर्शन ट्रांसमीटर पहले ही स्थापित कर दिया गया है। दूरदर्शन की सातवीं योजना में रिआसी, बनिहाल और कटरा-वैष्णों देवी में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए कोई स्कीम नहीं है। तथापि, रिआसी और कटरा-वैष्णों देवी क्षेत्र, जम्मू में कार्यरत उच्च शक्ति (10 किलो वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र में आते हैं लेकिन मध्यवर्ती भू-भाग के कारण इस स्थानों पर सिग्नल क्षमता कमजोर है। इस क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा का और अधिक विस्तार (ऐसे क्षेत्रों में स्थित देश के अन्य भागों में भी) दूरदर्शन विस्तार की भावी योजना में इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सरकारी उपक्रमों में भारतीय रिजर्व बैंक का मूल्य समायोजन फार्मूला

176. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या **उद्योग मंत्री** सरकारी उपक्रमों में भारतीय रिजर्व बैंक का मूल्य समायोजन फार्मूला के बारे में 9 मई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8816 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उद्यम कार्यालय ने केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के उपक्रमों को क्या मार्गनिर्देश जारी किये हैं; और

(ख) अनुबन्ध और मानक अनुबन्ध प्रपत्रों की सामान्य शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम कार्यालय ने दिनांक 6 फरवरी, 1973 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं० सलाहकार (निर्माण)/सामान्य-53/71/परि०-103/73 के द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य के लिए अनुबन्ध की सामान्य शर्तों एवं मानक अनुबन्ध प्रपत्र के विषय में मार्गनिर्देश जारी किये हैं, जिन्हें उपक्रम अपने सिविल निर्माण कार्य के लिए अपनी आवश्यकतानुसार उपयुक्त संशोधन करके अपना सकते हैं। छिहत्तर पृष्ठों में वर्णित ये मार्गनिर्देश काफी विस्तृत हैं और और सिविल निर्माण कार्य सम्बन्धी सभी पहलुओं, जिनका उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है, को शामिल करते हैं :

(i) विषय-क्षेत्र एवं कार्यनिष्पादन, जिसमें अनुबन्ध दस्तावेज, स्थल का निरीक्षण, निविदा की पर्याप्तता, अन्तर एवं भूलों का समायोजन, जमानत जमा, विचलन/अन्तर सीमा एवं मूल्य निर्धारण, कार्य का लम्बन, समय एवं विलम्ब के लिए समय बढ़ाना, सामग्री, श्रम, स्थल-जलोत्सारण, खुदाई से प्राप्त सामग्री एवं निरवात निधि, वृक्षों का संरक्षण, निगरानी एवं प्रकाश व्यवस्था, संविदाकार का पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं अनुमोदन, प्रभारी अभियंता के प्रतिनिधि के कर्तव्य तथा उसकी शक्तियां, कामगारों का हटाया जाना, पूर्णता प्रमाण-पत्र, विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति, संविदाकार का दायित्व एवं बीमा, स्थानीय निकायों को सूचना, उप अनुबन्ध, मृत्यु के कारण अनुबन्ध की समाप्ति, अनुबंध को पूर्णतः या अंशतः रद्द करना, टूट-फूट, दोष एवं अपूर्णता तथा उनके सुधार आदि दायित्व शामिल हैं;

(ii) मूल्यांकन एवं भुगतान, जिसमें अभिलेख एवं मापन, मापन की विधियां, अन्तिम बिल के भुगतान की समय-सीमा, मूल्य भिन्नता की स्थिति में प्रतिपूर्ति/वापसी, ऋण

बोनस (जहां निर्धारित अवधि के पूर्व पूर्णता वांछित है) और अधिक भुगतान एवं कम भुगतान आदि शामिल हैं; और

(iii) मध्यस्थता एवं कानून-मार्गनिर्देशों में कई मानक प्रपत्र भी शामिल हैं, जैसे—निविदा प्रपत्र (मद-दर निविदा तथा प्रतिशतता-दर निविदा के लिए पृथक-पृथक), निविदा आमंत्रण सूचना प्रपत्र तथा अनुबन्ध की सामान्य शर्तों के अन्तर्गत आवश्यक विभिन्न विलेख अर्थात् प्रत्येक अनुबन्ध में जमानत जमा के बदले में बैंक प्रत्याभूति का प्रपत्र, सभी प्रकार के अनुबन्धों के लिए अग्रिम राशि/जमानत जमा आदि के बदले में बैंक प्रत्याभूति का स्थायी प्रपत्र, एकमुश्त राशि प्राप्त करने के लिए बैंक प्रत्याभूति का प्रपत्र, संयंत्र तथा उपस्कर को स्थल से हटाने के लिए बैंक प्रत्याभूति प्रपत्र तथा रेहन-विलेख का प्रपत्र आदि।

पेट्रोल के नए डीलर

[हिन्दी]

177. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल चयन बोर्ड द्वारा चुने गए पेट्रोल डीलर पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उद्योग मंत्रियों की बैठक में चर्चा के विषय

[अनुवाद]

178. **श्री ओ० एस० वासवराजू :**
श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सभी राज्यों के उद्योग मंत्री की ग्रामीण औद्योगिकीकरण की नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये गये हैं;

(ग) क्या कोई कार्यवाही योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। अखिल भारतीय उद्योग मंत्री सम्मेलन केन्द्रीय उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में 8 जुलाई, 1989 को हुआ था।

(ख) से (घ) सम्मेलन में इस सुझाव पर चर्चा की गई और इसका समर्थन किया गया कि आठवीं योजना में औद्योगीकरण और ग्रामीण रोजगार के लिए मुख्य रूप से ग्रामीण औद्योगीकरण पर बल किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय किये गये :—

(1) खादी तथा ग्रामोद्योगों के कार्यकलापों के अधीन अधिक ग्रामों को लाना।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में नये उद्योग चालू करना।

(3) संशोधित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के अनुसार राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियमों में संशोधन करना।

(4) राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों को मजबूत बनाना।

(5) कारीगरों, विशेष रूप से अ० जा०/अ० ज० जाति के कारीगरों और महिला कारीगरों की मजदूरी में सुधार करना।

(6) ग्रामीण औद्योगीकरण तथा वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने तथा सुप्रवाही बनाने के कामों में लगी हुई फील्ड स्तर की एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना।

(7) नये उत्पाद, नयी तकनोलोजी नये किस्म के कच्चे माल का प्रयोग आरम्भ करना।

(8) विपणन के लिए अधिक सहायता देना।

(9) बाजार मांग के अनुरूप उत्पादन की नीति अपनाना जिसमें डिजाइन इनपुट, प्रशिक्षण सुविधाएं और कच्चे माल सम्बन्धी सहायता आदि सम्मिलित हैं।

(10) विज्ञान और तकनोकोजी का प्रयोग तथा अप्रचलित उद्योगों में कारीगरों को पुनः प्रशिक्षण देना।

राज्यों के जो मुख्य मंत्री और सम्मेलन में उपस्थित थे उन्होंने इन कार्यों का समर्थन किया और वे ग्रामीण औद्योगीकरण की गति बढ़ाने हेतु इस नीति का कार्यान्वयन करने हेतु कार्यवाही आरम्भ करेंगे।

बिजली का उत्पादन

179. **श्री जी० एस० बासवराजू** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में भूमिगत बिजली घर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह यह कब तक पूरा हो जायेगा;

(ग) वर्ष 1989 के दौरान रायचूर ताप विद्युत केन्द्र में बिजली के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक में वराही जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है जिसमें 115-115 मेगावाट के दो यूनिटों वाला एक विद्युत केन्द्र शामिल है। प्रथम यूनिट को 23-4-89 को घूर्णित

किया गया था और इसे समकालिन किया जाना है। दूसरे यूनिट का उत्थान किया जा रहा है और इसे मार्च, 1990 में घूर्णित किए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) रायचूर ताप विद्युत केन्द्र का विद्युत उत्पादन इस प्रकार था :—

	लक्ष्य (मि० यू०)	उपलब्धि (मि० यू०)	%
1988-89	2400	2444	101.8
अप्रैल, 1989	216	254	117.6
मई, 1989	224	205	91.5
जून, 1989	216	144	66.7

"अन्क्वालीफाइड एग्जामिनर्स फार लाइसेंसिंग पायलट्स"

180. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अक्तूबर, 1988 के टाइम्स आफ इंडिया में "अन्क्वालीफाइडमैन लाइसेंसिग पायलट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि पायलटों के मूल्यांकन के लिए अयोग्य परीक्षक जिम्मेवार हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सम्बन्धित परीक्षकों की योग्यताओं कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है और उन पर क्या कारंवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का गणन मूल्यांकन और अयोग्य परीक्षकों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जांच करने और उन पर कारंवाई करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) यह कहना उचित नहीं है कि अयोग्य परीक्षक, विमान चालकों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार रहे हैं क्योंकि वे अधिकारी जिन्हें परीक्षाओं का सचालन कार्य सौंपा जाता है, योग्य तकनीकी कार्मिक और इस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति होते हैं तथा उक्त प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से योग्य हैं। विमान चालकों के वैमानिकी लान के मूल्यांकन मानकों में कोई शिथिलता नहीं बरती गई है। विमान चालक लाइसेंस को विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षाओं के मानकों को समय-समय पर आधुनिक बनाया गया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और अधिक व्यवसाय अनुकूल बनाने के लिए इसमें सुधार किया गया है। अतः यह महसूस किया जाता है कि किसी भी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

बिहार में रुग्ण उद्योगों को लाभप्रद बनाना

181. **डा० सी० पी० ठाकुर** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1989 तक बिहार में रुग्ण उद्योगों की संख्या कितनी है; और

(ख) बिहार में रुग्ण उद्योगों को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) देश में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित किये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1987 के अंत में बिहार में संगठित क्षेत्र में 29 रुग्ण एकक एवं लघु क्षेत्र में 14,151 रुग्ण एकक हैं।

(ख) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए भारत सरकार की बिहार सहित समग्र देश के लिए एक समान नीति है। इस नीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं :—

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 बनाया है। रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अधिनियम के अधीन 'औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०)' नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने के लिए बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक कदम उठाये जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुन: स्थापन पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निर्देश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुन: स्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंकों को अलग से दिशानिर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों की पुन:स्थापना हेतु बैंक, भारयीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही, राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) भारत सरकार ने लघु क्षेत्र में रुग्णता की घटना को कम करने सम्बन्धी राज्य सरकारों के प्रयासों से मदद करने के उद्देश्य से एक सीमांत धन योजना आरंभ की है। उदारीकृत योजना के अधीन पुन:स्थापना के लिए रुग्ण छोटे एककों के प्रति एकक उपलब्ध सहायता की अधिकतम धनराशि को 20,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 रु० कर दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में श्वेत पत्र

182. **डा० सी० पी० ठाकुर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में श्वेत पत्र को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक तैयार करके सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) सर.ारी क्षेत्र सम्बन्धी श्वेत-पत्र अभी भी सरकार के विचाराधीन है तथा ज्यों ही इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तो इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

पेट्रोल के साथ एथानोल और मेथानोल का प्रयोग

183. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल के साथ एथानोल और मेथानोल के प्रयोग के बारे में आर्थिक-तकनीकी व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए गठित की गई अंतर-मंत्रालीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बायोगैस की स्थापित क्षमता और उस पर व्यय की गई धनराशि

184. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभी तक केवल 10 लाख से कुछ ही अधिक बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जबकि इसकी तुलना में चीन में दो करोड़ बायोगैस संयंत्र स्थाठित किये जा चुके हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार बायोगैस उत्पादन की स्थापित क्षमता क्या थी और वास्तव में कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ग) क्या इसकी निगरानी/मूल्यांकन के लिए कोई स्वतंत्र ढांचा है; और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उसके क्या परिणाम रहे;

(घ) देश में सभी पशुओं के उपलब्ध गोबर के उपयोग से बायोगैस का कुल कितना उत्पादन होने की संभावना है और इस उद्देश्य के लिए अगले दस वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) अब तक स्थापित किये गये बायोगैस एककों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 'बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना' के अंतर्गत वर्ष 1981-82 से 1988-89 की अवधि के दौरान देश में 1.07 मिलियन से भी अधिक परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र लगाए गए जबकि चीन में 5 मिलियन बायोगैस संयंत्र लगाए जाने की रिपोर्ट है जैसा कि अप्रैल-मई, 1988 में बेंगलूर में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कोर्स मे इन आंकड़ों का उल्लेख किया गया।

(ख) वर्ष 1986-87, 1987-88 तथा 1988-98 के दौरान देश में क्रमशः 2.00, 1.74 और 1.67 लाख परिवार आकार के संयंत्र लगाए गए। संयंत्रों की गैस उत्पादन क्षमता

1 से 15 घन मीटर प्रतिदिन है जबकि संयंत्रों में डाले जाने वाले गोबर की मात्रा और आवृत्ति आसपास के तापमान, रखरखाव आदि बातों पर निर्भर करते हुए प्रत्येक संयंत्र का वास्तविक बायोगैस उत्पादन अलग-अलग होता है।

(ग) जी हां। वर्ष 1987-88 में आठ स्वतंत्र एजेन्सियों को बायोगैस संयंत्र के मूल्यांकन सर्वेक्षण अध्ययन का कार्य सौंपा गया। अभी तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गुजरात तथा संघ क्षेत्र पांडिचेरी के बारे में तीन एजेन्सियों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं जिनसे यह पता चलता है कि सर्वेक्षण किए संयंत्रों में से समग्र रूप से 87.5 प्रतिशत संयंत्र कार्य कर रहे थे। इन अध्ययनों ने लाभार्थियों के उपयुक्त चयन, निर्माण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने, विशेषकर स्थिर डोम मॉडल के बायोगैस संयंत्रों के निर्माण के लिए प्रशिक्षित जन-शक्ति का सृजन करने, रखरखाव अनुवर्तन और मरम्मत सुविधाओं का विकास, विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक अधसंरचना को सशक्त बनाना, समन्वय समितियों की स्थापना करना, तकनीकी सूचना का प्रसार करना, उपयोगकर्त्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना आदि बातों पर बल दिया है।

(घ) देश में परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र लगाने की अनुमानित कुल संभाव्यता लगभग 16 से 22 मिलियन संयंत्र हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा अपने "ऊर्जा 2001 भावी योजना अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत" कार्यक्रम में सन् 2000 तक 12 मिलियन बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का विचार है।

(ङ) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत 1981-82 से 1988-89 की अवधि के दौरान लाभार्थियों को केन्द्रीय आर्थिक सहायता तथा साथ ही साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, टर्न की जॉब फी, संवर्द्धनात्मक नकद प्रोत्साहन आदि के लिए वित्तीय सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों और कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंन्सियों को 314.25 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई। इसके अतिरिक्त बायोगैस संयंत्रों की शेष लागत को पूरा करने के लिए लाभार्थियों ने अपने संसाधन अथवा बैंक ऋणों का निवेश भी किया है।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में तेल और प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक दोहन

185. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अथवा आयल इंडिया लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले के साबांग ब्लाक के किसी क्षेत्र को तेल और प्राकृतिक गैस वाणिज्यिक उपयोग के लिए संभावित क्षेत्र होने के रूप में पता लगाया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वहां पर भूमि के बहुत बड़े भाग को अधिग्रहीत करने तथा कुछ भवनों का निर्माण आरम्भ करने का क्या उद्देश्य है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में साबांग नामक स्थान सहित विभिन्न स्थानों पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 1984-87 के दौरान भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये थे; और इस भूकम्पीय आंकड़े के निर्वचन के आधार पर साबांग से लगभग 7 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में

चांदकुरी-1 नामक स्थान का 4200 मीटर की लक्ष्यांकित गहराई तक अन्वेषण खुदाई करने के लिए विमोचन किया गया है। रिगों के आधार के लिए सिविल निर्माण कार्यों, पहुंच मार्गों को तैयार करने आदि जैसे अवसंरचना संबंधी कार्य प्रगति पर है। अन्वेषण परिक्षण कूप चांदकूरी-1 से उस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बनों की संभावना के निर्धारण के लिए आंकड़े तैयार किये जाने की आशा है। फिलहाल, उस क्षेत्र में पाये जाने के बारे में कोई संकेत नहीं मिला है।

दंत मन्जन का निर्माण

186. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दन्त मंजन का उत्पादन लघु उद्योग एककों के लिए आरक्षित रखा गया है;

(ख) क्या दन्त मंजन के निर्माण के लिए किन्ही बड़े एककों को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दन्त मंजन (टूथ पाउडर) बनाने के वास्ते 1985 से अब तक संगठि० क्षेत्र के किसी भी एकक को कोई आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) से उत्तर को देखते हुए प्रश्न नही उठता।

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु संदर्शी योजना

187. **श्री बी० तुलसी राम : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सकरार ने देश में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु बनाई गई संदर्शी योजना के चरणों का पुनः निर्धारण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह कार्य कब पूरा हो जायेगा; और

(घ) वर्ष 2000 तक प्रत्येक राज्य की ऊर्जा की मांग किस हद तक पूरी की जायेगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने "ऊर्जा-2001, भावी योजना अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत" नामक एक दस्तावेज तैयार किया है जिसमें 2000 ईस्वी तक ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों से 250.17 मिलियन टन कोयला के बराबर (15000 मेगावाट विद्युत सहित) सम्भाव्य ऊर्जा उत्पादन/बचत करने का विचार है बशर्ते कि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध किए जाएं। क्योंकि सातवीं योजना अवधि के दौरान अपेक्षित धनराशि उपलब्ध नहीं की जा सकी इसलिए इस दस्तावेज में अंतर्विष्ट प्रस्ताव आठवीं योजना अवधि के दौरान शुरू किये जा सकते हैं बशर्ते कि अब इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाएं।

(घ) क्योंकि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विकेन्द्रीकृत रूप से तापन, खाना पकाने, सिंचाई आदि जैसी विभिन्न प्रकार की ऊर्जा मांगों को पूरा करने में लगे हुए हैं इसलिए राज्यवार विद्युत उत्पादन के लिए अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है।

अन्तर्देशीय यात्रा कर के कारण विमान किराये में वृद्धि

188. **श्री बी० तुलसीराम :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अन्तर्देशीय यात्रा कर लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप विमान किराये में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वृद्धि से घाटा कितना पूरा किया जा सकेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकार ने 1-7-1989 से मूल विमान किराये के 10% के समकक्ष अन्तर्देशीय यात्रा कर लगाया है।

(ग) इससे प्राप्त राशि सरकार के राजस्व में जमा की जाएगी, अतः नये कर से विमान कम्पनियों की वित्तीय स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

असम में तेल और प्राकृतिक गैस का पता लगाने के लिए स्थानों का चयन

189. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में कुछ क्षेत्रों को तेल और प्राकृतिक गैस का पता लगाने के लिए चयन किया है; और

(ख) यदि हां, तो जिलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के पास असम के निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए पेट्रोलियम खोज लाइसेंस है :—

जिला		क्षेत्र
डिब्रूगढ़	—	तिनसुखिया डिब्रूगढ़ मारघरीटा जोरहाट डुमडुमा एक्सटेंशन मोरन एक्सटेंशन
शिवसागर	—	मोरन एक्सटेंशन डुमडुमा एक्सटेंशन जोरहाट
लखीमपुर	—	मुरकोंगसीलेक

दिल्ली के लिए विद्युत योजनाएं

190. **श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने आगामी कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिजली की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे बिजली का अनुमानित कितना उत्पादन हो सकेगा और आवश्यकता की कितनी पूर्ति हो सकेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग मे राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (रा० ता० वि० नि०) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना (840 मेगावाट) तथा गैस पर आधारित दादरी संयुक्त साइकल विद्युत परियोजना (817 मेगावाट) की स्थापना कर रहा है ।

(ग) इन परियोजनाओं के प्रचालन से, आठवीं योजना अवधि के दौरान 1657 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो जाएगी जिससे दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विद्युत उपलभ्यता में पर्याप्त मात्रा में सुधार होगा ।

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन

191. **श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया ने एकाधिकार और अवरोधक व्यवहार अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में भारी संशोधन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया के सुझावों की जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकार के ध्यान में आया है कि दिनांक 2-7-1989 के इकोनोमिक टाइम्स में "एसोचेम फार रिव्यू आफ फेरा, एम० आर० टी० पी० ऐक्ट," शीर्षक के अन्तर्गत एक समाचार प्रकाशित हुआ है ।

(ख) और (ग) जहां तक उद्योग मंत्रालय का संबंध है, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में और संशोधन करने के प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय केवल आठवीं योजना हेतु औद्योगिक विकास की नीति तैयार करने के पश्चात ही लिया जाएगा ।

विशाखापत्तनम में ओलेफाइन काम्पलैक्स की स्थापना

192. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में प्रस्तावित ओलेफाइन काम्पलैक्स के लिए अनेक सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में आवेदन किया था;

(ख) क्या इस बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या विस्फोटक के लिए आवश्यक सामग्री भण्डार का दो तिहाई भाग प्रदान करने हेतु हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन विशाखापत्तनम में नेप्था उपलब्ध कराएगा; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा विशाखापत्तनम में लाइनर अलकाइल बेंजीन संयंत्रों तथा आक्सो-अल्कोहल संयंत्रों की अनुमति दे दी गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) जी, हां,

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह क्रेकर विशाखापत्तनम स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० की शोधनशाला से उपलब्ध नैप्था पर आधारित होगा । उपलब्धता में किसी भी कमी को आयात, यदि आवश्यक हो, सहित अन्य स्रोतों से पूरा किया जाएगा ।

(घ) जी, हां ।

विशाखापत्तनम में सुपर ताप विद्युत केन्द्र

193. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विचार विशाखापत्तनम में 2000 मेगावाट का एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) क्या केन्द्रीय सर्वेक्षण दल ने इस परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन कर लिया है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए मांगी गई भूमि राज्य सरकार ने पहले ही आबंटित कर दी है;

(घ) क्या इस परियोजना की परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम विशाखापत्तनम के निकट एक 2000 मेगावाट कोयले पर आधारित तटवर्तीय सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना की संभावनाओं का पता लगा रहा है । परियोजना के लिए भूमि आबंटन और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का प्रश्न तो तभी उठेगा जबकि परियोजना के लिए स्थल का अंतिम रूप में निर्णय ले लिया जाएगा और परियोजना को व्यहार्यता को स्थापित कर लिया जाएगा ।

आठवीं योजना के दौरान हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की परियोजनाएं

194. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने आठवीं योजना में लगभग 3200 करोड़ रुपए परिव्यय की परियोजनाएं आरम्भ करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी परियोजना-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में विशाखापत्तनम तेल-शोधन कारखाने में एक रक्षित विद्युत संयंत्र प्रचुर शोधन सुविधाओं और सल्फर निकालने वाले एककों तथा विशाखापत्तनम में रसोई गैस के आयात की सुविधाओं को शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) आठवीं योजना की अवधि (1990-95) के दौरान हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० का निम्नलिखित अनेक बड़ी परियोजनाओं का प्रस्ताव है। प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्योरा इस प्रकार है :

परियोजना	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)
वेस्ट कोस्ट पर 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता की एक ग्रास रूट रिफाइनरी	1500
भण्डारण के लिए विपणन सुविधाएं, परिवहन और उत्पादों का वितरण	1030
विजाग-विजयवाड़ा 14" व्यास की 350 कि० मी० उत्पाद पाइपलाइन	200
विजाग रिफाइनरी में लैब फिड स्टाक सुविधाओं का निर्माण	110
विजाग में एक सरोमैटिक कम्पलेक्स (बैंजीन)	100
रिफाइनरियों में उपकरणों और नियंत्रण का आधुनिकीकरण	60
मंगलूर में एल० पी० जी० आयात सुविधाएं	50
विजाग रिफाइनरी का विस्तार 4·5 से बढ़ाकर 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष करना	40
बम्बई रिफाइनरी में मल्टीग्रेड मोम का विनिर्माण	30
रिफाइनरियों में ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएं	25
	3145

(ग) जी, हां

(घ) अपेक्षित ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम सं० परियोजना का नाम	अनुमोदित/प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपए)	स्थिति
1. विजाग रिफाइनरी में कैपटिव पॉवर प्लांट	42.90	काम चल रहा है। मुख्य उपकरण के लिए बी० एच० ई० एल० को आर्डर दिए गए हैं।
2. मिनाज को पूरा करने के लिए निस्राव उपचार सुविधाएं	12.00	काम चल रहा है। इंजीनियरी का काम हो रहा है।
3. सल्फर रिकवरी यूनिट	10.00	प्रोसैस के चयन का काम पूरा हो गया है।
4. एल० पी० जी० आयात सुविधाएं	00.78	कुछ काम पूरा किया गया है।

भवानी पटना दूरदर्शन केन्द्र का निर्माण

195. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कालाहन्डी जिले में "भवानी पटना" में एक 10 के० वी० के दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र का निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था; और

(ग) यह केन्द्र कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा तथा इससे कितने क्षेत्र में प्रसारण सुविधा उपलब्ध होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, हां। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में भवानीपटना में एक उच्च शक्ति (10 कि० वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है।

(ख) इस परियोजना का सिविल कार्य नवम्बर, 1988 में शुरू हुआ था।

(ग) भवानीपटना के उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर 1990 के दौरान सेवा के लिए चालू हो जाने की सम्भावना है तथा आसपास के क्षेत्रों सहित, जहां एलीवेटिड एंटीना, बूस्टरों, इत्यादि की सहायता से प्रसारण साफ-साफ प्राप्त हो सकता है, इस ट्रांसमीटर से लगभग 120 कि० मी० क्षेत्र के अन्दर-अन्दर दूरदर्शन सेवा प्रदान किए जाने की उम्मीद है।

नरेला में औद्योगिक भूखंडों का आबंटन

196. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने नरेला परियोजना के अन्तर्गत भूखंडों के आबंटन के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किए थे;

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि क्या थी;

(ग) क्या इन आवेदन पत्रों के आधार पर भूखंडों का आवंटन कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) कब तक भूखंडों का आबंटन कर दिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) कुल 3783 आवेदन प्राप्त हुए थे तथा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 15 मई, 1987 थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भूखण्डों के आरक्षण के लिए कुछ वर्गों से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस मामले की कार्यकारी परिषद् दिल्ली जांच कर रही है।

(ङ) आरक्षण के विषय पर निर्णय हो जाने के बाद आबंटन किया जाएगा।

पक्षियों के टकराने से विमानों के रेडोम को क्षति

198. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक**: क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पक्षियों के टकराने से इंडियन एयरलाइन्स के विमानों के रेडोम को क्षति पहुंची है तथा पायलट जख्मी हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विमानों में ऐसे रेडोम लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, जो पक्षियों के टकराने के बावजूद सुरक्षित रहें ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) और (ख) 28-6-89 को इंडियन एयरलाइन्स की आई० सी०-447 उड़ान परिचालित कर रहा बोइंग 737 विमान उपरितरण के पश्चात पक्षी से टकरा गया था। विमान के निम्नलिखित उपकरणों को हानि पहुंची :—

(1) संख्या 3 स्लैट

(2) राडार एन्टेना

(3) फारवर्ड प्रेशर बल्कहैड

(4) रेडोम

विमान चालक को कोई चोट नहीं पहुंची।

(ग) विमानों के लिए पक्षी टकराव रोधी रहित किसी रेडोम का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है। अतः इस दिशा में किसी विशेष उपाय पर विचार करने का इरादा नहीं है।

तपेदिक की औषधि के मामलों से संबंधित समिति

199. **श्री राज कुमार राय : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तपेदिक रोधी औषधि के सम्बन्ध में कुछ मामलों का अध्ययन करने हेतु औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों के सदस्य (वित्त) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी;

(ख) क्या समिति ने इस औषधि के लिए अपेक्षित माध्यमिक औषधियों का आयात उक्त औषध के आयात मूल्य से अधिक पर किए जाने, बड़े निर्माताओं द्वारा मूल्य मंजूर कराये बिना फार्मूलेशन बेचा जाना और उसका अधिक मूल्य लिया जाना और प्रोत्साहन गतिविधि के रूप में महंगे मदों का वितरण किए जाने के प्रश्नों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इन मुद्दों पर समिति के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है या की जानी है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) जी, हां।

(ख) रिफेम्पिसिन प्रपुंज औषध के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में सरकार को यह प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए समिति गठित की गई थी। अधिक कीमत वसूलने, बीजक में अधिक मूल्य लिखने, मूल्य अनुमोदन प्राप्त न करने, कंपनियों की संवर्धनात्मक गतिविधियों आदि जैसे मामले समिति के कार्य क्षेत्र में नहीं थे।

(ग) और (घ) भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल के लिए राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली

200. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-जून, 1989 में केरल के लिए राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से आबंटन के लिए कितनी बिजली मंजूरी की गई थी;

(ख) इस सम्बन्ध में बिजली के सामान्य सप्लाई रूट तथा ट्रांसमिशन की व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से केरल को वस्तुतः कितनी बिजली प्राप्त हुई; और

(घ) क्या इस अवधि के दौरान केरल को राष्ट्रीय ग्रिड से आवंटित बिजली प्राप्त हुई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ग) इन भागों में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

मास	आबंटन (मि० यू०)	वास्तविक प्राप्ति (मि० यू०)
जनवरी, 89	125.8	75.0
फरवरी, 89	134.8	56.0
मार्च, 89	149.4	88.7
अप्रैल, 89	109.0	83.4
मई, 89	120.2	98.1
जून, 89	134.9	130.4
जोड़	774.1	531.6

(ख) केरल अपना हिस्सा दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय केन्द्रों से विस्थापन द्वारा तमिलनाडु तथा/अथवा कर्नाटक पारेषण प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त करता है।

(घ) जनवरी, 1989 से जून, 1989 तक की अवधि के दौरान केरल को केन्द्रीय केन्द्रों से विद्युत की कम सप्लाई का कारण 15 मार्च, 1989 तक नागार्जुन सागर तथा कुड्डापाह के मध्य केवल 400 कि० वो० परिपथ का उपलब्ध होना तथा मई, 1989 में कुड्डापाह के निकट चार दि०/धा० 400 कि० वो० टावरों के गिर जाने से 400 कि० वो० कुड्डापाह-बंगलौर तथा कुड्डापाह मद्रास लाइनों का बन्द हो जाना था।

कोलार गोल्ड फील्ड्स में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

210. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार गोल्ड फील्ड्स में कोई दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र है; और

(ख) यदि नहीं, तो वहां पर दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना कब तक की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) कोलार गोल्ड्स में चालू वर्ष के दौरान ही एक अल्प शक्ति दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का भारतीय नौवहन निगम के साथ संयुक्त उद्यम

202. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में भारतीय नौवहन निगम को तटदूर क्षेत्रों में

तेल की खोज में तेजी लाने के लिए इन दोनों संगठनों के विशेषज्ञों से एक संयुक्त उद्यम प्रारम्भ करने का सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त उद्यम का कोई ब्यौरा तैयार किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) कम और मध्यम दर्जे की प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को छोड़कर व्यापार की अपनी मुख्य धारा में अपने कार्यों को एकाग्र करने के लिए कुछ वर्ष पूर्व इसके द्वारा खरीदे गये अपतटीय सप्लाई के जहाजों के अपने फ्लीट में से कुछ जहाजों को बेचकर तथा कुछ जहाजों के प्रबन्ध/परिचालन के लिए भारतीय नौवहन निगम के साथ एक संयुक्त उद्यम कम्पनी बनाने का तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का प्रस्ताव है। इस बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

जल विद्युत और ताप विद्युत के अनुपात में असन्तुलन

203. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल-विद्युत और ताप-विद्युत के अनुपात में लगातार असन्तुलन बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) जल-विद्युत और ताप-विद्युत के उत्पादन के अनुपात में बढ़ते हुए असन्तुलन को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में जल विद्युत का हिस्सा 33.9% था। इसके सातवीं योजना के अन्त तक कम होकर लगभग 29.5% हो जाने की संभावना है।

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में कई जल-विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव है जिनसे आठवीं योजना में लाभ प्राप्त होंगे। देश में जल विद्युत के विकास के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का भी प्रस्ताव है। जल विद्युत परियोजनाओं की निर्माणावधि को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कंटाई उप-मंडल में दूरदर्शन कार्यक्रमों का स्पष्ट दिखाई न देना

204. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में पर्यटन स्थल दीघा सहित कंटाई उप-मंडल में दूरदर्शन कार्यक्रम स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्या कदम उठाने का विचार है जिससे वहां ये कार्यक्रम स्पष्ट दिखाई देने लगें ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के भागों को खड़गपुर और मिदनापुर के अल्प शक्ति (100

वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटरों तथा कलकत्ता और आसनसोल में कार्यरत उच्च शक्ति (10 कि० वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से सेवा प्राप्त होती है। चूंकि कंटाई उप-मण्डल इन ट्रांसमीटरों की कवरेज क्षेत्र से बाहर पड़ता है, इसलिए यहां संतोषजनक दूरदर्शन सेवा प्राप्त होने की आशा नहीं है। कंटाई उप-मण्डल सहित देश के कवर नहीं हुए शेष भागों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार, दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं में इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध ढंग से किया जा सकता है।

दूरदर्शन पर विज्ञापनों की दरें

205. **श्री शांताराम नायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय प्रसारण के कार्यक्रमों में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के लिए क्या दरें निर्धारित की गई है; और

(ख) क्या राष्ट्रीय प्रसारण के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भिन्न दरें तय की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) कार्यक्रम के टेलीकास्ट समय और दर्शकों की संख्या पर निर्भर करते हुए राष्ट्रीय नेटवर्क पर विज्ञापनों की भिन्न-भिन्न दरें होती हैं। राष्ट्रीय नेटवर्क पर 10 सेकिंड के विज्ञापनों के लिए वर्तमान दरें निम्नलिखित हैं :—

(1) महाभारत और रामायण	—एक लाख रुपये
(2) चित्रहार	—80,000 रुपये
(3) हिन्दी फीचर फिल्म	—75,000 रुपये
(4) 9 बजे रात्रि के समय धारावाहिक	—65,000 रुपये
(5) रविवार की सुबह	—40,000 रुपये
(6) रात्रि में 9.50 बजे और 10.40 के बीच	—30,000 रुपये
(7) रात्रि में 0.40 बजे के बाद और सुबह तथा दोपहर बाद के प्रसारण के दौरान	—15,000 रुपये

गोआ में लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता

206. **श्री शांताराम नायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गोआ सरकार को लघु उद्योगों में आधुनिकीकरण के लिए कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) :

(क) और (ख) भारत सरकार का लघु उद्योग विकास संगठन (एस०आई०डी०ओ०) गोवा सहित प्रत्येक राज्य में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों (अर्थात लघु उद्योग सेवा संस्थान) के माध्यम से कार्यशालाओं, सेमीनारों, इंडस्ट्री क्लीनिकों, अन्तर संयंत्र अध्ययनों के जरिये लघु उद्योगों का आधुनिकीकरण करता है। लघु उद्योग एककों के लाभ के लिए उद्योगों की स्तर रिपोर्टें तथा आधुनिकीकरण मार्गनिर्देशिकाएं भी तैयार की जाती हैं। गोवा में अन्य राज्यों की तरह एक फील्ड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, जो लघु एककों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने में सहायता करता है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि तथा भवन की व्यवस्था की गई है। अब यह केन्द्र भारत सरकार द्वारा खरीदे गये 2.04 लाख रुपये उपकरणों के साथ राज्य सरकार को दे दिया गया है।

गोआ में इंजीनियरों के लिए रियायती ब्याज योजना

207. **श्री शांताराम नायक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में इंजीनियरों के लिए रियायती ब्याज योजना कार्यान्वित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत गोआ में कितनी सहायता अथवा अनुदान के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) इंजीनियरों के लिए ब्याज राजसहायता की एक योजना केवल 31-3-1985 तक ही लागू थी और पिछले तीन वर्षों में कोई सहायता या अनुदान नहीं दिया गया है।

भारतीय विद्युत अधिनियमों में संशोधन

208. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (सप्लाई) अधिनियम, 1948 के कतिपय उपबन्धों में संशोधन करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 और बिजली (सप्लाई) अधिनियम, 1948 मे विभिन्न संशोधन, मुख्य रूप से अधिनियमों के प्रशासन, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के उत्पादन, विद्युत प्रतिष्ठानों की सुरक्षा संबंधी उपायों, ऊर्जा के अपव्यय के लिए अधिक दंड आदि से सम्बन्धित हैं।

अधिनियम मे संशोधन करने में काफी समय लगता है और पूर्ण रूप से स्वीकृत प्रारूप को अन्तिम रूप देने से पहले विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत विभागों तथा अन्य संबंधित संगठनों अर्थात विधि मंत्रालय आदि के साथ विचार-विमर्श किया जाना अपेक्षित है।

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड केरल का कापरोलेक्टम परियोजना

209. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि० कोचीन के कापरोलेक्टम परियोजना का आरम्भ में अनुमानित लागत क्या थी;

(ख) इस परियोजना पर वास्तव में कितनी लागत आई और इसके चालू होने का निर्धारित समय क्या है; और

(ग) इसे कब तक चालू किया जा सकेगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) से (ग) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० कोचीन की कैप्रोलेक्टम परियोजना की मूल अनुमोदित लागत 147.94 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की संशोधित अनुमोदित परियोजना लागत 315.00 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को अक्तूबर, 1989 में शुरू किए जाने की आशा है।

दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले क्षेत्रीय कार्यक्रमों की गुणवत्ता

210. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह एक आम शिकायत है कि दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले क्षेत्रीय कार्यक्रमों का स्तर निम्न होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) दूरदर्शन का हमेशा यह प्रयत्न रहा है कि वह क्षेत्रीय कार्यक्रमों सहित अपने कार्यक्रमों में सुधार लाए। इन केन्द्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को समय-समय पर कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षणों में भेजने के लिए प्रायोजित किया जाता है। दर्शक अनुसंधान एककों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों तथा दर्शकों से प्राप्त पत्रों को भी इन कार्यक्रमों में सुधार लाने की दृष्टि से ध्यान में रखा जाता है। केन्द्रों को उनके कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए सुझाव तथा सलाह देने के लिए विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों की कार्यक्रम सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं। जिनमें गैर-सरकारी प्रतिष्ठित सदस्य भी शामिल होते हैं।

दूरदर्शन पर "वर्ल्ड दिस वीक" कार्यक्रम

2·1. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर "वर्ल्ड दिस वीक" कार्यक्रम को जारी रखने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

पटना में दूरदर्शन स्टूडियो

[हिन्दी]

212. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पटना में इस समय निर्माणाधीन दूरदर्शन स्टूडियो कब तक प्रारम्भ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : पटना के निर्माणाधीन दूरदर्शन स्टूडियो का सिविल निर्माण कार्य पूरा हो जाने तथा आर्डर दिए गए उपकरणों को स्थापित कर दिए जाने पर इसके वर्ष 1991-92 में चालू होने की आशा है ।

बिहार में खादी ग्रामोद्योग के विकास के लिए प्रदान की गई धनराशि

213. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान बिहार में खादी ग्रामोद्योग के विकास के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि प्रदान करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) 1987 और 1988-89 के दौरान बिहार राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकासार्थ निम्नलिखित धनराशि वितरित/आवंटित की गई थी :—

वितरित/आवंटित की गई धनराशि के ब्यौरे

	1987-88 (वितरित) (रुपये लाख में)		1988-89 (आवंटित) (रुपये लाख में)	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
खादी	22.60	153.52	45.24	389.84
खादी पर छूट	405.00	—	590.00*	—
ग्रामोद्योग	18.03	162.56	66.13	302.21
योग	445.63	316.18	601.37	692.05

*अनन्तिम

वर्ष 1988-89 के दौरान किये गये वितरण की वास्तविक स्थिति का पता अक्तूबर, 1989 में किसी समय लगेगा ।

(ख) 1989-90 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योगों के कार्यान्वयन हेतु अनुदान के रूप में 131.69 लाख रुपये और ऋण के रूप में 503.68 लाख रु० की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। अनुमान है कि छूट की राशि वर्ष के दौरान सम्भवतः 592 लाख रुपये होगी। बजट चर्चा के समय स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

मधुबनी, बिहार में तेल भंडार

214. **श्री चंद्र किशोर पाठक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या बिहार के मधुबनी जिले में तेल के भण्डार पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर छिद्रण कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ग) यदि नहीं. तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) 22-3-1986 से 12-4-1987 तक की अवधि के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा बिहार के मधुबनी जिले में मधुबनी-1 नामक एक कुआं खोदा गया। इस कुएं को खोदने का उद्देश्य उप-साही भूमिगत जानकारी प्राप्त करना था। इस कुएं में हाइड्रोकार्बनों के होने के बारे में कोई संकेत नहीं मिले हैं।

बिहार में नई ताप-विद्युत परियोजना

215. **श्री चंद्र किशोर पाठक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या बिहार में कोई नई ताप विद्युत परियोजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के सहरसा जिले में कटैया ताप विद्युत परियोजना के आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उपलब्ध सूचना के अनुसार त्रिवेणी लिंक जल विद्युत परियोजना (2×1.65 मेगावाट) की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु जांच की जा रही है। निम्नलिखित जल-विद्युत परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टों की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की गई थी और इन्हें राज्य सरकार को वापिस भेज दिया गया था :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	संख जल विद्युत परियोजना	271.0	परियोजना रिपोर्ट, परियोजना प्राधि-

1	2	3	4
	(316 मेगावाट)		कारियों को, नवम्बर, 1987 में लौटा दी गई थी ताकि पहले मध्य प्रदेश तथा बिहार के बीच अन्तर्राज्जीय पहलुओं का समाधान किया जा सके।
2.	काधवां बहुद्देश्शीय परियोजना (450 मेगावाट)	377.70	परियोजना रिपोर्ट, बिहार जल विद्युत निगम लि० को फरवरी, 1989 में लौटा दी गई थी और उनसे अनुरोध किया गया था कि बहुद्देशीय परियोजना के सम्बन्ध में जल संसाधन विभाग के साथ समन्वय करके समेकित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(ग) और (घ) कोसी जल विद्युत केन्द्र (4 × 4.8 मेगावाट) (कटैया जल विद्युत परियोजना) कोकेन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई नवीकरण एवं क्षमता वृद्धि स्कीम में शामिल किया गया है। जल-विद्युत केन्द्र के सम्बन्ध में मानसून के महीनों के दौरान जलमग्न जंगली वनस्पति की समस्या का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप, विद्युत उत्पादन के लिए निम्न शीर्ष उपलब्ध होता है। जंगली वनस्पति की समस्या से निपटने के लिए कथित नवीकरण तथा क्षमता वृद्धि स्कीम में पौधों की छटाई एवं सफाई (ट्रैश रैक क्लीनिंग) उपकरण प्रतिष्ठापित किए जाने की व्यवस्था की गई है।

औषध कम्पनियों से वसूली

[अनुवाद]

216. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में उन कम्पनियों से, जिन्होंने अपने मामले उच्चतम न्यायालय में उठाए हैं, ड्रग प्राइसिस इकुलाइजेशन अकाउन्ट में देय धनराशि की वसूली के लिये कोई दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी अन्तंग्रस्त कम्पनियों के नाम क्या हैं और इस दल द्वारा हरेक औषध के सम्बन्ध में प्रत्येक कम्पनी की ओर कितनी धनराशि बकाया होने का अनुमान लगाया गया है;

(ग) किन कम्पनियों ने निर्धारित धनराशि के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है और ये अभ्यावेदन कब प्राप्त हुए थे;

(घ) क्या मंत्रालय को, कम्पनियों से आंशिक भुगतान प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) सुप्रीम कोर्ट के मामले में अन्तंग्रस्त कम्पनियों से वसूली योग्य राशियां निर्धारित करने के लिए 1987 में एक विशेष दल गठित किया गया था।

(ख) से (ङ) इस दल द्वारा अपना काम पूरा कर लेने के बाद विस्तृत जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उरान काम्पलेक्स में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारी

217. **श्री डी० बी० पाटिल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की उरान परियोजना में कुल कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) इस परियोजना ने इसकी स्थापना के फलस्वरूप प्रभावित हुए कितने लोगों को रोजगार दिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) उरान में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के परिसर में कुल मिलाकर 248 व्यक्ति नियोजित हैं इसमें से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 145 है।

उरान स्थित तेल उत्पादन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पद

218. **श्री डी० बी० पाटिल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के उरान स्थित तेल उत्पादन क्षेत्र तथा इसके बम्बई स्थित कार्यालय में सभी श्रेणियों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कितने पद तथा कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) मई और जून, 1989 में प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत कितने आरक्षित पदों को भरा गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पदों को भरना

219. **श्री डी० बी० पाटिल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कितने पद नहीं भरे गये हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) मई और जून, 1989 के दौरान प्रत्येक श्रेणी के कितने आरक्षित पदों को भरा गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए आरक्षित कुछ रिक्तियों को इन श्रेणियों से सम्बन्धित प्रत्याशी उपलब्ध न होने के कारण भरा नहीं जा सका है।

(ख) स्थिति नीचे दर्शाई गई है :

विभाग	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित भरी न गई रिक्तियों की संख्या		इन रिक्तियों की अवधि
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
विद्युत विभाग	59	48	तीन वर्ष तक की अवधि के भीतर
कोयला विभाग	7	3	
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग	3	3	

(ग) अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित एक रिक्त को जून, 1989 में भरा जा चुका है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का भरा जाना

220. **श्री डी० बी० पाटिल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में विभागवार सभी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पद भर लिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो कितने पद रिक्त पड़े हैं और वे कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी में मई और जून, 1989 में कितने आरक्षित पद भरे गये ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पल रख दी जाएगी।

पर्यटन के क्षेत्र में अमरीका के साथ सहयोग

221. **डा० कृपासिन्धु भोई : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पर्यटन के क्षेत्र में अमरीका के साथ सहयोग स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हस्ताक्षर किए गए करार-ज्ञापन अथवा समझौते का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) महत्वपूर्ण पर्यटन विरासत स्थलों के परिवेश में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार और अमरीका सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्बन्ध में समझौता ज्ञापन में दोनों सरकारों के बीच सहयोग के बारे में कहा गया है :

(क) सारनाथ और और बोधगया में सांस्कृतिक विरासत स्थलों के लिए पर्यटन एवं यात्री सेवाओं में हेतु सामान्य विकास योजना ।

(ख) यमुना नदी के पार ताजमहल के पीछे ऐतिहासिक पार्क का विकास ।

(ग) पर्यटन सम्बन्धी कार्यकलापों और पर्यावरणीय शिक्षा में कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उचित पाठ्यक्रम तैयार करना ।

धन के आबंटन के सम्बन्ध में प्रत्येक पार्टी द्वारा अपने व्यय की पूर्ति स्वयं करने की आशा है, सिवाय उस स्थिति में जबकि विशिष्ट संयुक्त परियोजनाओं के लिए विशेष राशि की जरूरत होती है ।

दिल्ली-बम्बई हवाई अड्डों पर विमान यातायात नियंत्रण प्रणाली का आधुनिकीकरण

222. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या नागर **विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर विमान यातायात नियंत्रण प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की योजना को मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धन-राशि खर्च की जायेगी; और

(ग) इस परियोजना पर कब तक कार्य आरम्भ होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) परियोजना की अनुमानित लागत 294 करोड़ रुपये है । सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया जाएगा ।

इण्डियन एयरलाइन्स के किराए में वृद्धि

223. **चौधरी खुर्शीद अहमद** :
मोहम्मद महफूज अली खान :
श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस के किराये में 10 प्रतिशत अन्तरदेशीय यात्रा कर के अतिरिक्त वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे इंडियन एयरलाइंस देश के यात्रियों और देश का दौरा करने वाले विदेशी यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) 9 जुलाई, 1989 से किराये में वृद्धि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) विभिन्न दूरी स्लैबों पर मूल रुपये किरायों में 30% से 20% तक की वृद्धि इस प्रकार की गई है :—

क्षेत्र दूरी	मूल रुपये किराये में प्रतिशत वृद्धि
1 से 300 कि० मी०	30%
301 से और इससे ऊपर	20%

(2) एक्जीक्यूटिव क्लास किरायों और इकानामी क्लास किरायों के बीच के अवकल में 20% से 30% तक की वृद्धि।

(3) मूल रुपये किरायों के 1.06% पर मूल कार्गो दरों और कुल यात्री किरायों के 1.1% पर अतिरिक्त सामान दर जारी रखना।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पिछली बार बढ़ाए गए किरायों के बाद परिचालन लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है जिसके प्रमुख कारण मार्ग दिक्चालन प्रभारों मे वृद्धि, सामान खपत पर व्यय में वृद्धि बाहरी मरम्मत, खाद्य सेवाएं, ब्याज और वित्त प्रभार, विमान का किराया और अमरीकी डालरों की दरों में अत्यधिक वृद्धि है। इसे अतिरिक्त भार को बराबर करने के लिए किरायों में वृद्धि के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। किरायों में वृद्धि के बावजूद लागत पूरी नहीं हो पाएगी जिसे इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उच्च उत्पादकता और लागत नियन्त्रण उपायों से पूरा किया जायेगा।

(ग) अन्तर्देशीय यात्रियों और देश का भ्रमण करने वाले विदेशी यात्रियों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स को प्रति वर्ष लगभग 121 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

शिक्षित बेरोजगार युवाओं सम्बन्धी स्वरोजगार योजना का अध्ययन

224. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पटेल इंस्टीट्यूट आफ इकानामिक्स एंड सोशल रिसर्च, अहमदाबाद ने

देश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं संबंधी स्वरोजगार योजना परिणाम के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या अध्ययन से यह बात सामने आई कि कई मामलों में योजना का लाभ निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है; और

(घ) यदि हां, तो लाइंस प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरदार पटेल इंस्टिट्यूट ऑफ इकानामिक्स एण्ड सोशल रिसर्च, अहमदाबाद द्वारा गुजरात और आन्ध्र प्रदेश प्रत्येक के दो जिलों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं सम्बन्धी स्वरोजगार योजना का मूल्यांकन किया गया था।

(ख) और (ग) रिपोर्ट में रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से योजना के कार्यान्वयन को काफी अच्छा बताया गया है। किन्तु, इसने योजना के कार्यान्वयन में कुछ कमियां बताई हैं जैसे लाभग्राहियों का पता न लग पाना, योजना के लाभ बेरोजगार व्यक्तियों, बिचौलियों तथा समृद्ध व्यक्तियों को मिलना तथा योजना के अधीन ऋण प्राप्त करने से लाभग्राहियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयां।

(घ) रिपोर्ट की प्रतियां सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं और इन्हें योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दी गई है।

नयी एयरबसों का चलाया जाना

225. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े में नये एयरबस ए-320 आने के बाद कुछ नये मार्गों पर सेवाएं प्रारम्भ करने तथा वर्तमान सेवाओं की संख्या में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कोचीन हवाई अड्डे को इस सूची में शामिल किया गया है; और

(घ) इन एयरबसों को शामिल किए जाने से इंडियन एयरलाइन्स की यात्री ले जाने की क्षमता में किस सीमा तक वृद्धि होगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में शामिल होने वाले तीन ए-320 विमान अब इंडियन एयरलाइन्स को मिल गए हैं। इन विमानों को धीरे-धीरे विभिन्न अधिक यात्री यातायात वाले मार्गों में लगाया जाएगा।

(ग) जी, हां ।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स को अपने विमान बेड़े में 19 एयरबस ए-320 विमान शामिल कर लेने तथा इसके द्वारा पट्टे पर किए गए विमानों के वापस कर दिए जाने के बाद अपनी यात्री वहन क्षमता में 20% से अधिक की वृद्धि प्राप्त कर लेने की आशा है ।

केरल में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना

226. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में गैस पर आधारित एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) अप्रैल, 1988 में केरल राज्य विद्युत बोर्ड से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को ब्रह्मपुरम, कोचीन में एल० एस० एच० एस०/ईंधन तेल/प्राकृतिक गैस पर आधारित एक 90 मेगावाट संयुक्त साइकल विद्युत संयत्र की स्थापना के सम्बन्ध में एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ईंधन उपलभ्यता की पुष्टि, अन्य अपेक्षित निवेशों को सुनिश्चित करने तथा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात प्रस्ताव को तकनीकी आर्थिक अनुमोदन के लिए कार्यवाही की जा सकती है ।

केरल में गैर-परम्परागत ऊर्जा का विकास

228. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गैर-परम्परागत ऊर्जा के विकास में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) वर्तमान समय में केरल में ऐसे स्रोतों से कुल कितनी ऊर्जा पैदा की जा रही है;

(ग) राज्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए कुल कितना आवंटन किया गया है और उसमें से गैर-परम्परागत ऊर्जा के लिए आवंटन का प्रतिशत क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में भावी कार्य-योजना क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) केरल राज्य में 31-3-89 तक अपारंपरिक ऊर्जा की निम्नलिखित प्रणालियां और युक्तियां स्थापित की गईं :—

क्र०सं०	कार्यक्रम	स्थापित की गई प्रणालियां
1	2	3
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	20,608

1 2	3
2. उन्नत प्रकार के चूल्हे	86,264
3. सौर तापीय प्रणालियां :—	
(क) जलतापन प्रणालियां	25
(ख) घरेलू तापन प्रणालियां	3
(ग) वायु तापक	1
(घ) सौर स्टिल्स	10
(ङ) सौर कुकर	50
4. सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां :—	
(क) सड़क रोशनी एकक	135
(ख) अन्य घरेलू रोशनी एकक	9
(ग) सौर पम्प	6
(घ) सामुदायिक रोशनी एकक	6
5. पवन ऊर्जा प्रणालियां :—	
(क) विद्युत जनित्र (100 किलोवाट)	1
(ख) जल पम्पन पवन चक्कियां	10
6. बायोमास गैसीफायर (80 किलोवाट)	1
7. सामुदायिक बायोगैस संयंत्र (171 घन फुट)	2

(ख) क्योंकि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत एक अत्यधिक विकेन्द्रीकृत ढंग से तापन, खाना बनाने, सिंचाई आदि जैसी विभिन्न ऊर्जा की मांगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में कार्यरत हैं इसलिए इस प्रकार के स्रोतों से उत्पादित कुल ऊर्जा के परिशुद्ध भाग का अनुमान लगाने में थोड़ी-सी दिक्कत है, इस पर भी पवन ऊर्जा कार्यक्रम से 5000 यूनिट से भी अधिक विद्युत यूनिटों की सप्लाई राज्य विद्युत घरों को की गई है, सौर तापीय प्रणालियों से 9 लाख किलोवाट आवर प्रतिवर्ष तापीय ऊर्जा और बायोगैस से 94.46 × 1000000 किलोवाट प्रतिवर्ष के बराबर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है।

(ग) योजना आयोग ने केरल के लिए 1989-90 में विद्युत के लिए 11.400 लाख रुपये और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के लिए 30 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया है। इस प्रकार नए तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के हिस्से में 11.430 लाख रुपये की ऊर्जा के लिए कुल परिव्यय में से इसकी प्रतिशतता 0.26 रुपये होती है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों को जारी रखा जा

रहा है और केरल में आगामी वर्षों के दौरान उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन्हें बढ़ाने का प्रस्ताव है।

टायरों के मूल्य

229. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जून, 1989 मास में टायरों के मूल्यों में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का टायरों के मूल्य कम करने के लिए क्या प्रयास करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) ऑटोमोटिव टायर-मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन (ए० टी० एम० ए०) के अनुसार, कच्चे माल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण, जून, 1989 में टायर कम्पनियों द्वारा टायरों की विभिन्न श्रेणियों के मूल्य लगभग 4% बढ़ाये गये हैं।

(ग) टायरों के मूल्यों पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है। तथापि, सरकार ने टायरों के मूल्यों को रोकने के उद्देश्य से अधिकांश उपभोक्ताओं द्वारा आयात हेतु शुल्क की घटी दर पर ट्रक और बस के टायरों की विशिष्ट श्रेणियों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने विभिन्न नीति उपायों के माध्यम से टायरों के विनिर्माण हेतु नई क्षमता की अनुमति उदारतापूर्वक दी है। इसके अलावा, टायर उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। सरकार ने भी टायर उद्योग के साथ निरन्तर मॉनिटरी तथा नियमित अन्तरकार्रवाई के द्वारा टायर उत्पादन की अधिकतम सीमा सुनिश्चित की है। 1987 में 39.4 लाख की तुलना में, इससे बस तथा ट्रक टायरों के उत्पादन 1987 में 39.4 लाख की तुलना में 1988 में 48.7 लाख की पर्याप्त वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण और पम्प सेटों को बिजली से चालू करना

230. **श्री कमला प्रसाद सिंह** :
चौधरी अख्तर हसन :
श्री राजकुमार राय :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया और कितने पम्प सेट बिजली से चालू किये गये और ये आंकड़े अन्य जिलों की तुलना में कितने अधिक अथवा कम हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण गांवों में और विद्युत चालित पम्प सेटों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1989-90 के दौरान विद्युतीकृत किये जाने हेतु प्रस्तावित गांवों और पम्प सेटों की संख्या कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तपोषित ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत विद्युतीकृत गांवों और ऊर्जित पम्पसैटों की जिला-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है। जिला जौनपुर में कार्य-निष्पादन अन्य जिलों के साथ मेल खाता है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत गांवों तथा ऊर्जित पम्प सैटों की जिला-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

(ग) योजना आयोग ने वर्ष 1988-89 के दौरान उत्तर प्रदेश में 2365 गांवों के विद्युतीकरण तथा 20,000 पम्पसैटों के ऊर्जायन का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला-वार क्रियाकलापों को अन्तिम रूप राज्य सरकार द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर केवल राज्य स्तर पर ही दिया जाना है।

विवरण-1

ग्राम विद्युतीकरण निगम स्कीमों के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों (1986-89) के दौरान विद्युतीकृत गांव और ऊर्जित पम्पसैट

राज्य : उत्तर प्रदेश (अनन्तिम)

क्र०स०	जिला	निम्नलिखित वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गांव			निम्नलिखित वर्षों के दौरान ऊर्जित पम्पसैट		
		86-87	87-88	88-89	86-87	87-88	88-89
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सहारनपुर	78	67	25	1504	1269	1201
2.	मुजफ्फरनगर	10	01	—	1629	854	602
3.	मेरठ	—	—	—	1645	1600	1699
4.	बुलन्दशहर	—	—	—	2011	1300	1035
5.	गाजियाबाद	4	—	—	702	500	375
6.	अलीगढ़	70	47	30	1305	1160	1000
7.	मथुरा	35	61	31	458	500	388
8.	आगरा	65	70	38	857	505	600
9.	मैनपुरी	59	86	31	844	741	398
10.	एटा	52	93	24	954	316	284
11.	बरेली	50	38	56	224	209	140

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	शाहजहांपुर	26	29	29	216	718	232
13.	बदायूं	63	85	47	378	253	348
14.	पीलीभीत	15	36	20	186	118	302
15.	रामपुर	25	28	14	190	304	571
16.	मुरादाबाद	65	96	65	1021	1190	1786
17.	बिजनौर	59	84	41	923	800	1320
18.	फर्रुखाबाद	76	69	77	274	589	419
19.	इटावा	35	58	36	120	176	160
20.	कानपुर	75	72	119	213	234	307
21.	फतेहपुर	23	54	46	179	218	316
22.	इलाहाबाद	66	118	72	458	351	481
23.	झांसी	38	12	11	189	107	151
24.	ललितपुर	34	15	10	26	51	56
25.	जालौन	19	42	27	102	100	115
26.	हमीरपुर	55	29	18	60	96	56
27.	बांदा	39	14	07	139	42	104
28.	वाराणसी	71	110	38	831	396	683
29.	मिर्जापुर	86	80	84	254	101	157
30	जौनपुर	111	50	96	589	351	557
31.	गाजीपुर	27	—	—	976	329	656
32.	बलिया	28	60	73	89	99	145
33.	गोरखपुर	103	101	31	155	230	45
34.	देवरिया	37	55	33	112	192	151
35.	बस्ती	106	103	73	182	226	119
36.	आजमगढ़	76	98	151	818	786	637
37.	लखनऊ	40	77	17	180	261	34
38.	रायबरेली	—	—	—	560	511	460
39.	उन्नाव	65	30	60	241	148	135
40.	सीतापुर	61	33	19	281	107	90

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	हरदोई	70	39	08	258	123	88
42.	खेड़ी	56	122	74	668	677	1340
43.	फैजाबाद	80	112	72	958	680	807
44.	गोण्डा	100	140	50	155	200	132
45.	बहराइच	117	74	35	150	75	110
46.	सुल्तानपुर	143	185	117	696	370	559
47.	प्रतापगढ़	135	199	60	200	277	174
48.	बाराबंकी	60	32	31	150	75	85
49.	नैनीताल	30	38	59	433	:94	410
50.	अल्मोड़ा	170	162	92	02	—	—
51.	पिथौरागढ़	140	150	88	—	—	—
52.	देहरादून	35	20	27	23	20	20
53.	उत्तरकाशी	46	36	11	—	—	—
54.	चमोली	110	82	46	—	—	—
55.	पौढ़ी गढ़वाल	201	175	103	—	—	—
56.	टेहरी गढ़वाल	132	105	41	—	—	—
	जोड़	3579	3773	2488	25813	20469	22047

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1986-89 के दौरान उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत गांवों तथा ऊर्जित पम्पसैटों की जिलेवार संख्या (अनन्तिम)

क्र०सं०	जिला	1986-89 के दौरान विद्युतीकृत गांव	1986-89 के दौरान ऊर्जित पम्पसैट
1	2	3	4
1.	सहारनपुर	193	4255
2.	मुजफ्फरनगर	11	3527
3.	मेरठ	कुछ नहीं	4964
4.	गाजियाबाद	4	1607

1	2	3	4
5.	बुलन्दशहर	10	4385
6.	अलीगढ़	150	3716
7.	मथुरा	134	1399
8.	आगरा	170	1977
9.	मैनपुरी	176	2094
10.	एटा	193	1750
11.	बरेली	148	760
12.	बदायूं	214	1160
13.	शाहजहांपुर	121	1003
14.	पीलीभीत	113	782
15.	बिजनौर	196	3383
16.	मुरादाबाद	231	4119
17.	रामपुर	76	1248
18.	फर्रूखाबाद	222	1429
19.	इटावा	140	563
20.	कानपुर नगर	273	879
21.	कानपुर देहात		
22.	फतेहपुर	133	866
23.	इलाहाबाद	297	1448
24.	झांसी	69	514
25.	ललितपुर	81	221
26.	जलौन	88	410
27.	हमीरपुर	102	365
28.	बांदा	106	517
29.	वाराणसी	396	2649
30.	मिर्जापुर	251	545
31.	जौनपुर	[illegible]3	2291
32.	गाजीपुर	27	2375

1	2	3	4
33.	बलिया	238	658
34.	गोरखपुर	316	942
35.	देवरिया	229	694
36.	बस्ती	325	703
37.	आजमगढ़	561	2823
38.	लखनऊ	134	500
39.	रायबरेली	कुछ नहीं	1629
40.	उन्नाव	155	887
41.	सीतापुर	132	731
42.	हरदोई	117	571
43.	खेड़ी	262	2744
44.	फैजाबाद	304	2909
45.	गोंडा	290	583
46.	बहरायच	229	392
47.	सुलतानपुर	458	1865
48.	बाराबंकी	134	528
49.	प्रतापगढ़	394	768
50.	नैनीताल	132	1214
51.	अलमोड़ा	424	2
52.	पिथौरागढ़	378	—
53.	देहरादून	82	69
54.	उत्तरकाशी	93	—
55.	चमोली	240	—
56.	पौढ़ी गढ़वाल	479	—
57.	टिहरी गढ़वाल	278	—

12.00 मध्याह्न

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, मुझे व्यवस्था का एक प्रश्न करना है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : क्या मैं एक अनुरोध करूं महोदय, यह सभा काफी समय से बोफोर्स सौदे में निहित भ्रष्टाचार की समस्या पर चर्चा कर रही है (**व्यवधान**) जब हमने दस्तावेज प्रस्तुत किए तो हमें कहा गया कि मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आ जायेगा।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे उचित तरीके के अनुसार उठाएं, तो यह किया जाएगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैं इसे उचित तरीके से ही उठा रहा हूं। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है और मुझे अनुरोध करने का अधिकार है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(**व्यवधान**)

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मुझे पंजाब तथा दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियों से उत्पन्न गंभीर स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों की तीन सूचनाएं निम्नलिखित सदस्यों से प्राप्त हुई हैं—श्री सुरेश कुरूप, श्री सैफुद्दीन चौधरी और श्री हन्नान मोल्लाह। मैं निम्नलिखित रूप में प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए अपनी सहमति देता हूं :

"पंजाब और दिल्ली में आतंकवादियों की बढ़ती गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति।"

श्री कुरूप द्वारा दी गई सूचना को बैलट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। श्री कुरूप अब सभा की अनुमति मांग सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, वह तैयार नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : वह बिल्कुल तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह श्री कुरुप हैं, श्री रेड्डी नहीं।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : मैं पंजाब और दिल्ली में आतंकवादियों की गतिविधियों से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए इस सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई आपत्ति है ? कोई आपत्ति नहीं। अनुमति दी जाती है। मैं समझता हूं कि सदस्यों को खड़ा होने के लिए कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि किसी ने उसका विरोध नहीं किया है। अब मुझे बताइए कि आप इस प्रस्ताव पर चर्चा कब करना चाहते हैं ? पुस्तक के अनुसार इस लिए 4 बजे का समय है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : हां, हम 4 बजे इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हमें अन्य मामले भी उठाने हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके दोनों पक्षों के सदस्यों को बुलाऊंगा।

———

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं शुरू में व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न के बारे में खड़ा हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उचित तरीके से मुझे कुछ देंगे तो मैं उस पर विचार करूंगा। आप इसे मुझे दे सकते हैं और मैं उत्तर प्राप्त कर सकता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : अपना निर्णय देने से पहले आप कृपया हमारी बात सुनें। सुनने में कोई नुकसान नहीं है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं करो।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : निर्णय देने में शक्तियों का कोई अन्तरण नहीं है। यह निर्णय आप द्वारा दिया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके लिए उचित तरीके से उत्तर प्राप्त करूंगा। आप मुझे लिखित में दे सकते हैं और मैं आपके लिए इसे प्राप्त करूंगा।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हमारे निवेदन सुनिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि यदि आप यह मुद्दा उठाने के लिए कार्य-प्रणाली का सुझाव दें तो हमें एतराज नहीं है। मैं तो यह बताना चाहता हूं कि संभवतः यह संसद का आखिरी सत्र है······

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है।

प्रो० मधु दंडवते : पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से हम कुछ मुद्दे उठा रहे हैं और मैं आपको यह बताता हूं कि जहां तक बोफोर्स सौदे में भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, जब हमने आपसे पूछा था···

अध्यक्ष महोदय : मैं उत्तर प्राप्त करूंगा।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा मत करो।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार मत कीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, कृपया उन्हें रोकिए ताकि आप मेरे अनुरोध को सुन सकें। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बिना मतलब मेरा टाइम खराब करते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनकी बात सुनने दें और मुझे उत्तर देने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात भी सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम है और मैं इसे करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, कृपया मंत्री महोदय को रोकिए···

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : बहुत अच्छा, महोदय, बधाई हो। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि बोफोर्स पर चर्चा के दौरान अनेकों बार हमने "दि हिन्दू" में प्रकाशित दस्तावेजों की प्रमाणिकता के बारे में हमने सम्बद्ध रक्षा मंत्री से जो कि बोफोर्स में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित थे। पिछले कई महीनों से उन्होंने बार-बार यही कहा है कि उन्होंने मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है। लेकिन उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट यहां प्रस्तुत नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उत्तर प्राप्त करूंगा···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप खड़े क्यों हैं। आप बैठते क्यों नहीं हैं। शोर करने का कोई फायदा नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न एक अन्य विषय के संबंध में है। पश्चिम-बंगाल के विद्यार्थियों में एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। कृपया मुझे समय दें। शिक्षा समवर्ती सूची में है। माध्यमिक परीक्षा के 10,000 निर्दोष विद्यार्थियों का परीक्षाफल अधूरा है। इसके परिणामस्वरूप, एक लड़की, जिसका नाम रेखा राय है, ने आत्महत्या कर ली है। यह एक गम्भीर मामला है। शिक्षा समवर्ती सूची के 25वें मद के अन्तर्गत···**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दे दीजिए। मैं पता करवा देता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आशुतोष लाहा : ये 10,000 निर्दोष विद्यार्थी अपने परीक्षा फल के इंतजार में कब तक बेचैन रहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दें।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : हम केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के बारे में जानना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसका उत्तर दिलवाऊंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : क्या हमें संसद के समाप्त होने तक इंतजार करना पड़ेगा ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभा स्थगित कर दी जायेगी और संसद को भंग कर दिया जायेगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शोर क्यों करते हैं। इतना जोर से क्यों बोलते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमें सभा में अनेकों बार यही बताया गया है कि मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। हमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के लिए कब तक इंतजार करना होगा ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, जबाव आया है।

[अनुवाद]

अभी तक यह हो रहा है। अभी यह पूरी नहीं हुई है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : जब सारा संसार इस दस्तावेज की प्रामाणिकता की चर्चा कर रहा है; वे रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें डांटते क्यों नहीं हैं ? आपके उन्हें नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट को जल्द से जल्द सभा पटल पर रखने के लिए कहा था। आप उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के संबंध में भी क्यों निदेश नहीं देते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके सबको बुलाऊंगा। कृपया बैठ जाएं। आप सभी क्यों खड़े होकर सभा का वक्त बर्बाद कर रहे हैं ? हम सभी विषय एक-एक करके लेंगे।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, कल दूरदर्शन द्वारा "संसद के समक्ष मामले" विषय पर चर्चा का प्रसारण किया गया था। इसमें, श्री माधव रेड्डी ने कहा था कि भारतीय शांति सेना कब्जा करने वाली सेना है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह बाहर का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : यह एक राष्ट्र-विरोधी वक्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय: श्री नायक, हम इस पर पूर्णकालिक चर्चा करने जा रहे हैं। सरकार की ओर से हमें एक प्रस्ताव मिला है और हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय; मैंने श्रीलंका के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। टी० यू० एल० एफ० के नेता श्री अमृतलिंगम और श्री योगेश्वरन की एल० टी० टी० ई० द्वारा हत्या कर दी गयी है। जब तक भारतीय शांति सेना श्रीलंका में नहीं रहती, तब तक तमिलों की सुरक्षा नहीं की जा सकती। वहां तमिलों की कोई सुरक्षा नहीं है और न ही श्री प्रेमदास की।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे······

(व्यवधान)

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, औरों को चांस दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट सभा पटल पर कब रखी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे बताया है कि जांच अभी जारी है।

(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुनझुनु) : जनाब, कल हमने श्री अमल दत्ता के खिलाफ एक प्रिवलेज मोशन दिया था···

अध्यक्ष महोदय : मेरे नोटिस में है।

श्री मोहम्मद अयूब खां : उसका क्या हो रहा है, उसकी सूचना दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आज ही आया है, मैं देखूंगा।

[अनुवाद]

मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : क्या उन्होंने मेरे विरुद्ध किसी विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हां, आपको मैं भेज रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मैंने "हिन्दू" में प्रकाशित बोफोर्स से संबंधित दस्तावेजों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह तो हो गया। इसका क्या बारी-बारी जवाब दूं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है।

[अनुवाद]

मैं सरकार को किसी बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं आपका ध्यान कार्यसूची की मद संख्या 5 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मद 5 के अनुसार रक्षा सेनाओं पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट सभापटल पर रखी जानी है।

प्रो० मधु दंडवते : यह 5.30 म० प० पर रखी जाएगी। ऐसे दस्तावेज हमेशा अन्तिम क्षणों में पेश किए जाते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सामान्यतः दस्तावेज 12 बजे सभापटल पर रखे जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास कल का भी समय है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कार्यसूची में यह दर्शाया गया है कि इसे 5.30 म० प० पर पटल पर रखा जाएगा। पहले से चली आ रही प्रथा में यह बदलाव क्यों ? क्या इन रिपोर्टों में बोफोर्स का उल्लेख है ?

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है। चाहे जो भी हो।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : पर 5.30 म० प० पर क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। कभी-कभी ऐसा तकनीकी कारणों से

किया जाता है। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : तकनीकी कारण क्या है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें।

[अनुवाद]

यह ठीक है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जयपाल जी, बिना मतलब क्यों समय जाया कर रहे हो। कुछ टेक्निकल रीजन है, जिसकी वजह से :.30 का समय रखा है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : तकनीकी कारण क्या है ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब कल कर लेना, जो करना है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : उनका कहना यह है कि आप क्यों नहीं उसी तरह का निर्देश केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के सम्बन्ध में देते हैं ? आपने नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के सम्बन्ध में निर्देश देने की कृपा की थी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सी० बी० आई० रिपोर्ट का कैसे करूंगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : दोष प्रधानमंत्री पर आ रहा है और यह उनका नैतिक कर्त्तव्य है कि वह सी० बी० आई० रिपोर्ट पेश करके शक दूर करें। यह उनके स्वयं अपने तथा सरकार के हित में है।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरा अधिकार क्षेत्र था और मैं सरकार को निर्देश दे सकता था।

[हिन्दी]

सी० बी० आई० रिपोर्ट के बारे में मैं नहीं कह सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब औरों को बोलने दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिना मतलब क्यों टाइम जाया करते हो ।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ! तकनीकी करण क्या है ? मुझे यह जानने का अधिकार है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कमाल करते हो। इसमें क्या फर्क पड़ता है । अब आप बैठ जाइए और कल तैयार होकर आइएगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था और सभा में आते ही मुझे पता चला कि यह अस्वीकार कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : कौन-सा ?

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मैंने बोफोर्स से संबंधित दस्तावेजों की प्रामाणिकता के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट सभापटल पर रखे जाने में सरकार की असफलता पर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: वह तो हो गया ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जांच अभी जारी है ।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : कृपया लम्बित परियोजनाओं के बारे में आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करें । वे अनेक वर्षों से स्वीकृत नहीं की गयी हैं ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : आपने किस आधार पर मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपको इसका कोई कारण नही बताना है। मैंने ऐसा कहा है क्योंकि इसकी जांच अभी चल रही है ।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : यह कब तक चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता । यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास है ।

[हिन्दी]

श्री जगमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : मैं आपके ध्यान में एक चीज लाना चाहता हूं । देहाती

विकास योजना में 20 हजार आदमी काम करते थे, जो अब बेकार हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री शमिन्दर सिंह : मैंने लिखकर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए, मैं पता करवा दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने जो मुझे दिया है मैं उस पर कार्यवाही करूंगा।

[हिन्दी]

श्री शमिन्दर सिंह : उसमें 100 करोड़ रुपया मिलता था लेकिन उसके बन्द होने से 20 हजार आदमी बेरोजगार हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दें, मैं आपको जवाब भिजवा दूंगा।

श्री शमिन्दर सिंह : अब जवाहर रोजगार योजना में केवल 15 करोड़ रुपए मिले हैं। इस तरह से 85 करोड़ रुपए कम हो गए हैं और 20 हजार आदमी जो पहले काम कर रहे थे, अब सड़कों पर आ गए हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : पिछली बार आपने सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। मुझे नहीं मालूम कि क्या रिपोर्ट आई है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : किसकी ?

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती : असम-नागालैंड सीमा की तनावपूर्ण स्थिति पर जहां लगभग 23 व्यक्तियों की हत्या हुई और बहुत से मकानों को आग लगा दी गई। आपने रिपोर्ट मांगी थी। किन्तु अभी तक हमें रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। असम-नागालैंड सीमा पर जो के० रि० पु० बल तैनात है वे तबाही कर रहे हैं और सीमा पर कोई शान्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करें। **(व्यवधान)**

सीमा के पास रहने वालों के सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं। यह तो बहुत जरूरी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पिछली दफा करवा तो दिया था।

श्री भद्रेश्वर तांती : जवाब मुझे नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : आप दोबारा लिखकर दीजिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं देखकर बात करूंगा। अब बस करिये। यह पहले हो तो गया है।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, मैंने पिछले पत्र में द इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना दी थी। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : वह उन्हीं के पास है। डिप्टी स्पीकर के पास है।

(**व्यवधान**)

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके चेम्बर से ले करके, पालियामेंट का सेशन शुरू होने तक यह तय हुआ था कि 1990 में आई० आई० टी० की परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में ही होंगी। अब 18 जून को अखबारों में जो नोटिस निकला है उसके अनुसार आई० आई० टी० की 1990 की परीक्षाएं केवल अंग्रेजी में ही होंगी, भारतीय भाषाओं में नहीं होंगी। यह वायदाखिलाफी है। इसमें मैं आपकी सहायता चाहता हूं कि आप भारत सरकार से बात करें।

अध्यक्ष महोदय : आप अश्योरेंस कमेटी को लिखिए, हम भी देखते हैं कि इन्होंने यह क्यों नहीं किया। यह होना चाहिए।

[**अनुवाद**]

इस निर्णय से पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

[**हिन्दी**]

श्री बालकवि बैरागी : 18 जून को जो विज्ञापन निकला है, उसमें केवल अंग्रेजी के बारे में कहा गया है, भारतीय भाषाओं के बारे में नहीं कहा गया है। आपको इस पर गम्भीरता से देखना चाहिए। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, अभी मुझे एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री ब्रह्म दत्त···

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, अभी मुझे एक ज्ञापन मिला है। मुझे लोक सभा सचिवालय से एक प्रति प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है :—

"स्विस सरकार के साथ पारस्परिकता और दोहरी अपराधिता के सिद्धांत के आधार पर अपराधिक मामलों में परस्पर सहायता के लिए एक समझौता ज्ञापन पर 20 फरवरी, 1989 को हस्ताक्षर हुए थे। उपर्युक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के तुरन्त

पश्चात् केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 23 फरवरी, 1989 को इस मामले में सहायता के लिए स्विस अधिकारियों से निवेदन किया ...”

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पढ़ क्यों रहे हैं ? यह आपकी इन्फार्मेशन के लिए है ।

[अनुवाद]

आप यह पढ़ क्यों रहे हैं ? यह आपकी जानकारी के लिए है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने पहले ही यह जानकारी दी है कि वे इन एजेन्सियों के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है । अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे । श्री ब्रह्म दत्त ।

(व्यवधान)

12.16 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1989 और भारत पेट्रोलियम निगम लि० (राष्ट्रीयकरण के उपरांत तेलशोधक कारखानों के कर्मचारियों की सेवा पूर्ति का अवधारण) योजना, 1989

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) तेल क्षेत्र (बिनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अन्तर्गत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1989, जो 29 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 296 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनके हिन्दी संस्करण का शुद्धि पत्र, जो 24 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 451 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7996/89]

(2) भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (कर्मचारियों की सेवा शर्तों का अवधारण) अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण के उपरांत तेल शोधक कारखानों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का अवधारण) योजना, 1989, जो 28 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 495 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7997/89]

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : महोदय, मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) का० आ० 375(अ), जो 25 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें मलेशिया के डालर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उक्त मुद्रा में परिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनिमय दर दी गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7998/89]

(दो) का० आ० 473 (अ), जो 21 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें हांगकांग के डालर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उक्त मुद्रा में परिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनिमय दर दी गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7999/89]

(तीन) का० आ० 489 (अ), जो 27 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अन्तर्गत आयात और निर्यात का निर्धारण करने एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क संगणित करने के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने की विनिमय दरें निर्धारित की गई हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8000/89]

(चार) सा० का० नि० 631(अ), जो 16 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 1963 की अधिसूचना संख्या 45/सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि आयात शुल्क का भुगतान किए बिना भांडागरित माल का नेपाल को निर्यात करने की अनुमति उस दशा में दी जा सके, जहां आयात शुल्क का भुगतान आसानी से किसी परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त किया जाता है तथा जिनसे नेपाल की महामहिम सरकार द्वारा मंगाई गई विश्वव्यापी निविदाओं के तहत पूंजीगत किस्म के माल की कतिपय विनिर्दिष्ट भांडागरित वस्तुओं का नेपाल को निर्यात आयात शुल्क का भुगतान किए बिना करने की अनुमति भी दी गई है चाहे ये भुगतान भारतीय मुद्रा में प्राप्त हों तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 8001/89]

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1987-88 का प्रतिवेदन (1989 का संख्या 1) संघ सरकार (सिविल) आदि और वर्ष 1987-88 के संघ सरकार विनियोग लेखे

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं, श्री एडुआर्डो

फैलीरो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1987-88 का प्रतिवेदन (1989 का संख्या 1)—संघ सरकार (सिविल)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8002/89]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1987-88 का प्रतिवेदन (1989 का संख्या 12)—संघ सरकार (सिविल)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8004/89]

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1987-88 का प्रतिवेदन (1989 का संख्या 13)—दिल्ली नगर निगम।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8005/89]

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1987-88 का प्रतिवेदन (1989 का संख्या 14)—संघ सरकार (डाक तथा दूरसंचार) मानव संसाधन लेखा परीक्षा—डाक विभाग।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8006/89]

(2) संघ सरकार के वर्ष 1987-88 के विनियोग लेखाओं (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8007/89]

(3) संघ सरकार के वर्ष 1987-88 के वित्त लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8008/89]

12.17 म० प०

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को सूचित करना है कि आंध्र प्रदेश के बोबिली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्री आनन्द गजपति राजू का इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है कि उन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 24 मई, 1989 से स्वीकार कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय: अब नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाएंगे···श्री चिंतामणि जेना।

(व्यवधान)

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, मैं मुद्दा संख्या तीन अर्थात श्री ब्रह्म दत्त द्वारा सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के संबंध में व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपको यह मामला सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों सम्बन्धी समिति को भेजना होगा।

डा० दत्ता सामन्त : उन्होंने इसे सभा पटल पर नहीं रखा है।

अध्यक्ष महोदय: वह सभा पटल पर रख चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। जो कुछ वह कह रहे हैं, वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको कुछ समझने के लिए मेरी बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात कार्यवाही वृतान्त मे सम्मिलित नही की जा रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री चिन्तामणि जेना।

12.18 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तूफान पीड़ितों के लिए उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : महोदय, 26 मई, 1989 को 200 कि० मी० प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से आए तेज तूफान से देश के अनेक भागों, विशेषकर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी नुकसान हुआ है, जिसमें एक सौ व्यक्ति तथा हजारों की संख्या में मवेशी मारे गए। सरकारी संस्थानों और सरकारी भवनों सहित हजारों इमारतें ढह गई। अधिक पैदावार वाली धान की फसल सहित रबी की विभिन्न फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई। उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले के भोगराइ और बलियापाल ब्लाक में 25 हजार पान की बेलें पूर्णत: नष्ट हो गई। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर कॉलेज तक अनेक शैक्षिक संस्थाओं की इमारतें या तो पूर्णत: टूट गई या ढह गई जिससे छात्रों को पढ़ाने में भारी बाधा उत्पन्न हो गई है। हजारों लोग बेघर हो गए। जिन किसानों की फसलें तूफान तथा खारे पानी और तूफान के बाद आई बाढ़ से बुरी तरह खराब हो गई हैं उन्होंने अपनी फसलों का बीमा नहीं कराया था इसलिए वे सबसे अधिक पीड़ित हैं। शताब्दी पुरानी सूखा संहिता दोषपूर्ण होने के कारण राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत और वित्तीय

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया।

सहायता नगण्य प्रायः हो गई है। यदि प्रभावित लोगों को तत्काल नकद और वस्तुओं के रूप में पर्याप्त सहायता नहीं दी गई तो तूफान के शिकार हुए लाखों लोगों को कष्ट सहना पड़ेगा और लाखों हेक्टेयर खेती योग्य भूमि बंजर रह जाएगी और इससे खाद्यान्न उत्पादन में भारी कमी हो जाएगी तथा लोगों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी।

ऐसी भयप्रद स्थिति में, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राज्य सरकार की सहायता करे ताकि वे तूफान के शिकार लोगों की पर्याप्त सहायता कर सकें और लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक रखने के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर सकें।

(दो) आठवीं योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बेलथारा रोड टाउन के निकट घाघरा नदी पर एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कुमार राय (घोसी) : उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड ने बलिया जिले में बेलथारा रोड़ टाउन के निकट घाघरा नदी पर एक ताप विद्युत केन्द्र लगाने के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट भेजी है। यह मामला वर्ष 1978 से लंबित पड़ा है। प्रधान मन्त्री द्वारा वर्ष 1985 में आश्वासन दिए जाने के बावजूद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्र सरकार इस ओर उचित ध्यान नहीं दे रही है।

अन्य विकास कार्यों की भांति आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो कि राष्ट्र के लिए अपनी सेवाओं के बावजूद पूर्णतः उपेक्षित है, के विकास के लिए यह ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किया जाना अनिवार्य है। लोग अपना धैर्य खो रहे हैं तथा इसके लिए आन्दोलन कर सकते हैं।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह आठवीं योजना में इस परियोजना को मंजूरी प्रदान करे क्योंकि तब तक बेलथारा रोड़ पर बड़ी लाइन बिछ जाएगी और कोयला धोवनशाला हेतु कोयला पहुंचाने के लिए पर्याप्त रेल सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

12.21 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(तीन) पारादीप में एक प्लास्टिक कच्चा माल डिपो स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : भारत सरकार प्लास्टिक के कच्चे माल और अन्य पेट्रो-रासायनिक उद्योगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए मध्य पूर्व और अन्य देशों से ऑथीलीन, प्रोपीलीन आदि जैसे पेट्रो-रासायनिक अन्तर्वर्ती पदार्थों का आयात करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। पता चलता है कि प्रस्ताव इन अन्तर्वर्ती पदार्थों का आयात पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों की उपयुक्त बन्दरगाहों पर किए जाने की परिकल्पना की गई है जहां इन अन्तर्वर्ती पदार्थों के भण्डारण की पर्याप्त सुविधाएं जुटाई जाएंगी। ये बन्दरगाहें देश से पेट्रो-रासायनिक उत्पादों के निर्यात के निर्गम का भी कार्य करेंगी। पूर्वी तट पर माल का आयात करने के लिए पारादीप बन्दरगाह को आदर्श स्थान माना जा सकता है। यह पूर्वी और पश्चिमी तटों पर अन्य बन्दरगाहों की तरह भीड़-भाड़ वाली बन्दरगाह नहीं है। यह पूर्वी तट के लगभग मध्य में स्थित होने के कारण

पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का आयातित अन्तर्वर्ती पदार्थों के परिवहन और इस क्षेत्र में स्थित ऐसे उद्योगों को विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए भी सुविधाजनक है। परादीप के पास भण्डारण और सम्बद्ध सुविधाओं के लिए पर्याप्त स्थान है। राज्य सरकार प्रस्तावित कम्पलेक्स के लिए भूमि तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराने की इच्छुक है।

इसलिए, मैं पारादीप में प्लास्टिक कच्चा माल डिपो स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

(चार) आठवीं योजना में क्षेत्रीय असंतुलन दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहाण्डी) : देश का बहुमुखी विकास होने के बावजूद कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो शिक्षा, उद्योग, कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। उड़ीसा राज्य में कालाहाण्डी और मध्य प्रदेश राज्य में छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। आठवीं योजना में इन क्षेत्रों का समग्र विकास करने पर बल दिया जाना चाहिए। क्षेत्र योजना बनाई जानी चाहिए। क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करना और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देना आठवीं योजना का लक्ष्य होना चाहिए।

(पांच) मानिकपुर जंक्शन पर सभी रेलगाड़ियों के रुकने की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भीष्म देव दुबे (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं—

अत्याधिक पिछड़े क्षेत्र मेरे जनपद बांदा उत्तर प्रदेश में एक मध्य रेलवे का जंक्शन स्टेशन मानिकपुर है। यह ऐसे स्थान पर स्थित है कि यहां से होकर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं को रेल गाड़ियां गुजरती हैं। यह स्टेशन पूरे बुन्देलखण्ड का एक महत्वपूर्ण रेल द्वार ही कहा जाता है। बांदा, हमीरपुर जनपदों के तथा इनसे लगे हुए स्थानों के तमाम यात्री इस जंक्शन स्टेशन से दक्षिण में मद्रास की ओर के लिए, पश्चिम में बम्बई की ओर के लिए तथा पूर्व में कलकत्ता की ओर के लिए गाड़ियां पकड़ते हैं।

परन्तु खेद का विषय है कि इस मानिकपुर जंक्शन में बहुत-सी अच्छी गाड़ियां खड़ी भी नहीं होती तथा कुछ तो ऐसी भी हैं जो कि खड़ी होती हैं परन्तु उनमें यहां से कोई आरक्षण कोटा नहीं है। अतः सारे साधन होते हुए भी इस स्थान को रेल सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता जिस कारण यहां की प्रगति में बाधा पड़ रही है।

अस्तु जनहित में सरकार से मेरा अनुरोध है कि मध्य रेलवे के मानिकपुर जंक्शन में व ा से गुजरने वाली हर रेल गाड़ी को रोका जाए तथा प्रत्येक रेल गाड़ी में कम से कम दो उच्च श्रेणी एवं पांच द्वितीय श्रेणी का आरक्षण कोटा भी रखा जाए।

(छः) आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में तिरुवुर में एक नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : प्रतिभाशाली बच्चों, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से,

को अच्छी आधुनिक शिक्षा प्रनान कराने के लिए सरकार ने वर्ष 1989-90 तक हमारे देश के प्रत्येक जिले में एक-एक नवोदय विद्यालय खोजने का निर्णय लिया है। लगभग 189 ऐसे विद्यालय अभी खोले जाने हैं।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा जिले में तिरुबुरु स्थान पर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए भवन, आन्तरिक सड़कों, विद्युत, पेय जल तथा अन्य सभी आधारभूत सुविधाओं सहित लगभग 25 एकड़ भूमि प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। यद्यपि दो वर्ष बीत चुके हैं किन्तु इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं सरकार से तिरुबुरु में तत्काल नवोदय विद्यालय खोलने के लिए अनुदेश जारी करने की मांग करता हूं क्योंकि तिरुबुरु बहुत उपयुक्त स्थान है और जहां न्यूनतम निवेश में विद्यालय शुरू किया जा सकता है क्योंकि वहां सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं तत्काल उपलब्ध हैं।

(सात) श्री मुजफ्फर अहमद की जन्म शताब्दी पर उनकी स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, यह वर्ष स्वतंत्रता सेनानी श्री मुजफ्फर अहमद का जन्म शताब्दी वर्ष है। श्री अहमद देश में कम्यूनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने स्वतंत्रता और अपने समय की राजनीति में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए संघर्ष किया। उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने अत्यधिक यातनाएं दी तथा वह अनेक वर्षों तक जेल में रहे। आज जब देश को विभिन्न प्रकार के कट्टरपंथी और साम्प्रदायिक आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है और मूल्यों पर आधारित राजनीति खतरे में है तो धर्मनिरपेक्षता और राजनीतिक मूल्यों के इस महान समर्थक की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी करना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह श्री मुजफ्फर अहमद के 5 अगस्त, 1989 को समाप्त होने वाले जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की दिशा में पहल करें और सुनिश्चित करें कि यह डाक-टिकट जारी की जाए।

(आठ) उड़ीसा के समुद्र तट और चिल्का झील का विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : दक्षिण-पूर्व एशिया के सुन्दर स्थल उड़ीसा के समुद्री तट और चिल्का झील के तट पर पर्यावरण की स्थिति बिगड़ती जा रही है। समुद्री किनारों का अनुचित रूप से प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चिल्का झील का भी कई प्रकार से अतिक्रमण किया जा रहा है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भविष्यवाणी की है कि यदि निकट भविष्य में यह प्रक्रिया बन्द नहीं की जाती है तो यह झील नष्ट हो जाएगी तथा इसका अस्तित्व नहीं रहेगा।

उड़ीसा का यह भाग राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का केन्द्र है। इसमें कोणार्क का समुद्री तट, पुरी का समुद्री तट, गोपालपुर का समुद्री तट और चिल्का झील आते हैं। इन स्थानों को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के प्रयास अपर्याप्त हैं। वहां कोई सम्पर्क सड़कें नहीं हैं। चिल्का से होकर कोणार्क से गोपालपुर तक समुद्री मार्ग बनाने के प्रस्ताव को कार्य-रूप नहीं दिया जा रहा है। यह केन्द्रीय योजना का एक भाग होना चाहिए। भारत सरकार को राज्य सरकार पर इसकी जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए क्योंकि यह पारिस्थितिकी वातावरण को सुरक्षित और संरक्षित करेगी।

चिल्का झील, जहां विश्व में अनेक क्षेत्रों से पक्षी आते हैं, का विकास पक्षी बिहार के रूप में नहीं किया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी के प्रवेश मार्ग और निर्गम मार्ग में गाद भरी पड़ी है जिसके परिणाम स्वरूप चिल्का झील में मछलियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पा रही है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से इन सभी पर्यटन केन्द्रों का केन्द्रीय बजट के एक हिस्से के रूप में आधारभूत विकास करने तथा समुद्री तट और चिल्का झील के संरक्षण, अनुरक्षण और विकास करने के लिए उचित कदम उठाने जो कि पारिस्थिति की दृष्टि से आवश्यक है, का अनुरोध करता हूं। इन स्थानों का विकास करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए क्योंकि ये स्थान वर्ष भर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करेंगे।

———

12.30 म० प०

सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक को विचारार्थ और स्वीकृति के लिए लेती है।

वित्त मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है कि 1956 में जीवन बीमा का और 1973 में सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण किये जाने के पश्चात बीमा व्यापार, उद्योग और वाणिज्य का जहां एक ओर आधारस्तम्भ हो गया है वहीं दूसरी ओर परिवारों की सुरक्षा का एक शक्तिशाली आधार बन गया है। सामान्य बीमा और जीवन बीमा दोनों से औद्योगिक विकास, आर्थिक गतिविधि और राष्ट्रीय उत्थान में बहुत अधिक सहायता मिली है। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य देश की ग्रामीण जनता को अधिक सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना, ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करना तथा कार्यकलापों का इस प्रकार संरक्षण करना रहा है कि जनता की बचत राशि का यथासम्भव सर्वोत्तम उपयोग किया जाये जिसके परिणामस्वरूप इन बचतों का निवेश सामाजिक-आर्थिक महत्व के क्षेत्रों में किया जा सके।

जहां तक सामान्य बीमा की बात है, राष्ट्रीयकरण के पश्चात् 16 वर्ष की अवधि में सामान्य बीमा उद्योग का विस्तार समाज के सभी वर्गों के लोगों तक होकर देश के हर क्षेत्र में फैल गया है। इसका सम्बन्ध बैंकों और अन्य एजेन्सियों से स्थापित किया जा चुका है जिससे कि बीमा सेवा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, को कम खर्च पर सुलभ कराई जा सके। पशुओं, कृषि पम्प सैटों, किसानों और उनकी सम्पत्ति का बीमा इस बात के चंद उदाहरण हैं। इस प्रकार के बीमा संरक्षण के कारण ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकों से ऋण मिलना सुनिश्चित हो सका है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये गये मवेशी और अन्य पशुओं के बीमे से ग्रामीण सम्पत्ति के सृजन में पर्याप्त बल मिला है।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, हमारी सरकार ने सामान्य बीमा उद्योग को हमारे देश के सभी जिलों के निर्धन परिवारों के लिये वैयक्तिक दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा है।

इस योजना के अन्तर्गत 7,200 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के कमाने वाले सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की स्थिति में उस परिवार को 3,000 रुपये का मुआवजा अदा किया जाता है। इसकी किश्तें केन्द्रीय सरकार अदा करती है।

सामान्य बीमा उद्योग द्वारा झोंपड़ी बीमा योजना नामक एक और सामाजिक सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के अत्यधिक निर्धन परिवारों को आग के कारण झोंपड़ी नष्ट हो जाने की स्थिति में 1000 रुपये और आग के कारण सम्पत्ति के नष्ट हो जाने की स्थिति में 500 रुपये की एक और राशि मुआवजे के रूप में अदा की जाती है। इसकी किश्त भी केन्द्रीय सरकार अदा करती है।

मेरे विचार से भारतीय बाजार की जोखिम सहन करने की क्षमता समुचित रूप से सुदृढ़ है और देश के भीतर ही अब किश्त की लगभग 85 प्रतिशत धनराशि को रोके रखना सम्भव हो गया है। सामान्य बीमा उद्योग, सरकारी उद्यमों में एक ऐसा लाभकारी उद्यम है जिसका समाजोन्मुख क्षेत्र को बहुत अधिक सहयोग प्राप्त है। चूंकि देश की अधिकांश जनता गांवों में रहती है, अतः सामान्य बीमा कारबार के विशेष आकर्षण का यह क्षेत्र ही विशेष लक्ष्य क्षेत्र होगा।

जैसा कि सदस्यों को पता है सामान्य बीमा उद्योग की स्थिति गत 16 वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर मजबूत होती गई है। इन वर्षों के दौरान निगम की निर्बाध आरक्षित धनराशि में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण बोनस शेयर बढ़ाने के बारे में विचार करना पड़ा। गत वर्षों में बोनस शेयर दो बार जारी किये गये थे—पहली बार 1982 में 1 : 1 के अनुपात से और बाद में 1986 में 1 : 2 के अनुपात से तथा जिसके परिणामस्वरूप निगम की प्रदत्त पूंजी अब बढ़कर 64.50 करोड़ रुपये हो गई है। अब सामान्य बीमा निगम के कारबार में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुये अधिकृत पूंजी की वर्तमान अधिकतम सीमा 75 करोड़ रुपये अपर्याप्त समझी जा रही है और इस सन्दर्भ में आगामी 10 वर्षों से अधिक समय के दौरान निगम की आय और लाभ की प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अब राष्ट्रीयकरण अधिनियम की तत्सम्बन्धित धारा में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि अधिकृत पूंजी की वर्तमान अधिकतम सीमा 75 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये की जा सके।

सामान्य बीमा उद्योग की पृष्ठभूमि, उसका पिछला कार्य निष्पादन और उसे सौंपे गये कार्य के बारे में मैंने जो कुछ कहा है, उसे ध्यान में रखते हुए निगम की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव बिल्कुल सही है। इसलिये मैं सभा द्वारा उसे स्वीकार किये जाने की सिफारिश करता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाये जिससे कि अधिकतम पूंजी की सीमा राशि 75 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये की जा सके। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अब, श्री बी० बी० रमैया बोलेंगे।

श्री बी० बी० रमैया (ऐलुरू) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य इस निगम की साम्या पूंजी को 75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये करना है। वित्त मन्त्री ने

अभी-अभी इस बात का उल्लेख किया है कि दो बोनस शेयर जारी करने से साम्या पूंजी बढ़कर 64.5 करोड़ रुपये हो गई है। भविष्य में और बोनस शेयर जारी करने के लिये वे साम्या पूंजी को बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये करना चाहते हैं। यह स्पष्ट है और हम इसका समर्थन करते हैं।

इस अवसर पर मैं सामान्य बीमा के कार्य निष्पादन के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। सामान्य बीमा का मुख्य प्रयोजन इस देश के लोगों विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों, व्यापार और उद्योग की सहायता करना है। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। यद्यपि वित्त मन्त्री ने अभी-अभी नवीनतम नीति में झोपड़ियों, पशुओं तथा अनेक अन्य वस्तुओं का बीमा करने की बात कही है किन्तु फसल बीमा अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है। फसल बीमा किसानों के लिये अत्यधिक आवश्यक है। यद्यपि इसे लागू किया गया था किन्तु इस बहाने से, कि इसके लिए समुचित मूल्यांकन अपेक्षित है, इसे कई स्थानों पर समाप्त कर दिया गया है। हमने इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है और हम देखते हैं कि ये योजनायें मंडल स्तर पर उपलब्ध कराई गई हैं जबकि इन्हें ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये था। इसके अलावा इसके अन्तर्गत अनेक वाणिज्यिक फसलों यथा कपास, तम्बाकू, गन्ना आदि को शामिल नहीं किया गया है। मेरा यह मत है कि यदि साधारण बीमा को इस देश के लोगों, विशेषकर किसानों की सहायता करनी है तो उन्हें इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा साधारण बीमा को कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन आदि जैसे छोटे उद्योगों की भी सहायता करनी चाहिए। इन पर सही ढंग से ध्यान दिया जाना चाहिए। बीमा का जो प्रीमियम एकत्र किया जाए उसका उपयोग विभिन्न विकास योजनाओं में और नगपालिकाओं को पेयजल और जल-निकासी योजनाओं आदि के लिए किया जाना चाहिए। साधारण बीमा कम्पनियां कमजोर और मध्य आय वर्ग के लोगों को लम्बी अवधि की किस्तों के आधार पर मकान उपलब्ध करा सकती हैं। वे कमजोर वर्गों को लम्बी अवधि की किश्तों के आधार पर दिए जाने हेतु बड़े पैमाने पर आवास योजनाएं आरम्भ कर सकती हैं। उन्हें देश की प्रगति और खुशहाली के लिए इस धनराशि के सही प्रयोग के बारे में कुछ आवश्यक निर्णय भी लेने होते हैं।

मैं महसूस करता हूं कि, एक महत्वपूर्ण बात है, जल्द निर्णय लेना और उस पर कार्यवाही करना। वर्ष 1983 और 1986 में आंध्र प्रदेश में बाढ़ के कारण भारतीय खाद्य निगम के भण्डागारों का बाहर पड़ा काफी मात्रा में खाद्यान्न खराब हो गया था। अगर उन्होंने शीघ्र निर्णय ले लिया होता तो 60 प्रतिशत मूल्य का सामान बचाया जा सकता था, जो कि देर से निर्णय लिए जाने के कारण पूर्णतः खराब हो गया। इसके अलावा साधारण बीमा निगम को जनता की सहायता करने के अलावा देश की प्रगति के हित में छोटे व्यापारियों की भी सहायता करनी चाहिए। इस चरण पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हालांकि साधारण बीमा को प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है परन्तु फिर भी वह बनावटी-सी लगती है। यह प्रतियोगिता अधिक सक्रिय और कारगर होनी चाहिए।

मैं जीवन बीमा निगम के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं, जिसका कि उस समय इस क्षेत्र में एकाधिकार है। उसमें कोई प्रतियोगिता नहीं है। वहां भी एक-दूसरे से प्रतियोगिता होनी चाहिए। उनमें भी संस्कृति का विकास होना चाहिए। उनमें भी कुछ प्रतियोगिता और कुशलता होनी चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि देश की सहायता के लिए माननीय मन्त्री इन मुद्दों पर विचार करेंगे। इन बीमा कम्पनियों को देश के लोगों की सेवा करनी चाहिए।

श्री शांताराम नायक (पणजी) अध्यक्ष महोदय, मैं साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1989 का स्वागत करता हूं। इसका स्वागत योग्य पहलू यह है कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक में इसकी प्राधिकृत पूंजी को 75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये करने का प्रावधान है।

मुझसे पूर्व, मेरे विद्वान सहयोगी जीवन बीमा निगम के कारोबार में प्रतियोगिता की चर्चा कर रहे थे। वास्तव में मेरा मत इससे अलग है कि आज इस व्यापार में विभिन्न कम्पनियां एक-दूसरे से प्रतियोगिता करने में लगी हुई हैं। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या साधारण बीमा निगम में यह प्रतियोगिता वांछनीय है अथवा नहीं। वास्तव में, मेरा सुझाव है कि इन सभी कम्पनियों को मिलाकर एक कम्पनी बना दिया जाए ताकि समाज को फायदा पहुंचाने के लिए साधारण बीमा के अच्छे तंत्र की स्थापना की जा सके।

आज, इन विभिन्न कम्पनियों के कारण सैकड़ों कार्यालय खुल गए हैं जिनमें हजारों लोग कार्यरत हैं। यहां तक कि जब भी कोई नया पद सर्जित किया जाता है तब भी कोई छोटा पद सर्जित नहीं किया जाता। जब नए पदों का सर्जन किया जाना होता है, तब उच्च-पदों के लिए ही पदों का सर्जन किया जाता है। जब कभी स्थिति में सुधार करने के लिए मन्त्रालय के पास कोई प्रस्ताव भेजा जाता है तो वह यही होता है कि अगर इस रैंक में अधिकारियों के चार या पांच पद सृजित कर दिए जाएं तो उस विशेष क्षेत्र की स्थिति में सुधार हो जाएगा। साधारण बीमा के कारोबार का इससे वास्तव में कोई लेन देन नहीं होता। वास्तव में ये कम्पनियां ही फिजूल-खर्च हैं। अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि इन सभी कम्पनियों को मिलाकर एक कम्पनी या निगम बना दिया जाए।

अब मैं निगम या इन कम्पनियों में निम्न पदों की स्थिति के बारे में कहूंगा। हाल ही में गोआ राज्य में 40 लिपिकीय पदों के बारे में एक विज्ञापन निकला था। इन 40 पदों को भरने के लिए यह आशंका व्यक्त की गई थी कि अधिकारी मताग्रह के कारण स्थानीय लोगों की इन पदों पर भर्ती नहीं करना चाहते। इन 40 पदों में से मात्र 5 या 10 पदों पर ही गोआ के लोगों की भर्ती की जाएगी। यह आशंका पैदा की गई है। अनेक अभ्यावेदन भेजे जा रहे हैं। अब मंत्रालय को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हो चुके होंगे। प्रश्न यह नहीं है कि इन पदों के लिए मात्र गोआवासी ही आवेदन दे सकते हैं। यह एक सर्वमान्य नीति है कि लोगों को उनके आवास के नजदीक ही रोजगार मिलना चाहिए। क्लर्क अथवा चपरासी जैसे छोटे पदों पर नियुक्ति करते समय स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। काफी अर्से से रह रहे लोगों के लिए कुछ प्रतिशत स्थान आरक्षित होने चाहिए। जहां तक इन पदों का प्रश्न है, इस नीति को स्वीकार करना होगा और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी होगी। अन्यथा गोआ के लोगों को यह महसूस नहीं होगा कि कम्पनी वहां बीमा व्यापार कर रही है। वे सहयोग नहीं देंगे। वे यह महसूस करेंगे कि जब तक तक स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता, यह एक बाहरी कम्पनी है।

गोआ राज्य मे क्लर्क के पदों पर नियुक्ति किए जाने के मामले में कृपया ध्यान दें।

विधेयक को प्रस्तुत करते समय आपने वैयक्तिक दुर्घटना योजना का भी उल्लेख किया था। यह बड़ी अच्छी योजना है। इसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि यह योजना लोकप्रिय नहीं हो

पाई है। ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से लोगों को वैयक्तिक दुर्घटना लाभ योजना की मौजूदगी के बारे में अभी तक पता नही है। अतः मेरा सुझाव है कि इस योजना को पंचायत प्रणाली के माध्यम से लोकप्रिय बनाया जाए जिससे कि पंचों और सरपंचों को इस योजना की जानकारी हो सके गांवों में जहां भी ग्राम सभाएं और अन्य बैठकें आयोजित की जायें वहां लोगों को इस योजना के बारे में बताया जाए जिससे कि उन व्यक्तियों को जो इस योजना के अन्तर्गत आते हैं, उन्हें कुछ लाभ, कुछ आर्थिक मुआवजा कराया जा सके।

अन्त में, मैं झोंपड़ी बीमा योजना के बारे में कहना चाहता हूं। यह भी एक अच्छी योजना है। कुछ क्षेत्रों में, लोगों को इस योजना के बारे में पता है किन्तु आम तौर पर यह योजना लोकप्रिय नहीं हो पाई है। फिर इस योजना के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठेगा जिस पर श्री दत्ता सामंत भी कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। मान लीजिए कि किसी भूमि पर झोंपड़ी अथवा झोंपड़ीनुमा कोई चीज मौजूद है जिसे किसी प्रकार की अपेक्षित अनुमति के बिना ही निर्मित किया गया है और यह भी सम्भव हो सकता है कि नगर निगम, पंचायत अथवा किसी उच्च प्राधिकारी की अनुमति के बिना उनमें परिवार वर्षों से रह रहे हो, तो क्या ऐसी झोंपड़ियों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त होगा? मेरे विचार से कुछ समस्या हो सकती है जिसके कारण झोंपड़ियों को इस योजना में समाहित न किया गया हो। किन्तु मानवीय दृष्टिकोण से, ऐसी झोंपड़ियों को भी, जिनके सम्बन्ध में वैध औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाई हैं, इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में, यदि दुर्घटनावश उसमें आग लग जाती है अथवा वे नष्ट हो जाती हैं, तो उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए।

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, देखने में तो यह विधेयक अहानिकर है और इसलिए इसका विरोध करने की कोई बात नही है किन्तु हमें सरकार के असली इरादे का पता नहीं है। क्योंकि हमें इस सरकार पर कोई विश्वास नही है। यह सच है कि सामान्य बीमा निगम को अच्छा लाभ हो रहा है। यह भारत के अधिकांश सरकारी क्षेत्र के एककों के समान नहीं है। हमें इस बात का डर है कि कहीं इस निगम की आरक्षित निधि सरकार द्वारा दूसरी मद को हस्तान्तरित न कर दी जाए जैसा कि उन्होंने गत वर्ष तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कोष के साथ किया था। फिर भी, हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सामान्य बीमा निगम ग्रामीण जनता को लाभ पहुंचा रहा है। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिकांश किसानों को शामिल किया जाना चाहिए। जैसा कि हमारे विद्वान साथी, श्री शांताराम नायक ने कहा है कि यद्यपि झोंपड़ी बीमा योजना चालू है किन्तु झोंपड़िया गन्दी बस्तियों में रहने वाले अनेक व्यक्तियों को इस योजना की जानकारी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों में से हमें भय है, शायद ही किसी व्यक्ति को सामान्य बीमा निगम से ऋण मिल पाता हो। मछुआरों, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों, कृषि क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को और अधिक सहायता दी जाए जिससे कि कृषि और अन्य कुटीर उद्योगों में वास्तविक सुधार हो सके। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस वाद-विवाद का अन्तिम उत्तर देते समय उनका उत्तर देने की कृपा करेंगे।

सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहता हूं कि आज की तारीख तक आरक्षित निधि कितनी है? दूसरे, क्या सरकार का विचार है कि गम्भीर दुर्घटना की स्थिति में, जिसमें करोड़ों रुपयों की हानि हुई हो, यह आरक्षित निधि मुआवजा अदा करने के लिए पर्याप्त है? तीसरे, गत पांच

वर्षों के दौरान ऐसी कितनी दुर्घटनाएं घटी हैं जिनमें मुआवजे की राशि एक करोड़ रुपए या उससे अधिक थी। चौथे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि राशि में पुनर्बीमा की राशि कितने प्रतिशत है अर्थात् पुनर्बीमा की प्रतिशतता क्या है।

[हिन्दी]

डॉ० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, इस बिल में कहने लायक बहुत सी बातें नहीं हैं परन्तु कुछ बातें कहने लायक अवश्य हैं—खास कर क्रॉप इंश्योरेंश के बारे में हमारा जो अनुभव है वह बहुत ही दुखद है। जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि उनके स्टेट में क्रॉप इंश्यारेंस मंडल के स्तर पर होता है। हमारे यहां बिहार में क्रॉप इंश्योरेंस डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर होता है और इसमें बड़ी धांधली है। एग्रीकल्चर के मामले में आप कोई भी लोन लीजिए आपको क्रॉप इंश्यारेंस करना आवश्यक होता है और प्रीमियम देना आवश्यक होता है, लेकिन जब डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है तो उसका कोई कम्पैनसेशन नहीं दिया जाता है। पूछने पर कहा जाता है कि इंश्यारेंस का यूनिट डिस्ट्रिक्ट था और डिस्ट्रिक्ट की बाकी पंचायतों में और बाकी गांवों में फसल ठीक-ठाक हुई है। किसी खास पंचायत , खास गांव में ओला के कारण, बाढ़ के कारण, या सुखाड़ के कारण फसल नहीं होती है तो कोई भी कम्पैन्सेशन नहीं दिया जाता है। मैं तो बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह गरीब किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। अतः इस पर बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है। मैंने कई लैवल पर इंश्यारेंस वालों से बात की। हमारे भजन लाल जी भी हमारे मत से सहमत हैं और उनको भी सिम्पैथी है। लोग कहते हैं कि इससे जनरल इंश्यारेंस का काम बहुत बढ़ जाएगा। हम किस-किस पंचायत में और किस-किस गांव में देखने के लिए जाएंगे। इसमें देखने की जरूरत नहीं है। आपके पास बी० डी० ओज हैं, काम करने वाले अफसर हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं जो आपको बता देंगे कि पंचायत में, किसी खास पंचायत में पिछले तीस सालों की तुलना में फसल का नुकसान हुआ या फसल ठीक-ठाक है। फिर उसके आधार पर आप कम्पैन्सेशन दीजिए। नहीं तो फिर यह नियम बता दीजिए कि बैंक से यदि कोई ऋण लेता है तो उसको इंश्यारेंस कराना कम्पलसरी न हो। आप एक तरफ प्रीमियम काट लेते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम आपको कम्पैन्सेशन नहीं देंगे। इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है। मुझे हजारों लोगों ने मेरी अपनी कांस्टीट्यूयेंसी में कहा कि हमारे साथ यह बहुत बड़ा अन्याय है। क्रॉप इंश्यारेंस की प्रीमियम ले लिया जाता है और हमें उस पर कोई कम्पैन्सेशन नहीं दिया जाता है। इस बात पर बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। ऐसा इसमें कुछ करना चाहिए जिससे कि किसानों को फायदा हो।

मंत्री जी ने कहा और ठीक कहा कि जनरल इंश्यारेंस में बहुत बड़ा लाभ है। लाभ क्यों नहीं होगा ? आप प्रीमियम ले लेते हैं और लोगों को कम्पैन्सेशन नहीं देते हैं। इससे लाभ ही लाभ होगा। मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि छोटी-मोटी नौकरी जो सभी लोग करते हैं उनका जॉब इंश्योरेंस होना चाहिए। कोई दुकानदार के यहां करते हैं, कोई ट्यूशन करते हैं ऐसी नौकरी करने वालों या फिर प्राइवेट इंडीविजुअल के यहां जॉब करने वालों का जॉब इंश्यारेंस होना चाहिए। आप चाहें तो बड़ी नौकरी करने वालों का मत करिए और 500 रुपए से ऊपर नौकरी करने वालों का न करिए लेकिन 500 रुपए से कम की नौकरी करने वालों का ऑटोमेटिक इंश्यारेंस होना चाहिए—जैसे कि हट इंश्यारेंस हैं और उसका प्रीमियम सरकार देती है। उसी तरह से छोटी

नोकरी करने वालों का इंटीमेशन किसी इंश्यारेंस कम्पनी में दे दें जिससे कि अगर कल को नोकरी छूट जाए तो एक रीजनेबल कम्पेंन्सेशन मिल सके। इम्पलायमेंट के बारे में ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। अपने देश में इम्पलायमेंट से बढ़ कर कोई चीज नहीं है। हमारे यहां देहातों में तो कहते हैं कि नोकरी एक दूसरा जीवन है। इसलिए छोटी नोकरी के मामले में लोगों का इंश्यारेंस होना चाहिए और प्रीमियम सरकार की तरफ से मिलना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा जिसको कि पहले भी हमारे कुछ साथियों ने कहा है कि जनरल इंश्यारेंस के बारे में लोगों को देहातों में कहीं कोई नॉलिज नहीं होता है। आप बड़े-बड़े अखबारों में इश्तहार देते हैं और कभी-कभी टेलीविजन में भी इश्तहार आते हैं, लेकिन गांवों में जो टेलीविजन देखते हैं वह यह समझते हैं कि यह शहर में रहने वाले लोगों के लिए हैं, गांवों में रहने लोगों के लिए नहीं है। मेरा एक निवेदन होगा कि आप इसका प्रचार गांव-गांव में करवाइए और लोगों से यह कहिए कि यह जनरल इंशोरेंस गांवों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। मैंने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी पता नहीं है, जनरल इंशोरेंस के बारे में। एक दफा हमारे क्षेत्र में हजारों झोंपड़ियों में आग लग गई। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कहा कि इसका कम्पेंसेशन आटोमैटिकली मिलना चाहिए। उन्होंने कहा—इसके बारे में मुझे पता नहीं है। हमने कहा—हमने पालियामेंट में इसको पास किया है, यह आश्चर्य की बात है कि आपको पता नहीं है। अभी भी उस पर लिखा-पढ़ी चल ही रही है। लोगों को एक पैसा भी उसका कम्पेंसेशन नहीं मिला है। मैं कहूंगा कि एजकेट पीपल को ही नहीं कीजिए, बल्कि आफिशिलस को भी कीजिए और उनको बताइए कि इसका कम्पेंसेशन कहां मिलेगा।

देश में अकसर गर्मियों के दिनों में आग लग जाती है। देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं, जहां पर बाढ़ समय-समय पर आती रहती है। एक साल आई और फिर दूसरे साल नहीं आई, जैसे असम है, वैस्ट बंगाल है, बिहार है और खास कर नॉर्थ बिहार, वहां पर भी झोंपड़ी इंशोरेंस की तरह लोगों को नुकसान यदि हो जाए तो स्वत: लोगों को उसका मिनियम कम्पेंसेशन मिल जाना चाहिए, जिसका कि इंशोरेंस सरकार दे। यह पूरे देश के लिए लागू होना चाहिए। क्यों? हमने देखा है कि फ्लड आ गया और सारे का सारा सामान बाहर कर ले गया और लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ है और उसका कोई कम्पेंसेशन नहीं मिलता है। जैसे कि सांप के काटने पर भी लोगों को इंशोरेंसन का पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन देहातों में कहां मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। हजारों केसेज ऐसे होते हैं। इसी प्रकार कैटल इन्शोरेंश के बारे में भी लोगों को पता नहीं है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने अथोराइज कैपिटल बढ़ाने की बात कही है, यह आपने बहुत ही ठीक बात कही है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि सोशियली ओरिएन्टेड सैक्टर जनरल इंशोरेंस और इसमें फायदा लोगों तक पहुंचाना चाहिए और हमारी सरकार खास कर हमारे प्रधान मंत्रीजी चाहते हैं कि गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। जनरल इंशोरेंस के बारे में आप गांव के लोगों को बताइए। गांवों में होर्डिंग लाइए, आजकल तो टेलीविजन गांवों-गांवों में पहुच गया है। कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाकर आप दिखाइए। जनरल इंशोरेंस का नोमिनल प्रीमीयम भी दिया जाए तो नुकसान हो जाने पर कितना बड़ा लाभ होता है। एल० आई० सी० में पहले ऐसा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। एल० आई० सी० की तो अब मानोपॉली है और उसका बहुत बड़ा बीजनेस है। मैं कहता हूं कि इस क्षेत्र में

एक्टिविटी नहीं बढ़ती यदि एल० आई० सी० नहीं होता। जनरल इंशोरेंस एक्टिविटी भी बढ़ सकती है, जिस तरह से एल० आई० सी० हाउसिंग प्रोजेक्ट चलवाते हैं या लोन दिलवाते हैं, कुछ ऐसा सोचा जा सकता है, ताकि जनरल इंशोरेंस भी कुछ ऐसी बात हो। जनरल इंशोरेंस की पोटेंशियलिटी बहुत ज्यादा है, आवश्यकता है इमैंजिसेशन की। सोशियली कमिटमेंट लोगों में इस बारे में सोचने की धारणा होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि आपका प्रपोजल बहुत ही अच्छा है कि आपने अथोराइज कैपिटल बढ़ाया है। इसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही चाहूंगा कि जनरल इंशोरेंस इस तरह से हो, जिससे कि गांव के लोगों को सही अर्थों में इसका लाभ हो सके।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य बीमा निगम लाभ अर्जन करने वाला उपक्रम है। ग्रामीण व्यक्तियों को 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज सहायता दी जाती है। डी० आर० डी० ए० के अधीन लाभार्थियों को पशुओं की खरीद के लिए राज सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पशुओं का बीमा भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हुए मकानों की मरम्मत के लिए इन्दिरा आवास का भी बीमा कराया जाता है। तथापि लाभार्थियों को समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें लाभार्थियों को उनके पशुओं के मर जाने पर अथवा प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गए इन्दिरा आवास के लिए मुआवजा अनेक महीने बीत जाने के बाद भी स्वीकृत नहीं किया गया है।

1.00 म०प०

इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि जिन व्यक्तियों के पशुओं का बीमा हो चुका है अथवा जिन व्यक्तियों को इन्दिरा आवास दिए जाते हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए।

हमारी सरकार तथा हमारे प्रधान मंत्री ने कृषि क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया है। और किसानों को पर्याप्त सहायता देने की चेष्टा की है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि फसल बीमा योजना को व्यापक बनाया जाए क्योंकि इस समय जो फसल बीमा योजना चल रही है वह स्वयं में पूर्ण नहीं। यह उन केवल थोड़े से व्यक्तियों पर ही लागू है जो बैंकों से ऋण लेते हैं। यह सभी किसानों पर लागू नहीं है। इसलिए, उचित यही होगा कि एक वृहद फसल बीमा विधेयक लाया जाए और इसमें देश के सभी खेतीहरों को सम्मिलित किया जाए। यही हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बात का उत्तर देने की कृपा करेंगे। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित करते हैं और सभा 2 बजे पुनः समवेत होगी।

1.02 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.07 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.07 म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक

(जारी)

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं । महोदय, बीमा एक विस्तृत विषय है । किन्तु सभा के समक्ष लाये गये इस विधेयक के विषय सीमित हैं । इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा ।

महोदय, इस विधेयक में प्राधिकृत पूंजी की राशि को 75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये करने का प्रावधान है जिससे कि निगम कुछ 'बोनस ईश्यू' जारी कर सके । उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी गई है कि गत कुछ वर्षों के दौरान साधारण बीमा कारबार बहुत अच्छा रहा है । महोदय, साधारण बीमा कारबार का कार्य-निष्पादन अच्छा होने का अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है । बीमा एजेन्ट जो किश्तें इकट्ठी करते हैं, उसमें आंशिक रूप से उनका अपना हित निहित होता है । वे यह कार्य अपनी पदोन्नति की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ समाज की कुछ आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करते हैं । हमारी कार्य कुशलता दावों के निपटान में भी वैसी ही होनी चाहिये जैसी कि किश्त एकत्र करने वाले कर्मचारियों की किश्तें एकत्र करते समय होती है । समय-समय पर इस प्रकार की रिपोर्टें प्रकाशित होती रहती हैं कि उपरोक्त दोनों क्षेत्र की कार्य-कुशलता एक-जैसी नहीं है । इसमे कोई संदेह नहीं है कि विभिन्न क्षेत्रों से किश्त एकत्र करने वाले एजेन्ट बीमा के सिद्धान्त, संकल्पना और उसकी प्रक्रिया के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी देते हैं । उनका कार्य निष्पादन बहुत अच्छा रहा है और यही कारण है कि 'बोनस ईश्यू' के द्वारा प्राधिकरण पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई है । किन्तु इसका दूसरा पक्ष भी है । जब दावों के निपटारे का मामला आता है, तब एजेन्ट ग्राहकों को इसका आधा भी सहयोग और सहायता प्रदान नहीं करते हैं । हो सकता है कि इस बात में कुछ अतिश्योक्ति हो किन्तु अनेक वर्षों से इस प्रकार की शिकायतें मिलती रही है कि दावों का निपटारा अभी तक एक समस्या बनी हुई है, अतः मेरा सुझाव है कि माननीय वित्त मंत्री इस आवश्यकता की ओर ध्यान देने की कृपा करें कि दोनों पक्षों की कार्यकुशलता एक जैसी ही हो ।

सभी जोखिमों वाले बीमे के बारे में भी मैं कुछ उल्लेख करना चाहूंगा । इस बात का उल्लेख किया गया है कि 1982 के बाद सभी जोखिमों वाले बीमे की स्थिति उतनी व्यापक नहीं रही है जितनी कि 1982 से पहले थी । इस सम्बन्ध में, जब अचल सम्पत्तियों तथा वाहनों की बात आती है, विशेषकर गत दंगों के बाद दिल्ली नगर के कुछ मामलों के सम्बन्ध में, तो यह बताया गया है कि दावों का निपटारा करते समय विभिन्न अधिकारी विभिन्न तरीकों से बीमा नियमों की व्याख्या करते हैं । वास्तव में यह एक बड़ी गलत बात है । इसे हमें दूर करना चाहिये क्योंकि दावों का निपटारा जितनी जल्दी हो सकेगा, बीमा का कारबार उतना ही अच्छा चलेगा । इससे, एक संगठन के रूप में बीमा का जो उद्देश्य समाज के सभी वर्ग के लोगों तक इसका लाभ पहुंचने का

है, उसको बल मिलेगा। हो सकता है कि बीमा सम्बन्धी चेतना विशेषकर महानगरों और राज्यों की राजधानियों में अच्छी हो किन्तु ग्रामीण तथा अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वर्गों के लोगों में बीमा सम्बन्धी चेतना जागृत करने की आवश्यकता है। अत: हम चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय इस सम्बन्ध में कदम उठाये जिससे कि लोगों में, विशेषकर अधिक निर्धन वर्ग के लोगों में, पिछड़े क्षेत्रों में समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों में चेतना जागृत हो सके।

मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से हूं जहां के लोग यह महसूस करते हैं कि यहां बीमा कारबार बहुत अधिक नहीं है और जब कभी भी कारबार होता है, तो वह शहरों में कुछ पढ़े लिखे लोगों और अधिकारियों के सहयोग और भाग लेने तक ही सीमित है—जिन्हें इसके बारे में पता है कि यह क्या है। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि बीमा का लाभ सभी वर्ग के लोगों, विशेषकर ग्रामीण लोगों, किसानों और कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को पहुंचे। इसलिये समाज के इन बड़े वर्ग के लोगों, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के मेरे जैसे राज्यों के पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों में बीमा का कारबार बढ़ाने के लिये हमें एक दीर्घकालीन योजना बनानी होगी जिसके लिये संगठन का और विस्तार और अभिप्रेरणा देकर तथा उसे और अधिक व्यवस्थित करना होगा एवं अधिक प्रभावशाली एजेन्ट नियुक्त करने होंगे। इन राज्यों में अब तक जो कारबार हुआ है, वह पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है। अत: मेरा यह सुझाव है कि विशेषकर कृषि क्षेत्र में, जहां कृषक मौसम की दया पर आश्रित है, फसल बीमा पालिसी सही ढंग से व्यवस्थित की जाये और उसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पहुंचे, जिनके लिये वास्तव में यह बनाई गई है।

चूंकि यह एक सीमित विधेयक है अत: मेरे पास इस पर और अधिक कहने को कुछ नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मैंने जो थोड़े से सुझाव दिये हैं उस पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाये। धन्यवाद।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : इस विधेयक का सीमित प्रयोजन 75 करोड़ की शेयर पूंजी को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने हैं। किन्तु बीमा, विशेषकर साधारण बीमा का विस्तार किया जाना चाहिये। मेरे विचार से अन्य देशों की भांति, इस देश में इस क्षेत्र में गम्भीर प्रयास नहीं किये गये हैं।

बीमा क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक पहलुओं को समाहित किया जा सकता है और लोगों के मस्तिष्क में यह विश्वास भरा जा सकता है कि यदि वे बीमा करायेंगे तो वे अधिक सुरक्षित होंगे। इसके अलावा, बीमे की किश्तों के रूप में रुपया एकत्र किया जाता है, उसे आय बढ़ाने और रचनात्मक कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दोनों दृष्टिकोणों से विश्लेषण करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अन्य देशों में अन्य संगठनों द्वारा जो कार्य किया गया है, हम उसके बराबर नहीं पहुंच पाये हैं।

साधारण बीमा कारबार में लगे लोगों की यदि अच्छी आय होती है, तो वे सबसे पहले एक अच्छा और सुन्दर भवन बनाने की बात सोचते हैं। गत कुछ वर्षों के दौरान इस देश में इस उद्योग का यही रवैया रहा है।

मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां तक कि यदि किसी सहकारी समिति के पास कुछ धन एकत्र हो जाता है, उनके पास शेयर पूंजी और किसी अन्य प्रकार का रुपया है तो वह तत्काल बड़े भवन, बड़ी हवेलियां निर्मित कराने की तथा उन्हें स्मारक के रूप में रखने की बात

सोचती हैं। इस रवैये में परिवर्तन करना होगा और इसे रोकना होगा। यह रवैया रचनात्मक नहीं है। जो धन हम एकत्र करते हैं, उसे लोगों के कल्याण कार्यों में लगाना होगा, उसे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये व्यय करना होगा; उसे छोटी आवासीय योजनाओं के निवेश करना होगा और उसे हर स्थान पर हवेलियां निर्मित कराने में व्यय करने की अपेक्षा अन्य कल्याणकारी कार्यों में इस्तेमाल करना होगा। यदि आपको इस देश के नगरों के विभिन्न भागों में जाने का अवसर मिले तो आप देखेंगे कि वहां विभिन्न बीमा निगमों के अपने-अपने बड़े-बड़े भवन बने हुए हैं। उनमें से ऐसा एक भवन साधारण बीमा निगम का होगा। दूसरा जीवन बीमा निगम का होगा। तीसरा राष्ट्रीयकृत बैंक का होगा इत्यादि। यह प्राचीन सामन्तवादी प्रथा और सामान्तवादी दृष्टिकोण है। हमारा देश एक सामाजवादी देश है, अतः इस दृष्टिकोण को बदलना होगा। वह धन जिसे बीमे की किश्तों के रूप में एकत्र किया जाता है, उसे रोजगार के अवसर सुलभ कराने तथा जनता के कल्याण के कार्यों में लगाना होगा।

इस सम्बन्ध में एक पहलू स्वास्थ्य बीमा के बारे में है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस देश में गरीब लोगों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल नहीं हो रही है। जो लोग अनेक रोगों से ग्रस्त हैं, उनका बीमा करने के लिए क्या किया जा रहा है? बीमा पालिसी के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के लोगों और बिना आय वाले लोगों को आसानी से लाभ पहुंचाया जा सकता है। परन्तु इस सम्बन्ध में हमने कोई कदम नहीं उठाया है। मुझे इस बात पर गर्व है कि त्रिवेन्द्रम में केन्सर के बारे में एक बीमा पालिसी है। वे इस बारे में प्रयोग कर रहे हैं। मात्र 100 रुपए अदा करने पर, अगर बीमा-कृत व्यक्ति को केंसर हो जाता है तो उसके इलाज का खर्च बीमा कम्पनी उठाती है। काफी लोगों ने इसे अपनाया है। मुझे बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक इस बीमा पालिसी को अपनाना चाहता है। वहां पर्यावरणीय प्रदूषण होने, लोगों के रहन-सहन की परिस्थितियों के कारण, वहां के लोगों को केंसर होने की घटनाएं अधिक होती हैं। अगर इस हेतु बीमा आरम्भ किया जाए, तो इससे काफी सहायता मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को इस रोग से भय लगता है। अतः, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बीमा आरम्भ किया जाए, तो लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे। अतः बीमा निगमों को इस पहलू पर विचार करना चाहिए और उन्हें इस उद्देश्य हेतु उपाय ढूंढने चाहिए।

साधारण बीमा निगम में काफी कदाचार व्याप्त है। मैं नहीं जानता कि इस बारे में कोई गम्भीर अध्ययन किया गया है या नहीं। बीमा राशि किसे प्राप्त होती है और झूठे दावे प्रस्तुत करके दावेदारों और दावों का निपटान करने वाले अधिकारियों में पैसों का विभाजन कैसे होता है? कार दुर्घटना या कार को नुकसान या भवन में आग लगने जैसी छोटी-छोटी बातों के लिए दावेदारों और निपटान अधिकारी की मिलीभगत चल रही है। हमारे देश में कदाचार चरम सीमा पर है। मैं नहीं जानता कि इन बातों को कम करने के लिए कोई गम्भीर प्रयास किया गया है या नहीं, मैं नहीं जानता कि 'सर्वेयर', 'इनफोरमर', 'एनेलिस्ट' आदि की भूमिकाओं के बारे में कोई अध्ययन किया गया है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि इन लोगों की अपने कार्यों के प्रति कितनी निष्ठा है और जिन लोगों का कोई प्रभाव या असर नहीं है, उनके प्रति ये कितना न्याय करते हैं। अतः, इस बारे में बीमा क्षेत्र से कदाचार और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे बीमा राशि का लाभ मिलना चाहिए, उसे असल में लाभ प्राप्त हो।

मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं; इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है, मैं

मात्र यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस संशोधन को अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए।

जहां तक बीमा कानूनों का संबंध है, इस बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कानून में काफी विकास हुआ है।

इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे बीमा के कानूनी पहलुओं और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के साथ इसके संबंधों पर भी विचार करें और इस बात का पता लगायें कि हमारा कानून कहां तक दोषयुक्त है।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : मैं इस विधेयक, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1989 का समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक का न केवल समर्थन करता हूं, बल्कि स्वागत भी करता हूं। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, इस विधेयक का उद्देश्य प्राधिकृत पूंजी राशि को 75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए करना है। इसकी मुख्य बात यह है कि इसके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया गया है और न ही सरकार से अंश दान मांगा गया है। आंकड़ों को देखने से पता चलता है है कि सरकार ने 21.50 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी लगाई है और दो बार बोनस शेयर जारी करने से चुकता पूंजी अब 64.50 करोड़ रुपए हो गई है। अब निगम की पूंजी में वृद्धि किए जाने से सरकार को लाभांश की अधिक राशि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार भी पूंजी के आधार में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आजकल साधारण बीमा में उच्च लाभ प्राप्त हो रहा है और सारे सार्वजनिक क्षेत्र में से इस क्षेत्र में अधिक लाभ हो रहा है। वर्ष 1987 में कर पूर्व 400 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था और वर्ष 1988-89 के 15 महीनों में इसके लगभग 576 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह अधिक कर भी अदा करता है और मेरा अनुमान है कि देश में यह निगम सबसे अधिक कर अदा करने वालों में से एक है। वर्ष 1987 में इसने 171 करोड़ रुपए के आय कर का भुगतान किया था और वर्ष 1978-89 के दौरान इस निगम द्वारा 271 करोड़ रुपए के आयकर का भुगतान किए जाने का अनुमान है।

अतः, निगम की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि किए जाने से इसके द्वारा और लाभ कमाए जाने का आधार बनेगा। अतः यह एक प्रशंसनीय और स्वागतयोग्य उद्देश्य है। अब तक साधारण बीमा निगम द्वारा प्रारम्भिक कार्य ही किए गए हैं और साधारण बीमा को जनसाधारण के लिए और अधिक सार्थक बनाने हेतु अनेक नए कदम उठाए जाने हैं। अनेक माननीय सदस्यों के इसके अधिक प्रचार के लिए जोर दिया है। हालांकि साधारण बीमा निगम ने फसल बीमा योजना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सामाजिक न्याय योजना, झोपड़ी बीमा योजना, पशु बीमा योजना, 'मैडी-केयर पालिसी' आदि जैसी अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं, लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि इन योजनाओं के बारे में कोई विशेष प्रचार नहीं किया गया है। झोंपड़ी योजना, जोकि गरीब के लिए है, के बारे में लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है। अतः, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई अच्छी योजनाओं से समुचित लाभ नहीं उठाया जा रहा है।

जहां तक फसल बीमा का सम्बन्ध है, इसमें बहुत अधिक संशोधन करने की आवश्यकता है। फसल बीमा योजना के बारे में सदन के अन्दर और सदन के बाहर अनेक बार सार्वजनिक वाद

विवाद हुए हैं और कुछ अच्छे तथा आदर्श सुझाव दिए गए हैं। लेकिन कृषकों के लिए इन्हें वास्तव में लाभप्रद बनाने के लिए इन योजनाओं को संशोधित करने हेतु बहुत कम काम किया गया है। इस निगम द्वारा कुछ अन्य योजनाएं भी प्रारम्भ की जा सकती हैं। उदाहरणार्थ वे आवासीय योजना प्रारम्भ करने पर भी विचार कर रहे है। और मैं यह सुझाव दूंगा कि यह कार्य अति शीघ्र किया जाना चाहिए। आवास एक ऐसा क्षेत्र है जहां तुरन्त ध्यान देना आवश्यक है और यदि साधारण बीमा निगम द्वारा आवासीय योजनाएं भी प्रारम्भ की जाती हैं तो इस देश की आवासीय समस्या सुलझाने में काफी अधिक मदद मिलेगी। अतः जैसा मैंने कहा है, इस दृष्टिकोण से, जब हम अधिकृत पूंजी में वृद्धि करके नींव मजबूत कर रहे हों तो बड़ी और अर्थक्षम योजनाएं प्रारम्भ करनी होंगी, नए कदम उठाने होंगे और इसमें विभिन्न योजनाएं सम्मिलित करनी होंगी। गरीब जनता के लिए बनी वर्तमान योजनाओं पर पुनर्विचार करना होगा और इस स्थिति से निपटने के लिए इनमें संशोधन करना होगा। और जैसा मैंने कहा है—जहां तक विभिन्न योजनाओं का सम्बन्ध है, प्रमुख आवश्यकता इनके सम्बन्ध में प्रचार की है।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री द्वारा लगाए गए इस अच्छे विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री हरुभाई मेहता (अहमदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन तथा स्वागत करता हूं।

अधिकृत पूंजी में प्रस्तावित वृद्धि की बहुत ही अधिक आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि वृद्धिगत अधिकृत पूंजी से साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों के कार्यक्षेत्र मे वृद्धि करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। प्रसंगवश, मैं इस बात की ओर इशारा करना चाहूंगा कि चार सहायक कम्पनियों को अलग-अलग काम करने की अनुमति देने के स्थान पर इन्हें समन्वित करने की मांग काफी समय से चली आ रही है। इस प्रकार के व्यापार में प्रतियोगिता जैसी कोई चीज नही है और यदि चारों सहायक कम्पनियों का सही इरादे से समन्वय किया जाता तो यह साधारण बीमा निगम के प्रबन्ध मंडल के लिए कितना अच्छा होगा।

महोदय, अनेक वक्ताओं ने जन शिक्षा के बारे में कहा है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि दुर्घटना बीमा और झोंपड़ी बीमा आदि के बारे में जन प्रबोधन योजना जैसी जन शिक्षा की काफी आवश्यकता है। मैं इस बात की ओर इशारा करना चाहूंगा कि सरकार को संबंधित पुलिस स्टेशनों को वैधानिक उत्तरदायित्व सौंपने पर विचार करना चाहिए कि वे बीमा योजना के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली झोंपड़ियों आदि में आग लगने और किसी भी दुर्घटना के बारे में बीमा कम्पनी को सूचित करें ताकि बीमा कम्पनी तुरन्त आवश्यक कार्यवाही कर सके। श्रमिक मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक उत्तरदायित्व की तरह संबंधित श्रम आयुक्तों पर भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर, झोंपड़ियों में आग लगने अथवा दुर्घटना होने के बारे में बीमा कम्पनी को सूचित करने के लिए सम्बन्धित पुलिस स्टेशनों अथवा ऐसे किसी राजस्व अधिकारी पर उत्तरदायित्व डाला जा सकता है जो ऐसी घटनाओं के बारे में बीमा कम्पनी को सूचित कर सकें। इससे बीमा योजनाओं के लाभ संबंधित लोगों को वस्तुतः मिल सकेंगे। इसके बारे में पर्याप्त जानकारी और तंत्र उपलब्ध नहीं है।

महोदय, साधारण बीमा निगम छंटनी राहत और सेवा समाप्ति संबंधी देय राशियों के भुगतान को भी शामिल करने पर विचार कर सकती है। बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कानूनी

प्रक्रिया के अनेक छोटे और बड़े क्षेत्र के एकक बन्द कर लिए जाते हैं। अनेक मामलों में छंटनी राहत और सेवा समाप्ति संबंधी देय राशियों का भुगतान नहीं किया जाता। अहमदाबाद और अन्यत्र अनेक कपड़ा मिले बन्द कर दी गईं लेकिन करोड़ों रुपये के सेवा समाप्ति संबंधी देय राशियों का अभी तक भुगतान नहीं किया गया। जिस प्रकार श्रमिक मुआवजा बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल है उसी प्रकार बीमा निगम की छंटनी राहत और सेवा समाप्ति संबंधी देय राशियों के भुगतान को शामिल करने वाले बीमा को प्रारम्भ करने पर विचार क्यों नहीं करती? मैंने इस बारे में प्रबन्ध मण्डल से बातचीत की थी। मासिक अथवा नियमित किश्तों में भुगतान के द्वारा बीमा करने सम्बन्धी सुझाव के बारे में हम उनसे उत्साहवर्द्धक प्रत्युत्तर की अपेक्षा करते हैं। श्रमिक की छंटनी, विशेषकर किसी प्रतिष्ठान के बन्द होने के कारण की स्थिति में निगम को छंटनी राहत और सेवा समप्ति सम्बन्धी अन्य देय राशियों की गारण्टी देनी चाहिए। यह श्रमिकों के लिए बहुत ही लाभप्रद योजना सिद्ध होगी।

मैं यह बता दूं कि हम अभी तक विलम्ब आदि जैसी शिकायतों को समाप्त नहीं कर पाये हैं। वर्ष 1985 और 1986 में हुए साम्प्रदायिक दंगों में मैंने देखा था कि दुकानों और मकानों सम्बन्धी आगजनी के मामलों के दावों के निपटान में बहुत विलम्ब हुआ है। यह नहीं होना चाहिए। एक उद्देश्य, जो कुछ साम्प्रदायिक तत्वों को आगजनी करने के लिए प्रेरित करता है यह है कि अल्पसंख्यकों की अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया जाये। चूंकि सरकार की जन कल्याण योजनाओं के कारण उनका विकास होता है अतः ये साम्प्रदायिक तत्व नियमित अवधि के बाद यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के छोटे दुकानदार और अन्य नागरिक आगजनी के कारण बर्बाद हो गए तथा उनके व्यापारिक संस्थाओं और मकान जल जाएं। ऐसे मामलों में भी बीमा कम्पनियां चुस्त नहीं हैं।

स्मरणपत्र देने के बावजूद भी विलम्ब हुआ है। कम से कम इस प्रकार की घटनाओं में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के विलम्ब को समाप्त किया जाना चाहिए। सभी स्थितियों में ऐसे विलम्ब को समाप्त करने के लिए पर्याप्त कार्य किया जाना चाहिए। विलम्ब से भी भ्रष्टाचार पनपता है। रिश्वत देने का एक उद्देश्य विलम्ब समाप्त करना रहा है ताकि वे यथासम्भव राशि बिना विलम्ब के प्राप्त कर सकें। मैं वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह यह पता लगाने के लिए कदम उठाएं कि सभी स्तरों पर विलम्ब को किन प्रकार समाप्त किया जा सकता है।

इस दिशा में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है? उदाहरणार्थ इस समय क्षति के मामलों को शामिल करने सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है जो ऐसे आदिवासियों और असंगठित श्रमिकों को हो सकती हैं जो कि यथार्थ रूप से श्रमिक मुआवजा अधिनियम अथवा राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं। छोटे वन उत्पाद एकत्र करने में लगे आदिवासियों के लिए कोई बीमा नहीं है। ऐसे भी मामले हैं जहां वे क्षतिपूर्ति सम्बन्धित वन निगम को आवेदन करते हैं। चूंकि वे वन निगम के कर्मचारी नहीं हैं, वे कहीं से भी मुआवजा प्राप्त नहीं कर सकते यह निगम ऐसे असंगठित श्रमिकों विशेषकर आदिवासियों को लाभ क्यों नहीं प्रदान करता है?

इसी प्रकार सीमान्त और छोटे किसानों से संबंधित सभी फसलों को शामिल करने के लिए एक व्यापक फसल बीमा योजना अवश्य प्रारम्भ की जानी चाहिए। उनकी आर्थिक स्थिति अधिकतर कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। एक बार फसल के अच्छा न होने की स्थिति में

उनके लिए जीवन निर्वाह करना भी कठिन हो जाता है। यह निगम सभी प्रकार की फसलों का बीमा क्यों नहीं करता है, चाहे वह किसी प्रकार की फसल क्यों न हो—अधिकांश फसलें तो खाद्यान्न फसल हैं ? एक ऐसी व्यापक योजना बनाई जिसके अन्तर्गत भारत के सभी सीमांत और छोटे किसानों को सम्मिलित किया जाये। इस प्रकार के अनेक परिवर्तनों पर विचार किया जा सकता है।

बेरोजगारी बीमा को भी व्यापक बनाया जाये। कम से कम नियोक्ता द्वारा किश्तें तो अदा कराई जायें। यहां तक कि रोजगार प्राप्त श्रमिक भी सम्भवतः स्वयं को भावी सम्भावित बेरोजगारी से सुरक्षित रखने के लिए आंशिक भुगतान करने को तैयार हो सकते हैं। इसमें परिवर्तन करने की गुंजाइश है। मुझे आशा है कि संसद द्वारा इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने पर वित्त मंत्री इस निगम की गतिविधियों के क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाने की शुभ घोषणा करेंगे।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूं। यह बिल बहुत अच्छा है। इस बिल में 75 करोड़ से 200 करोड़ रुपए आथोराइज कैपीटल बढ़ाने के बारे में जो अमेंडमेंट लाया गया है, इसका भी मैं समर्थन करती हूं।

महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में मुझे सिर्फ दो-तीन बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना है। जनरल इंश्योरेंस स्कीम अच्छी स्कीम है और जनता की भलाई के लिए इम्पोर्टेंट स्कीम है, लेकिन मैं मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि हमारी कंट्री में जो सबसे बड़ा प्राब्लम है वह जाबलैस वर्कर्स का है। आपको मालूम है कि जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कोई इंडस्ट्री बनाता है तो उसको हर तरह के कानून के काम करने पड़ते हैं और इंडस्ट्री बन्द होने पर भी उसको जो उसके एडवांटेजेस मिलने चाहिए वह मिलते हैं, लेकिन जो वर्कर लाब-लैस हो जाता है, उसको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसके लिये कोई सोचता नहीं है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल में भी बहुत सारे वर्कर्स अभी जाबलैस हो गए हैं। अगर एक लाख वर्कर्स जाब-लैस हो जाते हैं तो उसके 5 लाख फैमिली मेम्बर्स रोड पर आ जाते हैं; उनको खाना-पीना नहीं मिलता है। ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है।

जब कोई इंडस्ट्री बनाता है तो उसके लिये कोई प्राबलम नहीं होता है और उसको सब तरह से प्रमोशन होता है लेकिन जब कोई इंडस्ट्री को बन्द करता है तो वह एक इंडस्ट्री को छोड़कर दूसरी इंडस्ट्री में चला जाता है लेकिन वर्कर के लिए बहुत बड़ी प्राबलम हो जाती है। इसलिए प्राइवेट सैक्टर में जो वर्कर काम करता है उसको आप जनरल इंश्योरेंस स्कीम के अन्दर ले जाइये क्योंकि उसको कोई जाब सिक्योरिटी नहीं है। इस तरह से इंडस्ट्री बन्द हो जाने के बाद गवर्नमेंट उसकी कुछ देखभाल कर सकती है, उसको थोड़ी-सी मदद मिल सकती है, कानून उसकी देखभाल कर सकता है। यह बहुत इम्पार्टेंट सवाल है।

अभी श्री हरुभाई मेहता जी ने जैसा कहा कि एक्सीडेंटल स्कीम में क्या होता है, जिसका इन्फ्लुएंस होता है उसको जल्दी रुपया मिल जाता है लेकिन जिसका इन्फ्लुएंस नहीं होता है उसको जस्टिस नही मिलता है। आपको तो मालूम है कि जस्टिस डिलेड एज जस्टिस डिनाइड। इस

तरह से उसको कोई फायदा नहीं मिलता है। उसके लिए कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए कि एक्सीडेंट के बाद उसको 2 महीने के अन्दर ही रुपया मिल जाएगा। लेकिन इसमें करप्शन बहुत ज्यादा होती है। इसमें मिडिल मैन काम करते हैं जो कि देश में बहुत ज्यादा हो गये हैं। जिस मामले में मिडिलमैन इन्वाल्व हो जाते हैं, उसमें वह कमीशन देकर काम को जल्दी करवा लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कमीशन इसमें ले लेते हैं। जिसका कोई इंफ्लुएंस नहीं है, जान-पहचान नहीं है उसका कोई काम नहीं होता है इसके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए।

एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि क्राप इन्श्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट की बहुत अच्छी और रिवोल्यूशनरी स्कीम है लेकिन मैं भी एम० पी० हूं. मेरा पता नहीं होता है कि मैं कांस्टीटुएंसी में किधर होती हूं और किधर नहीं होती हूं लेकिन आप इनमें एम० पी० को कम-से-कम इन्वाल्व कीजिए। जो पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं, उनको क्रोप इन्श्योरेंश में जरूर लाइये ताकि वह देख सकें कि किस किसान को मिलता है और किस को लाभ नहीं मिलता है। मुझको तो आज तक किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। हमको पता नहीं होता है कि किसको फायदा मिला है और किसको नहीं मिला है। अगर किसी को फायदा मिला भी है तो उसका कोई इंफार्मेशन नहीं है। इसलिए पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज को जरूर इन्वाल्व कीजिए। चाहे इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लैवल पर कोई मानेटरिंग सैल बनाइये जिससे क्राप इन्श्योरेंस स्कीम का किसान को एडवान्टेज मिल सके।

हमारी स्टेट में वन-पार्टी पोलिटिकल सिस्टम चलता है सी० पी० एम० जिसको बोलेगा उसको फायदा मिलेगा। सैंट्रल गवर्नमेंट से भी सी० पी० एम० को ही पैसा दिया जाता है लेकिन उससे कोई पब्लिक का काम नहीं होता है। इसलिये इस पर ध्यान देना चाहिए और हमको भी मौका मिलना चाहिए ताकि हम देख सकें कि किसको ग्रीवांस रहेगा और किसको नहीं रहता है। हम उसके ग्रीवांसेज को आपके सामने ला सकते हैं। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में एम० पीज को इन्वाल्व करने के लिये क्राप इंश्योरेंस में कुछ रखना चाहिए। इसके लिये मानिटरिंग सैल हर डिस्ट्रिक्ट में आप अपनायें और उसमें पोलिटिकल आदमियों को रखें। हर डिस्ट्रिक्ट में आप वहां के एम० पी० को इन्वाल्व कीजिए चाहे अपोजिशन के ही हों, हमारा उसमें कोई अपोजिशन नहीं है। इस तरह से करने से आपको फायदा होगा और यह अच्छा होगा।

सोसाइटीज को बैनेफिट देने के लिए बहुत सारी स्कीम आपने बनाई हैं, आपकी मिनिस्ट्री इसमें अच्छा काम कर रही है लेकिन जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर काम करते हैं अगर वह करप्शन अगर वह करप्शन में इन्वाल्व्ड हैं तो आप उनके लिए विजिलैंस लगाइये और देखिये कि इस इंश्योरेंस का फायदा सही आदमी को मिले कन्ट्री को मिले। हर जगह कोई काम खराब नहीं करता लेकिन हर जगह दो-चार आपको जरूर मिल जायेंगे जिनका आपको पता होगा आप उनकी विजिलैंस से देखभाल कीजिए। कोई आदमी अगर हाई पोस्ट में काम करने के बाद अगर करप्शन में इन्वाल्व हो तो उसको इंटेलीजैंस से चैक करवाइये और उसके खिलाफ एक्शन लीजिए और उसको निकाल दीजिये।

यह जनरल इंश्योरेंस का मामला बड़ा इम्पार्टेन्ट है और यह स्कीम पब्लिक के लिए है, देश और जनता के लिए है, किसी इंडीविजुअल के लिए नहीं है। यह स्कीम बहुत अच्छी है, अमेंडमेंट बिल भी बहुत अच्छा है लेकिन जो बातें श्री हरुभाई मेहता जी ने कही हैं, डा० राजहंस जी ने कही हैं जो वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी हैं उनको करने के लिए चाहे आपको एक कम्प्रीहैंसिव

बिल लाना पड़े और चाहे उसमें और अमैंडमेंट करके अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे वह देश के लिए और जनता के लिए अच्छा रहेगा।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, जनरल इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण हुए लगभग 16 साल हुए हैं, जनरल इंश्योरेंस के राष्ट्रीयकरण की मांग जिस बड़े उद्देश्य के लिए की जा रही थी आंशिक तौर पर उसकी पूर्ति जरूर हुई है परन्तु जितने बड़े पैमाने पर आशा थी उतनी उसकी पूर्ति अभी तक नहीं हो सकी है। जो ज्यादा इनकम पाने वाले लोग हैं वे लोग इसका पहले की तरह ही ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। गांव के गरीब या शहर के गांव या ऐसे लोग जिनका रिस्क कवर करने की गारन्टी सरकार को लेनी चाहिए और जिनकी मदद करना ज्यादा जरूरी है वैसे लोग आज भी इसमे वंचित रहते हैं। थोड़ी बहुत स्कीमें बनायी गई हैं और उनका फायदा कुछ गरीब उठाना भी चाहते हैं तो उठा नहीं पाते हैं। क्लेम सैटलमेंट के मामले में इतनी गड़बड़ी है कि कहा नहीं जा सकता है।

अभी कुमारी ममता बनर्जी ने जो एक सुझाव दिया है मैं समझता हूं कि वह सुझाव आप इंश्योरेंस के मामले में ही था। मेरा कहना यह है कि दूसरे कई मामलों में गरीबों के क्लेम्स को सैटल करने के लिए कोई मानिटरिंग एजेंसी अवश्य बनायी जानी चाहिये और उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्ज को रखा जाना चाहिये जिससे ठीक ढंग से उसकी देखभाल हो सके और बीच में गड़बड़ी करने वाले लोगों को फायदा न पहुंच कर आम जनता को फायदा पहुंच सके।

मैं अपने यहां का एक केस वित्त राज्य मंत्री फलीरो साहब की जानकारी में लाया था। उन्होंने 4-5 महीने पहले बिहार के एम० पी० की एक मीटिंग बुलायी थी बैंक और बीमा के फंक्शनिंग के सवाल पर विचार-विमर्श करने के लिये। मेरी कांस्टीट्यूयेंसी नालन्दा के एक गरीब बेचारे का जानवर मर गया। उसका पोस्टमार्टम भी हुआ। उसकी सारी रिपोर्ट मैंने मंत्री जी के पास भेजी तथा बीमा का पैसा न मिलने की शिकायत की। मंत्री जी ने कहा था कि वह इसकी जांच करवायेंगे। बाद में उन्होंने लिख कर बताया था कि इसकी जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ...(**व्यवधान**)...सरकार की यह मंशा जरूर है कि लोगों को इससे फायदा पहुंचाया जाय गांवों के जो गरीब हैं, अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो मजदूर हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, पुअर फार्मर्स हैं, या जनरल तौर पर गरीब हैं उन पर यह लागू किया जाना चाहिए। बहुत बड़े हिस्से में वैसे तो यह लागू भी है लेकिन जो फायदा उनको इससे मिलना चाहिए वह बहुत ही नामिनल तौर पर आप उन्हें देते हैं। मानिटरी गेन जो उनको कम से कम होना चाहिए वह भी उनको नहीं मिलता है। बहुत से लोग इन स्कीमों को जानते तक नहीं है और बहुत से यह जानते हैं कि उनको इससे मानिटरिंग गेन बहुत ज्यादा मिलने वाला नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं—जैसे हट इंश्योरेंस है। हट जलने पर आप एक हजार रुपये दे देते हैं। मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस महंगाई के जमाने में एक हजार में हट बन सकती है। आप एक हजार की सीमा को बढ़ाकर कम से कम पांच हजार रुपये कर दें। आप एक्सीडेंट स्कीम की बात करते हैं। गरीब मजदूर के मर जाने पर उसके परिवार वालों को तीन हजार रुपये देते हैं। आप इस राशि को बढ़ाकर दस हजार रुपये करिए। मेरा कहना यह है कि आपने जो रेट आफ पे इसमें रखा है वह उचित नहीं है और इसको बढ़ाना चाहिए। खास तौर पर इसको पूरी तरह से कम्पलसरी करना चाहिए। अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में पूरे देश में लगभग 40 लाख बीड़ी मजदूर हैं, वहां ग्रुप इंश्योरेंस है लेकिन

उनको इतना कम बेनीफिट मिलता है और उसमें भी इस तरह की कण्डीशंस रखी जाती हैं जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पूरे देश के आंकड़े तो हमको मालूम नहीं हैं लेकिन बहुत नेग्लीजिबल संख्या में बीड़ी मजदूरों का बीमा हुआ होगा, अगर कहीं हुआ भी होगा तो। ठीक इसी तरह से एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं और अभी गवर्नमेंट की यह लाइन भी है कि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाय लेकिन उनको नहीं के बराबर फायदा मिल रहा है।

क्राप इन्श्योरेंस की मांग, कोई ऐसा सैक्शन नहीं है, जो नहीं कर रहा है और इससे देश की बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। अभी हालत क्या है कि फैक्टरी का इन्श्योरेंस होना है, फैक्टरी के किसी एक कोने में आग लग गई तो उसको मुआवजा मिल जायेगा, वह रिस्क कवर करेगा लेकिन किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो बिहार में पहले जिले को देखा जायेगा, पूरे जिले में बर्बादी हुई कि नहीं और फिर पूरे जिले में 75 परसेण्ट बर्बादी हुई कि नहीं, यह कण्डीशन है, आप इस तरह बिल्कुल मत करिये, जिसकी बर्बादी हो उसको लीजिए, बर्बादी नहीं हो, मत लीजिए तो इसमें जब तक इस तरह का सुधार नहीं लायेंगे तब तक यह प्रचार के लिए जरूर होगा कि आपने क्राप इन्श्योरेंस लागू किया। पर इससे फायदा होने वाला नहीं है, जो लोन लेता है यह उस पर लागू होता है लेकिन जो घर की पूंजी लगाता है, उसकी बर्बादी हो गई तो उसका क्या होगा तो ऐसी स्थिति में इसको जनरल तौर पर करना चाहिए और कानून में एमेण्डमैण्ट लाकर इसको भी शामिल करना चाहिए।

आज हमारे देश में हाउसिंग प्राब्लम जितनी जबरदस्त है उतनी ही जबरदस्त हैल्थ प्राब्लम भी है और लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनको दवाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है, इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाती है, इस वजह से उनकी मौत हो जाती है। मैं समझता हूं कि सरकार एक बड़ी सेवा करेगी, अगर सोच समझकर इस स्कीम को कम्पलसरी किया जाय, सभी लोगों पर पर इसको लागू किया जाय, खास तौर से जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाया जाय जिससे आजादी के 40-42 साल के बाद कोई आदमी बगैर दवा के नहीं मर जाय। यह हमारी आजादी के लिए कलंक की बात है कि आज लोग दवा के बगैर मर जाते हैं, आप इस पर विचार करें और विचार करने इसको लायें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके इस एमेण्डमैण्ट को सपोर्ट करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा पुरःस्थापित किये गये इस विधेयक का मैं समर्थन और स्वागत करती हूं।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि करना है। इतना ही नहीं इस संस्था की व्यापक सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां हैं। इस विधेयक का यह महत्वपूर्ण पहलू है, अतः मैं माननीय मंत्री के विचारार्थ कुछ सुझाव देना चाहूंगी।

अनेक सदस्यों ने फसल बीमा के बारे में कहा है कि आज यह एक बहुत ही अच्छी योजना है और इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ पहुंचेगा। आज जो स्थिति है, उसके अनुसार बीमा की परिगणना, ब्लाक को एक एकक मान कर की जाती है, जिससे इसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं, मौसम की स्थिति गांव से गांव और खेत से खेत के बीच अलग-

अलग होती है, इस स्थिति में, सारी योजना को बहुत ही व्यापक रूप से तैयार करना होगा। इस योजना पर किसानों के विभिन्न मंचों से विविध स्तरों पन विचार-विमर्श करना होगा। जब तक कोई ठोस सुझाव नहीं प्राप्त होता है, तब तक मेरे विचार से इस बीमा योजना से किसानों को वास्तविक लाभ नहीं होगा। आज भी, जब किसान अनुसूचित बैंकों से ऋण लेता है तो उसमें से बीमे की किश्त की राशि काट ली जाती है और वह इस योजना के दायरे में आ जाता है। जो किसान अनुसूचित बैंक से ऋण नहीं लेता है उसे इस लाभ से वंचित रखा जाता है। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। चाहे कोई व्यक्ति अनुसूचित बैंक या सहकारी संस्था से ऋण लेता है अथवा नहीं अथवा वह धन अपने पास से लगाता है, उस पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। किन्तु यदि वह क्षेत्र उसी दायरे में आता है तो उसे फसल बीमा के योग्य समझा जाना चाहिये। आज जो स्थिति है, उसके अनुसार बहुत ही कम फसलें बीमा योजना के अन्तर्गत आती हैं। चाहे प्रणाली कोई भी क्यों न हो, सभी फसलों को इस फसल बीमा योजना के दायरे में लाया जाना चाहिये।

दूसरा पहलू प्राकृतिक आपदायें हैं। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में विचार करते समय हमारा दृष्टिकोण यह रहता है कि क्या फसल की बर्बादी ओले पड़ने से, मानसून न आने के कारण अथवा कीड़ा लगने के कारण हुई है, और इन स्थितियों में हम इसे प्राकृतिक आपदा मानते हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य बातें हैं जो विद्यमान है और जिनके बारे में भी हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। हाल ही में, मेरे क्षेत्र में जल प्रणाली के कुप्रबंध के कारण 300 करोड़ रुपये की फसल नष्ट हो गई है। इस प्रणाली के अन्तर्गत जहां पानी को तुंगभद्रा क्षेत्र के दायें और बायें दोनों ओर पहुंचना चाहिये था, वह विविध कारणवश वहां तक नहीं पहुंच पाया। इसके कारण सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई। दस लाख एकड़ क्षेत्र में बोयी गई 300 करोड़ रुपये से अधिक की धान की फसल नष्ट हो गई है। अतः इस प्रकार की घटनायें हो जाती हैं। मैं नहीं जानती कि हम इस समस्या से कैसे निपटें। इतना नहीं है कि जिन किसानों ने ऋण लिया था, वे उसे लौटाने की स्थिति में नहीं हैं, अपितु वे आगामी फसल के लिये और ऋण प्राप्त करने की स्थिति में भी नहीं रह गये हैं। इसके अलावा, इस बात पर भी विचार करना होगा कि वे इस हानि को किस प्रकार सहन कर पायेंगे। मैं नहीं जानती कि इस समस्या को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है। मैं इस बात को माननीय मंत्री की जानकारी में लाना चाहती हूं। अतः ये परेशानियां प्राकृतिक अपदाओं के कारण अथवा किसानो की गलतियों के कारण भी हो सकती हैं। किन्तु कभी-कभी ऐसा होता है, जिसके कारण किसान भारी विपत्तियों में पड़ जाते है। मुझे पता है कि माननीय मंत्री महाराष्ट्र से हैं जहां सिंचाई के बहुत सारे साधन उपलब्ध है। मेरा विचार है कि वह इस दृष्टिकोण के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यह घटना मेरे क्षेत्र में हाल ही में घटी है। मुझे नही पता कि माननीय मंत्री ऐसे किसानों को इस संकट से किस प्रकार बचा सकेंगे। इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगी कि जो किसान प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त हैं और जिनकी कोई गलती नहीं है, जिसका उल्लेख मैं पहले ही कर चुकी हूं, उन्हें भी इस विधेयक के दायरे के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

महोदय, सामान्य बीमा योजना में जोखिम के लिये पम्पसैटों को भी शामिल कर लिया गया है। कभी-कभी वे जल भी जाते हैं। अनेक मदों को इस योजना के अन्तर्गत रखा गया है। किन्तु इसका समुचित प्रचार नहीं किया गया है। गांवों के अनेक व्यक्तियों को यह पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई योजना है अथवा नहीं। इसलिए अधिक प्रचार किया जाना चाहिए। ऐसा करके हमें सभी ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचा सकते हैं।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण दिया जाता है। यह जोखिम वाली योजना है। कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक लाभ के लिए ऋण दिया जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से बीमा कराया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में अनेक लोग ऋण लेते हैं। यहां तक कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत महिलाएं भी ऋण लेती हैं। वे अपने सोने के गहने आदि गिरवी रख देती हैं। वे बैल, पशु अथवा भैंस खरीदती हैं। यदि कोई संकट आ जाता है तो वे निस्सहाय हो जाती हैं। वे ऋण लौटाने की स्थिति नहीं रह पाती हैं। स्व-रोजगार कार्यक्रम के अधीन निर्धन बेरोजगार स्नातक रुपया उधार लेते हैं। इसमें कुछ जोखिम की गुंजाइश रहती है अतः मैं यह महसूस करती हूं कि इसका लाभ प्रदान करने से पूर्व उनका बीमा कराया जाना चाहिए।

महोदय, अनेक किसानों को कुएं खोदने के लिए जाना पड़ता है। भूमिगत कुएं की खुदाई में बहुत खतरा रहता है। इसके बावजूद कभी-कभी पानी नही मिल पाता है। सम्बन्धित बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण का आवेदन करने के संबंध में, एक उपबन्ध यह है कि यदि पानी नहीं प्राप्त होता है, तो खर्च किया गया रुपया दोबारा देना होता है। किन्तु इसमें प्रक्रिया संबंधी बहुत देरी होती है। इसमें कई वर्ष लग जाते हैं और किसानों को भारी कठिनाई उठानी पड़ती है। इसके साथ ही किसानों को रुपया लौटाने का नोटिस मिल जाता है। इसलिए वे बहुत अधिक परेशानी में पड़ जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि ऐसी किसी भी योजना के आरम्भ करने से पूर्व, उन्हें बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ का हकदार बनाया जाना चाहिए क्योंकि इनमें जोखिम होता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि इस सम्बन्ध में समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने कहा है, विशेषकर ओटाई और गांठ बनाने के कारखानों में बड़ा भ्रष्टाचार है। कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से वे बीमे का लाभ उठाते हैं। यह धन कम-से-कम उन लोगों को प्राप्त होना चाहिए जो बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। किन्तु यह धन उन लोगों को नहीं मिल पाता हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से वे उस धन को आपस में ही बांट लेते हैं। ऐसी बातों पर सतर्कतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी घटनाएं मेरे क्षेत्र में, जहां कपास बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है, कई बार घट चुकी हैं।

अतः इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री को इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देती हूं।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मन्त्री को बधाई देना चाहता हूं। इस संगठन और विशेषकर सामान्य बीमा निगम के लगातार अच्छे कार्य निष्पादन और प्रति वर्ष आय कर अथवा राज्य सम्बन्धी योगदान देखने के बाद, मेरा मत है कि यदि ऐसे सैकड़ों संगठन हों, तो मैं सोचता हूं कि देश के सम्पूर्ण राजस्व को एकत्र किया जा सकता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 70,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से केवल 7,112 करोड़ रुपये की आय है, जबकि लगभग बिना पूंजी निवेश अथवा 12.5 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से, यदि सामान्य बीमा निगम आय कर के रूप में 271 करोड़ रुपये का योगदान और वर्ष 1988 में 576 करोड़ रुपये के लाभ का पूर्वानुमान करता है अथवा वर्ष 1987 में उसे पहले से ही 400 करोड़ रुपये की आय हुई तो इसका श्रेय वित्त मन्त्री और प्रबन्ध मंडल को जाता है जिसके लिए हम उन्हें बधाई दिए बिना नहीं रह सकते हैं।

मैं विशेषकर आपका आभारी हूं—जिस प्रकार आपने उस समय विजयवाड़ा में सम्बन्धित अधिकारियों को बुलाने के लिए प्रबन्ध मंडल को सन्देश भेजा, जब कानून और व्यवस्था कायम रखने में राज्य सरकार की विफलता के कारण विशेषकर लोग दंगों से बुरी तरह प्रभावित थे और उन अन्य कारणों से भी जिनकी आपको जानकारी है और मैं दोबारा उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। वे लोग जिन्हें दंगों से कुछ लेना देना नहीं होता और वे लोग जो प्रभावित हुए हैं, बड़े और बहुत ही छोटे निरपराध लोग, जब उनके दावे एक सप्ताह अथवा एक महीने की अवधि में निर्धारित किए गए तो लोगों का निगम में विश्वास बढ़ा और लोगों का भारत सरकार में विश्वास पर्याप्त रूप से बढ़ा।

इसी प्रकार, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि 1340 लाख टन का खाद्यान्न उत्पादन बढ़ कर 1700 लाख टन तक चला गया है, तो इस देश के किसानों में विश्वास पैदा करने में इस निगम का सहयोग है। मैं आपको एक व्यावहारिक उदाहरण दे सकता हूं। गत वर्ष जब चक्रवात आया था और मेरे क्षेत्र में धान की फसल प्रभावित हुई थी, तो किसान अपने इस विकास के कारण तुरन्त एक बार फिर फसल उगाने के लिए, तुरन्त दूसरी बार फसल उगाने के लिए आ सके। उन्हें यह विश्वास था कि यदि वह एक बार फिर चक्रवात का शिकार बनते हैं, तो उन्हें मुआवजा मिलेगा। यदि यह विश्वास प्रदान न किया गया होता तो वे फसल पुन: उगाने के लिए न आए होते और हमें 1700 लाख टन का यह उत्पादन न मिला होता। अतः मैं यह आशा करता हूं कि आप और अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य करने के लिए अधिकाधिक ध्यान दें।

मैं पशु बीमा योजना का दूसरा उदाहरण लेता हूं। आज यदि मुर्गी पालन व्यवसाय इतनी भारी मात्रा में विकसित हुआ है और यदि एक अंडा 0.45 रुपये अथवा 0.48 रुपये में उपलब्ध है तो यह मुर्गी पालन करने वाले किसानों को आपके द्वारा दिए जा रहे मुआवजा और बीमा राशि प्राप्त करने के विश्वास के कारण ही सम्भव हुआ है। हम यह कह सकते हैं कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे अनेक कार्यों—चाहे यह मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, डेरी अथवा कुछ भी हो—में यह योजना लागू करने में ध्यान केन्द्रित करते हैं तो मैं नहीं समझता कि सामान्य बीमा निगम की आय कम हो जाएगी। इसके विपरीत, इसमें वृद्धि होगी। मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं।

2.59 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

अभी-अभी तेलगु देशम पार्टी के मेरे मित्र आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई झोंपड़ी बीमा के बारे में आप लोगों को बता रहे थे। यह वास्तव में एक बढ़िया योजना है और यह एक ऐसी योजना भी है जिससे देश के गरीब से गरीब लोगों की सहायता होती है। हाल ही में, मेरे जिले में लगभग 100 मकान नष्ट हो गए थे और जब मैंने यूनाइटिड इंश्यूरेंस कम्पनी से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे बताया कि वे प्रभावित लोगों को एक दिन के अन्दर चैक जारी करने के लिए तैयार थे। लेकिन इसके पश्चात मैं राज्य सरकार के राजस्व अधिकारियों और एम० आर० ओ० के पास गया और उन्हें बताया कि बीमा कम्पनी द्वारा यह वायदा किया गया है। मैंने उन्हें उन लोगों के नाम देने के लिए कहा जो प्रभावित हुए हैं अथवा जो 7200 रुपये अथवा 4800 रुपये की सीमा से कम में आते हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख है कि यह कार्य अभी तक नहीं किया गया है।

3.00 म० प०

लेकिन, इसमें सामान्य बीमा निगम की गलती नहीं है। मैं चाहता हूं कि उन लोगों, विशेषकर गरीब से गरीब लोगों को तुरन्त मुआवजा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए और इन्हें और अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए आपको कोई तरीका अवश्य ढूंढना चाहिए अथवा बीमा लोगों से भी यह कहना चाहिए कि वे राजस्व अधिकारियों के पास जाएं। जैसा कि मेरे अन्य साथी ने कहा है कि यदि इस कार्य को तुरन्त नहीं किया जाता है, तो यह बिल्कुल भी सहायक सिद्ध नहीं होगा बेशक आप इसे बाद में उपलब्ध कराएं।

मुझे झोंपड़ी बीमा अथवा फसल बीमा योजनाओं पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। मैं, फसल बीमा योजना के बारे में यह अनुरोध करता हूं इसे सभी फसलों के लिए अवश्य लागू किया जाना चाहिए और भारत सरकार भी पहले से ही यह सोच रही है कि इसे केवल मंडल स्तर पर ही नहीं बल्कि ग्राम स्तर पर अवश्य लागू किया जाना चाहिए। यह बात मानते हुए कि यदि हमें इस समय आपके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही फसल बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा पर प्रारम्भ में हानि भी उठानी पड़ी तो इसके लोकप्रिय हो जाने पर हमें हानि नहीं उठानी पड़ेगी। हमें इसे लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ समय लगेगा।

इस देश में गरीब से गरीब लोग स्वास्थ्य सुरक्षा तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम उनके बचाव के लिए न जाएं। इस योजना को बिना कोई प्रिमियम लिए गरीब आदमी तक पहुंचाने में हमें लम्बी अवधि में हानि नहीं होगी। जैसा कि आप यह सामाजिक सुरक्षा योजना लाए हैं, जिसमें किसी भी गरीब आदमी को कोई बीमा राशि देने की आवश्यकता नहीं है और इसके बावजूद दुर्घटना होने पर उसे 3000 रुपए मिलते हैं, इसी प्रकार बिना किसी प्रिमियम के आशय किए आपको गरीब लोगों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा के लिए कुछ ऐसी योजना अवश्य लानी चाहिए। आप निश्चय ही आय पर कुछ सीमाएं लगा सकते हैं।

आवास के बारे में, जैसा कि हमने बार-बार सोचा है और चर्चा की है, कि यह एक बड़ा क्षेत्र है जहां हम रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। जैसा कि आपने सुझाव दिया है, इस पर पहले से ही सामान्य बीमा निगम द्वारा विचार किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि बीमा निगम को बड़े पैमाने पर आवास योजना को अवश्य प्रारम्भ करना चाहिए जो न केवल गरीबों को मकान उपलब्ध कराए बल्कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध स्वदेशी संस्थानों और तकनीक का प्रयोग करके देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के कार्य में भी शामिल हो।

पूंजी वृद्धि ही यहां इसमें वृद्धि करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि आप अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो वे किसी भी कम्पनी का पूंजी का आधार हमेशा देखेंगे। वास्तव में, आप इस समय 250 करोड़ रुपए की वृद्धि करने का एक प्रस्ताव लाए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे अवश्य दुगना किया जाना चाहिए। ऐसा करके पुन: बीमा भी किया जा सकता है और हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के व्यापारियों को भी अपने कार्य क्षेत्र में लाने हेतु आकर्षित कर सकते हैं जिससे हम बहुत अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं और हम अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपने देश में आने और विदेशी मुद्रा बाहर ले जाने को भी रोक सकते हैं।

चूंकि कुछ लोगों ने कुछ शंकाएं अभिव्यक्त की हैं, मैंने प्रीमियम के ढांचे की भी जांच की है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों की तुलना में हमारा प्रीमियम काफी कम है। क्योंकि मामला केवल झोंपड़ी का ही नहीं है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में छप्परबन्द मकान का भी बीमा किया जा सकता है। यदि

एक हजार रुपये के बीमा पर एक रुपया प्रीमियम हो और यह योजना लोकप्रिय हो जाए तो प्रत्येक ग्रामवासी निरपवाद रूप से अपने मकान का बीमा कराएगा इससे भी रोजगार मिलेगा। क्योंकि आप इस पर विचार कर रहे हैं, आप इस बारे में भी सोच सकते हैं।

डाक विभाग में विभागेतर कर्मचारी हैं जो केवल 250 रुपए से 500 रुपए प्रति मास प्राप्त कर रहे हैं। वे एक दिन में केवल कुछ घंटे काम करते हैं; वे अंशकालिक कर्मचारी हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय में हेल्थ गाइड संपूर्ण देश में लाखों की संख्या में काम कर रहे हैं। उन्हें भी प्रतिमास 100 रु० अथवा 200 रु० मिलते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आप उन्हें अवश्य ही हजार रु० दें। मैं केवल इतना कहता हूं कि यदि आप इस कार्य का प्रसार करते हैं और इन योजनाओं को ग्रामों तक लोकप्रिय बनाते हैं और इसे प्रारम्भ करने के लिए ग्रामों में बेरोजगार युवकों को प्रोत्साहित करते हैं, तो इससे उनकी आय में सुधार के साधन उपलब्ध होंगे। वे इस योजना को लोकप्रिय बना सकते हैं और लोगों को आग अथवा दंगों आदि की बुराइयों से भी बचा सकते हैं। इससे आप इन गतिविधियों में वृद्धि कर रहे होंगे। हम, बीमाशुदा लोगों को लाभ पहुंचा कर, कम्पनी और बजट में भी अथवा विकास के अन्य कार्यों हेतु राशि उपलब्ध करा कर, केवल एक प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे होंगे।

मेरा यह मत है कि इस कार्य में कई गुना वृद्धि की जा सकती है यदि आप प्रबन्ध मंडल को प्रोत्साहन दें कि वे कुछ और नई योजनाएं लाएं और इस प्रकार आप प्रति वर्ष अपना कारोबार दुगना कर सकते हैं। यह सम्भव है। यह अतिशयोक्ति नहीं है। यह बहुत बड़ी महत्वकांक्षी सोच नहीं है।

इसमें 4,800 रुपये और 7,200 रुपये की आय सीमाओं का जिक्र किया है। लेकिन, अगर आप वर्तमान मूल्य लागत पर ध्यान दें, तो पायेंगे कि यह सीमा बहुत कम है। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है कि 1,500 रुपये की बीमा राशि बहुत कम है। आप इसमें थोड़ी और वृद्धि करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं।

इसी प्रकार, दुर्घटना में या अन्यथा किसी गरीब व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को 3,000 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। इस राशि में भी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उसके कुछ आश्रित राशि से अपना जीवन यापन कर सकें।

यह एक ऐसा संगठन है, जिसकी सत्ता दल के सदस्यों और विपक्षी सदस्यों ने भी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसी स्तर पर कोई उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। इस बारे में निश्चित रूप से कोई उपाय किया जाना चाहिए।

मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। इसका अन्य ग्रामीण गतिविधियों पर विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि सारे देश में इसकी प्रशंसा हो सके।

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : श्रीमन्, इस विधेयक का उद्देश्य इसकी शेयर पूंजी को 75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये करना है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

हमारा कल्याणकारी देश है और एक कल्याणकारी देश में प्रत्येक नागरिक को सरकार की सुरक्षा प्राप्त होती है। यह कहा जाता है कि सामाजिक न्याय के बिना सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है। अत: सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय एक-दूसरे के पूरक है।

इस राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अन्तर्गत कई अच्छी योजनाएं हैं। जहां तक मुझे ज्ञान है, आम आदमी, गरीब व्यक्तियों को इनकी कोई जानकारी नहीं है। सरकार ने देश के गरीब व्यक्तियों में इन योजनाओं का प्रचार करने का प्रयास नहीं किया है। मोटर दुर्घटना बीमा, आग दुर्घटना बीमा, पशु दुर्घटना बीमा, फसल बीमा, झोंपड़ी बीमा आदि अनेक अच्छी बीमा योजनाएं हैं। जैसा कि कुछ सदस्यों ने पहले ही कहा है, इन योजनाओं से अमीर लोग, प्रभावशाली लोग, उद्योगपति और समाज के सम्पन्न लोग ही लाभ उठा रहे हैं। लेकिन गरीब लोगों को इनका कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। तीन या चार वर्ष पूर्व, लोग निर्माण विभाग में दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाला एक मजदूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 दियोरोंग में कार्य कर रहा था। वह मेरे गांव का ही एक पड़ोसी था। जब वह वहां कार्य कर रहा था, तो एक तेज गति से आ रही कार से दुर्घटनाग्रस्त होकर, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटनावश, उसकी भविष्य निधि और बीमा राशि आदि का अभी तक निपटान नहीं हुआ है। उसकी पत्नी अनपढ़ और गरीब है और इस राशि के भुगतान के लिए एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास चक्कर लगा रही है। लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा है।

इस योजनाओं के अन्तर्गत एक सहायक कोश का प्रावधान है। शायद अधिकांश सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं है। इस कोश से कौन-कौन से लाभ मिलते हैं ?

इस कोश से जिला आयुक्त को 5,000 रुपये का अनुदान मंजूर करने की शक्ति है। मुझे जानकारी नहीं है कि इस राशि में और अधिक वृद्धि की गई या नहीं।

मैंने पहले ही कहा है कि हमारा देश एक कल्याणकारी देश है। हमें देश के पीड़ित लोगों की सहायता करनी है लेकिन देश के कितने लोगों को इस कोश से सहायता दी गई है। अगर आप जांच करें तो पायेंगे कि कुछ लोग, जिन्हें कानून का ज्ञान है, वे ही इस कोश से सहायता प्राप्त कर सके हैं। जिन्हें इन कानूनों का ज्ञान नहीं है, उन्हें इनका लाभ प्राप्त नहीं होता। हमारे देश में अनेक लोगों को न केवल फसल की हानि से ही नुकसान नहीं होता, बल्कि उन्हें दुर्घटनाओं, प्राकृतिक विपदाओं, चक्रवातों, बाढ़ों और भूकम्पों से भी हानि उठानी पड़ती है। लेकिन जब उन्हें भुगतना पड़ता है, तो कोई भी उनकी सहायता नहीं करता है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि आपकी इन योजनाओं से ये सभी जोखिम आ जाते हैं या नहीं। ऐसी योजना अवश्य होनी चाहिए, जिनके अन्तर्गत इन दुखी लोगों को तत्काल सहायता प्राप्त हो सके, अन्यथा इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं है।

मैं एक अन्य उदाहरण देना चाहता हूं। जहां तक औद्योगिक कामगारों का सम्बन्ध है, मुझे ऐसे लोगों की जानकारी है जो छोटे और बड़े उद्योगों से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उनकी भविष्य निधि राशि का निपटान वर्षों तक नहीं हो पाता। इन लोगों को वर्षों तक इस राशि का भुगतान नहीं किया जाता। चाय बगानों में औद्योगिक कामगारों को एजेंसी संस्था द्वारा 13 रुपए प्रति दिन की दर से भुगतान किया जाता है और स्वामित्व वाली एजेंसियों मे कभी-कभी यह राशि 5 रुपये दैनिक से भी कम बैठती है। इन लोगों के खातों में भविष्य निधि और बीमा राशि तो होती है लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् उन्हें इन राशियों का भुगतान नहीं किया जाता है। मैं आपको ऐसे सैंकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। असम के चाय बागानों से जैसे ही ये

श्रमिक सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें उनके घरों से बेघर कर दिया जाता है, लेकिन उनकी भविष्य निधि राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। आपको ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिसके अन्तर्गत इन लोगों को सेवानिवृत्ति के छः सप्ताह के भीतर अपनी भविष्य निधि और बीमे का पैसा मिल सके। अगर उन्हें बीमे और भविष्य निधि की राशिओं का भुगतान नहीं किया जाता है, तो भविष्य निधि खातों में रकम रखने का क्या लाभ है।

जहां तक संगठित क्षेत्र का सम्बन्ध है, उन्हें सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन असंगठित क्षेत्रों, जैसे लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्यरत मजदूरों, कृषि श्रमिकों आदि के लिए इन योजनाओं का विस्तार नहीं किया गया है। कागजों पर इनका विस्तार हुआ है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि इस मामले में कार्यरत कुछ अधिकारी भ्रष्ट तरीके अपनाकर गरीब लोगों से पैसा प्राप्त करते हैं। काफी गरीब लोगों को, जिन्हें ये लाभ प्राप्त होने चाहिए, अधिकारी उनसे अनेक प्रकार से धन वसूलते हैं। मैं महसूस करता हूं कि अधिकारी न सरकार से और न ही गरीब लोगों से सहयोग करते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि इन योजनाओं को व्यावहारिक ढंग से लागू किया जाना चाहिए। इन पर रोक और जांच होनी चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा यह प्रयास हो कि ये योजनाएं सही प्रकार से निचले स्तर पर गरीब लोगों को समुचित फायदा पहुंचा सकें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं जनरल इंशोरेंस बिजनेस (नेशनलाइजेशन) अमेंडमेंट बिल का समर्थन करता हूं। कई उद्देश्यों के लिए कई इंशोरेंस कम्पनीज बनी हुई हैं। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने आपके समक्ष अपने सुझाव रखे हैं कि बहुत सारी कम्पनीज हैं, उनका काम बढ़ा है जिनको आपने शामिल किया है और जितना फायदा हो रहा है तो इन चार कम्पनीज को भी शामिल कर लिया जाये जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। जिस तरीके की आपने योजना ली है हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार सारे देश में जितने गरीब लोग हैं जिनकी समस्यायें हैं, उनके सम्बन्ध में किसी न किसी तरह व्यवस्था की जाये जिससे उसका समाधान निकल सके। आपने अथोराइज्ड केपिटल बढ़ाई है वह भी नितान्त जरूरी है। इसको बढ़ाकर आप 500 या 1000 करोड़ कर दें तो जितने माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं उनको भी शामिल करके और योजनाओं को इसमें संचालित किया जा सकता है। क्राप्स इंशोरेंस के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव रखे हैं। जो लोग को-आपरेटिव या शिड्यूल्ड बैंकों से कर्जा लेते हैं केवल उन्हीं की जमीनों पर यह इंशोरेंस होता है, लेकिन उनको भी जब नुकसान होता है तो बहुत थोड़ा पैसा मुआवजे के रूप में मिलता है। मैं अपने राज्यों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वहां चार-पांच साल से बराबर अकाल पड़ता आ रहा है। हम हर साल फसल बोते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फसल सूख जाती है पानी के अभाव से। अगर इस सारे काश्तकारों की क्राप्स इंशोरेंस होती तो राजस्थान में 600 करोड़ रुपये उनको अपनी रोजी-रोटी की व्यवस्था करने के बजाय आप इस इंशोरेंस के जरिये से उन्हें इसमें सम्मिलित करके सहायता कर सकते थे। इससे उनको अधिक लाभ होता। इसलिए इस व्यवस्था को सम्मिलित करना नितान्त आवश्यक है। इससे काश्तकारों का बहुत बड़ा हित होगा। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि छोटे किसान और मध्यम किसानों को भी इसमें शामिल किया जाये लेकिन उनके साथ जो अन्य लोग हैं और काश्तकारी का काम करते हैं जिनको प्राकृतिक अपदाओं की

वजह से नुकसान उठाना पड़ता है तो फिर इन काश्तकारों को शामिल करने में आपको क्यों हिचकिचाहट हो रही है। इसी तरह से मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। आई० आर० डी० पी० के तहत कैटल के लिए लोन दिया जाता है। दो भैंसों का या गायों का अन्य पशु खरीदने के लिए। लेकिन जब वह पशु मर जाता है तो इंशोरेंस का पैसा उनको ठीक समय पर नहीं मिल पाता है। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है और वह इंशोरेंस नहीं करा पाते हैं इसलिए गरीब आदमी को काफी नुकसान हो जाता है। आप गरीबी दूर करने के लिए इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और यदि उसका जानवर मर जाता है तो उसको आप पैसा नहीं देते इससे उस गरीब की गरीबी और बढ़ जाती है। इसलिए इस इंशोरेंस के जरिये से उसकी गरीबी दूर करने का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि आई० आर० डी० पी० के तहत लोगों को जानवर या अन्य चीजें मिल पायें और वह कुछ कमा सके। हटमैंट के इंशोरेंस के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गर्मी के दिनों में घास वगैरह पैदा करके वे मकान के पास ही इकट्ठा करके उसको लगा देता है।

महोदय, गर्मी के दिनों में आग लग जाती है, उसकी वजह से कई झोंपड़ियां जल जाती हैं, उनको इंशोरेंस का पैसा नहीं मिलता है। मेरे जिले में एक गांव था उसमें 75 घर थे। उस गांव में आग लगने की वजह से 75 घर बरबाद हो गए। हमारे यहां के कलैक्टर ने और राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से मदद करके उसकी व्यवस्था की, लेकिन इन लोगों को इंशोरेंस की तरफ से मकान बनाने के लिए किसी प्रकार से पैसे की व्यवस्था नहीं की गई। मेरा कहना है कि ऐसे लोगों को, जिनकी झोंपड़ियां जल जाती हैं, उनको इस जनरल इंशोरेंस की स्कीम के तहत मकान बनाने के लिए पैसा मिलना चाहिए। इसका फायदा उन लोगों के द्वारा उठाया जा सके, इस प्रकार की स्कीम होनी चाहिए। गांव के अन्दर जो योजनाएं हैं जिनके अन्दर जमीन दी जाती है, उसके ऊपर मकान बनाने के लिए भी इंशोरेंस की तरफ से पैसा मिलना चाहिए, जिससे वे लोग अपने मकान बना सकें और अपने पांव पर खड़े हो सकें।

महोदय, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए, तो आप उसको 3 हजार रुपये देते हैं। तीन हजार रुपये से कोई व्यवस्था नहीं चलती है। अगर आप तीन हजार रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में भी जमा करवा दें, तो उसका ब्याज भी इतना कम आएगा जिससे परिवार का पेट पालन नहीं हो सकता है। जिस परिवार का व्यक्ति मर जाता है उसको जो आप तीन हजार रुपये देते हैं, उन तीन हजार रुपये के ब्याज से उस परिवार के छोटे-छोटे बच्चे और बीवी को जीवित नहीं रखा जा सकता है। इसलिए उनको सहयोग दिया जा सके और उनको जिंदा रखा जा सके, इस प्रकार की कोई व्यवस्था आप निश्चित तरीके से कीजिए। ऐसी व्यवस्था इंशोरेंस स्कीम के जरिए होनी चाहिए ताकि इन लोगों को फायदा मिल सके।

महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देश में 38 प्रतिशत तो लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं और हमारे गांवों में लोग कई प्रकार की बीमारियों से मर जाते हैं, उनके इलाज की आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। दवाई के अभाव में इस प्रकार की कितनी ही कठिनाइयां उनको गांवों में बरदाश्त करनी पड़ती हैं। इसलिए हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम निश्चित तरीके से आवश्यक है। जो लोग इलाज नहीं करा पाते, उनको भी पैसा मिलना चाहिए। अगर इस प्रकार का प्रावधान हो जाएगा, तो निश्चित तरीके से आपका हैल्थ डिपार्टमेंट, मैडीकल डिपार्टमेंट इस तरह की सारी व्यवस्थाओं की देख-रेख करेगा, जिसकी वजह से अननैचुरल या दवाई के

अभाव में जिस तरह की डैथ होती हैं, उनको बचाया जा सकता है। इन योजनाओं को निश्चित तरीके से सक्रिय किया जाना चाहिए।

महोदय, जनरल इंश्योरेंस में अमेंडमेंट के बारे में कई प्रकार की बातें कही गई हैं और कई माननीय सदस्यों ने सुझाव भी दिए हैं। माननीय सभापति महोदय, आप चूंकि बार-बार घंटी बजा रहे हैं, इसलिए मैं आपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाता हूं, हालांकि मैं बोलना तो बहुत चाहता था। हमारे प्रधान मन्त्री महोदय की जिस प्रकार की नीयत है कि इस देश में गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए, उनको अपने पांव पर खड़ा किया जाए और इसमें माननीय मन्त्री जी भी अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं।

इस इन्श्योरेंस के जरिये से, बहुत बड़ी तादाद में आप इस देश के गरीब लोगों और किसानों की सहायता कर सकते हैं, इसलिए इन योजनाओं के क्रियान्वयन में आप निश्चित तरीके से अपनी पूरी शक्ति लगाइये, देश में इन्श्योरेंस योजनाओं का और विस्तार कीजिए, इसकी औथोराइज्ड कैपिटल और ज्यादा बढ़ाइये, इसे अन्य नये-नये क्षेत्रों में लागू कीजिये जिससे इस देश के गरीब मजदूर, किसान, शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, स्माल मार्जिनल फारमर्स को और जितने भी अन्य पिछड़े हुए लोग हैं, उनको कम्पेंन्सेशन के जरिये से, इन्श्योरेंस के जरिये से, अपने पांवों पर खड़ा होने में मदद मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। जैसे कि भारतीय साधारण बीमा निगम ने कई बोनस शेयर जारी करने का प्रावधान किया है। इसलिए प्राधिकृत पूंजी को 75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया जाना चाहिए। वास्तव में वे इसमें और अधिक वृद्धि कर सकते है। लेकिन जब आप बीमा की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ समस्याएं आती हैं। वे समस्याएं इस संशोधन से पैदा नहीं होतीं। यह एक साधारण संशोधन है इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

मेरे माननीय मित्र श्री तम्पन थामस ने कहा है कि वे अपने लिए भवन क्यों बनाएं वे क्यों न बनाएं? मेरी शिकायत है कि बीमा कार्यालय बहुत खराब वातावरण में चल रहे हैं। अधिकांशतः उनके पास जरूरी फर्नीचर भी नहीं होता। मेरा आशय कोई बहुत अच्छे भवन अथवा बहुत अच्छे वातावरण से नहीं है। उनके पास समुचित फर्नीचर नहीं होता, उनके पास अपने ग्राहकों को बिठाने के लिए कुर्सियां नहीं होतीं। मेरी यही शिकायत है। किसी को इन सुविधाओं पर भी गौर करना चाहिए। बीमा के समूचे ढांचे को आधुनिकीकृत करने की आवश्यकता है। यहां तक कि कार्यक्षमता में भी कमी आ गई है। पहले ग्राहक द्वारा अपना प्रीमियम जमा करने में देरी हो जाये पर वे आपको सूचित करते थे लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। यदि आप उन्हें एक पत्र लिखें तो वे उसका जवाब नहीं देंगे। वे रिकार्ड रखने की पुरानी पद्धति ही अपना रहे हैं। पुराने रिकार्ड की छंटनी नही होती। उनका कुछ रिकार्ड फर्श पर पड़ा होता है और कुछ अल्मारियों में। रिकार्ड की कोई माइक्रोफिल्म नहीं बनाई जाती। उन्होंने अभी इस पद्धति को नहीं अपनाया है, उन्होंने अभी तक कम्प्यूटर पद्धति को भी नहीं अपनाया है। बीमा कारोबार बढ़ता ही जा रहा है और वे काफी लाभ कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका आधुनिकीकरण नहीं किया है। मैं चाहता

हूं कि वे अपने कार्य के प्रति जागरूक रहें और ग्राहकों को भी अपना प्रीमियम निर्धारित समय में जमा करने आदि के प्रति सचेत करें। जनता को अपना रिकार्ड लेकर उनके पास जाना पड़ता है। उनके पास समुचित रिकार्ड नहीं होता, वे इसका भली-भांति रखरखाव नहीं करते।

मुझे पता है कि समय का अभाव है और इसलिए मैं खास-खास मुद्दों पर ही बात करूंगा। मेरे राज्य में उन्होंने अभी तक फसल बीमा योजना को शुरू नहीं किया है। यह योजना केवल कागजों पर ही है। कुछ लोग कहते हैं कि फसल बीमा योजना को भली-भांति कार्यान्वित नहीं किया गया है। मेरे राज्य में यह योजना शुरू नहीं की गई है। मैं कुमारी ममता बनर्जी के इस सुझाव से सहमत हूं कि इस योजना के कार्यान्वियन में संसद सदस्यों को भी सम्मिलित करना चाहिए। वास्तव में संसद सदस्यों को किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि फसल बीमा योजना को जम्मू और कश्मीर में क्यों नहीं लागू किया गया है। इसमें किसी प्रकार के अन्य माध्यम को बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। हम अभी तक पुरानी घिसी-पिटी एजेन्ट पद्धति को ही अपना रहे हैं। वे काफी पैसा बनाते हैं। साधारण बीमा निगम और अन्य बीमा कम्पनियों को अपनी बीमा योजनाओं के लिए इलैक्ट्रोनिक माध्यम को अपनाना चाहिए ताकि लोग समझ सकें कि कितनी योजनाएं हैं और कौन-कौन योजना में क्या-क्या लाभ हैं। एजेन्ट अपनी डायरी लेकर जाता है और सैद्धान्तिक रूप से उन्हें कुछ बताते हैं, उस पर अधिक विश्वास नहीं किया जाता। बीमा योजनाओं के बारे में रेडियो और टेलीविजन पर काफी प्रचार होना चाहिए ताकि लोग इन विभिन्न योजनाओं के बारे में जान सकें। बीमा योजनाओं से शहरी जनता को ही लाभ हुआ है न कि ग्रामीण जनता को। हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए। माननीय मंत्री जी को जम्मू और कश्मीर में फसल बीमा योजना के कार्यान्वियन पर विशेष रूप से गौर करना चाहिए। चाहे साधारण बीमा हो अथवा अन्य बीमा योजना, मैं इसे सामाजिक आवश्यकताओं से जोड़ना चाहता हूं।

विश्वविद्यालयों में 99 प्रतिशत बीमा योजनाओं को अनुसंधान कार्य से जोड़ा जाता है। इसे हमारे सामाजिक जीवन से नहीं जोड़ा जाता है। "पी० एच० डीज आर डाइम ए डजन" नामक एक लेख छपा था। इनका कोई महत्व नहीं है। आपको इन्हें सामाजिक आवश्यकताओं से जोड़ना चाहिए।

मैं यहां एक समस्या पर चर्चा करना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस पर गौर करेंगे। यह डल झील के बारे में है। मैं समझता हूं कि लोगों की आशा के अनुसार जैसी झीलों की वे कामना इस पृथ्वी पर करते हैं उनमें से यह झील अत्यन्त सुन्दर है—मैं इसकी तुलना जेनेवा की झीलों से नहीं कर रहा हूं, मैं केवल भारतवर्ष की बात कर रहा हूं—लेकिन यह झील धीरे-धीरे सिकुड़ती जा रही है। इसमें काफी गाद भर गई है। आपके पास 5-6 बीमा कम्पनियां हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपके पास 5-6 बीमा कम्पनियां क्यों होनी चाहिए। खैर, इस पर हम चर्चा कभी बाद में करेंगे। लेकिन क्या आप इस पर पूंजी निवेश नहीं कर सकते अथवा इस परियोजना को अपने हाथ में लेकर विश्व को यह सिद्ध नहीं कर सकते कि हमने डल झील की सफाई कर दी है और इस पर से सभी प्रकार के अतिक्रमणों को हटा दिया गया है और उन सभी व्यक्तियो को आवास कालोनियों में बसा दिया गया है? यदि आप ऐसा करेंगे तो समूचे देश को मालूम होगा कि यहां कोई बीमा कम्पनी है जिसने वास्तव में कुछ सार्थक कार्य किया है। अन्यथा

यह उसी प्रकार घिसे-पिटे रास्ते पर चलेगी और इसे सार्थक रूप से कभी भी सामाजिक आवश्यकताओं से नहीं जोड़ा जा सकेगा।

जम्मू और कश्मीर में भर्ती पद्धति शोषपूर्ण है जिसे मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा। वे रोजगार कार्यालयों की परवाह नहीं करते। बीमा कम्पनियों ने समूचे देश में विशेषकर जम्मू और कश्मीर में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा चलाए गए 15-सूत्री कार्यक्रम की पूर्णतया उपेक्षा की है।

अन्ततः महोदय, तहेदिल से तथा एक सच्चे राष्ट्रवादी के समान बोलने वाले श्री हरुभाई मेहता के विचारों से सहमत होते हुए मेरा प्रस्ताव यह है कि दंगों से पीड़ित लोगों के लिए कुछ करना चाहिए ? मेरा सुझाव है कि हमारे देश में साम्प्रदायिक दंगों से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने संबंधी एक विशेष योजना होनी चाहिए क्योंकि आर्थिक कारणों से कुछ लोग लघु औद्योगिक क्षेत्र में लगे लोगों को विस्थापित करने का षड्यन्त्र रचते हैं। इसलिए दंगा पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने सम्बन्धी कोई योजना होनी चाहिए।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि साधारण बीमा कारबार की हमारे देश में एक स्वस्थ प्रवृत्ति है। सभी इसका पक्ष लेते हैं, विशेषकर जब दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है। विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाएं हैं। यदि आप नकारात्मक ढंग से सोचें तो मैं नहीं समझता कि हम किसी फैसले पर पहुंच पाएंगे। अतः मैं कहना चाहूंगा कि यह कोई स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। इसके विपरीत, जबरन छंटनी, तालाबन्दी और ऐसे ही अन्य सुझाव दिए गए हैं। अभी एक लाख साठ हजार उद्योग बन्द पड़े हैं और लगभग एक करोड़ कामगार बेरोजगार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बीमा राशि कहां से प्राप्त होती है। आखिरकार, यह राष्ट्रीय धन है। अध्यक्ष श्री गोयनका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास के लिए जिन कामगारों की छंटनी कर दी जाती है उन्हें साधारण बीमा योजना के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसे बड़े लोगों को इन निगमों में नहीं रखना चाहिए। मैं नहीं समझता कि वे गरीब लोगों के लिए कुछ व्यवहारिक कार्य करेंगे। इसे सरकार द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। बड़े उद्योगपतियों को इस सूची से अवश्य हटाया जाना चाहिए।

इस विधेयक के बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 1986 में 66.2 प्रतिशत दावे दायर किए गए। वर्ष 1987 में यह घटकर 63.8 प्रतिशत रह गए। वर्ष 1987 में 6[illegible] करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ और साधारण बीमा की कुल परिसम्पत्ति 800 करोड़ रुपए की हो गयी। माननीय वित्त मंत्री महोदय, आप 75 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ वास्तव में बड़ा अच्छा कारबार कर रहे हैं। अतः, समस्त लाभ का ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस बीमा कम्पनी की वर्ष 1986 में कर्मचारियों की संख्या 55,700 थी और वर्ष 1987 के एक वर्ष में उसमें मात्र 9,000 की ही वृद्धि हो पायी है। वे कम्पनी को अपनी जागीर समझे बैठे हैं और वे बड़े-बड़े भवन बनाते जा रहे हैं, लेकिन भर्ती कुछ हजार लोगों को ही कर रहे हैं। इस प्रकार की सब बातों को रोका जाना चाहिए और यह शक्ति सरकार के पास होनी चाहिए।

मैं, कृषि बीमा के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। वर्ष 1987 में, कृषि बीमा के अन्तर्गत मात्र 50 लाख किसान ही सम्मिलित किए गए। वर्ष 1985 में मात्र 14 करोड़ रुपए की किश्त

अदा की गई और 1986 में 18 करोड़ रुपए और वर्ष 1987 में 22 करोड़ रुपए की राशि अदा की गई है। हम किसानों के लिए बीमा योजना के बारे में इतना शोर मचा रहे हैं, लेकिन मात्र 15 से 20 करोड़ रुपए की बीमा राशि ही अदा की गई है, वह भी तब जब केन्द्र-राज्य 2:1 के आधार पर अंशदान वहन कर रहे हैं। कितने दावे हैं? अब तक कितने दावे प्राप्त हुए हैं? यह सभी जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है कि क्योंकि हम सभी कृषि बीमा के बारे में बोल रहे हैं और किसानों तक इन लाभों को पहुंचाने के लिए कह रहे हैं।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात कामगारों और उन्हें उपादन राशि से भुगतान से सम्बन्धित है। कामकाजी वर्ग, कारखानों के बन्द होने आदि से सम्बन्धित अनेक सुझाव दिए गए हैं। कारखाना बन्द होने से पूर्व जो भी उपदान राशि बनती हो, कारखाने द्वारा साधारण बीमा कम्पनी में जमा कराई जानी चाहिए। यदि सरकार यह राशि वसूल करती है तो कोई हर्ज नहीं है। प्रत्येक वर्ष, कम्पनियां कोई विशेष प्रतिशत रकम उपदान के रूप में देती हैं और इस राशि को साधारण बीमा निगम के पास जमा कराया जाना चाहिए। वर्ष 1988 में, इस विषय पर एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। और इस बारे में सदन में चर्चा भी हुई थी कि इस राशि को साधारण बीमा के पास जमा कराया जाना चाहिए। परन्तु, बाद में राष्ट्रपति ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान नहीं की। इससे सरकार के श्रमिक विरोधी रवैये का पता चलता है। अत: इस खण्ड को पुन: लाया जाना चाहिए और उद्योगपतियों को प्रतिवर्ष उपदान की राशि बीमा कम्पनियों के पास जमा करानी चाहिए। इस समय सरकार के पास 2,000 करोड़ रुपए की भविष्य निधि जमा है। यदि उपदान की राशि भी बीमा कम्पनियों के पास जमा करा दी जाए, तो सरकार को काफी रकम प्राप्त हो जाएगी और कामगारों के हितों की भी रक्षा की जा सकेगी और कारखाना बन्द होने के बावजूद कामगार को उपदान की राशि प्राप्त हो सकेगी। यह एक अच्छी और व्यवहारिक योजना है और मैं नहीं समझता कि सरकार इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रही है।

जहां तक प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाए जाने का सम्बन्ध है, मुझे कुछ नहीं कहना है और मैं संशोधन को अपना समर्थन प्रदान करता हूं।

लेकिन मैं एक बार पुन: कहना चाहूंगा कि साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष श्री अशोक गोयनका को हटाया जाना चाहिए और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए बीमा कम्पनियों में मनमाने ढंग से कार्य करने वाले अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा उपदान राशि को भी साधारण बीमा के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए और इस उद्योग के संचालन सही ढंग से निगरानी की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : कृपया मुझे एक बात कहने की अनुमति प्रदान करें। जब दावों का प्रश्न आता है तब बीमा कम्पनियां न्यायिक फैसलों की बजाय पुलिस की रिपोर्टों पर निर्भर करती हैं। इनमें से किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? मैं ऐसे सभी मामलों का ब्यौरा देते हुए मंत्री महोदय को एक पत्र लिख रहा हूं। मामले के निपटान में किसकी प्राथमिकता दी जानी चाहिए? न्यायिक फैसलों को या पुलिस की रिपोर्टों को? मैं यही बात कहना चाहता हूं।

श्री एस० बी० चव्हाण : सर्वप्रथम, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। इस विधेयक का समर्थन करते समय प्रत्येक माननीय सदस्य ने इस बारे में बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि सामान्य बीमा निगम की योजनाओं के अन्तर्गत किस प्रकार अधिक लोगों को लाने की आवश्यकता है जिससे कि अधिक संख्या में निर्धन और असंगठित लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो सके। इसके साथ ही, मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता देना चाहता हूं कि देश में जो भी घटनायें घट रही हैं, उन सभी घटनाओं का विकल्प सामान्य बीमा कम्पनी नहीं है। वास्तविकता यह है कि असंगठित क्षेत्र में ऐसे कुछ असहाय व्यक्ति हैं, जिनके लिए स्वयं राहत की वह राशि प्राप्त करना संभव नहीं है जो उन्हें राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार अथवा सामान्य बीमा कम्पनियों से प्राप्त होने की आशा है। यही एक ऐसी दिलासा है जिसे हम देने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि मैं यह कहूं कि राज्य सरकारें जिन बातों पर सहमत है, उन सभी का यह विकल्प है, तो मेरा यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। वास्तव में राज्य सरकारों से अपेक्षित राहत उपायों को जारी रखे जाने की आशा है। अतः इसी प्रकार, यदि केन्द्रीय सरकार विभिन्न क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई राहत दे रही है, तो उन्हें उसे जारी रखना होगा और कुछ दिशाओं में यह एक पूरक प्रयास ही होगा। किन्तु हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्हें कहीं से भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती है। वस्तुतः हमें ऐसे क्षेत्र में ही उनकी सहायता करनी होगी।

अनेक योजनायें आरम्भ की गई हैं, और ऐसी अनेक योजनायें हैं, जिनमें लाभार्थियों को किश्त देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। किश्तें केन्द्रीय सरकार अदा करती है। इसीलिए उन्हें इस बात का विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी को किश्त अदा किए बिना ही मुआवजा मिल सकता है। इसलिये यदि कोई उनसे कहता है कि "आप 3,000 पाने के हकदार हैं।" तो वह कहता है कि "मैंने एक पैसा भी नहीं दिया है। मुझे 3,000 रुपये कैसे मिल सकते हैं?"

वस्तुतः मैं माननीय सदस्यों के इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं कि इसके प्रचार में निश्चित रूप से कमी रही है। हमें इसका समुचित प्रचार करना होगा जिससे कि लक्षित समूह के लाभार्थियों को यह बात भली-भांति विदित हो जाये कि झोंपड़ी जल जाने पर 1,000 रुपये और सामान नष्ट हो जाने की स्थिति में 500 रुपये मिल सकते हैं। एक अन्य योजना के अन्तर्गत वे 3,000 रुपये पाने के हकदार हैं। अनेक प्रकार की योजनायें हैं। कुओं, पम्पसेटों के लिए भी योजनाएं हैं। अनेकानेक क्षेत्रों में ये योजनायें आरम्भ की गई हैं लेकिन वास्तव में इस बात को मानने से कोई इंकार नहीं है कि कुछ योजनाओं के बारे में लोगों को पता नहीं है। इसलिए मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इस बारे में और अधिक प्रचार की आवश्यकता है और मैं निश्चित रूप से अधिकारियों से प्रचार करने के लिए कहूंगा। (व्यवधान)

हम इस बात का प्रचार करने की चेष्टा करेंगे कि किन-किन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उन्हें क्या लाभ हो सकता है।

मैं इसे सही ढंग से नहीं समझ पाया हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य डा० दत्ता सामंत को सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष के प्रति कोई दुर्भावना है। मेरे विचार से यह अध्यक्ष मेरे सम्पर्क में आये सभी व्यक्तियों में सर्वोत्तम हैं। वास्तविकता यह है कि यह बड़ा ही सचेत

अध्यक्ष है जो आश्चर्यजनक रूप से कार्य करता रहा है। उसके प्रति दुर्भावना रखने का कोई कारण नहीं है। किन्तु, यदि डा० सामंत को उसके प्रति कोई व्यक्तिगत शिकायत है तो वह निश्चित रूप से मेरे पास आ सकते हैं। किन्तु किसी बात को प्रमाणित किये बिना उसके विरुद्ध इस सभा में शिकायत करना कुछ गलत लगता है। वह एक सम्माननीय सदस्य हैं। यदि उनके पास कोई मुद्दा है, तो यह अच्छा होगा कि······

डा० दत्ता सामंत : वे 65 प्रतिशत राशि लेते हैं। उनके लाभ की स्थिति यह है। वे अधिक धन एकत्र कर रहे हैं और कम बांट रहे हैं। इसे अध्यक्ष की योग्यता नही कहा जा सकता है।

श्री एस० बी० चव्हाण : इसके बारे में, मैं माननीय सदस्य को ब्यौरा दूंगा।

जहां तक मेरी जानकारी है, उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। जहां तक लाभांश का प्रश्न है, जिसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे थे, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जहां तक आम तौर पर दावों के निपटान का मामला है, सामान्य बीमा उद्योग में वर्ष 1984 से इस कार्य में प्रगति होती रही है। पहले जहां दावों के निपटारे का अनुपात केवल 65.5 प्रतिशत था वह वर्ष 1988-89 में बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है! सामान्य बीमा निगम इसे अब 80 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। यदि इसकी प्रतिशतता 80 तक पहुंच जाती है तो निश्चित रूप हमें इस बात का संतोष होगा कि इसका अनुपात 80 प्रतिशत तक पहुंच ही गया है।

मैं, यह नहीं कह सकता हूं कि दावों का निपटान करते समय, सम्भवतः वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है; मैं यह नहीं कह सकता हूं कि अधिकारियों की मिली-भगत से झूठे दावों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, अधिकारियों की सांठ-गांठ से कुछ व्यक्तियों को निश्चित ही वह धन मिलता होगा जिसकी वे बीमा कम्पनी से अपेक्षा करते हैं।

इस प्रकार, मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि कुछ माननीय सदस्य यह क्यों कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में होने वाली प्रत्येक दुर्घटना के बारे में साधारण बीमा कम्पनी को सूचना देने की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारी पर होनी चाहिए और साधारण बीमा निगम को पुलिस अधिकारी की इस रिपोर्ट पर निर्भर रहना चाहिए कि ऐसी कोई दुर्घटना हुई है। वे कहते हैं कि जब कुछ घटना होती है तो वे इस बारे में साधारण बीमा निगम को सूचित कर सकते हैं। यह अलग बात है कि वहां क्या एजेन्सी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि आप मामले की सूचना देने का अधिकार एकमात्र रूप से पुलिस स्टेशन को देते हैं तो निश्चित ही सब प्रकार की बातें हो सकती हैं। साधारण बीमा निगम सम्पूर्ण स्थिति पर जो कुछ नियन्त्रण रखने में सफल रही है, वह भी नहीं रहेगी। अन्ततः, साधारण बीमा निगम के अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा, निर्णय उन्हें लेना है कि किस प्रकार का दावा वैध है और इसके पश्चात् क्या कार्य किया जाना चाहिए, के बारे में रिपोर्ट। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। मेरे पास सूचना है जो बताती है कि कोई भी दावा कितने दिनों में निपटाया जाना चाहिए। सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध होने पर, 10 दिन के अन्दर दावा निपटा दिया जाना चाहिए। मैं यह बात स्वीकार नहीं करता कि सभी दावे 10 दिनों के अन्दर तय किए जा रहे हैं। अनेक ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अधिक समय लगा हो और अधिक समय से भ्रष्टाचार पनपता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, और यह ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में, मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा, यहां सामान्य किस्म की कुछ टिप्पणियां करने से भ्रष्टाचार समाप्त करने में मदद नहीं मिलेगी। यदि किसी माननीय सदस्य

की जानकारी में कोई तथ्य है कि ऐसी बात हुई है तो उन्हें इसे व्यापक बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उन्हें मेरे पास आना चाहिए और सूचना देनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मैं भ्रष्टाचार में संलग्नता के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का यथासम्भव प्रयास करूंगा बशर्ते मुझे प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्राप्त हो; यदि मैं बिना साक्ष्य के किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करता हूं तो वह अधिकारी न्यायालय में पहुंच सकता है और यह आदेश किसी भी न्यायिक अधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है। इसीलिए, प्रथम-दृष्टया साक्ष्य के बिना कोई कार्यवाही करना मेरी ओर से उचित नहीं होगा।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा एक मुद्दा यह उठाया गया था कि व्यापक फसल बीमा योजना अनेक फसलों पर लागू होनी चाहिए। वास्तव में, हम इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। मैं एक माननीय सदस्य से पूर्णत: सहमत हूं जिन्होंने सुझाव दिया था कि इस व्यापक फसल बीमा योजना में ठोस परिवर्तन लाने चाहिए। इसीलिए हमें इस पर कृषकों से भी चर्चा करनी पड़ी। उन्हें आकर हमसे चर्चा करनी चाहिए; हम यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि हम उन्हें सहायता देने के लिए किस प्रकार अधिकाधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

इस योजना में, जैसी यह आज है, थोड़ा-सा संशोधन किया गया है। इस वर्ष, हम इस थोड़े से संशोधन के साथ कार्य जारी रखेंगे। 150 प्रतिशत के स्थान पर यह 100 प्रतिशत होगा। इस पर लगभग 10,000 रुपये की अधिकतम सीमा लगा दी गई है। इसलिए, यह इस प्रकार की योजना है जिसमें दो-तिहाई केन्द्रीय सरकार द्वारा और एक-तिहाई राज्य सरकार द्वारा सहयोग दिया जाएगा। इसका लाभ सभी बैंकों को मिलेगा जो इस तरीके से एकत्र धन को प्राप्त कर रहे हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मेरे पास आंकड़े हैं जो स्पष्टत: यह बताते हैं कि वर्ष 1985 से हमने प्रीमियम की जो धनराशि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार से प्राप्त की है और दावों की जो धनराशि हमने अदा की है, दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह दस गुना है।

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि यह दस गुना नहीं है, तो यह कम से कम छह गुना से कम भी नहीं है।

इसलिए, यदि हम उन्हें कम्पनी द्वारा दिए जा रहे प्रीमियम से 6 गुना अधिक राशि देंगे तो नि:सन्देह साधारण बीमा निगम, चाहे उसे अन्य क्षेत्रों में कितना भी लाभ क्यों न हो रहा हो, घाटे में चलने लगेगा, और इसलिए यही कारण है कि हमें समूचे कार्य पर नए सिरे से सोचना होगा कि इसमें कौन-कौन से सुधार आवश्यक हैं, हमारी रुचि केवल योजना को एक अथवा दो वर्ष तक जारी रखने में ही नहीं है। यह तो एक ऐसी योजना होनी चाहिए जो निरन्तर चलती रहे जिसके अन्तर्गत छोटे और सीमान्त पालिसी धारकों को लाभ पहुंचे। इसके लिए जो कुछ किया जाना है, उस पर चर्चा करनी होगी जिससे हम और अधिक व्यापक योजना तैयार कर सकेंगे। मैं माननीय महिला सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं जिन्होंने निश्चित रूप से एक सही सुझाव दिया है।

माननीय सदस्या, कुमारी ममता बनर्जी द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा दावों को निपटाने की प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों को शामिल करना है। मैं समझता हूं कि उनके कथन में कुछ तथ्य है। शेष सदस्यों ने भी यही बात उठाई है कि दावों को निपटाने में काफी लम्बा समय लग जाता

है और जो दावे निपटाए जा रहे हैं उनके बारे में किसी को पूरा विश्वास नहीं है कि दावे की पूरी धनराशि लाभभोगी को मिलती है अथवा कुछ बिचौलिए मौजूदा स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारी संख्या में बिचौलिए भी हैं जो उक्त स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। विशेष रूप से गरीब जनता को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभों की जानकारी नहीं होती, इस स्थिति में बिचौलियों से सम्पर्क करना पड़ता है जो कि स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं, जैसी कि वर्तमान स्थिति है। इसलिए यदि किसी प्रकार की एक निगरानी समिति का गठन किया जाय तो निश्चित रूप से कुछ हद तक उक्त स्थिति में सुधार होगा। अन्ततः यह माननीय सदस्यों पर निर्भर करता है और इस चर्चा के लिए उन्हें उपस्थित रहना होगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये अनुदेश देने को तैयार नहीं हूं कि 'सदस्यों के आने तक प्रतीक्षा कीजिए"। मैं इस प्रकार का अनुदेश नहीं दूंगा। सदस्यों को यह सूचित किया जाएगा कि "अमुक-अमुक तारीखों को इन मामलों पर चर्चा होगी। यदि आप निश्चित रूप से इसमें शामिल होना चाहें तो आप शामिल हो सकते हैं" लेकिन वे सदस्यों के आने तक प्रतीक्षा नहीं करेंगे।

कुछ सदस्यों ने यह जानना चाहा है कि एक करोड़ रुपये से अधिक के कितने प्रतिशत दावों को निपटाया गया है। उन्होंने यह जानना चाहा है कि साधारण बीमा निगम के पास 'फ्री रिजर्व' की कुल कितनी धनराशि है, साधारण बीमा निगम के पास 'फ्री रिजर्व' की कुल धनराशि 201.02 करोड़ रुपये है। जनवरी, 1987 से दिसम्बर, 1987 तक एक करोड़ रुपए से अधिक के 27 दावों का निपटान किया गया था, जिनमें प्रत्येक दावे में एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी। इन 27 दावों में से कुछ दावे निपटा लिए गए हैं और कुछ का अभी निपटान किया जाना है। मेरे पास यही जानकारी उपलब्ध है।

माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया दूसरा सवाल को आने वाली भर्ती के बारे में था। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्री नायक ने यह सवाल उठाया था। जहां तक मुझे मालूम है शायद गोवा में उन्होंने 40-50 लोगों की भर्ती की है। सम्भवतया मैं उन्हें यह आश्वासन नहीं दे सकता कि भर्ती किए जाने के लिए केवल गोवावासियों को ही पात्र माना जाएगा। अन्ततः ये सभी अखिल भारतीय संस्थाएं हैं। मैं यह तो समझ सकता हूं कि स्थानीय भाषा जानने वाले लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए। स्थानीय भाषा जानने की बात कुछ समझ मे आती है। यदि कोई तमिल भाषी स्थानीय भाषा को जानता है तो निश्चित रूप में उसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि कोई कर्नाटक भाषी स्थानीय भाषा को जानता है तो सम्भवतया मैं यह नहीं कह सकता कि उसे परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्होंने मेरे राज्य जम्मू और कश्मीर में मानदंडों की अवहेलना की है।

श्री एस० बी० चव्हाण : अभी थोड़ी देर पहले माननीय सदस्य ने कहा था कि यह योजना उक्त क्षेत्र में लागू नहीं की गई है। इसलिए यह एक भिन्न प्रकार की भर्ती होगी।

माननीय सदस्यों ने कई मुद्दे उठाए हैं, लेकिन मैं मुख्य-मुख्य मुद्दों पर ही स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। विभिन्न कम्पनियों का एक कम्पनी में विलय करने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। यह उन मुद्दों में से एक मुद्दा है जो माननीय सदस्यों ने उठाए हैं। निश्चित रूप से मैं विस्तृत चर्चा करना चाहूंगा कि इसकी लाभ और हानियां क्या हैं। सरकारी

क्षेत्र में भी एक स्वस्थ प्रतियोगिता की आवश्यकता होती है। यदि कुछ अच्छी कम्पनियां हैं और काफी अच्छा कार्य कर रही हैं तो हम केवल इसीलिए उनका एक ही कम्पनी में विलय नहीं करेंगे कि हम एक ही कम्पनी चाहते हैं, चाहे ऐसा करना साधारण बीमा के कारोबार के हित में ही क्यों न हो। मुझे इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करनी है। सम्भवतया मैं अभी किसी प्रकार का वादा नहीं कर सकता।

महोदय, छंटनी मुआवजा और उपदान की राशि के बारे में ··· (**व्यवधान**)

डा० दत्ता सामन्त : आपको एक अच्छी राशि मिलेगी ··· (**व्यवधान**)

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं जानता हूं कि आपकी समस्या क्या है। मुझे इसकी पूरी जानकारी है। और यही कारण है कि आप मुझसे किसी प्रकार के वादे की उम्मीद नहीं कर सकते हो। साधारण बीमा निगम को सहायता करने के रूप में आप कहां से धन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, यह मैं जानता हूं। लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कर्मचारी कुछ धनराशि पाने के हकदार हैं। यह साधारण बीमा निगम में आनी चाहिए अथवा नहीं, यह एक अलग मामला है। लेकिन साधारण बीमा निगम की सहायता करने के रूप में आप कुछ अन्य स्रोतों से धनराशि की उम्मीद कर रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वे इस धनराशि के हकदार हैं। लेकिन उसके लिए एक दूसरा मंच है। इस प्रकार की धनराशि के लिए साधारण बीमा निगम का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा।

एक बात मैंने प्रभावशाली व बड़े लोगों के बारे में स्पष्ट की थी कि वे कैसे अपने दावों को शीघ्र निपटवा लेते हैं और गरीब लोग छूट जाते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने किसी प्रकार की निगरानी रखने की बात कही है। मैं समझता हूं कि सदस्यों की उपस्थिति से बेहतर चौकसी कुछ नहीं हो सकती, जिसकी मैंने कुछ देर पहले चर्चा की थी। यदि वे उपस्थित रहें, मैं समझता हूं यह एक बड़ी स्वस्थ प्रथा होगी और जनता अपने क्षेत्र के माननीय सदस्यों के कार्यनिष्पादन से सन्तुष्ट रहेगी, कि उनके माननीय सदस्यों ने स्वयं समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर उनकी बात उठाई। जहां मामलों में जानबूझकर विलंब किए जाने की सम्भावना हो, वहां वे स्वयं उपस्थित होकर इन मामलों पर निगरानी रखेंगे और इन्हें शीघ्र निपटाने का प्रयास करेंगे।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खरीदे गये पशुओं की यदि मृत्यु हो जाती है तो उनके दावों को भली-भांति निपटाने में काफी लम्बा समय लग जाता है। माननीय सदस्यों ने इन्हीं मामलों को उठाया है। वास्तव में इन मामलों को निपटाने में इतना लम्बा समय लगने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। यदि मामले एकदम स्पष्ट हैं तो इनके दावों को निपटाने में विलम्ब नहीं होना चाहिए।

मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसे बिचौलियों की काफी संख्या है जो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की धनराशि हथियाने का प्रयास करते हैं। और इसके अतिरिक्त, वे इस प्रकार का मुआवजा साधारण बीमा निगम से भी प्राप्त करना चाहते है। यह एक दोहरा लाभ है जो इन बिचौलियों को मिलेगा। इसीलिए हमें इस प्रकार की प्रथा को लागू नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि ईमानदार व्यक्तियों के पशुओं की, जो वास्तव में भली-भांति अपना कार्य कर रहे हैं, दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो निःसन्देह वे व्यक्ति साधारण बीमा निगम से दिए जा रहे दावों के हकदार हैं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इन अधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जा रहे हैं।

समय के अभाव के कारण मैं अन्य विषयों पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा। माननीय सभापति महोदय समय के प्रति काफी सचेत हैं कि मुझे अपना वक्तव्य 4 बजे से एक मिनट पहले ही समाप्त करना है। माननीय सभापति महोदय, मैं निष्ठापूर्वक आपके अनुदेशों का पालन करूंगा। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक का समर्थन करे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।"

श्री एस० बी० चह्वाण : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.00 म० प०

स्थगन प्रस्ताव

पंजाब और दिल्ली में आतंकवादियों की गतिविधियां

सभापति महोदय : अब हम स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। इसके लिए पहले ही अनुमति प्रदान कर दी गई है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

मैंने भारी दिल से यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ताकि हमारे देश में निर्दोष लोगों के जीवन की रक्षा करने में असमर्थ इस सरकार की निन्दा की जा सके।

जैसा कि सभी जानते हैं, पंजाब में स्थिति और बिगड़ गई है। मोगा में 26 लोगों को निर्मम हत्या की गई है और गृह मंत्री की नाक के नीचे, नई दिल्ली के केन्द्रीय रेलवे स्टेशन में बम विस्फोट हुआ है। इससे निरपराध लोगों की मृत्यु हुई है। इन दुर्घटनाओं से हमें वर्ष के 1985 के आरम्भ में दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों में हुए ट्रांजिस्टर बम विस्फोटों की याद आ जाती है। एक तरह से, इनसे पता चलता है कि स्थिति पहले जैसी हो गई है।

4.02 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए।]

अगर किसी विपक्षी राज्य में मोगा हत्याकांड से कम लोग मारे गए होते, तो आपने उसी दिन उस राज्य की सरकार को बरखास्त कर दिया होता। अब आप पंजाब में सीधे रूप से राज्य कर रहे हैं। उस राज्य में प्रतिदिन निरपराध लोगों की हत्या की जा रही है। प्रधान मंत्री से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी बार-बार यह दावा कर रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। यह किसके नियंत्रण में है, मैं नहीं जानता, शायद उग्रवादियों के नियंत्रण में है। उनका यह तर्क है कि अब केवल आतंकवादियों के दो गैंग ही कार्यरत हैं और समाज विरोधी तत्व ही उग्रवादियों के वेश में ये सब हत्यायें कर रहे हैं। घटनाओं से पता चलता है कि ये बिल्कुल गलत है। यदि यह तर्क सही है तो पंजाब केसरी के विरुद्ध नियोजित ढंग से पुनः अभियान क्यों चलाया जा रहा है और उसके अखबार बांटने वालों को बिना अपराध के क्यों मारा जा रहा है ? कल ही छः अखबार बांटने वालो की हत्या की गई है। शराब की दुकानों पर भी हमले किए गए हैं। अतः, अगर यह कट्टर उग्रवादियों, कट्टर खालिस्तानियों की कार्यवाही नहीं होती, तो पंजाब में ऐसा घटित नहीं होता। इससे उग्र-वादियों की मंशा का पता चलता है। कोई भी खालिस्तान का विरोध करता है, उस पर हमला किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है और सरकार निस्सहाय खड़ी है, पंजाब में साम्यवादी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, दो महीने पूर्व ही हमारे प्रिय कामरेड दिलीप सिंह और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। मैं इस अवसर पर, देश की एकता के लिए जिन शहीदों ने अपने प्राण दिए हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

पंजाब के 12 पुलिस थानों के अन्तर्गत क्षेत्र से जहां आतंकवादी गतिविधियां अधिक हैं, प्राधिकारियों के दावों के बावजूद उन गांवों से हिन्दू और सिख परिवार शहरों को आ रहे हैं, मंत्री महोदय इस बात से इन्कार कर सकते हैं। अब विभिन्न ग्रुपों में अच्छे तालमेल और हथियारों के कारण आतंकवादी बेहतर रूप से संगठित हैं। खबरों के अनुसार, वे 'ऊजी' मशीन गनों का प्रयोग कर रहे हैं। ए० के०-47 मशीन गनों के बाद अब वे ऊजी मशीन गनों और मोर्टार तोपों का प्रयोग कर रहे हैं। अब वे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हथियार पाकिस्तान से आ रहे हैं। इन सभी बातों से पता चलता है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां की स्थिति खराब हुई है। आपने हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए पंजाब में लोकप्रिय बरनाला सरकार को बरखास्त कर दिया था। अंततः इसका परिणाम यह हुआ कि आप हरियाणा के चुनाव हार गए और आप अपने राजनैतिक लाभों के लिए पंजाब को तबाह कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वे केन्द्र को भी तबाह कर देंगे।

श्री सुरेश कुरूप : बरनाला सरकार अक्तूबर, 1985 से मई, 1987 तक सत्ता में रही, आंकड़ों से स्पष्ट है कि आतंकवादियों द्वारा 816 निरपराध लोगों की हत्या की गई। लेकिन दो वर्षों के राष्ट्रपति शासन के आकड़े देखने से पता चलता है कि मई, 1987 से, जब पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और अप्रैल, 1989 तक, 2,751 निरपराध लोगों की हत्या की गई। बरनाला सरकार के शासन के दौरान 73 पुलिसकर्मी मारे गए, जबकि अब इनकी संख्या 240 है। इन सभी बातों से सरकार का यह दावा गलत साबित होता है कि राष्ट्रपति शासन मे स्थिति को प्रभावी ढंग से निपटाया गया है। हम सबको यह मान लेना चाहिए कि मात्र सख्त पुलिस कार्यवाही से यह समस्या हल नहीं होगी। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री भी इस बात से सहमत होंगे।

अगर आप पीछे देखें तो पायेंगे कि राजीव-लोंगोवाल समझौते से एक आशा बंधी थी। कुछ समय के लिए यह लगा था कि इस उलझी हुई समस्या का सही राजनैतिक हल निकाल लिया गया है। सारे देश के इसका स्वागत किया था। हम सभी विपक्षी दलों ने सरकार और प्रधान मंत्री के कदम का स्वागत किया था। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि समझौते को लागू करने से उन्हें किसने रोका था। इस पर यहां पहले भी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। सरकार को देश को स्पष्ट करना चाहिए कि इस समझौते को लागू करने के लिए एक भी कदम क्यों नहीं उठाया गया। अपने लाभ के लिए उन्होंने इस समझौते की किसी भी धारा को लागू नहीं किया। सरकार के इस रवैये से पता चलता है कि सरकार इस समस्या का राजनैतिक हल निकालने के प्रति गम्भीर नहीं है।

मैं सरकार द्वारा गंवाये गए अवसरों को बताना चाहूंगा। बाद में आप्रेशन ब्लैक थंडर किया गया। सारे देशों द्वारा इस कार्य की प्रशंसा की गई, यह सुव्यवस्थित रूप से चलाया गया था और यह आतंकवादियों को अलग-अलग करने वाली कार्यवाही थी। लेकिन सरकार ने इसके लाभ का सदुपयोग नहीं किया क्योंकि सरकार राजनीतिक समाधान नहीं करना चाहती थी और प्रशासनिक उपायों पर ही निर्भर करना चाहती थी। क्या आप इसको अस्वीकार कर सकते है? अब पंजाब में प्रशासन की क्या स्थिति है? पंजाब में राजीव प्रशासन ठप्प हो गया है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब के अनेक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी राज्य में यही स्थिति बनाए रखने के हक में हैं। सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। कई क्षेत्रों में ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पुलिस अत्याचार कर रही है। उनका आरोप है कि रात में उन्हें आतंकवादी तंग करते है और दिन में पुलिस तंग करती है। क्या आपने इस बार में ध्यान दिया है? क्या आपने उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है, जिनकी उग्रवादियों के साथ सांठ-गांठ है? यदि यह स्थिति बनी रही तो सरकार उग्रवादियों का सामना करने में लोगों का सहयोग कैसे प्राप्त कर सकती है? आप उनसे कैसे लड़ सकते हैं और इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं?

श्रीमन्, प्रधान मंत्री ने बड़े जोर-शोर के साथ मंत्रिमण्डल की एक समिति गठित की थी। अगर समस्या का समाधान हो सके तो उन्होंने एक-मुश्त हल की भी बात की है। काफी जोर-शोर से उन्होंने पंजाब समस्या के लिए मंत्रिमण्डल की उपसमिति गठित की थी। मैं जानना चाहता हूं कि यह उपसमिति क्या कार्य कर रही है। समस्या के सही समाधान के लिए इसकी क्या भूमिका है? इसकी अब तक क्या प्रगति रही है? वे किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? अब स्थिति बहुत गम्भीर है। समाचार पत्रों में खबर छपी है कि सरकार कुछ उग्रवादियों से बातचीत कर रही है। मैं यह

बात कह रहा हूं और सरकार से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार की क्या स्थिति है। अगर यह रिपोर्टें सही हैं तो आप देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान देने वाले शहीदों के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं।

श्रीमन्, इस समस्या का सर्वमान्य राजनैतिक हल निकालने में इस सरकार की कोई रुचि नहीं है, मैंने जो ये सारे तथ्य बताए हैं, उनसे पता चलता है कि सरकार सर्वमान्य हल ढूंढने में रुचि नहीं रखती, बल्कि उसकी रुचि केवल साम्प्रदायिक चाल चलने में ही है। अगामी चुनावों को देखते हुए वे साम्प्रदायिकता की आड़ ले रहे हैं। नवम्बर के दंगों में निरपराध सिखों की हत्या करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? आयोग की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है? ऐसे अपराधी देश में अभी भी उच्च शक्ति प्राप्त लोगों के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस समस्या का सर्वमान्य हल कैसे निकाला जा सकता है? एक भी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया गया। संसद में, ऐसे दोषी लोग अभी भी मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं। वे सत्ता दल के सदस्य हैं और सारे देश में घूम रहे हैं। यह सरकार जब तक सत्ता में रहेगी, इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पायेगी? क्योंकि केवल कुछ ही लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिले किए गए हैं। सभी बड़े लोग छूट गए हैं।

महोदय, उन्होंने गत आम चुनाव के दौरान ये साम्प्रदायिक हथकंडे प्रभावी ढंग से अपनाए। इस आम चुनाव में भी वे इन हथकंडों को पुनः अप्रसन्ता चाहते हैं और इस बार इस देश की जनता आपकी साम्प्रदायिक राजनीति का दो टूक जवाब देगी। (व्यवधान)

हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि इस समय स्थिति खराब होती जा रही है और अन्य राज्यों में भी तनाव फैल रहा है। जम्मू और कश्मीर में भी इन आतंकवादियों ने सफलतापूर्वक बंधों का आयोजन किया और हत्याएं कीं। अतः यह एक गम्भीर स्थिति है। आप यह भी जानते हैं कि पकिस्तान में यद्यपि जनमत द्वारा निर्वाचित सरकार सत्ता में है तो भी इस समय सेना का इस सरकार पर जबरदस्त कब्जा है और पंजाब प्रान्त की सरकार भी जिया वफादारों द्वारा नियन्त्रित है। वे आतंकवादियों को सब प्रकार की सहायता प्रदान कर रहे हैं। अस्त्र और शस्त्र अभी तक पंजाब के दूसरे क्षेत्र से आ रहे हैं और इन्हें पंजाब में इस्तेमाल किया जा रहा है। अतः, संपूर्ण देश इस समय यह महसूस करता है कि यह सरकार आगामी आम चुनाव को दृष्टिगत करते हुए इस गम्भीर स्थिति को जारी रखने की इजाजत दे रही है। अतः, यह सरकार न केवल पंजाब की जनता बल्कि इस देश की जनता का भी विश्वास खो चुकी है, इसका कोई हल नहीं ढूंढ सकती है। इसके लिए देश में एक नई राजनैतिक स्थिति, एक नई सरकार उभरनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि इस आम चुनाव में एक नई सरकार सत्ता में जाएगी और केवल वही सरकार इस समस्या का कोई सम्मानजनक राजनैतिक समाधान ढूंढ सकती है।

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद (वाशिम) : माननीय सभापति महोदय, विरोधी दल की तरफ से इस माननीय सदन में पंजाब के विषय में जो चर्चा उठायी गयी है, मैं सोचता था कि उसमें कोई नई बात सामने आयेगी लेकिन ऐसा लगता है कि जब-जब इलैक्शन्स नजदीक आते हैं, चाहे बाई-इलैक्शन्स हों या जनरल इलैक्शन्स हों, हमारे विरोधी साथियों को हमेशा पंजाब की याद आती है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह बात बिल्कुल गलत है···(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं सी० पी० आई० और सी० पी० आई० (एम०) दोनों से अलग-अलग निपट सकता हूं ।

सभापति महोदय : मैं किसी व्यवधान की अनुमति नहीं दूंगा ।

[**हिन्दी**]

श्री गुलाम नबी आजाद : यहां जब हमारे सी० पी० एम० के साथी मि० कुरूप बोल रहे थे तो मुझे उम्मीद थी कि वे कोई नये प्लाइंट्स उठायेंगे, जिससे इस सदन को, पार्लियामेंट को और कांग्रेस की सरकार को भी पंजाब की प्रौब्लम को हल करने में कुछ सहायता मिलेगी लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 5-6 वर्षों से इस सदन के अन्दर और सदन के बाहर जब भी पंजाब पर चर्चा होती है तो हमारे विरोधी दल के साथी, बजाए सरकार को सलाह-मशविरा देने के, अपने ज्ञान का इस्तेमाल न करके, खाली इस समस्या के निगेटिव प्वाइंट्स पर ही चर्चा करते आये हैं । आज भी उन्होंने ऐसा ही किया है और वे पहले भी ऐसा ही करते रहे हैं ।

महोदय, जो हमारे साथी हैं, मैं उनसे आशा करता था, आज नहीं बहुत पहले से कि पंजाब का विषय कोई मामूली विषय नहीं है । पंजाब का मसला कोई साधारण मसला नहीं है और पंजाब का मसला इस देश की एकता और अखण्डता से जुड़ा हुआ है । यह कोई राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है । कोई भी दल और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने कभी पंजाब के मसले को एक्सप्लाइट कर के इलैक्शन लड़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि पंजाब हमारे हिन्दुस्तान का बार्डर का हिस्सा है । पंजाब को मजबूत बनाना, हर हिन्दुस्तानी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए । अगर कोई भी राजनीतिक दल, पंजाब के आधार पर अपनी राजनीति खेलना चाहता है या समझता है, पंजाब को राजनीतिक मैदान बनाकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता है, तो मैं समझता हूं कि उस दल के लिए, उस व्यक्ति के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है ।

महोदय, हमारे साथी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मसले को हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई, लेकिन मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस दल और कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने इस देश में कांग्रेस को पीछे रखकर, देश की एकता और अखण्डता को सबसे आगे रखा है । आज हमारे विरोधी दल के साथी, इस बात के साक्षी हैं कि न केवल पंजाब में, बल्कि असम, कश्मीर, मिजोरम आदि स्थानों पर हमारी सरकार ने चुनाव कराए । असम में हमारी सरकार थी, कश्मीर में हमारी सरकार थी, पंजाब में हमारी सरकार थी और मिजोरम में भी हमारी ही सरकार थी, लेकिन इन चारों जगहों पर कांग्रेस के लीडर राजीव गांधी ने समझा कि कांग्रेस से ज्यादा देश की एकता और अखण्डता जरूरी है । इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है । मैं समझता हूं कि हमारी जगह अगर विरोधी दल के साथी होते, तो ये किसी भी स्टेट में सरेंडर करने से हिचकिचाते । क्या इससे बड़ी कुरबानी कोई पार्टी इस देश में दे सकती है । यह हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया ।

[**अनुवाद**]

हमने अपने कांग्रेस दल की कीमत पर देश की एकता और अखंडता को वरीयता दी है ।

[हिन्दी]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सेंटर में ऐसा ही होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : जब वैस्ट बंगाल में गोरखालैंड की मांग को लेकर एजीटेशन चला था अगर तब बसु जी की सरकार ने इस्तीफा दिया होता, तो उससे हमें भी बड़ी खुशी होती। (व्यवधान)

[अनुवाद]

आप इसे कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। आपने यह अधिक चाहा कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकल जाए, लेकिन आप समझौता न कर सके। पुन: यह कांग्रेस और कांग्रेस सरकार ही थी जो पश्चिम बंगाल और सी० पी० एम० के बचाव के लिए आगे आई।

[हिन्दी]

मैं अपने साथियों से बिलकुल इत्तिफाक नहीं करता हूं कि पंजाब में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव और पोलिटिकल स्टेप्स नहीं उठाए। मेरे ख्याल में हमारे साथी भूल गए हैं कि जो सहायता कांग्रेस ने केन्द्र से दी या गवर्नर रूल में वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया। इस प्रकार के जो काम हमने किए हैं, मेरे ख्याल में उन कामों की सराहना हर इंसान को करनी चाहिए। अपोजीशन के लोग भी मन ही मन करते हैं, लेकिन इलैक्शन आ रहा है, इसलिए उनकी मजबूरी है हमारी निन्दा करना। जहां तक पॉलिटिकल स्टैप्स का सम्बन्ध है मेरे ख्याल में कांग्रेस पहली पार्टी है जिसने पिछले तीन-चार साल में सैकड़ों और हजारों की तादाद में पब्लिक मीटिंग पंजाब के अन्दर की हैं जिससे अपोजीशन कभी भी इंकार नहीं कर सकता है। अगर आज पंजाब में हिन्दू-सिख एकता है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव, देहात-देहात और तालुका-तालुका में जाकर रैलीज कीं और पब्लिक मीटिंग्ज कीं और हिन्दू-सिख एकता के बारे में प्रचार किया। जबकि दूसरी तरफ से टैरेरिस्ट्स की पूरी कोशिश थी कि हिन्दू-सिखों के बीच में लड़ाई हो, न सिर्फ पंजाब के अन्दर बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर।

जहां मैं कांग्रेस की बात करता हूं वहां मैं सी० पी० आई० और सी० पी० एम० को भी बधाई देता हूं कि वह भी देहातों में गये और उन्होंने भी मीटिंग्ज आर्गेनाइज की हिन्दू-सिख एकता के लिए। लेकिन सबसे बड़ा दुख हमें पंजाब की पोलिटिकल पार्टी पर होता है, जो आपको पंजाब की सबसे बड़ी शक्तिशाली पार्टी समझती है और वह है अकाली दल है। मुझे अफसोस होता है कि अकाली दल ने इस विषय में कोई भी प्रयास नहीं किया, उन्होंने एक भी पब्लिक मीटिंग नहीं की, एक भी फंक्शन कभी हिन्दू-सिख एकता के बारे में नहीं किया। अकाली दल ने कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं किया जिसमें वह टैरेरिस्ट्स एक्टिविटीज को कंडम करते। जब सत्ता की बात आती है, कुर्सी की बात आती है तो अकाली दल सरकार के अन्दर और हर चीज में डैवलपमैंट में सबसे बड़ा हिस्सा मांगता है लेकिन टैरेरिस्टों को कंडम करने की बात आती है और हिन्दू-सिख एकता की बात आती है जब पंजाब के डैवलपमैंट की बात आती है तो अकाली दल चुप बैठ जाता है। पिछले 3, 4 साल से अकाली दल ने कोई भी स्टेटमेंट टैरेरिस्ट्स के खिलाफ पंजाब में नहीं दिया है बल्कि मुझे अफसोस है कि कई जगह जहां टैरेरिस्ट्स मारे गये हैं, उनके भोगों में भी अकाली दल के बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल हुए हैं जो पुराने चीफ मिनिस्टर अपने वक्त में वहां थे उन्होंने भी उनके भोग अटैंड किये। (व्यवधान)

मैं बिल्कुल गलत नहीं कहता हूं, मैंने पिछले तीन साल में पंजाब में देखा है, मैं वहां पर रहा हूं और आपसे ज्यादा पंजाब में घूमा हूं। (व्यवधान)

अगर पंजाब में अकाली दल ने दूसरी पार्टियों का साथ दिया होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज पंजाब में टैररिज्म नहीं होता। क्योंकि एकतरफा प्रचार हो रहा है, उसके बाद भी एक बड़ी पार्टी जो अकाली दल है, वह सोई हुई है। वह सिर्फ कुर्सी चाहती है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री गुलाम नबी आजाद : हमारे साथी ने कहा कि पंजाब एकार्ड पर कोई कोशिश नहीं की गई। पंजाब एकार्ड जब प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और श्री लोंगोवाल जी के बीच मे हुआ, उसकी कमजोरी के लिए भी अगर कोई जिम्मेदार है तो उसके लिये भी अकाली दल ही जिम्मेदार है, वरना पंजाब एकार्ड मुकम्मिल हो गया होता। पंजाब एकार्ड पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर थोड़ा भी ध्यान उन्होंने दिया होता, दो कदम भी अकाली दल आगे बढ़ा होता तो पंजाब एकार्ड सफल हो गया होता। और आज टैररिज्म पंजाब में खत्म हो गया होता।

पालिटिकल सौल्यूशन में केन्द्रीय सरकार ने और विशेष रूप से प्रधान मंत्री जी ने जो व्यक्तिगत रुचि ली है, उससे पंजाब में बहुत हालात ठीक हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या हालात ठीक हुए हैं ?

श्री गुलाम नबी आजाद : जो डिस्ट्रिक्ट और डैवलपमैंट ग्रीवांसेज कमेटी बनाई उससे डिस्ट्रिक्ट लैवल पर लोगों को बहुत संतोष हुआ है। जोधपुर अंडर-ट्रायल्स जो जोधपुर में बन्द थे, जिनके बारे में हमारे बहुत से पंजाब के साथियों का नाम खटकता था कि जो पंजाब के अंडर ट्रायल्स जोधपुर में थे, उनको रिहा कर देना चाहिए। तो उनको भी पैकेज प्रोग्राम में रिहा किया गया। उसके अलावा एंटी टैररिस्ट एक्ट में भी तबदीली लाई गई और जो फारेन के लोग पंजाब जाना चाहते थे उस पाबन्दी में भी तबदीली लाई गई। (व्यवधान)

पुलिस स्टेशन को स्ट्रीम लाइन करने की कोशिश की गई है और केन्द्रीय सरकार की तरफ से पुलिस को यह हिदायत दी गई कि किसी को भी ख्वामाख्वाह हैरास नहीं किया जाये। एन० एस० ए० का अमेंडमेंट जो खत्म होने वाला था उसको भी आगे नहीं बढ़ाया। यह केवल कांग्रेस की विल थी। हमने पालिटिकल सौल्यूशन के जरिये पंजाब के मसले को हल करने की कोशिश की। आज एडमिनिस्ट्रेशन की निन्दा की जाती है लेकिन दिल्ली में बैठकर या हिन्दुस्तान के किसी कोने में बैठकर निन्दा करना आसान है।

जनता दल के जो नेता हैं और जो प्रधान मंत्री बनने के ख्वाब देखते हैं उन्होंने पंजाब की तरफ कभी रुख भी नहीं किया है। उन्होंने पंजाब की शक्ल पिछले 4-5 साल से देखी भी नहीं है। वह पंजाब के टैररिज्म के बारे में उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और केरल में जाकर स्टेटमेंट देते हैं। वहां पर जो अत्याचार होता है अगर उनसे उन्हें इतना ही दुख होता है तो वह एक बार तो पंजाब जायें। वहां अगर कोई कांग्रेसी मारा जाता है तो उसके भोग में अगर वह नहीं गये तो कम-से-कम अपने साथियों के मारे जाने के भोग संस्कार में तो चले जाते। उन्होंने कभी पंजाब में जाने की हिम्मत ही नहीं की। वह तो पंजाब के नाम पर दूसरे राज्यों में जाकर वहां के लोगों के सैंटीमेंट्स को एक्सप्लायट करते है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह विरोधी दल वाले पंजाब को एक्सप्लायट करना चाहते हैं या कांग्रेस एक्सप्लायट करती है। यह विरोधी

दल की चाल है जो पंजाब की सिचवेशन को एक्सप्लायट करने की कोशिश करती है। यह कहते हैं कि होम मिनिस्ट्री ने कोई ख्याल नहीं किया। क्या आज से दो साल पहले पंजाब में खालिस्तान नारा नहीं लगता था ? वहां के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट आफ इंडिया व होम मिनिस्ट्री के सहयोग से पंजाब में कुछ स्टैप्स उठाये गये। आज सर्सेशनिस्ट और अलगाववादी शक्तियां बहुत कम हुई हैं। पंजाब के अन्दर आज खालिस्तान का कोई नारा नहीं लगता है। क्या दो साल पहले पंजाब के गुरुद्वारों पर कब्जा टैरारिस्टों का नहीं था। आज पंजाब के अन्दर चाहे वह छोटा गुरुद्वारा हो या बड़ा गुरुद्वारा हो कोई भी टैरारिस्ट उन गुरुद्वारों के अन्दर नहीं है यानी कि उनका उस पर कोई कब्जा नहीं है। यह सब चीजें अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के कारण हुई और अगर एडमिनिस्ट्रेशन सख्त नहीं होता तो उन पर काबू नहीं पाया जा सकता था।

आज वहां स्टूडेंट्स के इम्तहान हुए। हजारों-लाखों नौजवान जो स्कूल और कालेजों में पढ़ते हैं और जो कि कुछ साल पहले इम्तहान नहीं दे पाते थे आज उन सबने इम्तहान दिया। एक भी जगह डिस्टरबेंस नहीं हुआ। यह कैसे हुआ ? यह तभी मुमकिन हुआ जब एडमिनिस्ट्रेशन टाइट था और जब टैरारिस्ट मारे गए। हमारे साथी नैगेटिव पिक्चर को देखते हैं, पौजिटिव साइड को नहीं देखते हैं। मैं मानता हूं कि आज शायद मरने वालों की संख्या घटी न हो। घटी है लेकिन उतनी नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह तो बढ़ी है।

श्री गुलाम नबी आजाद : वह बढ़ी नहीं है। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। 1266 आदमी जनवरी से जून तक 1988 में मारे गए। जबकि उसके मुकाबले में इस साल जनवरी से जून तक सिर्फ 564 आदमी मारे गए जो कि आधे से कम हैं। उसके मुकाबले में सरकार ने कदम उठाये। मैं जानता हूं कि 1-2 साल पहले टैरारिस्ट आम लोगों को ज्यादा मारते थे और टैरारिस्ट कम मारे जाते थे। आज हमें इस बात का गर्व है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सिज ने ईंट का जवाब ईंट से दिया है। आज टैरारिस्ट भागे फिरते हैं। अगर हमारा एक आदमी मारा जाता है तो दो टैरारिस्ट मारे जाते हैं। पिछले पूरे साल में जनवरी से दिसम्बर तक 373 टैरारिस्ट मारे गए। इसके मुकाबले में इस साल केवल जनवरी से जून तक 336 टैरारिस्ट मारे गए। जो पिछले पूरे 12 महीनों में मारे गए थे उतने इस साल केवल 6 महीनों में मारे गए। तो यह कहना उचित नहीं होगा कि टैरेरिस्ट्स किलिंग में कोई फर्क नहीं आया है या संख्या में कोई फर्क नहीं आया है, यह केवल एक राजनैतिक चाल होगी। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में केवल कांग्रेस की ही एक सरकार होगी, जिसने ऐसा काम किया हो। दुनिया के बहुत सारे देश में टैरेरिज्म होता है लेकिन जहां टैरेरिज्म होता है सरकार की तरफ से वहां डवलपमैंट का काम ठप्प हो जाता है लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया में हिन्दुस्तान की कांग्रेस सरकार ऐसी पहली सरकार है जहां एक राज्य में टैरेरिस्ट्स एक्टीविटीज चल रही हैं लेकिन वहां भी डवलपमेंट का पेस कम नहीं हुआ है, डवलपमेंट रुका नहीं है और केन्द्रीय सरकार बराबर वहां के लोगों का ख्याल रख रही है, उनकी तरफ ध्यान दे रही है। पंजाब में न सिर्फ राज्य सरकार डवलपमेंट का काम कर रही है बल्कि केन्द्रीय सरकार जहां दूसरे राज्यों में विकास के लिए काम कर रही है वहीं उससे भी ज्यादा ध्यान पंजाब के विकास के लिए, पंजाब के डवलपमेंट के लिए, पंजाब की इकोनोमी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। कपूरथला की कोच फैक्टरी पूरे सदन के सामने है, तरनतारन में 300 करोड़ के करीब का लगने वाला नया प्लाण्ट भी सदन के सामने है और रेलवे डीजल कम्पोनेंट डीजल प्लांट

पटियाला में लगने वाला है, वह भी सदन के सामने है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पंजाब में बाढ़ आई तो केन्द्रीय सरकार ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा फ्लड रिलीफ किसानों को दिया और आज उसी की वजह है कि पंजाब में पूरी हिस्ट्री में अनाज का रिकार्ड प्रिक्योरमेंट हुआ है, तकरीबन 60 लाख टन।

मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि अगर पंजाब में केन्द्रीय सरकार ने ध्यान नहीं दिया होता, वहां के डवलपमेंट के लिए केन्द्रीय सरकार ने बीज के लिए पैसा नहीं दिया होता, फ्लड इफैक्टेड एरियाज के लिए पैसा नहीं दिया होता तो 60 लाख टन अनाज का प्रिक्योरमेंट आज कहां से होता। यह कोई दरिया में नहीं हुआ या जंगल में नहीं हुआ, यह पंजाब के खेतों में हुआ और केवल केन्द्रीय सरकार की मदद और सहायता से हुआ है।

आखिर में मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी ने भी, कांग्रेस सरकार ने भी और कांग्रेस के नेता प्रधान मंत्री जी ने भी, चाहे वह पंजाब हो या हिन्दुस्तान का कोई भी सरहदी सूबा हो, वह हिन्दुस्तान का अंग बनकर रहे, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी का कितना ही नुकसान हो लेकिन भारत की एकता और अखण्डता पर कोई भी आंच नहीं आने पाये। यह नीति आज है, कल भी और कल भी रहेगी और उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले इलैक्शन के लिए अपोजीशन के साथी चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के हों या जनता दल के हों, इसका लाभ उठाएंगे, वे खाली चिल्लाते हैं लेकिन पंजाब में कुछ करते-धरते नहीं हैं, पंजाब की तरफ जाते नहीं, पंजाब के हालात को सुधारने की कोशिश नहीं करते लेकिन इलैक्शन में उसका लाभ उठाना चाहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तमाम सैकुलर फोर्सेस जो भारत की एकता, अखण्डता और स्वतन्त्रता में विश्वास रखते हैं, वे पंजाब के मसले को राजनैतिक मसला समझकर नहीं बल्कि देश का मसला समझकर निपटाने की और सुलझाने की कोशिश करेंगे और सरकार की सहायता करेंगे, न कि उसे और खराब करने की कोशिश करेंगे जिससे उन्हें राजनैतिक लाभ हो। आने वाले इलैक्शन में अगर हम पंजाब में राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आने वाली तवारीख किसी भी दल को माफ नहीं करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे साथी ने जो एडजर्नमेंट मोशन रखा है उसका पूरा खण्डन और विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री उग्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना) : महोदय, क्या मैं इस सदन की ओर से श्री आजाद के कथन में कुछ बात जोड़ सकता हूं?

सभापति महोदय : कृपया नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। रिकार्ड न किया जाए। माननीय सदस्य द्वारा कही गई कोई भी बातें रिकार्ड नहीं की जाएं।

(व्यवधान)*

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : सभापति महोदय, श्री सुरेश कुरूप ने अपना भाषण यह

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कहते हुए आरम्भ किया था कि वह पंजाब के इस विषय पर दुखी दिल से बोल रहे हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि इस विषय पर बोलने के लिए मेरे पास कोई दिल नहीं है। हमने इस सदन में पंजाब के बारे में कितनी बार चर्चा की है ? मैं इसकी गिनती भूल गया हूं।

आठवीं लोक सभा इस बात से प्रारम्भ हुई थी कि माननीय प्रधान मंत्री पंजाब समस्या का समाधान ढूंढेंगे। श्री कुरूप कह रहे थे कि हम वर्ष 1985 की स्थिति पर वापिस आ गए हैं। मैं नहीं समझता कि यह तथ्यात्मक सही वक्तव्य है। वर्ष 1985 में, पंजाब में राजनैतिक नेतृत्व था जिसके साथ बातचीत करना सम्भव था और कोई समाधान निकाला जा सकता था। वास्तव में, बातचीत की गई और एक समझौता किया गया। लेकिन तत्पश्चात् इतिहास से पता चलता है कि समझौते के कार्यान्वियन का स्वर्ण अवसर खो दिया गया। इसे क्यों खोया गया ? इसे किसने खोया ? किस राजनैतिक उद्देश्य के लिए यह खोया गया ? यह बात अनेक बार कही गई है और मैं इसे दोहराना नहीं चाहता हूं।

आज सबसे अधिक निराशाजनक बात यह है कि हम पंजाब समस्या का समाधान किस प्रकार ढूंढें ? मन्त्रिमंडल की एक उपसमिति है। कतिपय कदमों की घोषणा की गई थी। अभी-अभी मेरे मित्र ने समाधान ढूंढने के लिए कदमों का वर्णन किया है; उन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए मुद्दों के कार्यान्वियन हेतु उठाए गए कदम ये हैं। वह जोधपुर बन्दियों और कुछ अन्य मामले के बारे में बोले हैं।

लेकिन ये बहुत ही छोटे कदम हैं। जब आप दो कदम आगे उठा रहे थे, हमारे मित्र भूल रहे थे कि आप चार कदम पीछे जा रहे हैं। हम समाधान की ओर कुछ भी आगे नहीं बढ़े हैं। किसी के लिए भी और कम से कम वर्तमान सरकार के लिए यह कहना कि हम समाधान के नजदीक हैं अथवा हमने समाधान निकालने संबंधी फार्मूला प्राप्त कर लिया है, बहुत ही कठिन है।

हम पुन: ऐसी स्थिति पर वापिस चले गए है जहां केन्द्रीय सरकार के लिए पंजाब के लोगों के प्रतिनिधियों अथवा सिख, अकाली अथवा कुछ अन्य दल के प्रतिनिधियों से बातचीत करना बिलकुल सम्भव नहीं है। मेरे विद्वान मित्र जोधपुर बान्दयों की रिहाई के बारे में बोले थे। लेकिन वह यह तथ्य भूल जाते हैं कि बहुत बड़ा षड़यन्त्र का मामला है जिसने सिख मानस को बुरी तरह प्रभावित किया है। मैं वृहत्तर षड़यन्त्र मामले की अच्छाइयों और बुराइयों में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इस सरकार को यह वृहत्तर षड़यन्त्र का मामला प्रारम्भ करने की सलाह किसने दी, हम नहीं जानते हैं। इस वृहत्तर षड़यन्त्र मामले से किस उद्देश्य की प्राप्ति होने वाली है ? उन्हें यह बात कहने की स्थिति में अवश्य होना चाहिए। वह एक ही समय मे परस्पर विरोधी बातें करते हैं।

वे उग्रवादियों और आतंकवादियों से बातचीत करते रहे हैं। वे आतंवादियों और उग्रवादियों के परामर्श से समाधान ढूंढने का प्रयास करते रहे हैं। दूसरी ओर, पुन: बृहत्तर षड्यन्त्र का मामला प्रारम्भ किया गया है। जब तक यह मामला जारी है पंजाब समस्या अन्दर ही अन्दर पनपती रहेगी। अनेक घटनाएं दोहराना मेरे लिए आवश्यक है। मेरे लिए न ही यह कहना आवश्यक है कि हम आठवीं लोक सभा के दौरान, इन पंजाब स्थिति से निपटने हेतु हमने लीक से हट कर संविधान में संशोधन किए; राज्य सभा ने पंजाब में स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार को सक्षम बनाने हेतु लीक से हटकर अनुच्छेद 249 के अधीन संकल्प पारित किया, पंजाब में आतंकवाद का समाधान ढूंढने के बहाने प्रजातन्त्र तरीके से चुनी गई बरनाला सरकार को बर्खास्त

किस प्रकार किया गया और बर्खास्तगी के बाद भी, आतंकवाद पर काबू पाने के लिए सरकार और इस दल की ओर से अतिरिक्त कार्य निष्पादन किस प्रकार किए गए। बरनाला सरकार को बर्खास्त करते समय यह कहा गया कि कुछ ही आतंकवादी हैं—यह संख्या भी एक सौ से कम पता लगाई गई—और जब इन आतंकवादियों को समाप्त कर दिया जाएगा तो आतंकवाद की समस्या का अन्त हो जाएगा।

वास्तव में, मुझे प्रतिदिन दूरदर्शन पर यह सुनकर हंसी आती है कि पांच खतरनाक आतंकवादी मारे गए, दो खतरनाक आतंकवादी मारे गए; तीन खतरनाक आतंकवादी मारे गए। मैं यह 'खतरनाक' विशेषण गत 4-1/2 वर्षों से सुन रहा हूं। क्या मैं सम्मानपूर्वक यह पूछ सकता हूं कि पंजाब में कोई-कोई साधारण आतंकवादी भी हैं? **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: वे नहीं मिल रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री ई० अय्यपू रेड्डी: इससे जो मेरी समझ आया है वह यह है कि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार जो राज्यपाल द्वारा चलाई जाती है, में स्थिति समझने की पूर्ण ग्रहण शक्ति नहीं है। इसे आतंकवादियों के स्रोत, संख्या, आवागमन, क्षमता और हथियारों के बारे में पर्याप्त गुप्तचर सूचनाएं नहीं हैं। अन्यथा, यह समझने योग्य है कि लगभग एक महीना पहले, मोगा में अनेक व्यक्तियों का उन्होंने किस प्रकार सफाया किया और मारा। इसलिए स्थिति इस प्रकार है। आज कोई भी ऐसी सभ्य सरकार नहीं है जो इतने लम्बे समय तक क्रूरता को नियंत्रित कर पाने असफल रही हो। क्या विश्व में कोई ऐसी सभ्य सरकार है जिसने इतने लम्बे समय तक इतने वर्षों तक अमानवीयता और क्रूरता को बरदाश्त किया है? शुरू-शुरू में लोग संत्रस्त हो जाते थे। जब आतंकवादियों द्वारा कुछ लोगों के मारे जाने की खबर मिलती थी तो लोग संत्रस्त हो जाया करते थे। उस आतंक से लोगों को पीड़ा होती थी। लेकिन आज हम असंवेदनशील हो जाते हैं। पंजाब में हत्याओं से राष्ट्र की चेतना और राष्ट्रीय संवेदनशीलता पर एक प्रकार का स्मृति लोप छा जाता है। अब हमें कोई समाधान नजर नहीं आता। लेकिन स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। मेरे विद्वान मित्र पंजाब की जनता की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे—पंजाब की जनता, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वे राजनैतिक दल के लिए इसका दावा कर रहे थे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हर प्रकार का आतंकवाद, इसकी प्रत्येक क्रूरता-सिखों और हिन्दुओं के बीच कोई दरार नहीं बना सकी। सिख और हिन्दुओं के बीच एकता की वह मजबूत चट्टान स्वयं में अभेद्य साबित हुई है। यह वह सच्चाई है जिसका श्रेय भारत की जनता को जाता है। यह पंजाब के परिश्रमी लोग हैं जो इन कठिनाइयों और अड़चनों के बावजूद शान्तिपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं और अपना व्यापार एवं कारोबार चला रहे हैं तथा यहां के किसान खेतों में कठिन परिश्रम कर रहे हैं। इसका श्रेय उनको जाना ही चाहिए। यदि कोई राजनैतिक दल इसका श्रेय लेने का प्रयास करता है तो मैं समझता हूं कि यह औचित्यपूर्ण नहीं है। निस्सन्देह विभिन्न दलों से कई देशभक्त सामने आ रहे हैं जिन्हें वहां की जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है, वे उनका अत्यधिक आवश्यक नैतिक उत्साह बढ़ा रहे हैं ताकि वातावरण भयावह न हो और ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर लोग अन्य स्थानों को न जाएं।

महोदय, मैं जो कहता हूं कि यह देखा गया है कि पंजाब का हृदय बड़ा विशाल है। ऐसा सुझाव दिया गया है कि मेरा केवल नकारात्मक पहलू पर दबाव दिये जाने के बजाय मुझे पंजाब की समस्या का समाधान ढूंढ निकालने हेतु कुछ सकारात्मक सुझाव देने चाहिए। मेरा जवाब यह है

कि हमें पंजाब के लोगों पर भरोसा करना चाहिए। कृपया आप विधान सभा और संसद दोनों के लिए चुनाव करवाएं। पंजाब की जनता समस्या का समाधान ढूंढ निकालने में सक्षम है और वह एक कारगर समाधान ढूंढ निकालेगी। पंजाब के लोगों को साथ लिए बिना इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालने सम्बन्धी हमारे सारे प्रयास निरर्थक रहेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि विधान सभा और संसद के चुनावों को टाला न जाए क्योंकि पंजाब में लोकतान्त्रिक रूप से चुनी गई सरकार ही पंजाब की इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालेगी। यदि आप पंजाब में लोकतन्त्र को नहीं लाओगे तो पंजाब की समस्या इसी तरह कायम रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : चेयरमेन सर, जब-जब भी पंजाब के ऊपर डिस्कशन आता है इस सदन में तो मेरा मन उदास होता है। ये अपोजीशन के साथी जब इस पर चर्चा करते हैं तो एक तो ये अपनी इगनोरेंस का इज हार करते हैं और दूसरे फिक्सीसियस नालिज के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं।

मेरे से पहले जिन दो आनरेबुल मेम्बर्स ने बात की और पंजाब की सिचुएशन पर बोले, मैं नहीं जानता कि उन्होंने दोनों ने कभी पंजाब को विजिट किया हो। रेड्डी साहब बता दें, कुरूप साहब बता दें कि कभी उन्होंने पंजाब को विजिट करके देखा है ? उन्होंने पंजाब को कभी देखा नहीं और ऐसे ही सदन में पंजाब के बारे में वे बता रहे हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी संसद सदस्य अपने जीवन काल में भारत के प्रत्येक भाग में तो जा नहीं सकता। **(व्यवधान)**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं यह कह रहा हूं कि अगर आपने पंजाब का दौरा किया होता तो आप इस समस्या को अधिक निकट से देख सकते थे।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : आप आप भी तो बंगाल न जाकर बंगाल के बारे में बोलते हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं बंगाल गया था, मैं तो इचार्ज था, आपको मालूम है। मुझ बड़ा दुख हुआ कि यह बड़ी सीरियस सिचुएशन है, भारी नेशनल प्राब्लम है, लेकिन हर बार 2-4 बातें पार्लियामेंट में डिसकस होती हैं, गवर्नमेंट ने यह नहीं किया, गवर्नमेंट ने वह नहीं किया, गवर्नमेंट का पोलीटिकल परपज है, 2-3 बातें कह कर बात खत्म हो जाती है।

श्री चरनजीत सिंह बालिया : आप कोई नई बात बतलाइए।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं अर्ज करता हूं, आपके सामने आएगा।

कुरूप साहब ने कहा कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट यह है कि पंजाब का मामला कंटीन्यू रहे, यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सरकार ने वक्तन-फवक्तन बहुत कोशिशें की है पंजाब सोल्यूशन के लिए, लेकिन उसमें हमें अपोजीशन के भाइयों का, खासतौर पर अकाली भाइयो ने हमको कोआपरेट नही किया, अकाली पार्टी एक मेजर पार्टी है पंजाब में, तो उससे हमको कामयाबी नहीं

हुई, वरना सरकार की हर वक्त कोशिश रही है। इसके बारे में मैं बाद में तफसील से चर्चा भी करूंगा। **(व्यवधान)**

जो कुछ भी उन्होंने कहा अल्टीमेटली उनका मकसद यह था कि गवर्नमेंट पर इलजाम लगाया जाए कि मोगा का मामला होता और किसी और की सरकार होती तो वह रिजाइन कर देती। असली परपज उनका यह था एडजर्नमेंट मोशन लाने का। मुझे बड़ा अफसोस है और एज० ए० पंजाबी मैं गिला करता हूं, अफसोस करता हूं, कि दोनों स्पीकरों ने किसी ने भी टेररिज़म के खिलाफ एक भी शब्द नही कहा, उसको कंडेम नहीं नहीं किया। जो लोगों मरे हैं उनके लिए हमदर्दी का एक भी अलफाज नही कहा. सिर्फ गवर्नमेंर को कडेम किया है, यही इनका पोलीटिकल परपज है, यही परपज एडजर्नमेंट मोशन लाने का है। अगर आपको पंजाब से हमदर्दी होती तो आप इस हाउस में खड़े होकर कहते—

[अनुवाद]

हम आतंकवाद की भर्त्सना करते हैं, हम उग्रवादियों की भर्त्सना करते हैं और समूची सभा को उन लोगों से पूरी सहानुभूति है जिनकी हत्या कर दी गई है।

[हिन्दी]

एक भी शब्द दोनों स्पीकरों ने अपनी स्पीच में नहीं कहा। **(व्यवधान)**

मेरा निवेदन यह है कि अपोजीशन के साथी दो बातों को कन्फ्यूज करते हैं, पंजाब में टेररिजम एक अलहदा बात है और पंजाब की प्राब्लम दूसरी बात है। क्योंकि ये प्राब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए ये पंजाब प्राब्लम को टेररिजम के साथ जोड़कर उसको कन्फ्यूज करते हैं, जबकि ये दोनों बातें अलहदा हैं।

जहां तक टेररिजम का ताल्लुक है, सारा सदन जानता है और बहुत बार बहस हो चुकी है, अखबारों में भी इसके बारे में बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि इसमें फारेन हैण्ड है, बाहर से हथियार आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में वहां चेंज आफ गवर्नमेंट आने से कुछ हालात सुधरे हैं, लेकिन फ्लो आफ आर्म्स अभी तक जारी है। आज ही के इंडियन एक्सप्रेस में इसकी बड़ी चर्चा आई है कि कुछ बड़े टेररिस्ट हाइली ट्रेंड, हाइली सोफस्टीकेटेड आर्म्स के साथ इंडिया में एंटर हो रहे हैं। एक तो यह पहलू है टेररिजम का कि बाहर से इमदाद आ रही है। चन्द नौजवान लोग हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे भाई है जो गुमराह हो रहे हैं और बाहर के आदमियों के हाथ मे खेलकर यह खेल खेल रहे हैं। जहां तक पंजाब के लोगों का ताल्लुक है, वहां खालिस्तान नाम की कोई चीज नहीं है। चाहे हिन्दू हों, सिक्ख हों, उनके दिल में खालिस्तान नाम की कोई चीज नहीं है। यह सब अखबारों में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बतलाया जा रहा है, एक बोगी खड़ी की जा रही है, लेकिन वहां ऐसी कोई चीज नहीं है। पंजाब के लोग अण्डरस्टेंड करते है, नेशनलिस्ट हैं, पेट्रिआटिक हैं, खालिस्तान के हक में नहीं हैं। यह दूसरा पहलू है पंजाब प्राब्लम का। जहां तक पंजाब प्राब्लम का ताल्लुक है, इसमें मेरे साथियों ने बहुत क्रिटोसाइज किया है कि सेंटर कुछ नहीं कर रहा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। हमने काफी कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो राजीव लोंगोवाल एग्रीमेंट किया। वह हमारी कोशिश थी लेकिन किसी वजह से अकाली भाईयों ने उसको मंजूर नहीं किया। उसके बाद भी हमारी कोशिश जारी रही। हमने काफी कोशिश की कि पंजाब का मसला हल किया जाए। वह भी डिमाण्ड हुई कि जब तक जोधपुर के

डेटेन्युज को नहीं छोड़ेंगे तब तक क्लाइमेट बिल्ड नहीं होगा। हमने उनको छोड़ दिया ताकि क्लाइमेट बने।...(व्यवधान)

5.00 म० प०

उसके बाद कहा गया कि पंजाब की प्राबलम इकोनोमिक प्राबलम है। यह कहा गया कि पंजाब को सेंटर ने इग्नोर किया और पंजाब के साथ सौतेली मां का व्यवहार किया है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का पैकेज डील भी आ गया। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां वहां के लिए अनाउंस हुई जिसका जिक्र मेरे साथी आजाद साहब ने किया है। मैं इन लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अमृतसर सबसे ज्यादा अफेक्टेड इलाका है। सोलह करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक साल में अमृतसर में प्राइवेट एन्टरप्रिन्योर्स ने की है। यह कान्फेडेंस लोगों का सरकार पर है। पहले माइग्रेशन नहीं था। पहली बार बरनाला सरकार के वक्त माइग्रेशन हुआ। आज पंजाब के लोग बाहर नहीं जा रहे हैं बल्कि बाहर से लोग आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट हो रही है। अमृतसर में पचास परसेंट लैंड की प्राइसेज बढ़ गई हैं। यह क्या शो करता है। इससे पता चलता है कि वर्तमान सरकार पर लोगों का कान्फीडेंस है। वर्तमान सरकार जो विकास के काम कर रही है, उसका असर नीचे तक हुआ है। इसके अलावा डिस्ट्रीक्ट डवलपमेंट कमेटीज बना दी गई हैं ताकि उनके पास फण्ड्स हों और सारा डवलपमेंट का काम कर सकें। इससे लोगों में काफी उत्साह है। इसमें काफी अच्छा काम चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने जो पंचायती राज लागू किया ह उससे पंजाब के गांवों में खुशी की लहर दौड़ी है। अजनाला बार्डर की एक तहसील है। पिछले सप्ताह वहां पर जवाहर रोजगार स्कीम के अन्तर्गत चैक बांटे गए। मुझे भी उस मीटिंग में जाने का मौका मिला। वहां पांच सौ के करीब सरपंच थे। सरकारी अधिकारी चैक बांट रहे थे। तमाम सरपंचों ने खड़े होकर कहा कि हम चैक लेंगे तो भाटिया साहब के हाथों से लेंगे। हालांकि मेरा कोई तांत नहीं था, मैं तो सिर्फ मीटिंग अटेंड करने गया था।

[अनुवाद]

यह दूरदराज के गांवों के लोगों का कांग्रेस पार्टी पर विश्वास है।

[हिन्दी]

श्री चरनजीत सिंह अटवाल (रोपड़) : अगर आपका प्रोग्राम कामयाब हो जाए तो चैक बांटने की जरूरत ही न पड़े।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, मैंने कोई गलत बात नहीं की है। जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमारी पार्टी ने पंजाब में पोलिटिकल कान्सनेस बनाया है। हमने पंजाब के गांवों में मीटिंग करके लोगों में आतंकवाद के विरुद्ध एक अवेयरेन्स पैदा की और पंजाब में जो हमारा भाईचारा है, एमीटी है और देश की यूनिटी का जो मामला है, उस पर लोगों को समझाया।

[अनुवाद]

पंजाब के लोगों में एक बड़ी सूझबूझ है।

[हिन्दी]

उन्होंने हमारी अपील के एक्सेप्ट किया। आजाद साहब ने ठीक कहा कि सी० पी० एम०' और सी० पी० आई० के हमारे भाई भी गांवों में गए थे, और कोई पार्टी नहीं गई, उसका भी असर था। चेयरमैन साहब, इस आतंकवाद के खिलाफ बोलते हुए लोगों को पोलिटिकल कांशसनेस देते हुए मेरे चार सौ से ज्यादा साथी मारे गए हैं पंजाब में। तीन केबिनेट मंत्री पिछली कांग्रेस सरकार के पंजाब में मारे गए हैं, मिस्टर पाण्डे मिस्टर जगत राम और और लाल भगवान दास, उन्होंने अपनी जानें दीं इस कांशसनेस को क्रिएट करने के लिए, इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि और किसी पार्टी ने बी० जे० पी० या अकालियों ने इस कांशसनेस को कायम करने की कोशिश की? उन्होंने तो आतंकवाद की निन्दा भी नहीं की। डरते हैं कि मारे न जाएं। हमने निन्दा की, हम मारे गए। मेरे पर तीन गोलियां चलीं, क्योंकि हम आतंवाद के खिलाफ गांव-गांव में घूमे थे और मुझे गोलियों का शिकार होना पड़ा था। अकाली डरते हैं वह कांशसनेस की बात नहीं करना चाहते। पंजाब में इस वक्त जो लड़ाई है वह है धर्म-निरपेक्ष को लागू करने की और एन्टी नेशनल फोर्सेज के जमने की। मैं अकालियों से पूछना चाहता हूं कि वह धर्म निरपेक्षता के हिमायती लोगों के साथ हैं या एन्टी नेशनल फोर्सेज के साथ हैं। वह क्लीयर कर दें तो हम समझ लेंगे कि वह क्या चाहते हैं।

श्री नारायण चौबे : लौंगोवाल साहब किस पार्टी के थे।

श्री गुलाम नबी आजाद : उसका हमें अफसोस है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : जितनी आलोचना विपक्ष वाले करते हैं, वह हमें सुझाव नहीं देते कि आप यह करो जिससे इसका हल निकलें। हम बहुत शुक्रगुजार होंगे कि आप इतने कंसर्न्ड हैं जितने हम हैं। इसका हल तब निकलेगा जब हम एक वेव लैंथ पर हों। लेकिन मुश्किल यह है कि आप इसको राजनीतिक दृष्टि से, पोलिटिकल गेन से सोचते हैं। इसीलिए आप स्थगन प्रस्ताव लाए हैं। यह फैक्ट है जिसका एक ही मकसद है कि आप सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। वहां आप आतंकवाद की निन्दा न करके सरकार की ही निन्दा करना चाहते हैं। आप कोई राय बनाइए मैं आपसे बात करता हूं। मुख्तलिफ नेताओं ने जनता पार्टी के नेताओं ने खास तौर से कभी कंडेमन नहीं किया।

5.08 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जब मोगा का काण्ड हुआ तब अखबार वाले वी० पी० सिंह के पास गए, उन्होंने कहा कि आप बोलिए आपकी क्या राय है। उन्होंने किसी मरने वाले के साथ हमदर्दी जाहिर नहीं की, उन्होंने कंडेमन नहीं किया आतंकवादियों को, केवल एक फिकरा कह कर खत्म कर दिया कि पंजाब में जो हो रहा है यह सरकार की गलत नीतियों में हो रहा है। आप यह बताएं कि वी० पी० सिंह कहां खड़े हुए हैं।

[अनुवाद]

क्या वे राष्ट्रवादी ताकतों और देशभक्ति की ताकतों के साथ खड़े हैं अथवा उनके विरुद्ध हैं? वे कहां है? उन्हें स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। काश! मेरे प्रश्न का उत्तर देने वे यहां होते।

[हिन्दी]

लेकिन बी० पी० ने कोई क्लियर कट गाइड लाइन नहीं ली। बी० जे० पी० वाले हमारे भाई हैं। ये बहुत कहते हैं कि सरकार यह नहीं कर रही, यह नहीं कर रही, लेकिन उसके बाद हमारी जब उप समिति पंजाब जाती है, विरोधी दल के नेताओं से बातचीत करने के लिए, अकाली पार्टी नहीं आई, डर होगा कि आतंकवादी हमें मार न दें क्योंकि जब कोई इनमें से सेंटर से बात करता है तो उसे यह सरकारिया कह देते हैं इसलिए वह नहीं जाते हैं लेकिन जब बी० जे० पी० आई तो मेमोरेण्डम देकर भाग गई। अगर आप गम्भीर हैं और पंजाब की प्राब्लम समझते हैं। राष्ट्र की समस्या इसको मानते हैं तो हमें बताइए कि हम कहां गलत हैं। हम उसके लिए तैयार हैं कि वह हमारे साथ बैठें। हमने खुलकर कहा है कि हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं। हर वक्त बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन हमारा बातचीत का फ्रेमवर्क राजीव-लौंगोवाल एकोर्ड होगा हम भारत के संविधान की परिधि में रहते हुए बात करेंगे। फिर कहां सवाल पैदा होता है कि हम पंजाब में एक्ट्रीमिस्ट्स को या टैररिस्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं या उनका साथ दे रहे हैं। हमारी पोलिसी क्लिअर है। हम आज भी कहते हैं कि भारत के संविधान की परिधि में रहते हुए यदि कोई हमसे बात करना चाहे, लौंगोवाल-राजीव एकोर्ड की सीमा में रहते हुए बात करना चाहे, उसे कुछ और इम्प्रूव करना चाहे, उसमें कोई नए सजैस्शन देना चाहे, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यह पंजाब समस्या का कोई सोल्यूशन नहीं चाहते, इनका मकसद पंजाब की स्थिति में सुधार लाने का नहीं है, इनकी सिम्पैथी पंजाब में मरने वालों के साथ नहीं है, ये टैररिस्ट्स को या एक्सट्रीमिस्ट्स को कंडैम करने में भी डरते है, उनको कंडैम तक नहीं करते, लेकिन सिर्फ एक ही चीज चाहते है, जिसका जवाब अभी मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता ने दिया, इनकी नजर में पंजाब समस्या का एकमात्र हल यही है, इनका एक सजैस्शन ही हमेशा से रहा है कि किसी तरह राजीव सरकार चली जाए तो इस समस्या का अपने आप सोल्यूशन निकल आएगा। आप ही बताइए उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह इनके अक्ल के दिवालियेपन को प्रदर्शित नहीं करता है। क्या राजीव सरकार के हट जाने से पंजाब की समस्या हल हो जाएगी। आप भी पिछले 5 सालों से इस सदन में बैठते आए हैं। यदि इस समस्या को हल करने के लिए आप कोई ठोस सुझाव दें तो उसका हमेशा स्वागत है, जहां आपकी मदद लेने की हम जरूरत महसूस करते हैं, वहां आपको भी आमन्त्रित किया जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि राजीव सरकार चली जाए तो यह समस्या अपने आप हल हो जाएगी।

इसलिए, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सदन में पंजाब के लोगों को इस बात बात का श्रेय देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे हालात में भी अपना बैलेंस ऑफ माइण्ड बनाए रखा, इतनी प्रोवोकेशन के बावजूद उन लोगों ने यूनिटी दिखाई और ऐसे हालात में भी पंजाब में डेवलपमेंट हुई। आज यदि आप देखें तो पंजाब ने पिछले सालों की तुलना में कहीं ज्यादा अनाज पैदा करके केन्द्रीय भण्डार में दिया है, जिसमें 70 परसेंट राइस, और 60 परसेंट व्हीट शामिल है। इसके अलावा मैन-डेज की भी आप सारे हिन्दुस्तान की फीगर्स मंगवा कर देख लें, पंजाब में सबसे कम मैनडेज खराब हुए हैं और वहां नोर्मल फंक्शनिंग हो रही है। मैं आपके माध्यम से इतना जरूर अर्ज करूंगा कि रेड्डी साहब, कुरूप साहब मेरे साथ आइए, अमृतसर चलिए. मैं आपको दिखाऊंगा कि आजकल वहां कितने नोर्मल हालात चल रहे हैं। आप वहां के लोगों से मिलिए और देखिए कि लोग वहां किस बहादुरी के साथ एक्सट्रीमिस्ट्स और टैररिस्ट्स का मुकाबला कर रहे है। यदि आप

कोई ठोस सुझाव नहीं दे सकते, आपकी अक्ल में कोई बात नहीं आती तो पंजाब के लोगों ने जो रास्ता दिखाया है, उस पर ही चल लीजिए तो यह कौम इकट्ठी रहेगी और टैररिज्म भी खत्म हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं सदन में प्रस्तुत मोशन का विरोध करता हूं।

डा० जी० एस० ढिल्लों (फिरोजपुर) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मुझसे पहले सदन में भाटिया साहब बोल रहे थे, हम दोनों एक ही जिले के हैं, हमारे साथ-साथ ही घर हैं। अन्य बातों में हमारे विचार आपस में भले ही न मिलते हों लेकिन जहां तक टैररिस्ट्स का ताल्लुक है, एक्सट्रीमिस्ट्स का सम्बन्ध है, हम बिलकुल आपस में एक-दूसरे से सहमत हैं। यह भी बड़े चौकन्ने रहते हैं, मैं भी वहां बड़ा चौकन्ना रहता हूं। मेरी कान्सटीटूएँसी इनके साथ वाले जिले में पड़ती है, जबकि हमारे घर एक ही जगह हैं। मेरी कान्सटीटूएँसी फिरोजपुर में अभी भी टैररिस्ट्स का काफी जोर है। हर सैशन में इस सदन में पंजाब की समस्या और टैररिस्ट्स पर बहस होती है, इस दफा भी पहले ही दिन इस विषय को हाउस में लाया गया है। गत सैशन और इस सैशन के दरम्यान दो महीने निकले हैं, इस दौरान वहां की स्थिति में कितना फर्क आया, यह जानने के लिए मैंने 1981 से 1989 तक के आंकड़े एकत्रित किये है। 13 से शुरू हुआ, बढ़ते-बढ़ते, पिछले साल 1949 हो गया और बाकी जो पहले बताया गया था 1200 की बजाय अब 1949 आया। 373 मारे गए और 3800 के करीब गिरफ्तार हुए और अब तक, जुलाई तक, इस साल भी 584 लोग मारे मिले हैं। इनमें से टैररिस्ट 352 मारे गए हैं और 1629 गिरफ्तार हुए हैं। इस प्रकार से देखें, तो किलिंग्स में काफी फर्क आया है। लेकिन जब मैं अपने हलके में जाता हूं, अपने घर की तरफ जाता हूं और जब मैं वहां के लोगों को यह बताता हूं कि इसमें पहले से आधे के करीब रह गए हैं, तो वे लोग मानते नहीं हैं। वे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपकी बात सही नहीं है। अभी मैं गया हुआ था, उससे पिछले हफ्ते मैं अमृतसर में था, जब मैंने यह कहा कि अब आधे रह गए हैं, तो उनका कहना था कि पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन आपको गलत इन्फर्मेशन देता है। अब ये सरकारी आंकड़े दिए गए है, इनमें मिस-इन्फर्मेशन की तो गुंजाइश नहीं है। हो सकता है कि किसी खास एरिया में ज्यादा मारे गए हों, उनका ओवर-आल मिलाकर के बता दिया गया हो कि हमारे ज्यादा मारे गए हैं, और उनको सूचना न हो। क्या फर्क पड़ा है, छोटे से वक्फे में हथियार उसी तरह आ रहे हैं। अब ज्यादा सॉफिस्टिकेटेड हथियार आ रहे हैं। तीन-चार किस्म के हथियार इस्तेमाल करते हैं—स्माल आर्म, मीडियम आर्म मशीनगन, ए० के० 47 राइफल। ए० के०-47 राइफल जो पहले एक सैकण्ड में 72 फायर करती थी अब 600 करती है। कहां से ये हथियार आ गए हैं।

महोदय, हमें बड़ी खुशी हुई जब पाकिस्तान में नई सरकार आई। नई सरकार ने स्टेटमैंट भी दिए, वे भी बड़ी हौसला अफजाई करने वाले थे। अभी दो दिन हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिले और वहां टैररिज्म के बारे में बातें हुई। हमें इस बात की भी बड़ी खुशी है कि श्रीमती मार्गरेट थैचर ने हमारे प्रधान मन्त्री को दो दफा यकीन दिलाया कि टैररिज्म के खिलाफ काम करेंगे। कैनडा के प्राइम मिनिस्टर मैलरोनी ने भी दो बार यकीन दिलाया कि हम टैररिज्म के खिलाफ काम करेंगे। इसके बावजूद, सब समझौते होते हुए भी, हथियार कहां से आ रहे हैं। यह बात समझ में नहीं आ रही है। यह कैसे चल रहा है।

महोदय, अभी पिछले दिनों कुछ टैररिस्ट बाहर से भी आए। उनके बारे में अखबारों में खबर है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि अखबारों में जो खबर छपी है

टैररिस्ट के बारे में, उनकी क्या इत्तला है. वे कहां से आए है ? किस देश से आए हैं ? इतने समझौते होते हुए भी वे कैसे आ गए, यह समझ नहीं आ रहा है । एक कैबीनेट कमेटी भी चंडीगढ़, गई, अप्रैल के महीने मे उनकी मीटिंग हुई, में भी वहां गया, पंजाब की कांग्रेस की तरफ से भी एक मेमोरेंडम दिया, अपने होम मिनिस्टर भी थे, मैं भी उनके साथ बैठ गया । बहुत कुछ मेमोरेंडम में था कि यह करना चाहिए, वह करना चाहिए । लेकिन पंजाब के मसले को हल करने के लिए क्या करना चाहिए, वह उसमें नजर नहीं आया । मैंने भी उनको अपने भाषण में यही कहा कि इसका हल जरूर होना चाहिए—विद इन दी सैकुलर एंड कांस्टीट्यूशनल बाउन्ड्ज—हल जो हो वह सैकुलर विद् इन कास्टीट्यूशन हो । लेकिन वह सैकुलर कांस्टीट्यूशनल तब पता लगे कि जिन पार्टियों ने बातचीत करनी है, उनके जो विचार हैं, वे सामने आएं । यह बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वह मेन पार्टियां वहां नहीं आई । अकाली दल ने उसका बाय-काट कर दिया । हमारा जान का फायदा नहीं हुआ, हमारे कांग्रेस के लोग तो वैसे ही कुछ न-कुछ अपने लोगों को बताते रहते हैं कि यह हो सकता है, वह हो सकता है । बात तो उनसे करनी थी और वह लोग आये नहीं । रामूवालिया जी ऐसे मौकों पर जरूर आते हैं, लेकिन वह भी उस दिन नहीं आये । सब एज यूनाइटेड अकाली दल और अकाली दल दूर तक नजर नहीं आये । तलवंडी ग्रुप है, मुझे समझ नहीं आता कि ये यूनाइटेड हैं या तलवंडी अलग हैं । आप लोगों का फर्ज था, आप रोज कहते है कि गवर्नमेंट बातचीत नहीं करती और जब वहां सारी की सारी कैबिनेट कमेटी गई तो आप अपने ख्यालात तो बताते कि हम यहां खड़े हैं ।

मैंने आपके आनन्दपुर साहब के प्रस्ताव पर इन दो महीनों में रिसर्च की है कि यह क्या है । दो तीन किस्में हैं इसकी, लेकिन मैं अपनी आखिरी रिसर्च का नतीजा आपको बताना चाहता हूं कि ये 11, 12 के करीब अलग-अलग प्रस्ताव थे जो अलग-अलग मौकों पर पास किए गए और दूसरे वक्त बटते-बटते 11, 12 हो गये । उनको एक बनाने के लिए 1973 में बरनाला साहब की सदारत में अकाली दल ने एक कमेटी बिठाई थी । पहली बैठक तो लुधियाना में हुई और फिर चंडीगढ़ में हुई । पहले दिन और जो बाकी 5 थे उनको मेल मिला के सबको एक कर दिया, उसके बाद यह प्रस्ताव तब एक कन्सोलिडेटड बना । यह एक वक्त पास नहीं हुआ, यह इतनी देर से चलते-चलते आप कभी छोटा-सा पारेशन साफ कर देते थे और कभी कुछ कर देते थे, तो वह कमेटी बरनाला साहब की सदारत मे थी, उस वक्त आपका कोई झगड़ा नहीं था 1973 में । वह करते-कराते, अभी जैसा आजाद साहब ने कहा कि 1978 में एक कन्सोलीडेटड रेज्यूलूशन की एक कंसोलीडेटड मीटिंग हुई और तब जाकर यह बना लेकिन साथ में एक हिस्सा भी आपने शामिल कर दिया जो कि किसी प्रस्ताव में नहीं था । वह 12 था और आपने कुछ नहीं उसमें रखा । जजबात को उभारने वाला रख दिया और उसके पीछे-पीछे आप चल पड़े । वह लेकर कौनसा मोर्चा आप लोग नहीं लाये, पहले भी लाते रहते थे । मैं तो यह कहूंगा कि मैंने 50 साल ऊपर कांग्रेस की मेम्बरशिप में गुजारे है । 1937 में मैंने लॉ की प्रेक्टिस शुरू की थी मैं देखता ही चला गया, मैंने मगर कुछ लोगों को अकालियों की रियासत में देखा और क्या कुछ पापड़ बेलते नहीं देखा । जब पंजाब में कुछ झगड़े हुए तो उनमें कुछ ऐसे लोग थे जो कि खुद झगड़ा करवाना चाहते थे और उन्होंने एक मोर्चा भी बना लिया । वह मांग करने लग गये कि वहां जो ट्रेन आती है उसका नाम गोल्डन टैम्पल एक्सप्रेस रखिए और हमारी कृपाण चार इंच की न होकर 6 इंच की होनी चाहिए । चार या छः इंच में क्या कोई फर्क पड़ना है । इस तरह से अपनी बातें मनवा कर आपने यह समझा कि हम छोटी-छोटी बातों पर कामयाब हो गये है इस कारण जो कोई भी मांग

करेंगे वह पूरी हो जायेगी। आपके बादल साहब ने कभी रेल रोको और कभी सड़क रोको आन्दोलन चलाया। लेकिन जो नई पुश्त मोर्चे में शामिल होती गई वह उनसे एक-दो कदम आगे ही थी। उन्होंने आपके नेताओं को पीछे धकेल दिया। हम आपसे उस समय कोई अच्छी बात करते भी थे तो आप हम पर शक करते थे। जितने भी फैसले उस समय किए वह सरदार प्रताप सिंह कैरो के वक्त आप लोगों से मिल बैठकर ही किए और आपके लीडरों मास्टर तारा सिंह और संत फतेह सिंह से हो किये। जब आपकी लीडरशिप आपके हाथ से निकल गई तो आप सबने मार-धाड़ करवानी शुरू कर दी। आपके किसी लीडर ने उसको कंडैम नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि संत लोंगोवाल जी को भिण्डरवाले के कैम्प से मारने की साजिश हुई। क्या आपको यह सब याद है? जो तीर्थ यात्री गुरुद्वारों में दर्शन करने आता था उनको भी मारना शुरू कर दिया और जो पुलिस का डी० आई० जी० वहां खड़ा होता था उसको भी मारना शुरू कर दिया। आप अन्दर से अपने को टटोलो कि आप कहां खड़े हैं?

मुझे खुशी है कि बरनाला साहब ने पिछले दिनों में कहा कि हमें खालिस्तान नहीं चाहते हैं। अगर यह नहीं चाहते तो क्या चाहते हैं? जो अन्दर बैठे हैं उनसे आप डरते हैं। भिण्डरवाला टाइगर्स फोर्स, खालिस्तानी कमांडो फोर्स बब्बर खालसा बंडोरा से आप (अकाली लीडर) डरते है। और क्या कुछ नहीं आपने अन्दर छिपा रखा है। लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। खालिस्तान वाले जो खालिस्तान चाहते हैं वह बड़ी घूमधाम से ढोल बजा कर कहते हैं कि हमें खालिस्तान चाहिये। वे लोग जो बैंक लूटते हैं, राहजनों को लूटते हैं और स्कूटर व कार चोरी करते हैं और इतना ही नहीं अपने आदमियों को छुड़वाने के लिए 2 लाख 4 लाख फिरौती के रूप में मांगते हैं, वे खालिस्तान चाहने वाले लोग हैं या आपके आदमी हैं। आप एक बार हमें बतायें कि वह कौन आदमी हैं? यह जो लूट-मार मची हुई है वह किस वजह से है। हमें दुख होता है कि हमारे इतने लोग मारे गए और इतने लोग लूटे गए। इस मसले पर तो हमारे साथ आवाज मिलाइये। हमारे अन्दर यह बात बुरी है, आप तो बोलते ही नहीं, पता नहीं यह गूंगापन कहां से आ गया। यह बात मैं दिल से कहता हूं कि हमें इन बातों की निन्दा करनी चाहिए। मोगा में हुआ, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुआ। मैं परसों इतवार को अबोहर से वाया भटिण्डा संगरूर से आया, जब तक मंडी में पहुंचा तो मालूम हुआ कि हिन्द समाचार बेचने वाले हाकर को आतंकवादियों ने मार डाला, आज के अखबारों में आया। पहले अखबार के फाउन्डर एडीटर को मारा, लाला जगत नारायण को, फिर उसके लड़के रमेश चन्द को मारा, अब हॉकरों को भी मारना शुरू कर दिया है। अमृतसर जिले में मारे, होशियारपुर जिले में मारे और कहां नहीं मारे, अब परसों यह मारा। कब तक ये लोग लोगों को मारकर, डराकर, प्रैस का मुंह बन्द कर लेंगे, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, जो मारते है उनको कहता हूं, कब तक लोगों को लूट मार करके समझोगे, पैसा हजम होता जायेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरा भी कुछ तजुर्बा है, यह कुछ दिन तक तो चल सकता है लेकिन बुरी तरह देना पड़ेगा, इसके नतीजे बहुत खराब निकलेंगे। मैं खालिस्तान वालों से पूछता हूं, कुरूप साहब कह रहे थे कि जरा पोलिटिकल सिचुएशन बदलने से मसला हो जाता, उनकी सरकार का, आप अगर उनसे बात करके यह वायदा ले लो कि वह सब छोड़ने को तैयार हैं, एक सामान्य जिंदगी बसर करने को तैयार हैं, नार्मल लाइफ ला सकते हैं, सिर्फ हमारी वजह से ही ऐसा करते हैं तो आप उनसे बात कराइये, हम कुछ-न-कुछ कुर्बानी करेंगे, कह देंगे पांच साल और नहीं आये हम, ठीक है, कुछ तो करो। आपकी सरकार आये या न आये, उनका तार बाहर से हिलता है, वह तार काट सकते हो तो कुछ निकलेगा नहीं तो कुछ नहीं

निकलेगा, वह हिलता नहीं, वह खड़े हैं, दस मरते हैं तो दस और आ जाते हैं, यह बड़ा सीधा-सादा-सा समझना है। यह सरकारें तो बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, आज जो जेल में बैठे हैं, आपकी जनता सरकार के वक्त वह मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर थे, मेरे से पहले भी वह मिनिस्टर थे। वह उधर बैठे हैं, वह मान जायेंगे, ऐसी बातों को उनसे भी बात कर लीजिए। अगर आप करके आ सकते हैं कि मैंने बात कर ली वह बैठ जाने को तैयार हैं सब समझौता होगा, तुम लोग बीच में से हट जाओ, मैं तो जरूर कम-से-कम यकीन दिलाता हूं कि हम लोग बीच से हट जायेंगे, अगर यह मसला हल हो जायेगा। परन्तु मसला हल नहीं होगा, बात करना आसान है। ऐसी बातें पंजाब में चल रही है अब देखें क्या होता है।

मैं इतना कुछ कहकर बस करता हूं।

एडजर्नमेंट मोशन तो इसके लिए आ ही नहीं सकता। यह तो वैसे ही हम हर दफा डिस्कस करते हैं। एडजर्नमेंट मोशन से पता नहीं क्या लाभ होगा। इसको हम वैसे ही डिस्कस कर लेते। आगे तो हमको आना नहीं, नही तो अगले सेशन में यह आ सकता था। आगे पता नहीं कौन आये, कौन नहीं लेकिन अभी तक तो यह है कि यहीं खड़े रहना है। कोई मसला हल नहीं हो रहा। इनके बस की बात है जो आपकी तरफ बैठे हैं, इनको भी जरा समझाइये कि अगर और लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठायें तो हमारे साथ यह आवाज उठायें और अपनी जो नीति बाकी है वह करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० पांजा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : यह प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया गया है लेकिन कांग्रेस सांसद ही एक के बाद एक बोलते जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सभा पटल पर 12 बजे रखी जानी थी। यह कैसा है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, सुबह भी आपने यह बात उठायी थी और अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था दी थी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० पांजा।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : श्री एडुआर्डो फैलीरी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1987-88 का प्रतिवेदन (1980 का संख्या 7)— संघ सरकार रक्षा सेवाएं (सेना तथा आयुध कारखाने)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8003/89]

(2) रक्षा सेवाओं के 1987-88 के विनियोग लेखों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8009/89]

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : दूसरे, मैं बहुत ही मजेदार और मुद्रक की घृणित कार्यवाही पर प्रकाश डालने वाली बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था पहले ही दे चुके हैं। मैं इस पर पुनः विचार नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वे भुगतान प्राप्त करने आये हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह बहुत ही मजेदार बात है और मुद्रक की घृणित कार्यवाही पर प्रकाश डालने की बात है। श्री चिदम्बरम इसका मजा उठायेंगे। भुगतान मे उन्हें भी हिस्सा मिलगा ···**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह कहा गया है कि :

"सायंकाल साढ़े पांच बजे भुगतान किया जायेगा" ···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : गलती के कारण ऐसा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मशीन के कारण होने वाली फंडीन मूल का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : कृपया चर्चा करने की अनुमति दीजिए। हम चर्चा चाहते हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब इसकी अनुमति नहीं दे सकता। आप इसको लिखित में दीजिये। इस समय हम एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। मैं उसे अब नहीं ले सकता।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : हम इस पर चर्चा चाहते हैं, यदि आज सम्भव नहीं है तो कम से कम कल ही···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चर्चा चाहती हैं तो लिखित में दीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : जी हां।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खुर्शीद अहमद चौधरी।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मै अनुमति नहीं दे सकता। यह स्थगन प्रस्ताव है। वह बोलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े हैं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5.41 म० प०

स्थगन प्रस्ताव

—[जारी]

पंजाब और दिल्ली में आतंकवादियों की गतिविधियां

चौधरी खुर्शीद अहमद (फरीदाबाद) : जब श्री भाटिया अपना भाषण दे रहे थे, तब मैंने उनको सुना था और अब उन्होंने बहुत ही गम्भीर समस्या का सरलतम समाधान प्रस्तुत किया है। ऐसी बातों को हमें इतने सरल ढंग से नहीं लेना चाहिए। सर्वप्रथम, उन्होंने यह बात कही कि विरोधी दल के किसी भी सदस्य ने आतंकवाद की भर्त्सना नहीं की है। विरोधी दलों ही

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं अपितु सारा देश आतंकवाद की भर्त्सना कर रहा है। भर्त्सना करना एक पृथक बात है किन्तु आतंकवाद पर काबू पाना सरकार का उत्तरदायित्व है। केवल श्री भाटिया ने ही नहीं अपितु, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक वक्ता ने पीड़ित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मैंने कहा है कि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन दी जाये। आप पीड़ित व्यक्तियों के बारे में इतने ओर-शोर से बोलते रहे हैं। किन्तु आपने उनके लिए क्या किया है ?

चौधरी खुर्शीद अहमद : भर्त्सना करने और सहानुभूति दिखाने में वे केवल मुख से काम लेते हैं। वे लोग इन व्यक्तियों के लिये कुछ भी तो नहीं करते हैं। यही कारण है कि सरकार उन पर काबू पाने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं कर पायी है। यदि वे ऐसा करना चाहते तो उन्होंने अभी तक आतंकवाद पर काबू पा लिया होता। किन्तु वे तो विरोधी दलों से सुझाव मांग रहे हैं।

उनकी ओर से तीन वक्ता थे। उनके सुझाव क्या थे ? इस विषय में वे स्वयं भ्रमित हैं कि वे इस समस्या को कैसे हल करना चाहते हैं या इसे टालना चाहते हैं या इस ओर से जो भी भ्रम है वे इसे लम्बे समय तक खींचना चाहते हैं। पिछले चुनावों की तरह अब भी देश को दिखाना चाहते हैं कि आतंकवाद और आतंकवादियों की क्या स्थिति है। जैसा कि श्री गुलाम नबी आजाद कह रहे थे कि यह देश की एकता का प्रश्न है। हम जानते हैं कि कुछ व्यक्तियों के मन में काफी समय से विरोधाभास है और उनमें से यह एक है। यदि वे आतंकवाद की समस्या का गम्भीरता से हल ढूंढना चाहते हैं तो वे देश के सामने इसका हल प्रस्तुत कर सकते थे। परन्तु ऐसा लगता है कि वे इस समस्या को हल नहीं करना चाहते बल्कि इसका राजनैतिक लाभ ही उठाना चाहते हैं।

उनका कहना है कि कांग्रेस ने महान् कार्य किए हैं और शेष सभी दल सो रहे हैं। जहां तक राजनैतिक दलों का संबंध है, किसी ने भी इस समस्या की अनदेखी नहीं की है। उन्होंने सदैव आतंकवाद का विरोध किया है। अकाली दल, जिन पर आप दोष लगा रहे हैं, समेत किसी भी दल ने इस देश में आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है। लेकिन आतंकवाद पर काबू पाने की जिम्मेदारी अन्ततः सरकार की है और सरकारी क्षेत्र में इसी बारे में भ्रम है। आतंकवाद पर नियंत्रण रखने की बजाय वे दूसरे दलों पर दोष लगा रहे हैं। वे बहाने बनाकर इसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं। और पिछले तीन या चार वर्षों की अपनी उपलब्धियों के बारे में अधिकांश सदस्य संतुष्ट हैं। आजकल जो कुछ हो रहा है, उससे वक्ता भी आजाद पूरी तरह संतुष्ट हैं, क्या ऐसी स्थिति होते हुए भी, हम आराम से बैठ सकते हैं ? क्या हम पंजाब में ऐसी स्थिति बनाए रख सकते हैं ?

पंजाब राज्य में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का श्रेय भी वे खुद ले रहे हैं, पंजाब की प्रगति और राज्य में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार नहीं, बल्कि पंजाब के बहादुर एवं सक्षम लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। सरकार का कर्त्तव्य है कि वे वहां के लोगों की जानमाल और स्वतंत्रता की रक्षा करे। सरकार की भूमिका यहीं से आरम्भ होती है। सरकार के वहां के लोगों की जान-माल की रक्षा करनी ही चाहिए। क्या सरकार ने उन्हें ये सुरक्षा उपलब्ध कराई ? यदि सरकार यह सुरक्षा उन्हें उपलब्ध नहीं करा सकती, तो उसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पंजाब की प्रगति की आड़ लेकर वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। पंजाब में पहले भी प्रगति हुई है

और यह राज्य भविष्य में तरक्की करता रहेगा क्योंकि वहां के लोगों में श्रम की भावना है। लोगों में सभी परिस्थितियों से जूझने का साहस है। आज भी पंजाब के लोग आतंकवादियों के विरुद्ध ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वे पुलिस के आतंकवाद को भी सहन कर रहे हैं। किसान भी स्वतन्त्र नहीं है। उसके खेतों से आतंकवादी ही नहीं पुलिस भी उठा के जा सकती है। आतंकवादी उसे रात में उठा ले जा सकते हैं और पुलिस दिन दहाड़े बेगुनाह लोगों पर हो रहे अत्याचार तथा स्वयं पुलिस अत्याचार की कहानियां, जो लोगों से पैसा वसूल करती है, सुनने को मिल रही हैं ···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : वे पैसा एकत्र कर रहे हैं।

चौधरी खुर्शीद अहमद : पैसा ही नहीं एकत्र कर रही है बल्कि यदि आतंकवादी 1,000 रुपए ऐंठते हैं तो पुलिस उनसे अगले दिन 2,000 रुपए ऐंठ लेगी···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : इसे 'डबल-बैरल गन' कहा जाता है···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : हरियाणा में क्या स्थिति है ?

चौधरी खुर्शीद अहमद : जब आप हरियाणा पर आयेंगे, तब हम आपको वहां की स्थिति के बारे में बतायेंगे। हरियाणा में जब भी कोई आतंकवादी प्रवेश करता है, तो वह अवश्य गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन पंजाब में ऐसा क्यों नहीं हो पाता, जबकि वहां सभी बल झोंक रखे हैं···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश (अम्बाला) : आप पंजाब में टेरोरिज्म की बात कर रहे है, आप हरियाणा की बात भी कीजिए। वहां गरीबों को घर से निकाल कर मारा जा रहा है।

चौधरी खुर्शीद अहमद : आप तो वैसे ही मरे हुए हैं, आपको कोई क्या मारेगा ?

[अनुवाद]

आपको कौन मारेगा ? आप तो हमेशा ही चलती-फिरती लाश रहे हैं।

श्रीमन्, पिछले तीन-चार वर्षों में जो कुछ घटित हुआ है, हम उस बारे में आकड़े दे सकते हैं। पिछले वर्ष अधिक हत्याएं हुई थी, इस वर्ष कम हत्याएं हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जैसाकि श्री ढिल्लों ने कहा है कि पंजाब में कोई भी सरकारी आकड़ों को सही नहीं मानता। मैंने नही कहा सत्ता पक्ष ने ऐसा कहा है। ऐसी स्थिति में, हम लोगों या सरकार से समस्या हल करने का इन्तजार कर सकते हैं ? मेरे विचार में, इसका हल पंजाब के लोगों पर विश्वास करना है। आपने उन्हें सही मार्गदर्शन देने के लिए उनकी अपनी सरकार के गठन में सहायता दी। वे ही लोग आतंकवादियों का मुकाबला कर सकते हैं, न कि केन्द्रीय या राज्य सरकार। पंजाब के लोगों के अलावा कोई भी वहां आतंकवाद को नियंत्रित नहीं कर सकता है। सरकार असफल रही है। उन्होंने बरनाला सरकार को बरखास्त किया, उसके पश्चात् उन्होंने राज्यपाल शासन लागू किया। लेकिन क्या वे स्थिति पर नियंत्रण रख पाए ? (**व्यवधान**)

श्री अजय मुशरान (**जबलपुर**) : क्या आप यह कहने को तैयार है कि बरनाला सरकार भी विफल रही ?

चौधरी खुर्शीद अहमद : बरनाला सरकार आपकी वजह से, आपके असहयोग के कारण विफल रही है। आपने समझौता कर लिया था, इसलिए आपने उस राज्य सरकार को विफल कर दिया। जिस दिन से इस समझौते को लागू करना शुरू किया गया, आपने मतभेद की नीति आरम्भ कर दी। आपके सभी समझौतों का इतिहास मतभेद की नीति ही रहा है। आपने जब भी कोई समझौता किया है, आपने उसे विफल बना दिया है, क्योंकि आप मतभेद की नीति ही अपनाते हैं।

श्रीमन्, पंजाब के इर्द-गिर्द के राज्यों में भी आतंकवादी गतिविधियां आरम्भ हो गई हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में हरियाणा राज्य को इनकी चोट सहनी पड़ रही है। कई बार ये आतंकवादी दिल्ली में अपराध करते हैं और हरियाणा के किसी स्थान पर शरण लेते हैं और फिर दिल्ली में घुसकर मौका मिलते ही कोई वारदात कर जाते हैं। सौभाग्य से हरियाणा में हम इन्हें गिरफ्तार करने में सफल रहे हैं और जब हम इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, तो बीच में इस देश के गृह मंत्री का नाम आ जाता है। आज ही अखबारों में छपा है कि हरियाणा में जब ऐसे एक गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जा रही थी, तो कथित रूप से श्री बूटा सिंह द्वारा लिखा हुआ एक पत्र प्रस्तुत किया गया···(**व्यवधान**)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, क्या माननीय सदस्य एक मिनट के लिए चुप करेंगे ?

चौधरी खुर्शीद अहमद : मैं आज के 'ट्रिब्यून' समाचारपत्र से उद्धृत कर रहा हूं··· (**व्यवधान**) मैंने आपकी बात नहीं मानी···(**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : मैं माननीय सदस्य से पुनः अनुरोध करूंगा कि वे आधे मिनट के लिए अपना भाषण रोक दें···(**व्यवधान**) आप खड़े क्यों हो रहे है ?···(**व्यवधान**)

यह बात उनके और मेरे मध्य है ? आप क्यों आपत्ति उठा रहे हैं ?···(**व्यवधान**)

श्री अहमद, क्या आप आधे मिनट के लिए चुप होंगे ?···(**व्यवधान**) श्रीमन्, क्या वे जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं ? वे पत्र पढ़ना चाहते हैं। क्या सभा में पत्र पढ़ने के लिए उन्होंने अनुमति ले ली है ? क्या वे जिम्मेदारी ले रहे हैं ? क्या वे सभापटल पर इसकी एक प्रति रखेंगे ? ···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वे जिम्मेदारी ले रहे हैं।

चौधरी खुर्शीद अहमद : उनके पत्र में लिखा है···

इस पर कथित रूप** से श्री बूटा सिंह के हस्ताक्षर हैं। यह दस्तावेज गिरफ्तार किए गए एक आतंकवादी से बरामद किया गया है।···(**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : उन्हें इस पत्र को सभापटल पर रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कभी सभा का कोई सदस्य, सभा के दूसरे सदस्य पर आरोप लगाता है, तो उसे अध्यक्षपीठ की अनुमति लेनी होती है।

(**व्यवधान**)

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी० चिदम्बरम : क्या यह आरोप है. इस बारे में उन्हें एक प्रति देनी होगी।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उत्तरदायित्व का प्रश्न बाद में आता है। कभी-कभी, समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले कुछ पत्रों से ऐसा समझा जाता है कि वे माननीय मन्त्री अथवा किसी माननीय सदस्य द्वारा लिखे गए हैं और इस सभा के इस माननीय सदस्य को आपको बताने का अधिकार है कि ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख करना बिल्कुल ही अलग बात है। लेकिन वह सभा मे इसे पढ़ रहे हैं।

(**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : प्रो० दण्डवते माननीय सदस्य का बचाव कर रहे हैं। उन्हें इसे सभा पटल पर रखने दीजिए। हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कृपया इसे सभा पटल पर रखें।

प्रो० मधु दण्डवते : अनेक बार ऐसा हुआ है कि कोई दस्तावेज समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है और जब कोई दस्तावेज समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है तो माननीय सदस्य को यह कहने का अधिकार है कि यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और यदि इसका संबंध किसी विशेष माननीय सदस्य से है तो वह यह कहने के लिए खड़ा हो सकता है कि यह वास्तविक दस्तावेज नहीं है और मामला वहीं समाप्त हो जाएगा। आप इस बात पर बल क्यों देते हैं कि उन्हें उत्तरदायित्व लेना चाहिए और इसे सभा पटल पर रखना चाहिए ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : जब वह यह आरोप लगाना चाहते है और इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करना चाहते हैं तो वह इसे सभा पटल पर क्यों नही रख सकते ?

प्रो० मधु दंडवते : वह आरोप नहीं लगा रहे हैं। वह एक पत्र पढ़ रहे हैं जिसके बारे मे समझा जाता है कि वह मन्त्री महोदय द्वारा लिखा गया है।

श्री पी० चिदम्बरम : प्रो० मधु दण्डवते इस मामले से किस प्रकार संबधित हैं ? ···(**व्यवधान**)

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : आप इस मामले से किस प्रकार संबंधित हैं ?··· (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मन्त्री महोदय को रोकें। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए मन्त्री महोदय से अनुमति के लिए अनुरोध नहीं कर रहा हूं। उन्हें यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा इस मामले में क्या संबंध है।···(**व्यवधान**) और नियमों के अनुसार मुझे अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इस मामले में किस प्रकार आता हूं। विशेषकर व्यवस्था का प्रश्न उठाने वाला प्रत्येक सदस्य इस मामले से संबंधित है और उन्हें ऐसा प्रश्न उठाने की आवश्यकता नही है। (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिए। लेकिन वह भाषण भी दे रहे हैं। उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिए···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : वह नहीं सुनते । जैसे ही मैं उठा, मैंने कहा, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । मैं अपना विनिर्णय दूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : आपको विनिर्णय देना चाहिए । मैं इस विषय में आपका विनिर्णय चाहता हूं । यदि कोई व्यक्ति समाचार पत्रों में कुछ पढ़ता है और इसके स्पष्टीकरण की मांग करता है, तो संबंधित मन्त्री महोदय को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, इसकी पुष्टि अथवा खण्डन करना चाहिए कि यह दस्तावेज ठीक है अथवा नहीं ।...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि उन्हें कोई विशेष आरोप लगाना है तो उन्हें अध्यक्षपीठ की अनुमति लेनी होगी ।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए । आप क्यों चिल्ला रहे हैं ? मैं इसकी अनुमति कैसे दे सकता हूं । नहीं, नहीं ।

(**व्यवधान**)

चौधरी खुर्शीद अहमद : इसके लिए कोई स्पष्टीकरण अवश्य दिया जाना चाहिए ।

श्री पी० चिदम्बरम : आप पत्र को केवल पढ़ रहे हैं । आप इसे सभा पटल पर रखें । (**व्यवधान**) मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप इसे सभा पटल पर रखें । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए :

> "सदस्यों को सभा में आरोप लगाने के लिए केवल समाचार पत्रों के समाचारों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और यदि उन्हें किसी मन्त्री/सदस्य अथवा किसी अन्य उच्चाधिकारी की आलोचना करनी है तो उन्हें इस नियम के अधीन नोटिस देने से पहले तथ्यों की सत्यता पर स्वयं सन्तुष्ट होना चाहिए और पुनः जांच करनी चाहिए ।"

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह एक आरोप है तो मैं उनके कथन की कार्यवाही वृतान्त मे शामिल करने की अनुमति नही दे सकता हूं । यद्यपि उन्होंने समाचार पत्र से उद्धृत किया है तो भी उन्हें अनुमति लेनी होगी । वह इसे मात्र पढ़ नहीं सकते । यह मेरा विनिर्णय है ।

एक माननीय सदस्य : वह केवल कोई प्रश्न पूछ रहे हैं । (**व्यवधान**)

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

एक माननीय सदस्य : किस नियम के अधीन ?

श्री पी० चिदम्बरम : उसी नियम के अधीन जिसके अधीन प्रो० दंडवते बोले थे ।

सरदार बूटा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के और इससे पहले के समाचार पत्रों में भी विभिन्न अवसरों पर सम्मान सिंह नाम का व्यक्ति, जो शायद हरियाणा का गृह मन्त्री है, लगातार आरोप लगा रहा है ।

श्री नारायण चौबे : कोई एक व्यक्ति ?

सरदार बूटा सिंह : हां, वह एक व्यक्ति है । क्या वह नहीं है ?

श्री पी० चिदम्बरम : वह एक बहुत अच्छा व्यक्ति है । यह केवल प्रशंसात्मक अभिव्यक्ति है ।···(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : और आज के समाचार पत्रों में लिखा है कि उन्होंने समाचार पत्रों को कुछ पत्र जारी किए हैं और इसमें व्यक्तिगत रूप से मेरे विरुद्ध कुछ आरोप हैं । माननीय सदस्य उस पत्र को पढ़ रहे हैं । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है यदि इसे अध्यक्षपीठ की अनुमति से पढ़ा जाता है और विपक्षी माननीय सदस्य इस बात के इच्छुक हैं कि यह पत्र पढ़ा जाए । लेकिन इस सभा का सदस्य होने के नाते मेरा केवल एक अनुरोध है । मुझे यह कहने का पूर्ण अधिकार है कि यदि मेरे विरुद्ध आरोप लगाए जाते हैं तो उन्हें प्रमाणित किया जाना चाहिए जिससे··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आरोप कहां है ?···(व्यवधान) । वह केवल वही कह रहे हैं जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है ।

सरदार बूटा सिंह : बहुत ही गम्भीर आरोप हैं···

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं, उन्होंने आरोप नहीं लगाए हैं ।···(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : श्री खुर्शीद अहमद द्वारा मेरी देशभक्ति पर संदेह करने वाले बहुत गम्भीर आरोप लगाए जा रहे हैं ।

चौधरी खुर्शीद अहमद : मैं आपकी देश भक्ति पर संदेह नहीं कर रहा हूं ।···(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : मुझे यह कहने का पूर्ण अधिकार है कि यह पत्र माननीय सदस्य द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए अथवा इसे सभा से बाहर फेंक देना चाहिए और उन्हें पढ़ने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

श्री पी० चिदम्बरम : हम इस पर विनिर्णय चाहते हैं ।···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे एक बार पुनः दोहराना चाहते हैं तो मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । आपको प्रक्रिया का अवश्य पालन करना चाहिए और इसके बाद मैं इसकी अनुमति दूंगा, अभी नहीं । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । समाचार पत्र में जो प्रकाशित हुआ है मैं आपको उसे पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य ने मन्त्री महोदय की देशभक्ति को चुनौती नहीं दी है । ···(व्यवधान)

6.00 म० प०

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने आपकी देशभक्ति को चुनौती नहीं दी है; उन्होंने आपकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया है···(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : महोदय, वह व्यक्ति श्री सम्पत सिंह है, जिसने यह किया है··· (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा विचार है कि आपने जो नियम अभी पढ़ा है, जिसे पहले नियम 353 के अन्तर्गत दिया गया था, वह इस अभिलेख का ही अंश है। आप किसी समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पर तब तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि आपको प्रकाशित समाचार की सत्यता के बारे में सन्तुष्टि नहीं हो जाती है और यदि उसमें किसी सदस्य या किसी मंत्री पर कोई आरोप या लांछन लगाया गया है तो उसके बारे आपको अनुमति लेनी चाहिए। मेरा पूर्वानुमान यह है कि वह वही करने वाले थे। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उनसे ही पूछिये। वह जो कुछ भी कह रहे हैं, क्या वह उसका उत्तर-दायित्व लेने को तैयार हैं ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री चिदम्बरम, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं उस बात को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। जिस बात का विरोध किया गया है, उसे मैं कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर कोई तर्क न दें। आप आगे बोलिये।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ है, तो भी मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं क्योंकि यह एक आरोप है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा की अनुमति चाहता हूं। इस समय 6.00 बज चुके हैं। क्योंकि यह एक स्थगन प्रस्ताव है, इसलिए हम इसे अगले दिन के लिए नहीं टाल सकते हैं। हमें इसे समाप्त करना होगा। हम सभा का अन्य कार्य शुरू नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सभा का समय एक घंटा बढ़ायेंगे और देखेंगे कि कार्यवाही किस प्रकार चलती है। मेरे विचार से सभा को यह स्वीकार्य होगा। कृपया कार्यवाही चलने दीजिए और यथासंभव शीघ्र इसे समाप्त कीजिए।

चौधरी खुर्शीद अहमद : महोदय, पंजाब के सम्पूर्ण दृश्य को ध्यान में रखते हुए, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जहां तक पंजाब के लोगों का सम्बन्ध है उनकी जोखिम उठाने की भावना की प्रशंसा की जानी चाहिए। किन्तु जहां तक सरकार की मदद का प्रश्न है, वह पूर्णतः असफल रही है। वह अभी तक आतंकवादी गतिविधियों पर नियन्त्रण नहीं पा सकी है और यदि उन्हें यह भी नहीं पता कि वह क्या करना चाहते हैं तो वह किस प्रकार इसे रोक सकते हैं और उनके पास कोई समाधान नहीं है तो वे हमसे सुझाव क्यों नहीं मांगते। अब तक उन्होंने अपना कोई सुझाव नहीं दिया है। इसलिए हमें उनके इरादे के बारे में संदेह है कि भविष्य में शायद ही इस स्थिति से निपट सकें।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विषय हमारे विपक्ष की तरफ से रखा गया है मैं उसका विरोध इसलिए करना चाहता हूं कि यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक स्तर पर कई बार उठाया गया है। मैं यह भी कहना चाहता हू विपक्ष ने इसे केवल राजनीतिक

मुद्दा बना रखा है, जबकि यह राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। कांग्रेस की ओर से हमारे जो साथी बोले उन्होंने बहुत-सी चीजों पर प्रकाश डाला है। मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। क्योंकि इस मुद्दे पर पहले भी कई बार मैं बोल चुका हू। मुझे सबसे बड़ी बात तो यह कहनी है कि विपक्ष ने आज तक कभी भी हमारे प्रधान मंत्री के सामने कभी स्पष्ट राय नहीं दी, उन्होंने कभी ऐसा कोई सुझाव नही दिया कि पंजाब समस्या को कैसे आसानी से हल किया जा सकता है। दूसरी बात आनन्दपुर साहब प्रस्ताव की है, जिस पर अभी हमारे आदरणीय मित्र ढिल्लों साहब ने बड़े विस्तार में प्रकाश डाला। अभी तक हमारे सामने आनन्दपुर साहब प्रस्ताव के बारे में कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं आयी है।

तीसरी बात, हमारे अपोजीशन के मित्र बार-बार कहते हैं कि कांग्रेस सरकार द्वारा राजीव-लौंगोवाल एकॉर्ड का पालन नहीं किया जा रहा है. मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दूसरा कोई झूठ हो ही नहीं सकता। मैं जानना चाहता हू कि जब स्वर्गीय इन्दिरा जी के समय में एक बार यह तय हो चुका था कि अबोहर और फाजिल्का हरियाणा को मिलेगा तब चण्डीगढ़ पंजाब को दिया जायेगा तो उसके बाद किसने ऐसी मांग की कि हमें चण्डीगढ़ भी मिलना चाहिए और हम अबोहर और फाजिल्का भी नहीं देंगे। मैं हमेशा से इस बात का विरोधी रहा हूं कि राजनीति के क्षेत्र में कोई भी साम्प्रदायिक पार्टी, कोई भी धर्म विशेष की बात करने वाला व्यक्ति, धार्मिक आचरण करने वाला व्यक्ति, या धार्मिक पार्टियां, देश के मुद्दों पर भाग लें। मैंने सदैव कहा है कि जिनका मुख्य लक्ष्य धार्मिक प्रचार रहा है, ऐसे लोगों पर, ऐसी पार्टियों पर बैन लगाया जाना चाहिए और उन लोगों को राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यदि वे केवल धार्मिक आचरण करते हैं, धार्मिक मांग करते हैं तो करें लेकिन उन्हें राष्ट्रीय मुद्दों पर किसी तरह का महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, पंजाब के मसले को, पिछले कई वर्षों से उन्हीं धर्मान्ध लोगों के हाथों में सौंपा जाता रहा है, जिन्हें या तो अपोजीशन के लोग शह देते हैं या कभी कबार हमारी सरकार की ओर से संरक्षण मिल जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि जब बरनाला सरकार की बर्खास्तगी का सवाल उठता है तो लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि जब बरनाला सरकार के कुछ मंत्रियों ने आतंकवादियों को अपने बंगलों में संरक्षण देना, उन्हें छिपाना शुरू कर दिया था, विभिन्न काम करने के बाद उन्हें जब संरक्षण मिलने लगा, तभी बरनाला सरकार को बर्खास्त किया गया था, क्या इसमें कोई संदेह है। आज इसका कोई उत्तर नहीं आता कि बरनाला सरकार की बर्खास्तगी के पीछे कौन-सा मुख्य कारण था। इसमें कोई शक नहीं कि बरनाला सरकार बनी ही केन्द्रीय सरकार की रजामंदी से थी, जब उन्हें पंजाब की असेम्बली में बहुमत मिला तो उनका सांवैधानिक अधिकार बनता था कि वहां उनकी सरकार बने। जहां तक बलिदानों का सवाल है, कांग्रेस के लोगों ने भी बलिदान दिया है, कम्युनिस्ट लोगों ने भी बलिदान दिया है, भा० ज० पा० के लोगों ने भी बलिदान दिया है, पंजाब में पुलिस अधिकारियों के भी बलिदान हुए हैं और मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि आतंकवादियों ने हिन्दू और सिख दोनों को मारा है, केवल हिन्दुओं को या केवल सिखों को ही नहीं मारा है, इसलिए आप इसे हिन्दू-सिखों की समस्या के रूप में मत आंकिए। यहां ढिल्लों साहब ने जो कुछ कहा, बैंकों की डकैतियां, रास्ते चलते हुए लोगों का मर्डर, निर्दोष लोगों की हत्या, ये सारी चीजें किस बात की द्योतक हैं। जिस बात की तारीफ होनी चाहिए, उसकी सब को तारीफ करनी चाहिए। यदि हिन्दू और सिखों की एकता पंजाब में न होती, यदि हिन्दू और सिखों में बुनियादी तौर पर किसी तरह का मतभेद होता तो आज वहां इतना उत्पादन न हुआ होता, इतना कृषि उत्पादन न हुआ होता, इतना विकास न हुआ होता और आज वहां जिस तरह

से लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, वे न रह पाते। इसलिए वहां हिन्दू और सिखों के बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है।

पंजाब का मसला हिन्दू और सिखों का मसला नहीं है। पूरे पंजाब की जनता को आज बधाई दी जानी चाहिए कि देश के विकास में, कृषि उत्पादन में, देश की एकता और अखण्डता के लिए एकजुट होकर, उसने प्रत्येक कदम उठाया है। उसमें चन्द लोगों ने जो गड़बड़ियां की हैं, कहां से हथियार आते हैं. कहां से लोग आ जाते हैं, इस विषय पर मैं पहले भी कह चुका हूं। आज फिर अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में और सख्ती अपनाई जानी चाहिए। यह बिल्कुल ठीक बात है कि पहले आतंकवादी लोग ज्यादा लोगों को मारते थे परन्तु सरकार की सख्ती के कारण अब पंजाब में आतंकवादी कार्यवाहियां चल तो रही हैं लेकिन उतनी तेजी के साथ नहीं चल रहीं, न उतने मर्डर वहां हो रहे हैं, बल्कि उल्टी बात यह है कि पहले आतंकवादी मारे नहीं जा पाते थे, पकड़े नहीं जा पाते थे, आज आतंकवादी न केवल मारे जा रहे हैं बल्कि बड़ी संख्या में पकड़े भी जा रहे हैं। रोजाना हमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि आज पंजाब में इतने आतंकवादी मारे गये। अत: पंजाब की समस्या हिन्दू और सिखों की नहीं है। आनन्दपुर साहब प्रस्ताव क्या है, आज देश में जितने राजनैतिक दल हैं, उन सबसे स्पष्ट पूछा जाना चाहिए कि उनका मत इस बारे में क्या है। उनकी राय सारे देश की जनता के सामने लाया की जानी चाहिए और फिर देश की जनता की राय लेनी चाहिए। सभी राजनैतिक दलों से स्पष्ट पूछा जाना चाहिए कि पंजाब की समस्या को किस तरह से सफलतापूर्वक हल किया जा सकता है। क्या यह कहने की जरूरत है। राम जेठमलानी और प्राणनाथ लेखी जैसे लोगों ने, इंदिरा जी के हत्यारों को बचाने की कोशिश की। जो आतंकवाद में शामिल थे, उनके लिए काम किया। आज भा० ज० पा० बहुत हल्ला मचाती है, लेकिन मैं जब पूछता हूं, तो कोई जवाब नहीं देता। जेठमलानी तो आपके ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे प्राणनाथ लेखी, आपके दिल्ली के ही उपाध्यक्ष थे। आखिरकार इन लोगों ने कैसा काम किया। इन लोगों की भर्त्सना किसने की, किसी ने कहीं की, क्यों नहीं की? भा० ज० पा० अपने आदमियों की निन्दा करेगी, न लोक दल अपने लोगों की निन्दा करेगा और न अन्य पार्टियां अपने लोगों की निन्दा करेंगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जनता दल के नेता भी गए और यह कहकर आए कि यहां पर कोई हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन क्या हुआ, अस्त्रों का जखीरा मिला उन्हीं जगहों पर जहां वे सर्टिफिकेट देकर आए थे कि इस तरह का वहां कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? राष्ट्र का मुद्दा केवल वोट के लिए बेच दोगे? हमारा राजनीतिक चरित्र कैसा होता चला जा रहा है। हम आज राष्ट्र के पक्ष की बात केवल राजनीतिक द्वंद्व में उलझा देते हैं। कोई अच्छी बात कांग्रेसी ने कही, तो अपोजीशन वाले उसका विरोध करेंगे चाहे वह बात ठीक हो। इसी प्रकार से यदि कांग्रेस के किसी सदस्य ने ठीक बात कही, तो अपोजीशन वाले उसका विरोध करेंगे। क्यों ऐसी स्थिति होती है? स्थिति यह होनी चाहिए कि पंजाब में जो कुछ भी अनुचित हो रहा है उसका मुकाबला आज हिन्दुस्तान का एक-एक आदमी मिलकर करेगा। अगर हम मिलकर नहीं करेंगे, तो देश पतन के गर्त में चला जाएगा। राष्ट्र की इच्छा, राष्ट्र की स्वतन्त्रता, राष्ट्र की अखण्डता, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र की एकता, ये किसी एक क्षेत्र का काम नहीं है। यह सम्पूर्ण देश के सांवैधानिक ढांचे का प्रश्न है और सांवैधानिक स्तर पर जो भी मांग हों, उन पर तो विचार होना चाहिए, संविधान, सैकुलेरिटी, राष्ट्रीय एकता और अखण्डता, इसका विकास और इसकी सुरक्षा, इसकी कीमत पर किसी भी राजनीतिक दल को,

किसी भी राजनीतिक नेता को, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मोशन विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चरनजीत सिंह वालिया ;

प्रो० मधु दण्डवते : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा। कुमारी ममता बनर्जी सहित अनेक सदस्यों ने कहा था कि नियम 193 के अधीन रिपोर्ट सभा पटल पर रखे जाने के बाद इस पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कहता हूं। मैंने उनसे लिखित रूप में देने को कहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : रिपोर्ट बहुत ही संवेदनशील है। इसलिए हम चाहते हैं इस पर चर्चा की जाए ···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पुनः इस बात पर चर्चा नहीं कराना चाहता। आप जो भी मामला उठाना चाहते हैं, कल उठायें।

प्रो० मधु दण्डवते : आपका विनिर्णय क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे इसे लिखित रूप में देने को कहा था। बस मैं इस विषय में यही कह सकता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह हम दे चुके हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : आपको रिपोर्ट पढ़नी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उसे पढ़ चुका हूं। उसमें बोफोर्स के बारे में 11 और 1? पैराग्राफ हैं। मैं पढ़ चुका हूं। उसमें रेखांकित भी हैं···(व्यवधान) वह आपकी कब्र खोद देगी।

श्री चरनजीत सिंह वालिया (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अनेक माननीय सदस्य और मेरे मित्र कह चुके हैं, आठवीं लोक सभा के आरम्भ से ही, मेरे विचार से शायद ही कोई ऐसा सत्र हो, जिसमें पंजाब समस्या के बारे में चर्चा न की गई हो। किन्तु अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है और न ही कोई समाधान नजर आता है।

[हिन्दी]

"मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की"

[अनुवाद]

मेरे विचार से सरकार पंजाब की वास्तविक समस्या का विश्लेषण नहीं कर पायी है। जब तक व्याधि और रोग का पता नहीं चल पाता है तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। मेरा विचार है कि सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कभी भी कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया गया है क्योंकि उनकी मान्यता है कि इस समस्या को जितना लटकाया जायेगा, जितनी ही निर्णय लेने में देरी की जायेगी, उन्हें उतना ही राजनैतिक लाभ होगा। वह भविष्य में भी इस समस्या का लाभ उठाना चाहते हैं जैसा कि वह पहले भी लाभ उठाते रहे हैं चाहे वह

समस्या आतंकवाद के नाम से हो अथवा देश की एकता और अखंडता के नाम से हो या आनन्दपुर साहेब के नाम से हो। पहले भी हम इसके बारे में सुनते रहे और पढ़ते रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने आनन्दपुर साहब प्रस्ताव को मुस्लिम लीग प्रस्ताव के समतुल्य माना है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यदि ऐसी बात थी तो उन्होंने इसे सरकारिया आयोग को क्यों नहीं सौंपा ? यदि ऐसी बात थी तो इसे राजीव-लौंगोवाल समझौते में क्यों शामिल किया गया ? यदि वह एक अलगाववादी दस्तावेज था, यदि वह मुस्लिम लीग जैसा प्रस्ताव था, तो उन्हें उसे एकदम रद्द कर देना चाहिए था। उन्हें इस पर उस समय कोई ध्यान ही नहीं देना चाहिए था या तो वह उस समय गलती पर थे या वह इस समय गलती पर हैं। मैं सरकार से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जब राजीव-लौंगोवाल समझौते पर हस्ताक्षर किये थे तब क्या उन्हें आनन्दपुर साहेब प्रस्ताव के बारे में पता नहीं था और उन्होंने इस प्रस्ताव को सरकारिया आयोग के पास भेजा था अथवा वह इस देश के लोगों की भावनाओं को उभारने के लिये वस्तुस्थिति को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। सरकार ने अनेक बार यह दावा किया है कि स्थिति सुधर रही है और स्थिति सुधर गई है। सत्तारूढ़ पक्ष में हमारे मित्रों ने यहां तक कहा है कि गिरफ्तारियों और हत्याओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही है। जिस समय बरनाला के नेतृत्व वाली लोकप्रिय अकाली सरकार बर्खास्त की गई थी, तब वहां केवल थोड़े से ही आतंकवादी थे। उनकी संख्या 100 या 200 से अधिक नहीं थी।

कुछ दिनों पहले मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि अब तक 12,000 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं और उनमें से इस समय लगभग 7,000 व्यक्ति जेल में हैं। यह रिपोर्ट सरकारी स्रोत पर आधारित थी। वर्ष 1988 में ही लगभग एक हजार व्यक्ति पहले ही मारे जा चुके हैं और 4000 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके थे। क्या इसी को स्थिति में सुधार होना माना जा सकता है ? मेरे मित्र, श्री भाटिया यह कह रहे थे कि पंजाब में खालिस्तान का एक भी शब्द नहीं सुनाई पड़ता है। किन्तु सरकार के माध्यम से हम इसके बारे में सुनते रहते हैं। हम सदा यह सुनते रहते हैं कि वहां खतरनाक आतंकवादी हैं और जो भी मारा जाता है वह खतरनाक आतंकवादी है और जो भी गिरफ्तार किया जाता है वह या तो आतंकवादी होता है अथवा उग्रवादी। क्या हम यह मान लें कि जो गिरफ्तार किया जाता है वह आतंकवादी है ? क्या सरकार हर सिख को आतंकवादी अथवा गिरफ्तार किये जाने वाले हर व्यक्ति को आतंकवादी बनाना चाहती है ? अतः सरकारी माध्यम, चाहे वह दूरदर्शन हो अथवा रेडियो द्वारा हर व्यक्ति का चित्रण एक आतंकवादी अथवा एक उग्रवादी के रूप में किया जाता है। सरकार ने सभा के अन्दर और बाहर अनेक बार दावा किया है कि वह समस्या को सुलझाने के लिए राजनीतिक प्रयास कर रही है और पहले भी राजनीतिक प्रयास कर चुकी है। उन्होंने राजनीतिक प्रयास किए और राजीव-लौंगवाल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने समझौते को लागू किया है ? अब यह समझौता कूड़ेदान में डाल दिया गया है। अगर उन्होंने इसे लागू किया होता, स्थिति में निश्चय ही सुधार हुआ होता। इसके लिए हमारे सन्त हरचरण सिंह लौंगोवाल ने अपने प्राणों की बलि दी। लेकिन उस समझौते को कभी भी लागू नहीं किया गया।

हाल ही में हमें बताया गया है कि सरकार ने कुछ राजनीतिक कदम उठाए हैं और उसने जोधपुर में बंदियों को छोड़ दिया है। जोधपुर में बंदी बनाये गये 35 वरिष्ठ व्यक्तियों को वहां से हटाकर पंजाब की जेलों में भेजा गया है और अभी भी वहां हैं। सरकार एक ही सांस में

विपरीत बातें कर रही है। जोधपुर जेल से बन्दियों को रिहा करने के पश्चात सरकार ने श्री सिमरनजीत मान और अन्य लोगों के खिलाफ एक बड़ी साजिश का मुकदमा चलाया है। इस प्रकार आप इसका हल कैसे निकाल सकते हैं ? यह कोई कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक मुख्य तथा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक समस्या है।

इस देश के बाहर से भी प्रयास किए जा रहे होंगे। यह मात्र आप्रेशन ब्लू स्टार की एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया ही है। अक्तूबर-नवम्बर, 1984 के दंगों में मारे गए हजारों लोगों की हत्याओं की यह मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। कुछ भी नहीं किया गया। देश के सभी भागों में रह रहे 5,000 से 7 800 बेगुनाह सिखों को किसने मारा था। सिखों के गुरुद्वारों पर हमले किए गए। यह इस बर्बरता और पंजाब में राज्य द्वारा की जा रही आतंकवादियों की ही प्रतिक्रिया है। जिम्मेदार लोगों से हमने कई बार सुना है कि आगामी आम चुनावों से पूर्व इस समस्या का हल नहीं निकाला जाएगा। ऐसा क्यों है ? सरकार ऐसा क्यों चाहती है कि चुनावों से पूर्व इसका हल न निकाला जाए ? यह आम मान्यता है कि सरकार इस बारे की आम चुनावों में सिख और पंजाब समस्या को चुनावी मुद्दा बनाएगी। वे ऐसा क्यों कहते हैं कि चुनावों से पूर्व कोई हल नहीं निकाला जा सकता ?

सरकार को अवश्य ही राजनीतिक कदम उठाने चाहिए। हर इस सदन में और सदन के बाहर भी सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि वह संसदीय चुनावों, राज्य विधान सभा के चुनावों से पूर्व ही पंजाब में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कदम उठाएं। उन्हें पंजाब के लोगों की मनोदशा और विचारों को जानना चाहिए। उन्हें उन निकायों के लिए चुनावों कराने चाहिए जिनके चुनाव काफी पहले हो जाने चाहिए थे। हम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, पंजाब में पंचायतों स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराने की मांग करते रहे हैं और सरकार ने कई बार इसकी घोषणा की। प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि पंजाब में पंचायतों के चुनाव कराये जायेंगे। लेकिन सरकार इस घोषणा से पीछे हट रही है, यह पंजाब में सामान्य स्थिति पैदा नहीं करना चाहती है। यह पंजाब में लोकतांत्रिक प्रक्रिया आरम्भ नहीं करना चाहती है, क्योंकि यह केन्द्र के राज्यपाल की मदद से शासन करना चाहती है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : किसलिए ?

श्री चरनजीत सिंह वालिया : आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। सरकार ने हमेशा कहा है कि देश की अखंडता और एकता किसी भी मूल्य पर कायम रहनी चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि देश की अखण्डता और एकता को कौन चुनौती दे रहा है ? क्या किसी भी जिम्मेदार नेता—अकाली नेता ने कभी भी ऐसा कहा है कि हम देश की अखण्डता और एकता को चुनौती देते हैं ? वे यह बात पंजाब के लोगों के मुंह से ही क्यों निकलवाना चाहते हैं ? क्या सरकार की यही मंशा है ? इस बहाने से वे जिम्मेदार नेताओं को जेलों में बंद किए हुए हैं। अकाली दल के नेता सिमरनजीत सिंह मान ने दिल्ली में न्यायालय में कहा है कि "सरकारी दमन मुझे आतंकवादी नहीं बना सकता; पांच वर्ष पश्चात् भी, मैं भारत की प्रत्येक चीज का आदर करूंगा।" अत: वे उन्हें जेल में क्यों रखना चाहते हैं ? मध्यमार्गी अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल को भी जेल में बन्द किया हुआ है। मनजीत सिंह, हरमिंदर सिंह आदि सभी जिम्मेदार नेता जेलों में बन्द हैं। आप शक्ति के बल पर समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। हमने ऐसा अनेक बार सुना है। अब भी हमने सदन में सुना है। क्या सरकार गोली के बदले गोली की नीति में

विश्वास रखती है ? कोई भी सभ्य सरकार, इस बारे में हां नहीं कहेगी। कानून के आधार पर आपको इस देश पर शासन करना चाहिए। न्यायालयों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। यहां लोगों को परेशान किया जा रहा है। बेगुनाह लोगों को थाने बुलवाया जाता है। महिलाओं तक को तंग किया जाता है। ऐसे में हम इस समस्या का समाधान कैसे निकल सकते हैं ? क्या पंजाब में शांति स्थापित होगी ? शांति राजनीतिक कदमों से आ सकती है, सिमरनजीत सिंह मान, प्रकाश सिंह बादल, मनजीत सिंह, हरमिंदर सिंह संधू आदि जैसे नेताओं को रिहा करके आ सकती है। इसके लिए बातचीत की जा सकती है। हम पंजाब की स्थिति पर विचार-विमर्श कर रहे हैं और हमें जानना चाहिए कि पंजाब के लोग क्या चाहते हैं···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आप अपना भाषण जल्दी समाप्त करना चाहते थे और आपने मुझे कुछ और समय देने के लिए भी कहा था। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने 20 मिनट की अनुमति दी है। अगर वे और समय चाहते है, तो मैं नहीं दे सकता हूं। अन्य सदस्यों ने भी इस बारे में बोलना है।

श्री चरनजीत सिंह वालिया : मेरा पक्का विश्वास है कि पंजाब के बारे मे सरकार की कोई पक्की नीति नहीं है। सरकार स्वयं भी संभ्रमित है।

यहां यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि हमने मंत्रिमंडल उपसमिति का बहिष्कार क्यों किया। यदि सरकार दस वर्ष की अवधि में भी पंजाब समस्या को नहीं समझ सकती, अगर वह नहीं समझ पाई कि मुख्य मुद्दे क्या हैं, तो मेरा विचार है कि ऐसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को अपनी विफलता को स्वीकार करना चाहिए। देशवासियों के सामने इसे अपनी विफलता स्वीकार करनी चाहिए। इसे केवल समय चाहिए यह लोगों को धोखा देना चाहती है और लोगों से प्रसंशा प्राप्त करने के साधन प्रयुक्त करना चाहती है। हमसे वे ऐसा क्यों पूछते हैं ? अनेक बार मंत्रिमंडल उपसमितियां बनाई गई है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री के समय में भी एक या दो उपसमितियां बनाई गई थी। अब हमें शक है कि क्या सरकार इस समस्या का समाधान करना चाहती है। यह केवल समय व्यतीत करना चाहती है, इसीलिए ये उपसमितियां बनाई गई हैं। मैं समझता हू कि सरकार को ठोस राजनीतिक कदम उठाने चाहिए। उसे सभी गिरफ्तार किए व्यक्तियों को छोड़ देना चाहिए और वर्ष 1984 के दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा देनी चाहिए। इसे लोगों को दबाने और झूठी मुठभेड़ों की नीति को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि समझाने बुझाने और प्यार से ही, न कि शक्ति से, पंजाब समस्या का सर्वमान्य समाधान निकाला जा सकता है और वहां सामान्य स्थिति पैदा की जा सकती है।

इन शब्दों के साथ, मैं सभा में प्रस्तुत किए गए स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस में थोड़ा हस्तक्षेप करके उन विषयों के बारे में बताना चाहता हूं, जिनकी बहस के दौरान चर्चा की गई है।

महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस सभा में पंजाब की स्थिति पर कई बार चर्चा होने के बावजूद विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य पंजाब समस्या के आयाम को अभी तक नहीं समझ

पाए हैं। वे बार-बार वही तर्क देते हैं। वे या तो अपने तर्कों को दोहराते-दोहराते थकते नहीं हैं। अथवा शायद निकट भविष्य में उनका लोक सभा से निवृत्त हो जाना उन्हें बार-बार घिसे-पिटे तर्क देने को प्रेरित कर रहा है। विपक्ष की ओर से एक भी नई बात नहीं कही गई है अथवा कोई भी नया सुझाव नहीं दिया गया है।

बहस के इस स्तर पर मैं सभी प्रश्नों पर चर्चा नहीं कर सकता। माननीय गृह मंत्री जी बहस का जवाब देंगे। लेकिन हमें पंजाब समस्या के आयामों को समझना चाहिए। प्रथमत: पंजाब में महत्वपूर्ण राजनैतिक ताकत काम कर रही है, यद्यपि यह विभाजित है जिसमें उग्रवादियों के उग्र अभियान को कतिपय वैधता और कतिपय राजनैतिक सम्मान मिलता है। यह वह राजनैतिक ताकत है जो पंजाब में एक ऐसा वातावरण बनाए हुए है जिसमें आतंकवादियों और उग्रवादियों के मंसूबे सफल होते जा रहे हैं। दूसरी ओर मैंने इस सभा में कई बार चर्चा की है कि सीमापार कुछ ऐसे तत्व हैं जो पंजाब में उग्रवादियों और आतंकवादियों को सहायता दे रहे हैं लेकिन हमें उम्मीद है कि परिस्थितियां बदलेंगी। यह दुख की बात है कि परिस्थितियां उतनी जल्दी नहीं बदलीं जितनी जल्दी हम चाहते थे और जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने कल ही स्पष्ट किया है इस विकट स्थिति की समझ का दायरा बढ़ा है और यह बढ़ता जाएगा। ये दो शक्तियां हैं—पहली आन्तरिक राजनीतिक जो उग्रवादियों को वैध ठहरा रही है, उग्रवादियों के अभियान को वैध ठहरा रही है और दूसरी विदेशी शक्ति शायद अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति जो आतंकवादियों को शस्त्र, धन और समर्थन दे रही है जिससे पंजाब में अत्यन्त दारुण स्थिति बन गई है। कोई भी पंजाब की गम्भीर स्थिति को कम महत्व नहीं दे रहा है अथवा उसका वास्तविकता से कम आकलन नहीं कर रहा है। वास्तव में अभी केवल दस दिन पहले मैंने परामर्शदात्री समिति में माननीय सदस्यों को बताया था कि हम स्थिति की गम्भीरता को कम महत्व नहीं दे रहे हैं। वास्तव में स्थिति बहुत गम्भीर है। इसमें हमें यदि कोई सफलता मिलती है तो हमें बिल्कुल सन्तुष्ट अथवा प्रसन्न नहीं होना चाहिए और यदि हमें थोड़ा आघात पहुंचता है तो हमें हताश नहीं होना चाहिए। मोगा काण्ड से हमें आघात लगा। हमने उनका शोक मनाया है जिनकी मोगा काण्ड में हत्या कर दी गई। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मोगा काण्ड के बाद सब कुछ ठीकठाक चलेगा। हम ऐसा नहीं कहते। मोगा काण्ड बहुत बड़ा आघात था। लेकिन मोगा काण्ड पर दृष्टि डालते हुए हम यह भूल जाते हैं कि मोगा काण्ड होने के बावजूद आतंकवाद पर नियन्त्रण रखने में जून का महीना पिछले बारह महीनों में सबसे अच्छा रहा। यदि मोगा काण्ड न हुआ होता तो आतंकवाद पर नियन्त्रण रखने में जून का महीना मई, 1987 से अब तक सबसे अच्छा महीना होता। मई, 1987 में 72 लोग मारे गए थे और यदि मोगा काण्ड न हुआ होता तो जून तक केवल 69 निर्दोष लोगों की हत्या हुई होती। मेरे लिए तो 469 लोगों की हत्या भी दुखद घटना है, मेरे लिए 72 लोगों की हत्या भी एक दुखद घटना है। जब तक पंजाब में एक भी निर्दोष व्यक्ति मारा जाएगा, तब तक हम अपना मस्तिष्क ऊंचा नहीं कर सकते और ऐसा नहीं कह सकते कि पंजाब में कानून और व्यवस्था कायम है। ऐसा स्वीकार करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। लेकिन मोगा काण्ड के होने के बावजूद जून वह महीना रहा जिसमें आतंकवाद और आतंकवादियों पर काफी नियन्त्रण रखा गया। इसलिए हमारी आलोचना करने से पहले पंजाब समस्या के आयामों को समझना चाहिए।

6.36 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव की चर्चा करना चाहता हूं। मैं इस विषय पर पहले भी चर्चा करना चाहता था लेकिन किसी न किसी प्रकार बहस के दौरान इस ज्वलन्त मुद्दे को पीछे छोड़ दिया गया और बहस में अन्य मुद्दे हावी रहे। आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव क्या है जिसे सरकारिया आयोग को सौंपा गया है। सरकार ने इसे जानबूझकर नहीं सौंपा। समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में एक ओर प्रधानमन्त्री राजीव गांधी थे तो दूसरी ओर संत लोंगोवाल थे। सरकारिया आयोग को आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव पर यही कुछ कहना है। मैं समझता हूं कि हमेशा-हमेशा के लिए हमें इसे दफन कर देना चाहिए। रिपोर्ट के पैरा 2.4.04 में कहा गया है :

'आमुख के विवरण के अनुसार भारत विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों की एक संघीय और गणतान्त्रिक भौगोलिक सत्ता है, एक क्षेत्रीय पार्टी···"

उन्होंने इसका नाम नहीं लिया है, हम जानते हैं कि वह क्षेत्रीय पार्टी कौन-सी है।······ने अपनी 'समूची सभा' से पारित कराकर हमें एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें अन्य बातों के साथ यह अनुरोध किया गया है कि 'धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के मूलभूत अधिकारों' की रक्षा करने तथा लोकतान्त्रिक आधारों की मांगों को पूरा करने और आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के साथ-साथ यह आवश्यक हो गया है कि उपर्युक्त सिद्धांतों और उद्देश्यों के आधार पर केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों को पुनर्भाषित करके भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को एक वास्तविक संघीय रूप दिया जाए। इसमें उल्लेख किया गया है कि 'कार्य समिति' के इस प्रस्ताव के पहले के प्रारूप में निस्सन्देह मांग की गई थी कि केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप केवल रक्षा, विदेश सम्बन्ध, मुद्रा और सामान्य संचार तक ही सीमित रहना चाहिए और अन्य सभी सरकारी अधिकार (अवशिष्ट अधिकारों सहित) राज्यों को दिए जाने चाहिए। आगे, उपर्युक्त विषयों पर केन्द्रीय सरकार के खर्च में योगदान करेंगे। लेकिन इसकी समूची सभा के अन्तिम प्रस्ताव में इसमें पर्याप्त संशोधन कर दिया था, जिसे पारित किया गया था और तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया गया था।

उसी समय ऐसा प्रस्ताव किया गया कि विषयों का पुनर्वितरण न केवल 'केन्द्रीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची'—त्रिपक्षीय आधार पर हो बल्कि 'समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों' के बारे में कार्यकारी अधिकार राज्यों को दिए जाएं चाहे उक्त विषयों पर कानून केन्द्र द्वारा बनाया जाना हो अथवा राज्य द्वारा। ऐसा प्रस्तुत किया गया कि 'केन्द्रीय करों/शुल्कों का राज्यों के कराधान क्षेत्र से सीमांकन किया जाए।' आगे ऐसा सुझाव दिया गया कि वित्त आयोग को अपने संवैधानिक दायित्वों को सक्रिय रूप से निभाना चाहिए।

राज्य सरकार ने, जहां यह क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में थी, ऐसा सुझाव दिया है कि विभिन्न प्रविष्टियों को केन्द्रीय सूची से राज्य सूची तथा कुछ समवर्ती सूची में अन्तरित कर दिया जाए। इसने समवर्ती सूची में भारी कटौती की मांग की है। लेकिन इसने समवर्ती सूची का लोप करने या उसको समाप्त करने अथवा केन्द्रीय सूची में उल्लिखित कराधान के शीर्षों के बारे में कोई भारी बदलाव करने का सुझाव नहीं दिया है।

और महोदय इस विषय को सरकारिया आयोग ने किस प्रकार निपटाया है ? पैरा 2.9.12, पृष्ठ 37 में आयोग ने निम्न बात कही है जिसे मैं उद्धृत करता हूं :

"2.9.12 हम पहले पैरा 2.4.04 में उल्लिखित प्रारूप प्रस्ताव की मुख्य मांगों पर विचार करेंगे कि केन्द्र का हस्तक्षेप रक्षा, विदेश सम्बन्ध, मुद्रा और सामान्य संचार तक सीमित कर देना चाहिए, और अन्य सभी अधिकार राज्यों को दे दिए जाने चाहिए। आगे, उपर्युक्त विषयों पर केन्द्र द्वारा किए गए व्यय में राज्य संसद में अपने प्रतिनिधित्व के अनुपात में योगदान देंगे।

2.9.13 मांग को, यथा-स्थिति रूप में बिना जोड़े अथवा घटाए लेने का आशय है कि केवल ये चार विषय केन्द्रीय सूची में रहने चाहिए और कराधान के शीर्षों सहित अन्य सभी विषयों को इस सूची से निकाल कर राज्यों को दिया जाना चाहिए। जैसा कि पैरा 2.9.03 में उल्लेख किया गया है। इन चार विषयों में, यदि इनको अन्तर्निहित और गौण अधिकारों के सिद्धांत पर व्यापक सन्दर्भ में व्याख्या की जाय, कराधान विषयों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ऐसा होने पर हम समझते हैं कि ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत देश एक संगठित राष्ट्र के रूप में नहीं चल पाएगा।"

न्यायमूर्ति सरकारिया ने यह कहा है :

"आज विश्व में कहीं भी ऐसा कोई संघ अथवा महासंघ नहीं है जहां राष्ट्रीय सरकार के संवैधानिक इकाइयों से स्वतन्त्र अपने वित्तीय संसाधन न हों। इसके अतिरिक्त शक्तियों के प्रस्तावित पुनःवितरण के लिए देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने और इसकी स्वतन्त्रता की सुरक्षार्थ परिश्रम से अभिकल्पित'—संविधान के ढांचे और इसकी मूल योजना में—ठोस परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। यह एक आशय है जिसकी हमें अपने विचाराधीन विषयों के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से अवहेलना नहीं कर सकते। संविधान के मूल ढांचे में ऐसे आमूल-चूल परिवर्तन करना अनुच्छेद 356 की परिधि से बाहर हो सकता है।

हम इन कारणों से इस मांग का समर्थन करने में असमर्थ हैं कि केन्द्रीय सरकार का सीमा क्षेत्र केवल चार विषयों तक सीमित होना चाहिए और इसे कराधान की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए और इसे राज्यों के योगदान पर निर्भर करना चाहिए।"

आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव की वकालत एवं समर्थन क्षेत्रीय दल द्वारा किया गया है। मैं, कुछ दिन पहले घटित घटनाओं का हवाला दूंगा। यह वह प्रस्ताव है जिसके बारे में न्यायमूर्ति सरकारिया कहते हैं कि यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो संगठित राष्ट्र के रूप में भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। महोदय, मोगा में उस दिन क्या हुआ ? यह घटना प्रातः 6.30 बजे घटित हुई। चंडीगढ़ में, प्रातः 10.30 बजे, प्रतिष्ठित होने का दावा करने वाले अनेक लोग टैगोर हॉल में मिले थे। और उन्होंने वहां क्या बोला ? मैं प्रत्येक का भाषण नहीं पढ़ूंगा। मैं केवल लेफ्टीनेंट कर्नल प्रताप सिंह गिल का भाषण पढ़ूंगा। लेफ्टीनेंट कर्नल (सेवानिवृत) प्रताप सिंह गिल ने निम्न घोषणा की थी—

"अखिल भारतीय सिख छात्र महासंघ के महासचिव, भाई हरमिन्दर सिंह संधु ने सम्मेलन की सफलता हेतु अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, और श्री धर्मवीर सिंह के सम्मेलन

में बोलने के लिए कहा है। श्री धर्मवीर सिंह ने कहा कि सिखों का समर्थन करने के लिए किसी भी राजनैतिक दल ने आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवी लोग सरकार के भय के कारण देश में सिखों को समर्थन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में दमन अकाली दल के विभिन्न गुटों में एकता न होने के कारण है। अकाली सत्ता के लिए लड़ रहे हैं और राज्य की खातिर बलिदान के लिए कोई भी तैयार नहीं है।"

तत्पश्चात् महोदय, श्री बरखुर सिंह बलबीर, पत्रकार, ने कहा कि यदि सरकार उनके प्रति ईमानदार है, तो उन्हें आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव, पूर्णत: स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री शेर सिंह शेर ने कहा कि हिन्दु और सिखों के बीच झगड़ा पैदा करने के लिए नेहरू परिवार जिम्मेदार है। सरकार सिखों के साथ पक्षपात कर रही है। उन्होंने आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का समर्थन किया और राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने की मांग की। आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव की कसम खाकर मांग करेंगे कि आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का कार्यान्वयन होना चाहिए और कहेंगे, "यह एक राजनेतिक कारण है, यह देश भक्ति का काम है, यह एक उत्तम कार्य है और हम आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव की शपथ लेंगे।" आयोग में बैठे अत्यधिक प्रसिद्ध न्यायविदों द्वारा, आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के बारे में जो कहा गया मैं उसे विनम्रतापूर्वक कहता हूं। उन्होंने कहा कि यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो संगठित देश के रूप में भारत का अस्तित्व खतरे में होगा। अतः हम आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। हम सभी राजनैतिक दलों, सभी देशभक्त दलों से आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का विरोध करने का आव्हान करते हैं। आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के समर्थन के कारण ही आतंकवाद को वैध ठहराया गया है। खालिस्तान की मांग का स्वागत किया गया है। हलीमी राज की नई मांग का स्वागत किया गया और इसे वैध ठहराया गया है। ये शब्द आपने कहां से लिए हैं ? इन शब्दों का क्या अर्थ है ? ये शब्द भारत को बर्बाद कर देंगे, वह भारत जिसे हम जानते हैं, जिसे हमें प्यार करते हैं, उसकी एकता और अखंडता, भारी खतरे में है। यही समस्या पंजाब की है और जब तक आप समस्या समाप्त नहीं करते, जब तक आप अकाली दल के गुटों द्वारा खेले गए खेल को नहीं समझते, जब तक आप आतंकवादियों को अकाली दल द्वारा दिए जा रहे सम्मान और वैधता को नहीं समझते—मैं नहीं कह रहा हूं कि आप आतंकवादी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप आतंकवादी हैं लेकिन आप पंजाब में आतंकवादियों को सम्मान और मान्यता दे रहे हैं—आप इससे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यही पंजाब की समस्या है। हम आतंकवादियों से मुकाबला कर सकते हैं लेकिन हम आतंकवाद का शून्य में मुकाबला नहीं कर सकते। हम कुछ आतंकवादियों को छोड़ सकते हैं, हम कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए हमें लोगों की विचारधारा से अवश्य मुकाबला करना चाहिए, हमें, फैलाए जा रहे विष से अवश्य मुकाबला करना चाहिए। हमें फैलाए जा रहे घातक सिद्धान्तों से अवश्य मुकाबला करना चाहिए। हम कुछ आतंकवादियों को समाप्त करने में सफल हो सकते हैं, हम कुछ आतंवादियों को रोकने अथवा छोड़ने अथवा गिरफ्तार करने में सफल हो सकते हैं लेकिन आतंकवाद से लड़ना एक राष्ट्रीय कर्त्तव्य है और हमें अपनी राजनैतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर अवश्य एकत्रित होना चाहिए, मैं निवेदन करता हूं कि आज पंजाब में यह काम नही हो रहा है और इसीलिए पंजाब में गतिरोध है।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित पंजाब योजना

आतकंवादियों के लिए नहीं है और जिस पंजाब समझौते की प्रधान मन्त्री ने घोषणा की है, वह पंजाब के शान्ति प्रिय लोगों के लिए है। प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित यह पंजाब समझौता सिख समुदाय की ठेस लगी भावनाओं को शान्त करने के लिए है। यदि आप मेरे से पूछें कि पंजाब समझौते का आतकंवादियों पर प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है तो मेरा उत्तर है कि पंजाब पैकेज आतंकवाद को समाप्त करने के इरादे से कभी नहीं बनाया गया था, इसका इरादा पंजाब में विकास की गति बढ़ाना, सिख समुदाय की भावनाओं को शान्त करना, जनता को राहत देना, पंजाब में प्रशासन को सामान्य करने और पुलिस स्टेशनों के कार्यकरण को सामान्य बनाने के लिए था। पंजाब पैकेज का यही इरादा था।

जहां तक आतंकवादियों का सम्बन्ध है। इसका एक ही उत्तर है। हम आखिरी व्यक्ति तक आतंकवादियों से मुकाबला करेंगे। जब तक एक भी आतंकवादी शेष है जो बन्दूक में विश्वास करता है, जो बन्दूक उठाता है और निरपराध लोगों को मारता है जैसा कि मोगा में किया गया था, भारत सरकार और पंजाब सरकार उस आतंकवादी का मुकाबला करने के लिए दृढ़ निश्चयी है और इसमें कोई छूट नहीं होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हमें सुखाभास नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ सफलता मिली है, न ही हमें दुखी होना चाहिए क्योंकि कुछ गतिरोध हैं। विश्व में किसी भी देश ने आतंकवाद से इस प्रकार मुकाबला नहीं किया है जिस प्रकार हम मुकाबला कर रहे हैं, विश्व में किसी भी देश ने आतंकवाद पर तीन या चार वर्षों में विजय प्राप्त नहीं की है। यह एक पुरानी समस्या है—मैंने यह शब्द पहले भी प्रयोग किए हैं—यह एक पुरानी समस्या है और हमें तसल्ली अवश्य रखनी चाहिए, हमें धैर्य अवश्य रखना चाहिए, हमें हिम्मत अवश्य रखनी चाहिए और हमें आतंकवाद के इस खतरे से मुकाबला करने के लिए, जिसका समर्थन देश के अन्दर कुछ गुमराह बुद्धिजीवियों और कुछ विदेशी शक्तियों द्वारा किया गया था, हमें अपने और सिद्धान्त की मजबूती रखनी चाहिए। हम ऐसा करेंगे। भारत सरकार और पंजाब सरकार पंजाब और भारत के लोगों को विफल नहीं होने देगी

श्री चरनजोत सिंह वालिया : क्या आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव सरकारिया आयोग के विचाराधीन विषयों में शामिल किया गया था ?

प्रो० मधु दंडवते : जी हां।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से ही पढ़ रहा हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, हमने अपने मन्त्री महोदय, श्री पी० चिदम्बरम् द्वारा दिए गए अच्छे भाषण को तन्मयता से सुना है······(व्यवधान)। उस पक्ष की ओर से अनेक अच्छे भाषण हुए हैं। मैं कहता हूं कि संपूर्ण विपक्ष, मेरा दल निश्चय ही वामपंथी लोग आतंकवाद की आलोचना करते हैं। हम आतंकवाद की आलोचना करते है हम यह कहते रहे हैं और अभी भी कहते हैं कि पंजाब भारत में था, भारत में है, और भारत में रहेगा और कोई भी ताकत पंजाब को भारत से अलग नहीं कर करती···(व्यवधान)। लेकिन आपने अपने उत्तर में यह कभी नहीं कहा कि पंजाब के लिए आपके सामान्य आदर्शवाद, सामाजिक और नैतिक उपदेशों के अतिरिक्त क्या राजनैतिक समाधान है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सरकारिया आयोग पर भरोसा रखते हुए जिसका वे पालन नहीं करते हैं।

श्री नारायण चौबे : हां। इस समय आम चुनाव नजदीक हैं। कांग्रेस (आई) से मन्त्री महोदय सहित किसी भी वक्ता ने यह नहीं कहा कि पंजाब में भी चुनाव होंगे।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : मन्त्री महोदय सलाहकार समिति में पहले ऐसा कह चुके हैं।

श्री नारायण चौबे : सलाहकार समिति तो संसद नहीं है।

आपको घोषणा करनी चाहिए कि पूरे देश के साथ ही पंजाब में भी चुनाव कराए जाएंगे। हम आपसे यही चाहते हैं। आपने ऐसा नहीं कहा है।

प्रधान मन्त्री ने 3 मई, 1989 को इस सभा में क्या कहा था? राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक सम्बन्धी सुझावों का क्या हुआ है? हमने सुझाव दिया था कि आप सभी को बुलाएं, बार-बार विचार-विमर्श, वार्तालाप वाद-विवाद करें और तब कोई निष्कर्ष निकालें, अगर यह असफल रहता है तो पुनः विचार-विमर्श करें, पुनः वार्तालाप करें। इसके बारे में क्या किया गया? आप इसे भूल गए। माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा इस सभा में दिए गए महत्वपूर्ण वचन को आप भूल गए हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलायी जाएगी। ढाई महीने बीत गए हैं किन्तु कुछ भी नहीं किया गया है। स्वाभाविक रूप से हमें सन्देह होता है और हम कहते हैं कि आपकी कथनी और करने में अन्तर हैं। वहां मुठभेड़ों और हत्याओं में वृद्धि हुई है जिनमें से अनेक हत्याओं की खबरें भी झूठी हैं। यह अब भी एक तथ्य है कि आतंकवादी हत्याओं में वृद्धि करने की स्थिति में हैं, वे अपने चुने हुए लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से भारी धनराशि वसूल कर सकते हैं, दिल्ली और अन्य स्थानों पर बम विस्फोट कर सकते हैं और वस्तुतः समाचार-पत्रों के एक समूह के वितरण को रोक सकते हैं। उन्होंने ऐसा किया है। वर्तमान राज्यपाल के शासन को पंजाब की स्थिति में वास्तविक सुधार लाने से अधिक सत्ताधारी दल के तुच्छ चुनावी हितों की अधिक चिन्ता है। आप्रेशन ब्लैक थन्डर के बाद आशा हुई थी कि सही दिशा में कुछ प्रयास किए जाएंगे किन्तु अब वे सारी आशाएं धूमिल हो चुकी हैं।

सरकार दो-तीन बातों का दावा करती हैं; अब गुरुद्वारा आतंकवादियों के शरण-स्थल नहीं हैं, कि अब साम्प्रदायिकता का भय नहीं है और कि जिला साम्प्रदायिक परिषदों का गमन किया गया है—और वे कार्य कर रहे है। हम यह नहीं कहते हैं कि कुछ नहीं किया गया है। किन्तु इसका श्रेय सरकार को नहीं जाता कि पंजाब में साम्प्रदायिक अशान्ति नहीं है। पंजाब ने हमें भारत के कुछ श्रेष्ठ देश भक्त दिए हैं। यदि आप अण्डमान में जाएं, तो आप पहले बंगालियों के नाम पाएंगे और उसके बाद पंजाबियों के नाम पाएंगे। उन पंजाबियों में सबसे अधिक संख्या सिखों की है। कृपया इन सभी बातों को मत भूलिए। एक महीने पहले दो सिख युवकों ने पंजाब के लोगों को गौरव प्रदान किया, जब उन्होंने हिन्दुओं को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अवतार सिंह और रजवाल सिंह ने हिन्दुओं को बचाने की कोशिश की और महान बलिदान किया।

मोगा के सम्बन्ध में आपने कहा कि वहां एक बाधा है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने ऐसा तो कहा। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को क्या हो गया था। इस घटना वाली जगह से केवल 15 कि० मी० दूर 20 जवानों का एक शिविर था। यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। श्री के० पी० एस० गिल ने कहा है कि जब यह घटना घटी वे सो रहे थे क्योंकि वे दो दिन से जागरण में उपस्थित थे और वे थके हुए थे। और क्या दिल्ली में बम

विस्फोटों के बारे में आपको अपनी असफलता का एहसास नहीं होता ? पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस ने आपको संदेश भेजे थे तब भी आपने उचित ढंग से स्थिति को नहीं संभाला। मैं श्री बूटा सिंह के घर के पास ही रहता हूं और मैं हमेशा पाता हूं कि यदि दिल्ली अथवा पंजाब में कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो उनके निवास स्थान के चारों तरफ की दीवार एक फुट ऊंची हो जाती है। बेशक, अपने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है किन्तु कृपया झूठी मुठभेड़ों को रोकिए।

आज पंजाब में आतंकवादियों ने पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियों के साथ सम्पर्क बना लिए हैं; सी० आई० ए० द्वारा उनकी मदद की जाती है किन्तु आपने उनका कभी नाम नहीं लिया। कृपया उनका नाम बताइए, वे कौन हैं। आपने हमसे कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के साथ अफगान विद्रोही भी मिल गए हैं इसके अलावा सी० आई० ए० है। अतः यह एक गम्भीर मामला है। और हमें आशा है कि आप कुछ राजनैतिक कदम उठाएंगे। यह एक राजनैतिक समस्या है। मैं कहूंगा कि कृपया आपको जो सुझाव दिए गए हैं उन्हें कार्यान्वित करें।

राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक शीघ्र ही बुलायी जानी चाहिए। देशभक्त व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श, वार्तालाप, वाद-विवाद करके, इसका समाधान निकालें और तब इसे कार्यान्वित करने की कोशिश करें। आपको केवल परीक्षण प्रणाली अपनानी है। अन्यथा, लगता है कि आप केवल चुनावों को देख रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कांग्रेसियों ने बलिदान किए हैं। किन्तु कम्यूनिस्टों ने भी बलिदान किए हैं। अन्य लोगों ने भी बलिदान किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपको केवल चुनावों की चिन्ता है। हम भी चाहते हैं कि पंजाब में चुनाव कराए जाएं। किन्तु वहां ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए। जिससे कि चुनाव आयोजित किए जा सकें।

बूटा सिंह जी, मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। एक खराब बात हुई है। नौकरशाही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। सरकारी नियम कहते हैं कि मारे गए व्यक्तियों को कुछ मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए। मारे गए व्यक्तियों के सम्बन्धियों को कुछ रोजगार प्राप्त करने तक लगभग 50,000 रुपये की धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए। वे इन उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि मारा गया व्यक्ति चाहे पुलिस अधिकारी अथवा अन्य सरकारी अधिकारी हो, उनके सम्बन्धियों को भी धनराशि, पेंशन अथवा मुआवजे का भुगतान करने में लम्बा समय लग जाता है। इससे उनका मनोबल गिरता है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि ये उपबन्ध समय पर कार्यान्वित किए जाएं।

मैं झूठी मुठभेड़ों के बारे में शिकायतों का उल्लेख करना चाहता हूं। ये गलत भी हो सकते हैं और सही भी। किन्तु आपको देखना चाहिए कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि पुलिस कर्मी भी मानव हैं। यदि पंजाब में रात्रि के समय आतंकवादियों और दिन में पुलिस द्वारा धन वसूलने का काम जारी रहा तो तब यह आशा न करें कि वहां के लोगों का सरकार में कोई विश्वास रहेगा।

मैं एक मुद्दा और उठाना चाहता हूं। दिल्ली में दंगे करने वालों को दंड दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में बड़े लोगों को बचाने और छोटे लोगों को दंड देने के मात्र दिखावे से पंजाब के लोगों में व्याप्त बुरे अहसास को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

मैं दूसरे मुद्दे का उल्लेख करने का अनुरोध करता हूं। पंजाब में पटियाला में एक विश्व-

विद्यालय है जिसे पंजाबी विश्वविद्यालय कहा जाता है। समाचार पत्रों में कहा गया है कि यह आतंकवादियों के समर्थकों का अखाड़ा बन गया है। धर्मनिरपेक्ष मनोवृत्ति के लोगों को कोई सुरक्षा अथवा लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि धर्मयुद्ध में शामिल लोगों को सभी प्रकार के लाभ, कमीशन और विशेषाधिकार मिल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि आतंकवाद केरल पंजाब में ही नहीं हैं बल्कि देश के कुछ अन्य भागों में भी है। किन्तु पंजाब में यह एक खतरनाक समस्या हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, पंजाब में भारत का साठ प्रतिशत धान उत्पन्न होता है। पंजाब में 75 प्रतिशत गेहूं पैदा होता है। पंजाब में भारत के सबसे अधिक महनती व्यक्ति रहते हैं। हमारी सेना और नौसेना में पंजाब के लोग बहुत है। पंजाब से ही हमारी सुरक्षा हो रही है। इसलिए केवल चुनावों से लिए पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए किन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि आपका यही रवैया है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप निष्पक्ष रहें। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पंजाब की समस्या का समाधान हो जाए। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि आप कुछ समझदारी से काम लेंगे और तदनुसार कार्य करेंगे।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ पहले ही कहा जा चुका है। मैं सभा का ध्यान इस सच्चाई की ओर दिखाना चाहता हूं कि भारत की जनता इस सरकार पर शंका करती है। पिछले अनुभव से जनता को विश्वास हो गया है कि राज्यपालों का इस्तेमाल पार्टी के एजेंटों के रूप में किया जा रहा है। उनका यह अनुभव कर्नाटक और पंजाब दोनों के बारे में है। जनता यह महसूस करती है कि इन दोनों राज्यों में राज्यपाल का शासन कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि इन राज्यों पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए बढ़ाया गया है। पंजाब के राज्यपाल के रूप में जिस व्यक्ति का चयन किया गया है, आयात माल के दौरान पश्चिम बंगाल में उनका रिकार्ड बहुत अच्छा रहा था। उन्हें इसलिये चुना गया है क्योंकि उनसे यह आशा है कि वह पंजाब में पार्टी की छवि सुधार सकेंगे। पंजाब की जनता भी यह महसूस करती है कि राज्यपाल भी पंजाब की समस्या को सुलझाने में कोई रुचि नहीं है। दूसरी ओर वे लोग एक दूसरी ही समस्या खड़ी कर रहे हैं। पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। भारत से बाहर रहने वाले लोगों आमतौर पर पंजाबियों, को भी यह संदेह है कि इसमें सरकार का हाथ है।

7.00 म० प०

यह इसलिए, है क्योंकि दिल्ली के दंगों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वे लोग चाहे जो भी हों, उनकी पहुंच कितनी ही ऊंची क्यों न हो, किन्तु उन्हें दन्ड मिलना ही चाहिए क्योंकि इतने अधिक निर्दोष लोग मारे गए हैं। अन्यथा, यदि सरकार कुछ लोगों का पक्ष लेती है, तो पंजाब के लोग क्या महसूस करेंगे? पंजाबी केवल पंजाब में ही नहीं हैं अपितु संसार के सभी देशों यथा अमरीका, कनाडा और अन्य देशों में भी रहते हैं। उन लोगों में एकता क्यों है। ऐसा इसलिए है कि विश्व में जहां भी सिख और पंजाबी रहते हैं, उन्हें इस सरकार पर कोई विश्वास नहीं है। वे जाति अथवा धर्म के आधार पर सोचते हैं, क्योंकि भारत सरकार उन्हें पृथक कर रही है। इसलिए बाहर से भी समर्थन मिल रहा है—यह बात आपको भी पता है—क्योंकि दिल्ली और पंजाब में नाइंसाफी की जा रही है। लोग अपनी सरकार चाहते हैं। वे नहीं

चाहते। कि दूसरे लोग उन पर शासन करें। इसलिए वहां तत्काल चुनाव कराए जाने चाहिए। आप पहले ही कह चुके हैं कि प्रगति में कोई व्यवधान नहीं आया है, सभी कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं और फसल भी अच्छी हुई है। सभी कुछ ठीक चल रहा है। तब आप साथ ही इस बात की घोषणा भी क्यों नहीं कर रहे हैं कि पंजाब में भी चुनाव होंगे और जनता अपनी सरकार का गठन शीघ्र ही करेगी इसलिए अपनी न्यायसम्मत भावना सिद्ध करने तथा सभी नागरिकों के प्रति शांति, एकता और भाई-चारे की इच्छा प्रकट करने के लिये आपको आज ही चाहिए, और इसी समय ऐसा आश्वासन देना चाहिए। इस बात पर प्रश्न चिह्न लगा हुआ है कि इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे होंगे।

वहां राजनैतिक चालें चली जा रही हैं। सभी को इस बात की जानकारी है कि पंजाब में पहले भिंडारा वाला का आविर्भाव हुआ और किस प्रकार पंजाब समस्या उत्पन्न हुई। अब आपका वहां कोई नियन्त्रण नहीं है। इस समय आप कठिनाई में पड़े हुए हैं, और यदि आपने इस समस्या को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया तो आप भविष्य में भी कठिनाई में पड़े रहेंगे। भारत की जनता इस बात को समझती है कि आप क्या चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पंजाब समस्या पर अनेक बार बहस हो चुकी है और आज भी हम उसी पर बहस कर रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय, 7 म० प० का समय हो चुका है। सभा का समय एक घंटा बढ़ाया गया था। अभी गृह मंत्री को भी बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : हमें इसे समाप्त करना है। केवल दो वक्ता और हैं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हमने पंजाब समस्या पर कई बार बहस की है और फिर हमारे प्रतिपक्ष के भाई सुरेश कुरूप के स्थगन प्रस्ताव पर आपने इस पर बहस का मौका दिया है। मैं भाई सुरेश कुरूप के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और यह निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा हम तुलनात्मक दृष्टि से पीछे मुड़कर देखें तो हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों ने यहां जो कुछ पंजाब के बारे में कहा है, उनमें से कई सारी बातें हमें अब अतीत की बातें लगने लगेंगी। जब हम इस सदन में जीत कर आए थे, उस समय भी हमने देखा था कि पंजाब के बारे में सारे देश में क्या मानस था, क्या मनःस्थिति थी, क्या परिस्थिति थी और आज जब हम तुलना करते हैं तो पाते हैं कि हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां खालिस्तान की बात कोई नहीं करता, बस आतंकवाद की बात शेष बची है। इस सन्दर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ही एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं, शायद वह खन्ना की सभा थी या हुसैनीवाला की सभा थी, जिसमें आप स्वयं उपस्थित थे, आपने वहां एक भाषण दिया था, मैं उनमें एक श्रोता था, आपने कहा था कि आज बन्दूकें उठी हैं, बारूद जलने लगी है, नौजवान भटक गए हैं, ऐसे वक्त मैं आपका वह वाक्य कभी नहीं भूल सकता कि जब देश को आजादी मिली हमारी आबादी 35 या 36 करोड़ थी जबकि आज हमारी जनसंख्या 71 करोड़ के करीब पहुंच गयी है। आजादी के

बाद आने वाली हमारी सारी आबादी, इस बारूद में जल भी जाए, बंदूकों के सामने सीना अड़ाकर मर भी जाए, तब भी हम इस देश के टुकड़े नहीं होने देंगे, कटने नहीं देंगे। ये आपके वाक्य थे और सारे पंजाब के जो लोग वहां उपस्थित थे, उन्होंने आपकी इस बात का हर्षनाद के साथ स्वागत किया था। उस वक्त ऐसा लगता था कि शायद बात बहुत आगे तक बढ़ेगी, लेकिन बात कुछ ठिठकी, ऐसा मालूम होता है। आज जब हम सारे देश में घूमकर देखतें हैं, तो ऐसा पाते हैं कि आज बात कहीं न कहीं खड़ी हुई है। मेरा वश चलता, मेरा दांव चलता, मेरी बात मानी जाती, तो ढिल्लों साहब के बाद और भाटिया जी के बाद, आपसे निवेदन करता कि बात तो सारी हो चुकी है, जितने हम लोग यहां बोल रहे हैं उनमें केवल एक आर० एल० भाटिया जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर टैरेरिस्टों मे तीन गोलियां चलाई हैं और वे गोलियां खाने के बाद भी यहां पर आकर भाषण दे रहे थे। बाकी हम सबने अखबारों के माध्यम से पंजाब को देखा है, फिजीकली जाकर बहुत कम लोगों ने देखा है। जब उन्होंने अपने दिल की बात कह दी, तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद आशा की किरण कहां है? आशा की किरण एक है और वह है पंजाब की जनता। सब दूर से एक आवाज आती है। राजीव गांधी ने यहां बैठकर एक काम किया कि लोंगोवाल जी से बातचीत की और ऐसे समाज से बातचीत करने की कोशिश की और जब हमने कांग्रेस के मंच से यह तय किया और बार-बार हल्ला किया कि धर्म और राजनीतिक एक साथ नहीं चल सकते। उस वक्त मन्दिरों और गुरुद्वारों में बैठकर एक आवाज उठाई गई कि धर्म और राजनीतिक एक साथ चलेगी और उसका मंच उन्होंने पंजाब को बनाया, लेकिन आज वे सब पछता रहे हैं और यही कारण है कि इस सरकार के होने के कारण गुरुद्वारों में आतंकवादी नहीं पाए जाते हैं। हमारे मित्रों ने यह जो बात कही, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरा एक सीधासा सवाल है—जब आप पुलिस की कार्यवाही की निन्दा करते हैं, तो आप किस के मनोबल को तोड़ते हैं? क्या मरने वालों में पुलिस के लोग शामिल नहीं हैं? वे हैं। मैं कह सकता हूं आपसे कि वे भी पूरी शिद्दत के साथ मर रहे हैं। उनका भी वही खून बह रहा है जो दूसरे लोगों का वह रहा है।

अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी पर यह इल्जाम लगाया कि चुनाव की रोटियां सेकी जा रही हैं। राजनीतिक दलों ने तरह-तरह की बातें कहीं और हम पर, हमारी पार्टी पर और हमारी पार्टी के नेता पर यह आरोप लगाया है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : बैरागी जी, सिर्फ वही नहीं, पंजाब में जो भी हों, दूसरे भी, जिनको टैररिस्ट कहते हैं, वे मरते हैं, वे भी भले आदमी हैं, हैं तो हमारे ही। तकलीफ तो उनके मां बाप को भी होती होगी। सबकी तकलीफ है। अब वापस आ जाए, तो ठीक है। अकल आ जाएं, तो ठीक है।

श्री बालकवि बैरागी : जी हां। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद। आपने मेरी उस पीड़ा को व्यक्त किया है, जो मैं नहीं कह पा रहा था।

मान्यवर, अध्यक्ष जी, किसी परिवार का कोई मरे,

अध्यक्ष महोदय : ये रिश्ता दो यारों का, तेरा भी है मेरा भी है।
मत गिरा इस घर को, ये तेरा भी है, मेरा भी है।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, समय की कमी है, मैं तो चन्द मिनटों में अपनी बात समाप्त करूंगा। जब यह इल्जाम प्रतिपक्ष हम पर लगाता है कि कांग्रेस राजनीतिक रोटी के लिए यह बात कर रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि हममें कौन-सी राजनीतिक रोटी पंजाब के मुद्दे पर सेकी। हमने लोंगोवाल अकॉर्ड किया। इस सदन में उसका दिवाली मानकर स्वागत किया गया। सारे देश में उस पर दिवालियां बना मनाई गई, लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक पार्टी पूरी की पूरी अनुपस्थित हो जाती है, लोंगोवाल जी पर बन्दूक चलाने वाला नौजवान एक तरह से अबोध की तरह कहता है कि मुझसे गलती हो गई, तब आखिर में दूसरा कौन-सा पक्ष है जिससे सरकार बात करे। आज जब हम अपने प्रतिपक्षी मित्रों से पूछते हैं, आपको वह दिन याद होगा अध्यक्ष महोदय, चुनाव के बाद जब हम इस सदन में आए थे, तो सारे सदन में एक मात्र सिख भाई सरदार बूटा सिंह जी की पगड़ी नजर आती थी। वे भी राजस्थान से आए थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए थे। उस वक्त केवल एक मात्र बूटा सिंह जी सरदार इस सदन में थे, लेकिन उसके बाद पंजाब में चुनाव हुए, उसके बाद हमारे दूसरे सिख भाई सदन में आए, लेकिन जब पहली बार इस सदन में पंजाब पर बहस होने लगी, तो उस दिन सारा का सारा अकाली दल अनुपस्थित था, एक भी अकाली दल का सदस्य नहीं था, तो मैंने अंगुली उठाकर अध्यक्ष महोदय, आपसे सवाल किया था कि इतनी महत्वपूर्ण बहस हो रही है, हमारे अकाली दल के भाई कहां हैं। मैं रिकार्ड में हूं अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हमारे अकाली भाईयों को हमने इस सदन में भी टूटते हुए देखा है, इन चार साढ़े-चार सालों में इस सदन में उनमें टूटन हुई है, दो ग्रुप हुए है और उसके बाद भी अगर हमारे अकाली भाई कहते हैं कि हम एक हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास इस समस्या को सुलझाने का कोई सॉल्यूशन है, तो उसको दीजिए।

जब कैबिनेट सब-कमेटी जाती है तो अकाली दल उसमें आते नहीं, बी० जे० पी० उसमें जाती नहीं, हमारे मित्र बात करते नहीं, आखिर कांग्रेस ने कौन-सी कमाई कर ली है राजनीतिक? हम तो उसके बाद पंजाब में चुनाव हारे हैं, लेकिन बहस के लिए बहस करना, यदि यही उसूल रहा और यही परम्परा बनाई जाएगी तो मैं नहीं समझता कि हम किसी सौल्यूशन पर पहुंचेंगे। मैं तो साफ बात कह देना चाहता हूं।

मोगा का इंसीडेंट हुआ, लेकिन इसी सरकार ने मोगा के हत्याकांड के बाद 3 हफ्ते में या तो अपराधी मार डाले या पकड़े गए।

दिल्ली की दुर्घटना हुई बम विस्फोट की। माननीय अध्यक्ष महोदय उस दिन आप मन्दसौर में मेरी कांस्टीटुएंसी में थे। यहां पर जब बम फटा तो मैंने स्वयं अपनी आंखों से आपको देखा, आपकी आंखों में आंसू भर रहे थे और हम बोलते हुए अपने मन के फफोले फोड़ रहे थे। मैं आपके साथ उस दिन वहां पर था। लेकिन हमने यह देखा है कि 2 हफ्ते के भीतर-भीतर, दिल्ली में जो बम बरसाने वाले लोग थे, वे या तो पकड़ लिए गए या मारे गए। सरकार कुछ नहीं कर रही है, यह कहना आसान है, लेकिन सरकार जिस मुस्तैदी से कुछ कर रही है, उसकी स्वीकृति करना मुश्किल बात है, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, वह उसे नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपने प्रतिपक्ष के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कौन-सी ऐसी समस्या है जिस पर राजीव गांधी जी ने आगे बढ़कर अपनी ओर से पहल नहीं की?

मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कह देना चाहता हूं। मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं। केवल औपचारिकता के लिए यदि यह किया गया है तो मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है, अगर सॉल्यूशन के लिए किया गया है तो जरूर होना चाहिए। लेकिन पंजाब में पहले से ज्यादा अनाज पैदा हुआ है, पहले से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठे हैं, पहले से ज्यादा कालेज खुले हैं, पहले से ज्यादा मैनडेज वहां वह काम हुआ है। हमारी फैक्टरीज पहले से ज्यादा चली हैं। श्री भाटिया जी ने कहा कि अकेले अमृतसर में 16 करोड़ रुपए का एन्टरप्राइज प्राइवेट लोगों ने किया है। पंजाब में हर तरह से आशा का वातावरण है। हां आशा में निराशा का वातावरण देखना मैं नहीं समझता कि कोई समझदारी की बात है।

प्रतिपक्ष का अधिकार है, वह अपने अधिकार को डिस्चार्ज कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि यह सरकार और कांग्रेस, किसान और पंजाब का मैदानी आदमी एक-एक नौजवान वहां का इस बात को जानता है कि मोगा के पीछे मंशा क्या थी? मंशा थी कि हिन्दू और सिखों में झगड़ा जो जाए लेकिन आप जानते हैं कि पानी पर खींची हुई लकीर कायम नहीं रहती, पानी पर खींची हुई लकीर मिट जाती है। यह देश टूटने वाला नहीं है, पानी पर लकीर खींचने से यह देश टूटने वाला नहीं है।

हमारे एक बुजुर्ग मशहूर शायर हैं कैफ भोपाली, मैं उनकी चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं हम हर तरफ से अपनी कुर्बानी देने के लिए तत्पर हैं, यही कारण है कि हम यहां हर इस सारी बहस के बावजूद, इसके चाहे जो हमारे राजनीतिक परिणाम निकलें, किन्तु हम इस बात को जानते हैं कि यह सारी बहस जिस दृष्टिकोण से यहां पैदा की गई है, वह दृष्टिकोण सफल नहीं होगा। अपने मित्रों को मैं वह 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। वह हमारे लैफटिस्ट पोइट हैं, उन्होंने कहा है कि—

कौन आता है यहां, कोई नहीं आया होगा,
मेरा दरवाजा हवा ने हिलाया होगा,
गुल से लिपटी हुई तितली को गिराओ तो जानूं,
आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा।

दरख्त गिरते हैं आंधियों से, जो तितलियां फूलों के साथ चिपट जाती हैं, वह फूल के साथ झर जाती हैं। जो सिद्धान्त लेकर कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार और देशभक्त लोगों पंजाब की समस्या को निपटाने के लिए पीछे लगे हुए हैं, चुनाव के परिणाम ये भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, कौन किस कुर्सी पर बैठता है, यह सारा भविष्य पर और जनता पर निर्भर है, सारे का सारा फैसला हो जाएगा।

मुझे सुरेश भाई की पंक्तियां याद हैं, रिकार्ड पर वह हैं, वह देख लें, हम पर यह इल्जाम लगाते हैं कि हम राजनीति की बात करते हैं, लेकिन राजनीति की बात हमारे भाई ने शुरू में की है। पंजाब में खून से हमारे भाई ने शुरूआत की है और अन्त में वह समाप्त कहां पर हुए हैं, राजनीति की बात उन्होंने कही है कि आपकी सरकार चली जाएगी और नई सरकार जब आयेगी तब इस बात का फैसला होगा। राजनीति से स्वयं हमारे वह भाई लिपटे हुए हैं, हम तो गुल से लिपटी हुई तितलियां हैं, इस फूल के साथ झर जाएगी, मर जाएंगी लेकिन देश को टूटने नहीं देंगी।

मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह सदन हमारा साथ देगा।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत से भाषण हुए हैं और सरकारी पक्ष की ओर से सबसे ज्यादा अकाली दल को नीचा दिखाने की कोशिश की गई और अकाली दल पर अटैक करके पंजाब की स्थिति देश के सामने रखने की कोशिश की गई। मेरे कहने का मतलब यह है कि सभी बुराइयों के लिए अकाली दल की नीतियों को ही आधार बनाने की कोशिश की गई। मैं दोष का जबाव दोष में नहीं दूंगा। चिदम्बरम जी, बूटा सिंह जी और ढिल्लों साहब जी ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहीं लेकिन एक बात हम सभी समझ लें कि भारतवर्ष के लोगों की नजरों में हम सभी उतने बुरे नहीं रहे जितने बुरे वह हमें समझते थे। पुलिस का जोर और भाषण का जोर देने के बावजूद भी क्या वजह है कि टैरारिस्ट आइसोलेट नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा जो देश की एकता और अखण्डता के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं उनको बार-बार मायूसी क्यों होती है। क्या इसका आपके पास कोई जबाव है? संत लोंगोवाल जी शहीद हो गये। क्या हो गया आपकी जबान को? जब कहते हैं तो यही कहते हैं कि कांग्रेस वाले शहीद हो गये, कम्युनिस्ट शहीद हो गये। अरे भाई, इस जबान से यह भी कह दो कि सैकड़ों अकालियों के कत्ल हो गये। जब तक आप यह नहीं कहेंगे तब तक आम आदमी गलियों में यही कहेंगे कि बोलने वाले के दिल में खोट है और यह सच्चा नहीं है। हम तो आपसे भी दुखी हैं। मैं वही अकाली हूं जिसकी उस अकाली भावना को लेकर मैं अकाली दल में आया हूं जिसकी श्री महात्मा गांधी जी ने तारीफ की थी, जिस अकाली दल की मदन मोहन मालवीय जी ने तारीफ की थी और जिस अकाली दल के मोर्चे में आदरणीय पंडित जवाहर लाल नेहरू खुद कैद हुए थे और जिस अकाली दर पर बाबा खड़क सिंह को गौरव था। मैं आज उसी दल की भावना से बोल रहा हूं। आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टैरारिस्टों को हमदर्दी मिल रही है। अगर अकाली दल पर इल्जाम लगाने से पंजाब की मसला हल होता है तो मैं दोनों हाथ खड़े करके कहता हूं कि जो कहना है कह लो और मसला हल कर दो।

श्री खुर्शीद अहमद जी ने सरदार बूटा सिंह जी के बारे में कुछ कहा। मैं जोर से कहता हूं कि किसी की देश भक्ति पर शक करना बेइन्साफी है। अकाली दल की देश भक्ति पर तो शक करना बहुत बड़ा जुर्म है। मैं एक बात आपसे यह पूछना चाहता हूं कि देश के लिए जो मर-मिटने वाले लोग होते हैं उनको उनकी मृत्यु के बाद आप कोई सम्मान क्यों नहीं देते हैं। सिख भाई हमसे पूछते हैं कि अरे रामूवालिया जी बातें तो देश भक्ति की करते हो लेकिन जिस लोंगोवाल जी का कत्ल हो गया उसकी क्या कद्र हुई। उनको तो कागज का एक टुकड़ा यानी कि भारत रत्न की उपाधि भी नहीं दी गई और वह श्री एम० जी० रामचन्द्रन को दे दी। आप आनन्दपुर प्रस्ताव को ले लें। श्री चिदम्बरम जी बहुत विद्वान हैं और उनकी जबान में सरस्वती विराजमान है। जब बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। अब सरकारिया कमीशन बाइबिल है, क्या सरकारिया कमीशन गीता है जो उसने लिख दिया, उसे बदल नहीं सकते। हम ओर से कहते हैं कि हम ट्रू फैडरल सिस्टम चाहते हैं। आनन्दपुर साहिब रेजोलूशन में देश की एकता और अखण्डता पक्की करना चाहते हैं। अगर देश की एकता और अखण्डता आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव तोड़ता है तो अकाली दल को संतुष्ट कर दो कि टूटेगी, हम पीछे हट जायेंगे। मैं कहता हूं कि आनन्दपुर रैजोल्यूशन भारत के लोगों को मजबूत करता है, शायद सैण्टर को कमजोर करता है, आनन्दपुर

साहब रेजोल्यूशन केन्द्र की शक्ति को शायद कम कर दे जो हर जगह टांग अड़ाता है मगर भारतवर्ष के लोगों को, भारत की एकता और अखण्डता को मजबूत करता है, यह मेरा मानना है।

आगे मैं कहना चाहता हूं कि अभी मैं कनाडा और इंग्लैंड गया, वहां बहुत से लोग हैं, जो खालिस्तान का समर्थन नहीं करते, हमें तो यहां वोट लेने होते हैं, हम सभी तो शायद चुनाव की बात करते हैं, कनाडा में बहुत से सिख नौजवान खालिस्तानियों से लड़ रहे हैं मगर जब वह कहते हैं आप लड़ते क्यों हैं, 5000 सिख दिल्ली में मर गये, उनको सजा क्यों नहीं मिली, जवाब दो तो क्या जवाब है इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी कमी थी। आज पंजाब में, दिल्ली में टैरेरिज्म क्यों बढ़ रहा है, टैरेरिज्म तेजी से बढ़ता जायेगा जब हम टैरेरिस्ट्स को प्रीच करने वालों के पाइण्ट्स को इनवैलिड बनाने की ईमानदारी से कोशिश नहीं करेंगे, उनके टोटल पाइण्ट छीन लेंगे तब टैरेरिज्म रुकेगा।

मैं इन शब्दों साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि पहली बात तो यह कि गोली का जवाब गोली नही है, इस पर आप रिव्यू करें। दूसरी बात अभी रिबेरो ने तो यह कहा है कि मेरा काम 10 परसेण्ट है, 90 परसेण्ट काम राजीव जी का, सरदार बूटा सिंह और श्री चिदम्बरम का है, वह पोलिटिकल काम है। 10 परसेण्ट काम रिबेरो का था, वह उसने कर दिया। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अवतार सिंह और रजवन्त सिंह दो सिख थे और 17 अन्य हिन्दू भाई थे, वह दोनों मर गये और 17 हिन्दू भाई बच गये। मैं पूछता हूं तिवारी जी आपकी रोज तस्वीरें आती हैं, क्या उनका भी टी० वी० पर प्रोग्राम आया? उन ताकतों को आप क्यों मजबूत नहीं करते जो उसके लिए कत्ल होते हैं इसलिए मैं पूछता हूं कि आप अपनी नीतियों को मजबूती से आगे लायें, उनका कोई जिक्र तक नहीं आया, न कोई फीचर आया इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कण्डेम करने से कोई बात नहीं बनेगी। हम ऐसे कदम उठायें जिससे सभी पोलिटिकल विचारधारा के लोग एक जगह आयें और पंजाब के लोगों की जो जायज शिकायतें हैं, उनको दूर किया जाय और टैरेरिस्ट्स को अलग-थलग किया जाय, इसी से पंजाब के मसले के हल के लिए बातचीत आगे बढ़ेगी। इतनी पार्टी हाउस में हैं लेकिन कोई एक भी पार्टी है जिसके लीडर जेलों में हैं, बादल जेल में, टोहरा जेल में, सुखजिन्दर सिंह जेल में, सरदार मान जेल में, छोड़ दो उनको। चलो मान को छोड़ो मत, विचार कर लो। उनको एक जेल में इकट्ठे ही कर दो।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : आदरणीय अध्यक्ष जी, आज सैशन के पहले दिन···

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : मुझे तीन मिनट दीजिए।

जब समय नहीं मिलेगा तो इस सदन में बैठकर क्या करना है इसलिए मैं वॉक आउट कर रहा हूं।

7.24 म० प०

[इस समय श्री सी० जंगा रेड्डी सभा भवन से बाहर चले गए]

सरदार बूटा सिंह : आज पंजाब की बहुत गम्भीर राष्ट्रीय समस्या के ऊपर इस सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने की इजाजत देकर आपने इस समस्या को राष्ट्रीय महत्व दिया है। हम आपके

बहुत आभारी हैं। परन्तु हम सोचते थे कि स्थगन प्रस्ताव के पीछे विरोधी पक्ष के मान्यवर सदस्यों की भी उतनी ही गम्भीरता होगी और वे भी इस महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर आज कुछ इस तरह के सुझाव पेश करेंगे जिससे कि हमारी इस राष्ट्रीय गम्भीर समस्या का कोई रास्ता मिले। मुझे दुःख हुआ आज के इस प्रस्ताव के प्रथम वक्ता, श्री कुरूप का भाषण सुनकर और उसके बाद जो कुछ विरोधी पक्ष के कुछ मान्यवर सदस्यों ने भाषण दिए। उसमें से केवल एक ही बात उभर कर सामने आई, जो कि हमारे बालकवि बैरागी जी ने कही— राजनीतिक मन्तव्य की स्थिति के लिए उन्होंने आज का यह प्रस्ताव इस सदन के सामने पेश किया है।

मान्यवर, आप जब कई बार पंजाब जाते हैं या पंजाब के बाहर कभी देशवासियों के सामने पंजाब की समस्या के बारे में बोलते हैं तो आपकी आंखों में आंसू होते हैं। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति और विशेषकर इस देश की सेवा में लगे हुए जो व्यक्ति हैं, जो दल हैं, वे इस समस्या पर इतनी गंभीरता से सोचते हैं, क्योंकि इसके साथ देश की समूची सुरक्षा का सीधा रिश्ता है, पंजाब के लोगों की जान-माल का प्रश्न है और देश की भावनात्मक एकता का प्रश्न है और देश की अखण्डता का प्रश्न है। जब इन मुद्दों को सामने रखते हैं तो हमारे लिए जो राजनीतिक प्रश्न हैं, वे पीछे चले जाते हैं। जो दलगत नीति है, वह पीछे चली जाती है, परन्तु आज की जो डिबेट इस सदन में हो रही है, मुझे खेद से कहना पड़ता है कि विपक्ष के मान्यवर सदस्यों ने केवल राजनीतिक मुद्दे को ही सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसमें न तो कोई सुझाव है और न ही उस मुद्दे का परिचय दिया है जो कि इस समस्या की गम्भीरता हमारे देश के सामने व्याप्त है। मेरे सहयोगी चिदम्बरम जी ने, हमारी पार्टी के महा मंत्री, श्री गुलाम नबी आजाद साहब, ढिल्लों जी, भाटिया जी, चतुर्वेदी साहब और सभी मान्यवर सदस्यों ने और अभी-अभी जो मान्यवर सदस्य बैठते हैं रामूवालिया जी ने, मैं समझता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे पर पूरी संजीदगी के साथ अपने विचार, चौबे जी ने भी, व्यक्त किए हैं। मगर दुःख इस बात का है कि पंजाब में जो घटनाएं घट रही हैं और जो कुछ राजनीतिक दलों की भूमिका है, जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो जरूर मायूसी होती है। अकाली दल के दोनों वक्ताओं ने इस बात का बार-बार उल्लेख किया है कि जैसा कि सरकारी पक्ष से या कांग्रेस के पक्ष हम अकाली दल की राजनीति के ऊपर दोषारोपण कर रहे है, कदाचित भी नही। मगर एक बात हमें सोचनी पड़ती है, जिसका उल्लेख चिदम्बरम जी ने भी किया है, पंजाब की परिस्थितियों का वर्तमान रूप जो निखर कर हमारे सामने आया है, इसके कारण क्या हैं? जब हम इस कारण की तरफ जाते हैं तो देखना पड़ता है कि क्या दिशायें हैं, जो पंजाब की देशभक्त जनता को, पंजाब के देश प्रेमी लोगों को आज की मुसीबत के सामने खड़ा कर बैठा हैं, वे दिशायें क्या है उन दिशाओं की ओर हमें देखना पड़ता है। उन दिशाओं को देखते हुए रामूवालिया जी ने, हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के वक्त के अकाली दल की बात की, इससे मुनकर नहीं पंजाब में जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, वह सभी दलों ने एक साथ मिल कर, कांग्रेस पार्टी, अकाली दल, जो भी उस वक्त के दल थे, उन सब ने मिलकर लड़ी। मगर मैं एक बात कहे बिना नहीं रह सकता। जिन्होंने पंजाब की राजनीति को अच्छी तरह से देखा है पिछले 15-20 वर्षों से, वे इस बात को कहे बिना नहीं रह सकते कि सन् 1973 में दुर्भाग्यवश जिस बात की बार-बार चर्चा हो रही है, आनन्दपुर साहिब रेजोलूशन की बात हुई, उसमें कुछ मुद्दे जोड़ दिये गये। भाषा की बात चली थी, प्रान्तों के री-आर्गेनाइजेशन की बात चलती रही, ये सब चीजें चलती थी, देश के दूसरे हिस्सों में भी चलती थी, मगर पहली बार इस देश के अन्दर इस तरह की भावना पैदा की गई उस प्रस्ताव के अन्दर, जिससे न सिर्फ स्वतन्त्रता संग्राम के वक्त की चली हुई, अकाली दल की तहरीक को तिलांजलि दी गई, बल्कि

सन् 1973 के रेजोलूशन को सन् 1978 में जबकि अकाली दल में भाई भारत सरकार में भागीदार थे और पंजाब सरकार में मालिक थे, उन्होंने उस अकाली दल, जिसका जिक्र रामूवालिया जी करते हैं और जिसके बारे में महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी और मालवीय जी का जिक्र किया, उसके बुनियादी उसूलों को बदल दिया और उसमें आनन्दपुर साहिब रेजूलूशन की भावना जोड़ दी। जो अकाली दल यह प्रार्थना करता था कि वह लोगों को भलाई के लिए कुछ करे और जिसने हमेशा देश के लिए बलिदान दिया, उसको देश से निकाल कर गुरुद्वारों के लिए और धर्म के लिए कर दिया गया। अब इस बात का जिक्र करते हैं, तो श्रीमन्, हम कैसे इस बात से बच सकते हैं कि जो पालिटीकल पार्टी पंजाब में राज्य कर रही थी और देश की हुकूमत में जिसका हिस्सा था, उसने एक दिशा दी और उस दिशा से क्या हुआ कि पंजाब की जो युवा पीढ़ी है, जो संबंधित थी सिख राजनीति से, जो संबंधित थी गुरुद्वारों की राजनीति से, जो संबंधित थी अकाली दल की राजनीति से, उसके दिमाग में एक फितूर पैदा हो गया, उनके दिमाग में एक नक्शा पैदा हो गया कि हम स्वतन्त्र भारत में अलग से अपना राज्य चाहते हैं। इस चीज का अकाली दल के किसी भी नेता ने आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, न इस सदन में और न इस सदन के बाहर दिया गया।

सरकारिया कमीशन के बारे में कहा गया कि वह कोई बाइबिल नहीं है, गीता नहीं है। हमने यह कभी नहीं कहा। हमने तो यह कहा कि श्री राजीव गांधी और सन्त हरचन्द लोंगोवाल के दर्म्यान जो समझौता हुआ, उसमें फैसला हुआ था कि यह चीज, जिसको आनन्दपुर प्रस्ताव कहते हैं, यह सरकारिया कमीशन के सामने जाता है, तो सरकारिया कमीशन जो इसके ऊपर फैसला देगा, उसको हम मानेंगे। सरकारिया कमीशन ने उस धारा के अन्तर्गत इसका निरीक्षण किया और इसकी जांच की गई। मैं इसको पूरा तो नहीं पढ़ सकता, एक पूरा चैप्टर इसमें दिया हुआ है। उसमें एक-एक मुद्दा, जो दिया हुआ है, सरकारिया कमीशन ने जब उनके ऊपर टिप्पणी की, तो इस बात का उल्लेख किया गया कि हमने इसकी कई प्रतिलिपियां देखी हैं, मगर एक प्रतिलिपि जो अधिकारिक रूप से एक राजनीतिक दल ने दी है और वह राजनीतिक दल आज पंजाब में शासन कर रहा है, उस प्रति के ऊपर हमने विचार बनाए और जिसका जिक्र श्री चिदम्बरम ने किया। उस पर पूरा विचार करके, उस में खाली सरकारिया साहब की बात नहीं थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के और रिटायर्ड जजेज भी थे, वे इस नतीजे पर पहुंचे और इस नतीजे पर पहुंचने से पहले और बहुत से मुद्दे जो उनके सामने थे, उन में से एक यह भी था। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से परामर्श किया, जितनी हुकूमतें थीं, उनसे परामर्श किया, जितने स्वयंसेवी संगठन थे, उनसे परामर्श किया और बड़े-बड़े ज्यूरिस्ट्स से परामर्श किया और उसके बाद यह निर्णय दिया और मैं यह मानता हूं कि इस निर्णय के बाद, संत हरचन्द लोंगोवाल ने दस्तखत किये थे और यह मानना था कि हमारे ऊपर यह लागू होगा और अकाली दल के सभी वर्गों को इसको मानना चाहिए और इसके आगे नहीं चलना चाहिए। चार साल प्रैक्टिकल परपजेज, दिस शुड हैव बीन दि एन्ड आफ आनन्दपुर साहिब रेजोलूशन और जितनी जल्दी यह मान लिया जाए, मैं समझता हूं उतनी जल्दी देश के साथ और खासकर सिख समुदाय के साथ इन्साफ होगा क्योंकि आज सिख समुदाय के वे बच्चे, जो इस दिशा से भटक कर दूसरी तरफ चल रहे हैं, उनको भी पता चलेगा कि इसका अंतिम निर्णय हो चुका है और इसको अब छोड़ दिया जाए। इस बात को मैं बार-बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि पंजाब का टेरोरिज्म उस दिन खत्म होगा जिस दिन वह प्रवृत्ति खत्म करेंगे जिसने कि टेरोरिज्म को बढ़ावा दिया है। यह गोली से खत्म नहीं होगी, यह कानून पास

करने से खत्म नहीं होगी। इसके लिए राजनीतिक दल मैदान में उतरें और विशेषकर वे राजनीतिक दल जिनका प्रभाव युवा पीढ़ी पर है। उस युवा पीढ़ी पर जो बन्दूक उठा रही है और जिसको बड़े-बड़े फार्म हाउसिज में बड़े-बड़े लोगों के पास पनाह मिल रही है। वे लोग मैदान में नहीं आते।

श्रीमन्, रामूवालिया जी ने कहा कि संत हरचरण सिंह लोंगोवाल को पूरे राष्ट्र ने एक राष्ट्र का शहीद माना है क्योंकि उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। उन्होंने वह कदम लिया जिसके बारे में वे जानते थे कि जब मैं इससे भी आगे बढ़ूंगा तो मेरे लिए क्या परिणाम होगा। जो कम हौसले वाले लोग थे वे भाग गये। उनके साथियों ने उनको अकाली दल का डिक्टेटर माना हुआ था।

[अनुवाद]

अब नेता नहीं वह मंच के तानाशाह थे। वास्तविकता यह है कि,

[हिन्दी]

उनके मुंह से निकला हुआ शब्द पूरे अकाली दल को मान लेना चाहिए था। पार्लियामेंट की, असेम्बली की सीट जीतने के लिए तो समझौता अच्छा था। जितने भी हमारे भाई साहब यहां बैठे हुए हैं वे उस समझौते के अन्तर्गत यहां पहुंचे हैं। वरना इनको कौन आने देता। मगर जिसने उस समझौते पर हस्ताक्षर किये···

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं समझता हूं कि वे इस हद तक गिर गए हैं।

सरदार बूटा सिंह : मुझे खेद है कि यदि आपको पंजाब की राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं है तो प्रोफेसर, गंभीर हो जाइये। यह बहुत ही गंभीर मामला है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह बात बहुत ही गंभीरतापूर्वक से कह रहा हूं कि आप आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान) हमें वोटों की कोई परवाह नहीं है। मैं सभा में पहला व्यक्ति था जिसने यह कहा था कि हम समझौता स्वीकार करते हैं और आपने यहां जो समझौता किया है, उसके लिए आपको बधाई देते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : श्रीमन्, मैं नहीं चाहता था कि इस प्रश्न को और आगे बढ़ाऊं। मधु दण्डवते जी को यह मालूम होना चाहिए कि यह समझौता हुआ था उस वक्त अकाली दल के नेता एक डिक्टेटर के रूप में थे। जिनका फैसला सब को मान लेना चाहिए था। उस वक्त प्रकाश सिंह बादल और तोहड़ा जी अकाली दल के टिकटों के लिए तो इसमें शामिल हो गये। क्योंकि उनको सरकार में हिस्सा नहीं मिला इसलिए वे इस समझौते के खिलाफ हो गये। दंडवते जी आप इस पार्लियामेंट में उस समझौते के अन्तर्गत चुनकर नहीं आये हैं, आपको क्या तकलीफ है।

श्रीमन् मैं उनका जिक्र कर रहा हूं जिनमें हिम्मत नहीं थी। आप देखिये अकाली दल के नेता आतंकवाद के खिलाफ कब बोलते हैं जब उनके ऊपर गोली चलती है। बादल सिंह जी तब

बोले जब उनके ऊपर गोली चली। तलवंडी साहब तब बोले जब उनके ऊपर गोली चली। दर्शन सिंह साहब तब बोले तब उनके ऊपर गोली चली। कृपाल सिंह साहब तब बोले जब उनके पीछे आतंकवादी लगे। हैरानी इस बात की होती है कि पुलिस की तीन गाड़ियां एक आगे, एक पीछे उनकी सुरक्षा के लिए चल रही हैं फिर वे ही लोग कहते है कि पुलिस वाले निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। मुझे याद है कि जब प्रकाश सिंह जी बादल पब्लिक मीटिंग एड्रेस किया करते थे। पूरी पब्लिक मीटिंग में वे चारों तरफ से कमाण्डोज से घिरे रहते थे, मीटिंग में पुलिस वाले रहते थे और वे पुलिस वालों को एड्रेस करके कहा करते थे कि तुम पुलिस वाले निर्दोष, इन्सोंट लोगों को मार रहे हो, जब हम पावर में आएंगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्यवाही करूंगा। इस तरह की दोहरी राजनीति है, इस तरह से लोगों को बहकावे में डालने की बातें हैं।

जब तक अकाली दल के लोग वस्तुस्थिति को नहीं देखते तब तक पंजाब की स्थिति में सुधार आना मुश्किल है। मैं यह नहीं कहता कि नहीं आ सकता, लेकिन यह कहता हूं कि कठिन है। इसको अकाली दल के नेता ही हल कर सकते हैं यही मेरा आपसे अनुरोध है।

रामूवालिया जी ने एक बात का उल्लेख किया कि केनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका ये ऐसे बड़े देश हैं जहां से पैसा तो आता ही है। खालिस्तान का जितना प्रचार है और खालिस्तान की जो थीसिस है, आइडियालाजी है वह इन इन तीन देशों से आती है।

अभी 9 जून को··· (व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैंने कहा था कि वहां के लोग भी उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, हमें उनको मजबूत करना चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : मैं उसी तरफ आ रहा हूं। 9 जून को हमारे देश के जनता दल के एक वरिष्ठ नेता, पालियामेंट के मेंबर इंग्लैंड गए और वहां अंतर्राष्ट्रीय सिख यूथ फैडरेशन खालिस्तान का हैडक्वार्टर जिनके पास है, जो खालिस्तान का प्रचार पूरे विश्व में कर रहे हैं, जो अमरीका में जाकर सीनेट वालों को लिटरेचर बांटते हैं जिनके रास्ते पाकिस्तान को पूरा पैसा आता है और उस पैसा से हथियार हमारे देश में आते हैं, यह वह इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन है, जिसका सीधा सम्बन्ध उन एजेंसियों से है जिनका नाम कुरूप साहब और चौबे साहब ले रहे थे सी० आई० ए० वगैरह, पाकिस्तान के बाहर इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनका सीधा सम्बन्ध इनसे है, इनकी मीटिंग इस एजेंसी ने आर्गनाइज की, केवल इंग्लैंड में ही नहीं, न्यूयार्क में अभी वापिस आए हैं या नहीं पता नहीं, उनका भाषण इतना जबरदस्त एंटी नेशनल है, आइ शुड से, इंग्लैंड के गुरुद्वारे में तकरीर करते हुए वे यहां तक कहते हैं—

[अनुवाद]

सरकार का प्रश्रय प्राप्त असामाजिक तत्वों और सरकारी गिरोह पंजाब मे सिखों की हत्या करा रहा है।

[हिन्दी]

दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने इंदिरा गांधी के हत्यारों की वकालत करके खालसा पंथ की बड़ी शानदार सेवा की है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : लोग जनता पार्टी का बहिष्कार कर देंगे।

सरदार बूटा सिंह : उच्चतम न्यायालय में मैंने जो भूमिका अदा की है। उसके बचाव के लिये मैं कोई मुआवजा मांगने के लिये यहां उपस्थित नहीं हूं।

[हिन्दी]

उन्होंने कहा कि मैंने वह पैसा बगैर पैसा लिए हुए किया है और यहां मैं पैसा मांगने नहीं आया हूं, यह मैंने खालसा पंथ की और खालिस्तान की सेवा की है। (व्यवधान)

श्रीमन् मैं प्रो० दण्डवते जी से पूछता हूं, आपके दल के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने केवल इंग्लैंड में नहीं, न्यूयार्क में भी इस तरह की स्पीचेज की हैं, खाली बाहर आकर ही नहीं करते, चंडीगढ़ में अभी-अभी जिस सेमीनार का जिक्र मेरे सहयोगी श्री चिदम्बरम साहब कर रहे थे, उस सेमीनार में भी जो किताब पेश की गई, बेस पेपर पेश किया गया उसमें भी वही सन्देश, जिसका उल्लेख बार प्राइम-मिनिस्टर साहब ने किया था, उसका सन्देश जेठमलानी साहब ने इस सेमीनार में किया था। मैं कोई चार्ज नहीं लगा रहा, मैं आपके सामने वस्तुस्थिति पेश कर रहा हूं। आप कहते हैं कि टेररिस्ट एक्टीविटीज पंजाब में कम होनी चाहिए। चौबे साहब आप बतलाइए श्रीमती इन्दिरा गांधी के कातिलों के भोग हों, बड़े-बड़े अकाली नेता जाकर सरोपा दें, इससे क्या जजबात भड़केंगे या कम होंगे। (व्यवधान)

इसलिए मैं आपसे राष्ट्र हित में, देश की एकता की खातिर, समूचे देसवासियों के हित में आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हमें कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए जिससे हम देश-वासियों के जजबात को ठेस पहुंचाएं। हमारे देश की न्यायप्रणाली है, उन्होंने पूरी तरह से केस को सुना, उसके मुताबिक सजा हुई, अब उसको यूलोजाइज करना, उसको पंथ की सेवा कहना, खालिस्तान की सेवा कहना, इससे क्या पंजाब में टेररिज्म को हम कंटेन कर सकेंगे।

श्रीमन इन प्रवृतियों को बन्द करना होगा। जो मोगा में काण्ड हुआ, उसके बारे में उल्लेख करते-करते श्री चिदम्बरम साहब ने कहा, एक तरफ 27 निर्मम हत्याएं हुई पड़ी हैं और हम उनके शव इकट्ठे कर रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत तसल्ली है, खुशी है कि विरोधी दल के बड़े नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब मेरे साथ गए और उनके जाने के पंजाब में ही नहीं देशभर के में एक विश्वास पैदा हुआ कि इस देश की इस बड़ी समस्या में सारे विरोधी दल भी और सरकार मिलकर सब हम लोगों से पूरी हमदर्दी रखते हैं। मैं समझता हूं, उसका बड़ा हिस्सा हुआ जो पंजाब में और पंजाब के बाहर और हमारे भाईयों-भाईयों के रिश्ते नहीं टूटे। मैं अटल बिहारी जी का आभारी हूं और मैं चाहता हूं कि इस तरह सभी राजनीतिक दलों के नेता अगर मैदान में उतरेंगे और उस वक्त जो उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए दूरदर्शन के ऊपर हमारे देश के लोगों को बहुत राहत मिली है। पंजाब की स्थिति के बारे में पहले पंजाब पुलिस निष्क्रिय थी, हमें यहां से दस्ते भेजने पड़ते थे। आज पंजाब पुलिस के लोग जिसको ये फेक एनकाउंटर कहते हैं उनमें सी० आर० पी० और हमारे पंजाब पुलिस के एस० पी० जो बहुत ही बहादुर थे, उन्होंने अपना बलिदान देश की एकता को बचाने के लिए दिया। ये भारत मुक्ति मोर्चा के लोग और ये जेठमलानी एण्ड कम्पनी कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के गैंग लेकर मासूम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। क्या कोई एस० पी० फेक एनकाउन्टर के लिए अपनी जान दे देगा। यह बहुत गम्भीर

समस्या है। इसको इतना आसानी से नहीं लेना चाहिए, हमें इस बात का खेद है। हम उन राजनीतिक दलों के आभारी हैं चाहे वे सी० पी० एम० हो या सी० पी० आई० उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ अलग से अपना अभियान किया है पंजाब में और आतंकवाद का मुकाबला सामने होकर कर रहे हैं तथा उनकी गोलियां छातियों में ले रहे हैं। मुझे खेद है उन दलों का जो दल बाहर आकर ऐसी बातें करते हैं। मैं खासकर जनता दल की बात करूंगा क्योंकि जनता दल के लोग आज इस प्रकार के वादे लोगों को कर रहे हैं। अभी बिहार में वी० पी० सिंह ने एक वादा कर दिया कि यदि वे पावर में आयेंगे तो झारखंड को कंसीड कर देंगे। क्या यह देश का विभाजन नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह नहीं कहा।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : उन्होंने ऐसा कहा है समाचार पत्रों में यह क्या है। वह इससे इनकार नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : मैं एक-एक शब्द जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जो कुछ मैं कह रहा हूं, अध्यक्ष जी के सामने पेश करूंगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : उन्होंने इससे इन्कार नहीं किया है। वे यहां आए और इससे इन्कार करें।

श्री पी० चिदम्बरम : वह संसद में नहीं आयेंगे।

सरदार बूटा सिंह : वह अन्य संसद सदस्यों की तरह ही, एक सम्मानीय सदस्य हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : वह संसद सदस्य हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं कार्यवाही वृतान्त में यह बात दर्ज कराना चाहता हूं। यह गंभीरता से कहा गया है कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह देश का विभाजन चाहते हैं और झारखंड को देश से अलग एक देश बनाना चाहते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम देश के विभाजन के विरुद्ध हैं। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

आपने कहा कि देश को तोड़ना चाहते हैं। आपने कहा कि झारखंड बनायेंगे और हिन्दुस्तान की यूनियन के बाहर बनायेंगे। मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि सन् 47 की तकसीम हिन्दुस्तान का अन्तिम विभाजन है, उसके बाद कोई विभाजन हम नहीं चाहेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : यह सब मिथ्या मनोभाव हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पडरौना) : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के सदस्य होते हुए

भी आपने प्रो० मधु दण्डवते को कुछ बोलने की अनुमति दी है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह स्वयं कुछ क्यों नहीं कहते ? आपने उन्हें बोलने की अनुमति क्यों दी ?

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहना चाहिए।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : मैं जानता हूं, मैंने क्या कहा है। मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा है। जो भी शब्द प्रोफेसर साहब मेरे मुंह में डालना चाहते हैं। वह शब्द मैं नहीं डालने दूंगा। मैं अर्ज कर रहा हूं कि पंजाब में आतंकवाद न बढ़े इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि इसका कोई न कोई राजनीतिक हल ढूंढना चाहिए। चौबे जी, कुरूप साहब और दण्डवते जी के दलों का घनिष्ट सम्बन्ध है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपको आतंकवादियों ने कोई हल दिया है।

उनका पहला हल यह है, हमारे पास जो सूचना आई उसके मुताबिक वह है खालिस्तान। मैं एक बात देशवासियों के आधार पर कह सकता हूं कि इस देश में खालिस्तान जैसी को हम कभी नहीं बनने देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : हम कभी नहीं बनने देंगे।

श्री राम प्यारे पनिका : आपने जेठमलानी को सस्पेंड किया···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

यदि आपने उन्हें निलम्बित नहीं किया तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : आतंकवादियों का इसके सिवाय कोई दूसरा राजनीतिक हल नहीं है। यह भी मैं पूरे अधिकार से कह सकता हूं। मेरे अकाली भाई जानते हैं क्योंकि वह भुक्तभोगी हैं कि जो अकाली खालिस्तान से नीचे बात करता है उसकी शुद्धि कर देते हैं। इसलिए आतंकवादियों के साथ किसी प्रकार का कोई राजनीतिक समाधान, कोई भी प्रस्ताव लेकर आये तो सबसे पहले मैं पूछूंगा कि क्या आपने उनसे यह अधिकार ले लिया। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि हमारे देश के संविधान के अन्तर्गत हिंसा को छोड़कर देश की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण मानकर कोई भी व्यक्ति हमारे पास बात करने के लिए आये तो हम हमेशा तैयार हैं। हमने किया है, लाल डेंगा से हमने बात की, टी० एन० वी० वाले आये हमने बात की, घीसिंग से बात की। जनता दल के नेता, अकाली नेता यदि सभी आतंकवादियों से उनके हथियार फेंकवाकर, संविधान की परिभाषा को मनवाकर, देश की एकता और अखण्डता को मनवाकर उन्हें लेकर आयें तो मैं समझता हूं यह सही रास्ता होगा राजनीतिक समाधान का। आप कर के देख लें। हमारे पास एक रास्ता है जो देश का विभाजन करने के लिए उतारू हैं, जो देश के निहत्थे लोगों को मारने के लिए आयेगा हम उसकी जड़ साफ कर देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : कोई दो राय हैं देश को अखण्ड रखने के लिए ?

सरदार बूटा सिंह : पंजाब की समस्या का समाधान निकालने के लिए हमारे प्रधान मंत्री

श्री राजीव गांधी ने और स्वर्गीय हरचन्द सिंह लोंगोवाल ने एक रास्ता बनाया है। उस रास्ते पर अमल नहीं हो पा रहा है। उसकी 11 मांगों में से 8 पूरी हैं; तीन बाकी हैं···

श्री वसुदेव आचार्य : वही तो मुख्य मांगें हैं।

सरदार बूटा सिंह : मैं उसमें मधु दण्डवते साहब से सहयोग मांग रहा हूं। वह मांग तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री लोंगोवाल-राजीव एकार्ड को नहीं मानते उन्होंने जनता के सामने कहा है कि मैं इस अकार्ड को डिसआन करता हूं।

श्री वासुदेव आचार्य : जब भजन लाल जी मुख्य मंत्री थे तब क्यों नहीं पूरी की ?

सरदार बूटा सिंह : उस समय प्रयत्न हुआ। उस अकार्ड के मुताबिक कमीशन ने फैसला दिया, ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया उसको लागू करने के लिए पंजाब और हरियाणा विधान सभाओं ने उसको मंजूरी दी। आप साथ नहीं थे, आपकी पार्टी को मालूम है। पंजाब विधान सभा ने प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन केबिनेट में जाकर रिजेक्ट हो गया। इसलिए वह रुक गया। आज हम मानते हैं।

[अनुवाद]

राजीव-हरचन्द सिंह लोंगोवाल समझौते के अन्तर्गत पंजाब समस्या का हल सम्भव है। सभी संबंधित लोगों के सहयोग से हम इस समझौते को पूरी तरह लागू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं प्रो० दण्डवते जी से अनुरोध करूंगा कि हरियाणा के मुख्य मंत्री को···अपने असर का प्रयोग करें।

[हिन्दी]

आप उनसे कहें कि वह अकार्ड को मानें। वह रोज कहते हैं कि एस० वाई० एल० कैनाल बने। तो कैनाल कहां से आयेगी, कैनाल तो अकार्ड से निकलती है।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : पहले आप कांग्रेस जनों से कहें कि वे इसे स्वीकार करें।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : आप जानते हैं कि यह जो सतलुज-व्यास लिंक नहर है इसका जन्म स्थल, यानि कि गंगोत्री राजीव-लोंगोवाल अकार्ड है। यह अकार्ड माना जायेगा तो नहर बन जायेगी। यदि अकार्ड नहीं माना जाता तो नहर कहां से आयेगी। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि यदि जनता दल अपनी पोलिटिकल आइडियालोजी में सिन्सियर है तो उनको चाहिए कि अपने मुख्यमंत्री को आदेश दे, मगर दुख तो इस बात का है कि इस पार्टी में कोई में कोई आदेश दे ही नहीं सकता, कोई आदेश मानता ही नहीं है, सर। यह तो ऐसी नाटक मण्डली है जिसमें कोई किसी का आदेश नहीं मानता। (व्यवधान)

प्रो० मधु दन्डवते : जब आप कह रहे हैं कि जनता दल ऐसी नाटक मण्डली है जिसमे कोई किसी का आदेश नहीं मानता है तो मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने गुजरात

कांग्रेस कमेटी की बैठक में क्या हुआ, कौन किस का आदेश मानता है, वह सब देख लिया है, उसका टेपरिकार्ड आप सुन सकते हैं। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : श्रीमन, मुझ खुशी है कि चलिये आपने यह बात तो मानी। यह पहला राजनैतिक दल मैंने देखा है, जिसका अध्यक्ष वाक-आउट करके चला गया क्योंकि उसकी बात कोई सुनता ही नहीं था। आज तक मैंने किसी राजनैतिक पार्टी के अध्यक्ष को वाक-आउट करते न देखा, न सुना। यह जनता दल के अध्यक्ष ही है, जिनकी बात किसी ने नहीं सुनी और वे वाक आउट करके चले गये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : देश के गृह मंत्री को इस प्रकार का छिछोरा नहीं होना चाहिए।

श्री पी० चिदम्बरम : इसमें छिछोरापन क्या है?

प्रो० मधु दण्डवते : वह आपको बता सकते हैं कि आपके युवा महोत्सव में और गुजरात में क्या-क्या हुआ। आप इसकी अनुमति क्यों दे रहे हैं? (व्यवधान)

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : हम मानते हैं कि पंजाब की समस्या का समाधान केवल पुलिस के शासन के द्वारा नहीं हो सकता मगर हमने पुलिस को वहां देशवासियों की हिफाजत के लिए लगाया है ताकि वह निरीह जनता की रक्षा कर सके और हम इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पंजाब की परिस्थिति जिन लोगों को मालूम है, वे जानते हैं कि सरहद के दो जिलों में हमने आतंकवादियों को कौर्नर करके रखा है, भयंकर आतंकवादियों की गतिविधियों को बांधकर रखा है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कल कहा है, उनकी पाकिस्तान के साथ बहुत उच्चस्तरीय बातचीत हुई है और हमें उम्मीद है कि वहां की सरकार शायद इन गतिविधियो पर कुछ अंकुश लगा सके मगर अभी भी सरहद के पार से हथियार, पैसा और आतकवादी आ रहे हैं। फैक्ट तो यह है कि बड़े-बड़े आतंकवादी पाकिस्तान में पनाह लिये बैठे है और हम पूरा प्रयास कर रहे है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा, इस समस्या का समाधान करने के लिए हम सभी राजनैतिक दलों का पूरा-पूरा सहयोग मांगते हैं। यहां चौबे साहब ने नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल की मीटिंग की बात की, मैं उन्हें इतना आश्वासन ही दे सकता हूं जो मैंने कन्सलटेटिव कमेटी मे भी कहा था कि इस महीने के अंत से पहले-पहले हम उसकी मीटिंग बुला रहे हैं जिसमें हम सभी प्रगतिशील और सैक्यूलर फोर्सेस से रिक्वैस्ट करेंगे कि पंजाब में आतंकवाद के खात्मे के लिये, पंजाब की राजनैतिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लिया जाये और राजीव गांधी-सन्त हरचन्द सिंह लौंगोवाल एकोर्ड के फ्रेम-वर्क में हम पंजाब समस्या का कोई समाधान कर सकें। हम इसके लिए आपका आह्वान करते हैं। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं अपने माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि आप कभी पंजाब का विजिट करके देखें। आपने यहां प्रोसैस ऑफ नोर्मेलाइजेशन की बात की। इसी सदन के सामने हमारे प्रधान मन्त्री जी ने जो घोषणा की थी, उसका पूरा-पूरा इम्पलीमैंटेशन हो चुका है और सबके सब जोधपुर अण्डर-ट्रायल्स को रिहा कर दिया गया है। एक माननीय सदस्य कर रहे थे कि उनमें से कई अभी भी जेल में हैं, लेकिन वे किन्हीं दूसरे केसेज में इन्वोल्व थे, किसी ने मर्डर किया था, किसी ने डाका डाला था। उनके बारे में यहां बात नहीं हुई थी। यहां जो बात हुई थी कि ब्ल्यू-स्टार के बाद जितने बंजिग

ऑफ वार से सम्बन्धित केसेज थे, उन सबको खत्म कर दिया जायेगा, हमने उसके मुताबिक सभी बंदियों को रिहा कर दिया है। कुछ मुट्ठीभर दूसरे लोग बाकी हैं लेकिन उनके विरुद्ध पहले से दूसरे मुकदमे होंगे जो अभी भी ट्रायल फेस कर रहे हैं और उनकी संख्या 32 के करीब है, जो अपने-अपने केसेज को फेस कर रहे हैं। उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, जो लोग वेजिंग ऑफ वार के केसेज में जोधपुर में बन्द किये गये थे।

[अनुवाद]

केवल तीन सीमावर्ती जिलों में ही पंजाब विक्षुब्ध-क्षेत्र अधिनियम और सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को लागू किया गया हैं। विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत पंजाब का दौरा करने पर लगाए गए प्रतिबन्ध भी हटा दिए गए हैं।

8.00 म०प०

[हिन्दी]

अरे हमने तो फारेनर्स को विजिट करने की इजाजत दे दी है। कभी आप भी चलिए, पता तो चलेगा कि पंजाब में लोग कैसे रहते हैं।

[अनुवाद]

क्षमादान सम्बन्धी संशोधन को निरस्त कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं कि 'टाडा'—(टी० ए० डी० ए०) का बहुत कम प्रयोग किया जाए। पंजाब सरकार ने आपत्तिजनक भाषणों सम्बन्धी मामलों की समीक्षा की है और ऐसे 437 मामले वापस ले लिए गए हैं।

[हिंदी]

ये वे स्टैप्स हैं जिनके लिए हमने कोशिश की है कि पंजाब में सिचुएशन नार्मलाइज हो और स्टैप्स हम लेने के लिए तैयार हैं।

श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दल, राजनीतिक मुद्दों को छोड़कर, चुनाव की अपेक्षाओं को एक तरफ रखते हुए, देश की इस गम्भीर समस्या को देखते हुए देश की एकता और अखण्डता के लिए यदि हम सभी प्रयास करें, तो पंजाब की धरती से हम आतंकवाद को जल्द खत्म कर पाएंगे।

महोदय, मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि इसको रिजैक्ट किया जाए।

———

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : श्री बूटा सिंह और श्री चिदम्बरम दोनों ने ही इस चर्चा में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों का उत्तर नहीं दिया है।

सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा करें। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से पूरी तरह विफल रही है। कानून और व्यवस्था के कारण इस केन्द्रीय सरकार ने बरनाला सरकार को बरखास्त किया था। लेकिन आज

पंजाब में क्या स्थिति है ? मुझे श्री चिदम्बरम की यह घोषणा सुनकर हैरानी हुई कि मोगा में हुई वारदात के अलावा, पंजाब में जून में कोई दुर्घटना नहीं हुई। 69 लोगों की हत्या की गई है। मोगा को छोड़कर···

श्री सोमनाथ रथ (बोलपुर) : उन्होंने कहा कि यह सबसे अच्छा महीना था।

श्री सुरेश कुरूप : उन्होंने कहा कि यह सबसे अच्छा महीना था।

श्री पी० चिदम्बरम् : मैंने कहा कि 69 भी खराब हैं।

श्री सुरेश कुरूप : इस सभा में आपको यह कहने का दुस्साहस है।

श्री पी० चिदम्बरम : आपने मेरे भाषण को तोड़ने-मरोड़ने की धृष्टता करते हैं। कार्यवाही वृत्तांत देखिए। मैंने कहा है कि एक की हत्या भी बुरी है···(**व्यवधान**)···

मैं इसे गम्भीरता से लेता हूं। मैंने कहा है कि एक की हत्या भी बुरी बात है। जब तक एक व्यक्ति की भी हत्या की जाती है, हम अपना सिर ऊंचा नहीं कर सकते। मैंने कहा है कि एक की हत्या भी, बुरी बात है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने कहा कि मोगा के हत्याकांड को छोड़ दें, तो जून सबसे उत्तम महीना रहा है।

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने आतंकवादियों द्वारा हत्याकांड के बारे में बहुत कम कहा था। जब मैं बोल रहा था तो आप नमन में सिर हिला रहे थे, और अब आप खड़े होकर विरोध प्रकट कर रहे हैं।···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : इसका गलत अर्थ मत लगाइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें इसे रिकार्ड से देखने दें।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक है। यह तो केवल तुलना करने का सवाल है।

श्री सुरेश कुरूप : उन्होंने कहा, मोगा कांड को छोड़कर यह महीना सबसे अच्छा महीना होता···(**व्यवधान**)

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : इसमें एक अन्तर है। यह कहना एक बात है कि आप सबसे अच्छे मार्क्सवादी हैं और यह कहना दूसरी बात है कि वह सबसे कम मार्क्सवादी हैं। ये दोनों अलग-अलग बातें हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो तुलना करने का सवाल है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस तरह की बहस में हमें इस सभा में, भारत की संसद में इस प्रकार की मजाक सुननी पड़ती है···(**व्यवधान**)···केवल वे ही समझते हैं और हम कुछ नहीं समझते क्योंकि उनका बहुमत है···(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : यहां क्या हो रहा है।

[**अनुवाद**]

आप परेशान क्यों हो रहे हैं ? यह तो तुलना करने का प्रश्न है। बहुत साधारण सी बात है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : हमारे एक राज्य में, जिस पर सीधे केन्द्रीय सरकार का शासन है, इतने अधिक लोग मारे जा रहे हैं, इस पर वे स्वयं सुचारू सरकार चलाने का कैसे दावा करते हैं ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : वे दावा नहीं करते ।

श्री सुरेश कुरूप : अब वे बार-बार आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव की बात करते हैं । मैं नहीं जानता कि क्यों···(व्यवधान)

प्रमुख अकाली ग्रुपों···(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : आप नहीं जानते कि आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव क्या है ।···(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : निसन्देह, आप मुझसे बेहतर जानते हैं ।···(व्यवधान)

प्रमुख अकाली ग्रुपों ने बार-बार दोहराया है कि वे देश की एकता और अखण्डता के प्रति समर्पित हैं । उन्होंने दोहराया है कि वे खालिस्तान के विरुद्ध हैं । मुझे श्री चिदम्बरम की बात सुनकर तब आश्चर्य हुआ जब उन्हें व्यापक रूप से सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को उद्धृत किया जैसे कि उन्होंने रिपोर्ट को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया हो । ···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे ।···(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : पिछले संसद के चुनावों के दौरान शासक दल का यह मुख्य अभियान था कि विपक्षी दल आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव तथा खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं । अब वे पुन: इसी बात की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि संसद के चुनाव आ रहे हैं ।···(व्यवधान)

अब यह खेल नहीं चल पाएगा । इस समय यह चाल नहीं चल पाएगी ।···(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : अब यह चाल क्यों नहीं चलेगी ? क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं ?···(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : आपके विरोध करने से पहले ही हमने इसका विरोध किया है । इस प्रस्ताव को रद्द करने के बजाय आपने इसे सरकारिया आयोग को सौंप दिया है । यही कुछ हुआ है ।···(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : हम अब पंजाब की चर्चा कर रहे हैं ।···(व्यवधान)

कृपया मुझे यह बताएं कि क्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के विरुद्ध है ? क्या यह पार्टी इसके विरुद्ध है ?···(व्यवधान)···यह साम्यवादी पार्टी आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के विरुद्ध है ।

एक माननीय सदस्य : आप इसका समर्थन कर रहे हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : आप इसका समर्थन कर रहे हैं लेकिन आपकी पार्टी विरोध करती है ।···(व्यवधान)···कृपया आप हां या ना में जवाब दीजिए ।···(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : भिंडरावाला किसकी उपज है ?···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : आनन्दपुर साहब प्रस्ताव को मानने वाले भिंडरावाले के पैर आपने छुए थे, हमने नहीं छुए। (व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री सुरेश कुरूप ने कहा उसके अलावा कुछ भी संसद की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, समय की मांग एक संगठित कार्यवाही करना है।···(व्यवधान) देश में प्रत्येक व्यक्ति आनन्दपुर प्रस्ताव के बारे में हमारे दल की स्थिति को जानता है। मैं इसके बारे में अधिक चर्चा नहीं करूंगा। हमें अपनी देश-भक्ति के बारे में आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) समय की मांग उग्रवादियों के विरुद्ध संगठित कार्यवाही करना है न कि आपस में छींटाकशी करना। लेकिन शासक दल पंजाब के बारे में पुनः अपनी चाल चल रहा है। वे पंजाब समस्या के समाधान को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक यह सरकार रहेगी, इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

8.10 म० प०

दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, यह एक बड़ा अच्छा विधेयक है। आप इस विधेयक को ध्वनिमत से ही पारित कर सकते हैं···(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, इस पर कल विचार किया जाए।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक दफा पैसा देना होगा। अच्छा काम है और आपका कल वक्त बचेगा। इसमें हर्ज ही क्या है।

[अनुवाद]

यह अच्छा विधेयक है। आपको परेशानी से बचाया जाएगा। इसमें क्या हर्ज है? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं हाउस एडजर्न कर दूं?

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : एक मिनट, महोदय। हमारी अनुपस्थिति में नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई थी। दोनों ओर से यह मांग थी कि रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में दीजिए। आप इसकी सूचना दें।

श्री अमल दत्ता (डायमन्ड हार्बर) : आपको कल 10 बजे सूचना मिल जाएगी।

श्री राजेश पायलट : महोदय, क्या मेरा विधेयक पारित हो गया है?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

8.11 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 19 जुलाई, 1989/28 आषाढ़, 1911 (शक) को ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53